राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी

अल्पसंख्यक आयोग
की रिपोर्ट का संलग्नक

खंड-II

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

विषय-सूची

		पृष्ठ सं.
संलग्नक 1	**प्रेषित प्रश्नावलियां**	1
संलग्नक 1.1	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रेषित प्रश्नावली	1
संलग्नक 1.2	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रेषित पूरक प्रश्नावली	18
संलग्नक 1.3	जिलों को प्रेषित प्रश्नावली	20
संलग्नक 1.4	चुनिंदा कॉलेजों को प्रेषित प्रश्नावली	36
संलग्नक 1.5	मंत्रालयों/विभागों से धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु विकास/कल्याण योजनाओं/कार्यक्रमों संबंधी सूचना/ डाटा संग्रहण से संबंधित प्रारूप	39
संलग्नक 2	**13 जुलाई, 2005 को राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अल्पसंख्यक कल्याण/विकास विभागों के सचिवों की बैठक की कार्यवाहियां**	**42**
संलग्नक 3	**आयोग ने जिनके साथ विचार-विमर्श किए उन सामुदायिक/धार्मिक नेताओं की सूची**	49
संलग्नक 4	**आयोग द्वारा प्रायोजित अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्ष एवं सिफारिशें**	50
संलग्नक 4.1	अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन–उनके पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी कारक	50
संलग्नक 4.2	अल्पसंख्यकों की शैक्षिक स्थिति तथा उनके पिछड़ेपन के कारण एवं पिछड़ेपन के सामाजिक-आर्थिक संकेतकों की पहचान	52
संलग्नक 4.3	मुस्लिमों को शैक्षिक प्रणाली की मुख्यधारा में लाने में मदरसा शिक्षा की भूमिका	55
संलग्नक 4.4	देश में अल्पसंख्यकों के उन्नयन में वित्तीय संस्थानों की भूमिका का त्वरित मूल्यांकन	58
संलग्नक 4.5	धार्मिक अल्पसंख्यकों के बच्चों की आकांक्षाएं व कैरियर संबंधी योजनाएं	61
संलग्नक 4.6	समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास में धार्मिक शैक्षिक संस्थानों की भूमिका	63
संलग्नक 4.7	धार्मिक अल्पसंख्यकों के सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन की पहचान तथा मानदंडों का चयन	65
संलग्नक 4.8	भारत में धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों की शैक्षिक स्थिति	68
संलग्नक 4.9	भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक—एक स्थितिपरक विश्लेषण	70
संलग्नक 5	**आयोग द्वारा प्रायोजित कार्यशालाओं के निष्कर्ष एवं सिफारिशें**	**72**
संलग्नक 5.1	सुविधावंचित पारसियों से संबंधित मुद्दे	72
संलग्नक 5.2	सुविधावंचित सिखों से संबंधित मुद्दे	74
संलग्नक 5.3	सुविधावंचित बौद्धों से संबंधित मुद्दे	76

		पृष्ठ सं.
संलग्नक 5.4	भाषाई अल्पसंख्यक	76
संलग्नक 5.5	''आरक्षण नीति–प्रभाव का मुल्यांकन''	78
संलग्नक 5.6	सुविधावंचित ईसाइयों से संबंधित मुद्दे	79
संलग्नक 5.7	ईसाइयत एवं इस्लाम में धर्मांतरित व्यक्तियों को अनुसूचित जाति की हैसियत प्रदान करना	80
संलग्नक 5.8	पिछड़ेपन से राजनीति का विलोपन–वैकल्पिक दृष्टिकोण	81
संलग्नक 5.9	सुविधावंचित मुस्लिमों से संबंधित मुद्दे	83
संलग्नक–6	**ईसाइयत/इस्लाम में धर्मांतरित अनुसूचित जातियों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विचार जानने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संपर्क**	**85**
संलग्नक 7	**ईसाइयत/इस्लाम में धर्मांतरित अनुसूचित जाति** से संबंधित सार्वजनिक सूचना	86
संलग्नक 8	**आयोग द्वारा जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा किया गया उनके नाम**	**87**
संलग्नक 8.1	आंध्र प्रदेश राज्य के निरीक्षण की रिपोर्ट का सारांश	87
संलग्नक 8.2	बिहार राज्य के निरीक्षण की रिपोर्ट का सारांश	95
संलग्नक 8.3	छत्तीसगढ़ राज्य के निरीक्षण की रिपोर्ट का सारांश	102
संलग्नक 8.4	गोवा राज्य के निरीक्षण की रिपोर्ट का सारांश	107
संलग्नक 8.5	गुजरात राज्य के निरीक्षण की रिपोर्ट का सारांश	112
संलग्नक 8.6	हरियाणा राज्य के निरीक्षण की रिपोर्ट का सारांश	118
संलग्नक 8.7	हिमाचल प्रदेश राज्य के निरीक्षण की रिपोर्ट का सारांश	124
संलग्नक 8.8	जम्मू–कश्मीर राज्य के निरीक्षण की रिपोर्ट का सारांश	129
संलग्नक 8.9	झारखंड राज्य के निरीक्षण की रिपोर्ट का सारांश	134
संलग्नक 8.10	कर्नाटक राज्य के निरीक्षण की रिपोर्ट का सारांश	139
संलग्नक 8.11	केरल राज्य के निरीक्षण की रिपोर्ट का सारांश	146
संलग्नक 8.12	मध्य प्रदेश राज्य के निरीक्षण की रिपोर्ट का सारांश	152
संलग्नक 8.13	महाराष्ट्र राज्य के निरीक्षण की रिपोर्ट का सारांश	160
संलग्नक 8.14	मणिपुर राज्य के निरीक्षण की रिपोर्ट का सारांश	166
संलग्नक 8.15	मेघालय राज्य के निरीक्षण की रिपोर्ट का सारांश	172
संलग्नक 8.16	मिजोरम राज्य के निरीक्षण की रिपोर्ट का सारांश	177
संलग्नक 8.17	नागालैंड राज्य के निरीक्षण की रिपोर्ट का सारांश	181
संलग्नक 8.18	उड़ीसा राज्य के निरीक्षण की रिपोर्ट का सारांश	186

		पृष्ठ सं.
संलग्नक 8.19	राजस्थान राज्य के निरीक्षण की रिपोर्ट का सारांश	192
संलग्नक 8.20	सिक्किम राज्य के निरीक्षण की रिपोर्ट का सारांश	198
संलग्नक 8.21	तमिलनाडु राज्य के निरीक्षण की रिपोर्ट का सारांश	203
संलग्नक 8.22	त्रिपुरा राज्य के निरीक्षण की रिपोर्ट का सारांश	209
संलग्नक 8.23	उत्तर प्रदेश राज्य के निरीक्षण की रिपोर्ट का सारांश	213
संलग्नक 8.24	उत्तरांचल राज्य के निरीक्षण की रिपोर्ट का सारांश	220
संलग्नक 8.25	प॰ बंगाल राज्य के निरीक्षण की रिपोर्ट का सारांश	225
संलग्नक 8.26	संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के निरीक्षण की रिपोर्ट का सारांश	231
संलग्नक 8.27	दिल्ली राज्य के निरीक्षण की रिपोर्ट का सारांश	236
संलग्नक 8.28	संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी के निरीक्षण की रिपोर्ट का सारांश	242

राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट का संलग्नक

खंड–II

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अनुलग्नक: 1.1

राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भरी जाने वाली प्रश्नावली

खंड- 'क'

सामान्य सूचना

1. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम:

2. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की प्रमुख राजकीय भाषा:

3. राज्य/संध राज्य क्षेत्र की अन्य प्रमुख भाषाएं यदि कोई हों:

4. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की जनसंख्या की धार्मिक संरचना (2001 की जनगणना के अनुसार):

क्रम सं	धार्मिक अल्पसंख्यक	कुल जनसंख्या	राज्य की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या की प्रतिशतता
(i)	हिन्दू				
(ii)	मुसलमान				
(iii)	सिख				
(iv)	ईसाई				
(v)	बौद्ध				
(vi)	पारसी				
(vii)	अन्य				

5. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार ने धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों तथा/अथवा पिछड़े वर्गों के लिए आयोग का गठन किया है या नहीं?

6. यदि हां, तो कृपया विवरण दें (अधिसूचना, विचारार्थ विषय इत्यादि की प्रति लगाएं):

7. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा/अथवा अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम गठित किया है या नहीं?

8. यदि हां, तो कृपया उसका विवरण दें। यदि नहीं, तो कृपया कारण बताएं।

9. क्या किसी अल्पसंख्यक समुदाय ने राज्य में वक्फ बोर्ड, शैक्षिक संघ, सहकारी बैंक इत्यादि जैसी अपनी विकासात्मक आधारभूत संरचना स्थापित की है?

10. यदि हां, तो कृपया विवरण दें-

11. क्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन हेतु गैर-सरकारी संगठन/एजेंसियां कार्य कर रही हैं? यदि हाँ, तो कृपया उनके विवरण दें।

12. क्या राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र की सरकार ने धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों पर कोई सर्वेक्षण अथवा प्रायोजित अनुसंधान करवाया है?

13. यदि ऐसा हो तो विवरण दें। सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रतियां भी दें।

खंड-ख

धार्मिक अल्पसंख्यकों के सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु मानदंड

I-धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति

14. कृपया राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक समुदायों/वर्गों एवं उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अथवा किसी अन्य सूची में शामिल समुदायों/वर्गों की कुल जनसंख्या का विवरण दें–

क्रम सं॰	धार्मिक-समुदाय/वर्ग	समुदायों/जातियों/वर्गों की कुल संख्या	लिखित वर्गों के अंतर्गत शामिल समुदायों/वर्गों की संख्या					पिछड़ा वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत शामिल समुदायों/वर्गों की कुल जनसंख्या
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य	
(i)	हिन्दू							
(ii)	मुस्लिम							
(iii)	सिख							
(iv)	ईसाई							
(v)	बौद्ध							
(vi)	पारसी							
(vii)	अन्य							

15. अन्य राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र किसी धार्मिक अल्पसंख्यक को मान्यता देता है?

16. यदि हां, तो कृपया राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मान्य धार्मिक अल्पसंख्यक का उल्लेख उनकी कुल संख्या तथा प्रत्येक के अंतर्गत मान्य समुदायों/जातियों/वर्गों के विवरण देते हुए करें:–

क्र सं॰	धार्मिक अल्पसंख्यक	मान्य समुदायों/वर्गों/जातियों की कुल संख्या	मान्य समुदायों/वर्गों/जातियों के नाम
(i)	मुस्लिम		
(ii)	सिख		
(iii)	ईसाई		
(iv)	बौद्ध		
(v)	पारसी		
(vi)	अन्य		

17. राज्य/संघ–राज्य क्षेत्र की सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों में सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान की है या नहीं? यदि हां, तो कृपया पिछड़े वर्गों की पहचान करने हेतु अपनाए गए मानदंडों का उल्लेख अधोल्लिखित चरों के सामने करें:–

क्रम सं॰	चर	अपनाए गए मानदंड/ अभिनिर्धारित व्यवसाय
क	जाति	
ख	सामाजिक रीतियां	
ग	पारंपरिक व्यवसाय	
घ	भू–संपत्ति	
ङ	भू–स्वामित्व	
च	शिक्षा	
छ	स्वास्थ्य	
ज	नियोजन (i) सरकारी (ii) निजी रोजगार (संगठित क्षेत्र) (iii) निजी रोजगार (असंगठित क्षेत्र) (iv) स्व–रोजगार (अ) व्यवसायी उदाहरण के लिए, डॉक्टर, वकील इत्यादि (ब) अर्द्ध–कुशल कार्य, उदाहरण के लिए–बढ़ई, राजमिस्त्री इत्यादि (स) कृषक मजदूर अथवा मजदूर/निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिक	
झ	परिवार की वार्षिक आय	
ञ	आय के स्रोत (i) कृषि से आय (ii) गैर–कृषि आय (iii) नियमित आय (iv) मौसमी आय (v) अन्य स्रोत	
ट	परिवार का आकार	
ठ	आवास का प्रकार तथा सुविधाएं **I. आवास** (i) अपना कच्चा मकान (ii) अपना पक्का मकान (iii) किराए का कच्चा मकान (iv) किराए का पक्का मकान **II. सुविधाएं** (i) विद्युत (ii) शौचालय सुविधाएं (iii) नल का पानी (iv) हैंडपंप अथवा अन्य साधन (v) अन्य	

18. (i) आपके राज्य में धार्मिक समुदायों/वर्गों की सामाजिक स्थिति क्या है:

क्र सं॰	मानदंड	धार्मिक समुदाय/वर्ग						
		हिन्दू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	पारसी	अन्य
(i)	साक्षरता दर							
(ii)	विवाह की आयु पुरूष स्त्री							
(iii)	जन्म दर							
(iv)	शिशु मृत्यु दर							
(v)	मातृत्व मृत्यु दर							
(vi)	महिलाओं के विरुद्ध अपराध							
(vii)	अन्य							

(ii) क्या आपके राज्य/संघ–राज्य क्षेत्र में धार्मिक अल्पसंख्यक, किसी सामाजिक, सिविल तथा धार्मिक प्रथाओं/परंपराओं तथा अक्षमताओं से पीड़ित हैं? यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दें।

19. आपके राज्य में विभिन्न धार्मिक समुदायों/वर्गों की आर्थिक स्थिति क्या है?

क्र सं॰	मानदंड	धार्मिक समुदाय/वर्ग						
		हिन्दू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	पारसी	अन्य
(i)	आय							
(ii)	कार्य की भागीदारी							
(iii)	नियोजन							
(iv)	अन्य							

20. आपके राज्य/संघ–राज्य क्षेत्र में धार्मिक अल्पसंख्यकों की शैक्षिक स्थिति क्या है?

क्र सं॰	धार्मिक अल्पसंख्यक	प्राथमिक उत्तीर्ण	मैट्रिक उत्तीर्ण	स्नातक	तकनीकी अर्हताप्राप्त
(i)	मुस्लिम				
(ii)	सिख				
(iii)	बौद्ध				
(iv)	ईसाई				
(v)	पारसी				
(vi)	अन्य				

21. राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र में नियोजन में धार्मिक अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व:

क्रम सं॰	धार्मिक अल्पसंख्यक	निम्नलिखित में नियोजित			
		राज्य सरकार	सार्वजनिक क्षेत्र	स्थानीय निकाय	निजी क्षेत्र
(i)	मुस्लिम				
(ii)	सिख				
(iii)	बौद्ध				
(iv)	ईसाई				
(v)	पारसी				
(vi)	अन्य				

22. निर्वाचित निकायों में धार्मिक अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, जैसे:-

क्र सं.	निर्वाचित निकाय	धार्मिक प्रतिनिधियों की संख्या	कुल प्रतिनिधियों की संख्या
(i)	संसद		
(ii)	राज्य विधान सभा		
(iii)	जिला परिषद्		
(iv)	तालुका बोर्ड/प्रखंड विकास समिति		
(v)	नगरपालिका बोर्ड/नगर निगम		
(vi)	ग्राम पंचायत		
(vii)	अन्य		

23. राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थाओं की संख्या क्या है?

क्रम सं॰	संस्थाएं	संस्थाओं की संख्या
क	**विद्यालय** (i) सरकारी (ii) सहायता प्राप्त (iii) निजी	
ख	**कॉलेज, मानित विश्वविद्यालय व विश्वविद्यालय** (i) **सरकारी** अ. चिकित्सा ब. इंजीनियरी स. दंत-चिकित्सा द. अन्य	
	(ii) **सहायता प्राप्त** अ. चिकित्सा ब. इंजीनियरी स. दंत-चिकित्सा द. अन्य	

	(iii) निजी अ. चिकित्सा ब. इंजीनियरी स. दंत चिकिसा द. अन्य	
ग.	**व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं सेवा संस्थाएं** (i) सरकारी (ii) निजी (iii) गैर-सरकारी संगठन	

II. धार्मिक अल्पसंख्यकों के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु कल्याणकारी उपाय

24. (क) कृपया राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र में धार्मिक अल्पसंख्यकों के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक उन्नयन हेतु कल्याण कार्यक्रमों का निम्नानुसार विवरण दें:-

क्रम सं॰	कार्यक्रम/कार्यक्रमों का नाम
(i)	
(ii)	
(iii)	
(iv)	
(v)	

(ख) क्या निम्नलिखित में से किन्हीं के लिए विशेष कार्यक्रम हैं:-

(i) अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन
(ii) बालश्रम का उन्मूलन
(iii) अस्पृश्यता उन्मूलन
(iv) बाल विवाह उन्मूलन
(v) महिलाओं के विरूद्ध अपराध पर नियंत्रण
(vi) अन्य

25. (क) कृपया राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र में धार्मिक अल्पसंख्यकों के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बीच रोजगार को बढ़ाने तथा आर्थिक सशक्तीकरण हेतु चलाए जा रहे कल्याण कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार दें:-

क्रम सं॰	कार्यक्रम/कार्यक्रमों का नाम	सहायता का प्रकार	पात्रता मानदंड	कोई अन्य विवरण	अभ्युक्ति
(i)					
(ii)					
(iii)					
(iv)					
(v)					

(ख) यदि उपभोग तथा घरेलू ऋणों आदि के लिए कोई विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हों तो कृपया विवरण दें।

26. (i) कृपया राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र में धार्मिक अल्पसंख्यकों के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के शैक्षिक विकास हेतु चलाए जा रहे कल्याण कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार दें:-

क्रम सं॰	कार्यक्रम/कार्यक्रमों का नाम	सहायता का प्रकार	पात्रता मानदंड	कोई अन्य विवरण	अभ्युक्ति
(i)					
(ii)					
(iii)					
(iv)					
(v)					

(ii) कृपया निम्नलिखित के संदर्भ में जानकारी प्रदान करें:

क) 3 कि॰मी॰ क्षेत्र के भीतर स्कूल खोलना

ख) व्यवसायिक/प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, तथा इन संस्थानों की संख्या

ग) आंगनबाड़ी केंद्र खोलना तथा उनके कार्य क्षेत्र

(iii) राज्य में कितने मदरसे हैं तथा उनमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है:

क) धार्मिक

ख) धार्मिक तथा औपचारिक शिक्षा

(iv) इन मदरसों द्वारा कौन-सा पाठ्यक्रम अपनाया जाता है:

क) राज्य बोर्ड

ख) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

ग) भारतीय विद्यालय प्रमाणन

घ) कोई अन्य बोर्ड

27. राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र के कुल बजट का कितना प्रतिशत धार्मिक अल्पसंख्यकों की उन्नति पर खर्च किया जाता है? कृपया 1995-96 से विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्षवार आवंटनों का विवरण दें।

28. क्या धार्मिक अल्पसंख्यकों को बैंकों, सहकारी समितियों, अल्पसंख्यक विकास निगम इत्यादि से ऋण लेने की अनुमति प्राप्त है? यदि 'हाँ', तो कृपया विवरण दें:

क्रम सं॰	धार्मिक अल्पसंख्यक	स्वीकृत ऋण का उद्देश्य						
		शिक्षा	उपभोग		आय प्राप्ति/ स्वनियोजन	उद्योग स्थापना	गृह-निर्माण	अन्य
			विवाह	चिकित्सा				
(i)	मुसलमान							
(ii)	सिख							
(iii)	बौद्ध							
(iv)	ईसाई							
(v)	पारसी							
(vi)	अन्य							

29. कल्याण/विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं? कृपया अपनाए गए सूचकों की जानकारी देते हुए विवरण दें:

क	**सामाजिक पिछड़ेपन के मानदंड**
(i)	पारंपरिक व्यवसाय
(ii)	भूमिहीन
(iii)	कच्चा मकान
(iv)	जातियां
(v)	बाल-विवाह
(vi)	बाल श्रमिक
(vii)	अन्य
ख	**आर्थिक पिछड़ेपन के मानदंड**
(i)	गरीबी रेखा से नीचे
(ii)	मौसमी व्यवसाय
(iii)	भू-संपत्ति
(iv)	व्यापार/वाणिज्य में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व
(v)	बेरोजगारी/अल्परोजगार/छदम रोजगार
(vi)	अन्य
ग	**शैक्षिक पिछड़ेपन के मानदंड**
(i)	साक्षरता दर
(ii)	महिला साक्षरता दर
(iii)	उच्चतर शिक्षा
(iv)	अन्य

30. धार्मिक अल्पसंख्यकों के विकास हेतु राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र में कौन-कौन सी विभिन्न कल्याण योजनाएं/कार्यक्रम निम्नलिखित द्वारा चलाए जा रहे हैं:-

(i) सरकार द्वारा

(ii) निजी क्षेत्र द्वारा

(iii) अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा

(iv) अन्य

31. धार्मिक अल्पसंख्यकों के विकास पर इन कार्यक्रमों का क्या प्रभाव रहा है?

(i) वित्तीय व भौतिक उपलब्धियां (1991-92 से वर्षवार-विकास)

(ii) आर्थिक उन्नयन (1991-92 से वर्षवार)

(iii) सरकारी व स्वनियोजन सहित निजी क्षेत्र में रोजगार में रोजगार/सहभागिता।

32. (i) इन कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन हेतु राज्य तथा जिला स्तर पर कोई प्रणाली विकसित की गई है या नहीं? यदि हां तो कृपया विवरण दें:-
(क) सामाजिक उन्नयन हेतु कल्याण योजनाओं की निगरानी के लिए प्रक्रिया
(ख) आर्थिक उन्नयन कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया
(ग) रोजगार सृजन कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया

(ii) बाहरी एजेंसियों के माध्यम से अथवा आंतरिक स्तर पर विगत दस वर्षों में संचालित इन कार्यक्रमों के मूल्यांकन का सारांश कृपया संक्षेप में निष्कर्ष सहित दें। साथ ही निम्नलिखित के लिए अपनायी गई प्रविधि भी बतावें:-
(क) मौजूदा आंकड़ों का विश्लेषण
(ख) सर्वेक्षण
(ग) अध्ययन
(घ) अनुसंधान
(ङ) अन्य

33. धार्मिक अल्पसंख्यकों के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों विकास हेतु किए गए कल्याणकारी उपायों के लाभ उठाने में उनके सामने आने वाली कठिनाइयां बताएं।

34. क्या आपका राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र धार्मिक अल्पसंख्यकों के सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों तथा स्थानीय निकायों में आरक्षण प्रदान करता है? यदि हां, तो विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यकों हेतु निम्नलिखित में आरक्षण का प्रतिशत क्या है:-

क्रम सं.	धार्मिक अल्पसंख्यक	शैक्षिक संस्थाएं	रोजगार	कल्याण कार्यक्रम	कोई अन्य क्षेत्र (विवरण दें)
(i)	मुसलमान				
(ii)	सिख				
(iii)	बौद्ध				
(iv)	ईसाई				
(v)	पारसी				
(vi)	अन्य				

35. आरक्षण सुविधा का लाभ उठाने हेतु धार्मिक अल्पसंख्यकों के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का अभिनिर्धारण करने हेतु क्या मापदंड/मानदंड अपनाए गए हैं? कृपया विवरण दें।

36. क्या धार्मिक अल्पसंख्यकों के उम्मीदवारों द्वारा आरक्षित कोटे का पूर्ण उपयोग किया जाता है, यदि हां, तो कृपया विवरण दें। यदि नहीं, तो कृपया कारण बताएं।

37. कृपया उपर्युक्त नीतियों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में राज्य द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयां बताएं।

38. कृपया राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यकों के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के अभिनिर्धारण हेतु मानदंड संबंधी सुझाव दें ताकि

(i) अधिकतम क्षेत्र व जनसंख्या हेतु शिक्षा एवं रोजगार सुनिश्चित किया जाए।

(ii) न्यूनतम संभव समय में अधिसंख्य को मुख्यधारा में जोड़ा जा सके।

खंड – ग

भाषाई अल्पसंख्यकों के सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के अभिनिर्धारण हेतु मानदंड

I. भाषायी अल्पसंख्यकों की स्थिति:

39. कृपया राज्य/संघ–राज्य क्षेत्र के विभिन्न भाषाई अल्पसंख्यकों की कुल जनसंख्या का विवरण दें तथा उनमें अनु॰ जाति, अनु॰ जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा किसी अन्य सूची में शामिल समुदाय/वर्गों का विवरण दें:–

क्रम सं.	भाषायी अल्पसंख्यक	कुल जनसंख्या	समुदायों/वर्गों की कुल संख्या	निम्नलिखित के अंतर्गत शामिल समुदायों/वर्गों की संख्या					पिछड़ावर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल समुदायों/वर्गों की कुल जनसंख्या
				अनु॰ जाति	अनु॰ जनजाति	पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य	
(i)									
(ii)									
(iii)									
(iv)									
(v)									
(vi)									
(vii)									

40. क्या राज्य/संघ–राज्य क्षेत्र किसी भाषाई अल्पसंख्यक को मान्यता देता है?

41. यदि हां, तो कृपया कुल संख्या तथा प्रत्येक के अंतर्गत मान्य समुदायों/वर्गों के विवरण के साथ राज्य/संघ–राज्य क्षेत्र में मान्य भाषायी अल्पसंख्यकों का उल्लेख करें:–

क्रम सं.	भाषायी अल्पसंख्यक	मान्य समुदायों/वर्गों की कुल संख्या	मान्य समुदायों/वर्गों के नाम
(i)			
(ii)			
(iii)			
(iv)			
(v)			
(vi)			

42. क्या राज्य/संघ–राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का अभिनिर्धारण किया है? यदि हाँ, तो कृपया पिछड़े वर्गों के अभिनिर्धारण हेतु अपनाए गए मापदंड निम्नलिखित चरों के सामने सूचित करें:–

क्रम सं.	चर	अपनाए गए मापदंड/अभिनिर्धारित व्यवसाय
क.	जाति	
ख.	सामाजिक रीतियां	
ग.	पारंपरिक व्यवसाय	

घ.	भू संपत्ति	
ङ	भूस्वामित्व	
च.	शिक्षा	
छ	स्वास्थ्य	
ज.	नियोजन (i) सरकारी (ii) निजी क्षेत्र (संगठित क्षेत्र) (iii) निजी क्षेत्र (असंगठित क्षेत्र) (iv) स्वरोजगार (क) व्यावसायिक जैसे डॉक्टर, वकील आदि (ख) अर्ध कुशल कार्य, जैसे–बढ़ई, राजमिस्त्री आदि (ग) खेतिहर मजदूर अथवा मजदूर/गृहनिर्माण श्रमिक से जुड़े	
झ	परिवार की वार्षिक आय	
ञ	आय के स्त्रोत: (i) कृषि से आय (ii) गैर–कृषि आय (iii) नियमित आय (iv) मौसमी आय (v) अन्य स्त्रोतों से आय	
ट	परिवार का आकार	
ठ	आवास का प्रकार एवं सुविधाएं **I. आवास** (i) अपना कच्चा मकान (ii) अपना पक्का मकान (iii) किराए का कच्चा मकान (iv) किराए का पक्का मकान **II. सुविधाएं** (i) बिजली (ii) शौचालय संबंधी सुविधाएं (iii) नल का पानी (iv) हैंडपंप या अन्य साधन (v) अन्य	

43. (i) आपके राज्य में भाषाई समुदायों/वर्गों की सामाजिक हैसियत क्या है:-

क्रम सं.	मानदंड	भाषाई समुदाय/वर्ग						
		I	II	III	IV	V	VI	VII
(i)	साक्षरता दर							
(ii)	विवाह की उम्र पुरूष स्त्री							
(iii)	जन्म दर							
(iv)	शिशु मृत्यु दर							
(v)	मातृत्व मृत्यु दर							
(vi)	महिलाओं के विरूद्ध अपराध							
(vii)	अन्य							

(ii) क्या आपके राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र में किसी सामाजिक, नागरिक तथा धार्मिक प्रथाओं/परंपराओं तथा अक्षमताओं से भाषाई अल्पसंख्यक पीड़ित हैं? यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दें

44. आपके राज्य में विभिन्न भाषाई समुदायों/वर्गों की आर्थिक हैसियत क्या है?

क्रम सं.	मानदंड	भाषाई समुदाय/वर्ग						
		I	II	III	IV	V	VI	VII
(i)	आय							
(ii)	कार्य सहभागिता							
(iii)	नियोजन							
(iv)	अन्य							

45. आपके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों की शैक्षिक स्थिति क्या है?

क्रम सं॰	भाषायी अल्पसंख्यक	प्राथमिक कक्षा उत्तीर्ण	मैट्रिक	स्नातक	तकनीकी अर्हता प्राप्त
(i)					
(ii)					
(iii)					
(iv)					
(v)					
(vi)					

46. राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र रोजगार में भाषाई अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व:

क्रम सं॰	भाषायी अल्पसंख्यक	निम्नलिखित में नियोजित			
		राज्य सरकार	सार्वजनिक क्षेत्र	स्थानीय निकाय	निजी क्षेत्र
(i)					
(ii)					
(iii)					
(iv)					

47. निर्वाचित निकायों में भाषाई अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व:

क्रम सं.	निर्वाचित निकाय	भाषाई प्रतिनिधियों की संख्या	प्रतिनिधियों की कुल संख्या
(i)	संसद		
(ii)	राज्य विधान सभा		
(iii)	जिला परिषद्		
(iv)	तालुका बोर्ड/प्रखंड विकास समिति		
(v)	नगरपालिका बोर्ड/नगर निगम		
(vi)	ग्राम पंचायत		
(vii)	अन्य		

48. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने हेतु मातृभाषा के रूप में प्रयुक्त अल्पसंख्यक भाषाओं के विवरण निम्नानुसार दें:

क्रम सं॰	अल्पसंख्यक भाषाएं	पूर्व-प्राथमिक स्तर	प्राथमिक स्तर	स्कूल स्तर
(i)				
(ii)				
(iii)				
(iv)				

49. राज्य में भाषायी अल्पसंख्यक संस्थाओं की संख्या कितनी है:

क्रम सं॰	संस्थाएं	संस्थाओं की संख्या
क	**स्कूल** (i) सरकारी (ii) सहायता प्राप्त (iii) निजी	
ख	**कॉलेज मानित विश्वविद्यालय व विश्वविद्यालय** (i) सरकारी क) चिकित्सा ख) इंजीनियरिंग ग) दंत-चिकित्सा घ) अन्य	

	(ii) सहायता प्राप्त क) चिकित्सा ख) इंजीनियरिंग ग) दंत-चिकित्सा घ) अन्य (iii) निजी क) चिकित्सा ख) इंजीनियरी ग) दंत-चिकित्सा घ) अन्य	
ग.	व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा सेवा संस्थाएं (i) सरकारी (ii) निजी (iii) गैर सरकारी संगठन	

50. क्या भाषायी/अल्पसंख्यकों के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति/न्यायालयों द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप विगत वर्षों के दौरान किया गया है? यदि हाँ, तो कृपया विवरण दें।

II. भाषायी अल्पसंख्यकों के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु किए गए कल्याणकारी उपाय

51. (क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक उन्नयन हेतु चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार दें:

क्रम सं॰	कार्यक्रम/कार्यक्रमों का नाम
(i)	
(ii)	
(iii)	
(iv)	
(v)	

(ख) क्या निम्नलिखित में किसी के लिए कोई विशेष कार्यक्रम है:—

(i) अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन

(ii) बाल श्रम का उन्मूलन

(iii) अस्पृश्यता का उन्मूलन

(iv) बाल विवाह का उन्मूलन

(v) महिलाओं के विरूद्ध अपराध पर नियंत्रण करना

(vi) अन्य

52. (क) कृपया राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बीच आर्थिक सशक्तीकरण एवं रोजगार बढ़ाने हेतु कल्याणकारी कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार दें:

क्रम सं॰	कार्यक्रम/कार्यक्रमों का नाम	सहायता का प्रकार	पात्रता मानदंड	कोई अन्य विवरण	अभ्युक्ति
(i)					
(ii)					
(iii)					
(iv)					
(v)					

(ख) यदि उपभोग तथा घरेलू ऋण इत्यादि हेतु कोई विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा हो, तो कृपया विवरण दें।

53. (i) कृपया राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों के सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के शैक्षिक विकास हेतु चलाए जा रहे कल्याण कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार दें:

क्रम सं॰	कार्यक्रम/कार्यक्रमों का नाम	सहायता का प्रकार	पात्रता मानदंड	कोई अन्य विवरण	अभ्युक्ति
(i)					
(ii)					
(iii)					
(iv)					

(ii) कृपया निम्नलिखित के संदर्भ में जानकारी प्रदान करें:

(अ) तीन कि॰मी॰ क्षेत्र के अंदर स्कूल खुलने की

(ब) व्यावसायिक/प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा ऐसे संस्थानों की संख्या

(स) आंगनबाड़ी केन्द्रों का खुलना तथा उनका कार्य क्षेत्र।

54. राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र के कुल बजट का कितना प्रतिशत भाषाई अल्पसंख्यकों की उन्नति पर खर्च किया जाता है? वर्ष 1995-96 से विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्षवार आबंटनों का विवरण दें।

55. क्या भाषायी अल्पसंख्यकों को बैंकों, सहकारी समितियों, अल्पसंख्यक विकास निगम इत्यादि से ऋण लेने की अनुमति प्राप्त है? यदि हां, तो कृपया विवरण दें:

क्रम सं॰	भाषाई अल्पसंख्यक		स्वीकृत ऋणों का उद्देश्य					
		शिक्षा	उपभोग		आयसृजन/ स्व रोजगार	उद्योग स्थापना	गृह निर्माण	अन्य
			विवाह	चिकित्सा उपचार				
(i)								
(ii)								
(iii)								
(iv)								
(v)								
(vi)								

56. कल्याण/विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं? कृपया अपनाए गए सूचकों की जानकारी देते हुए विवरण दें:

क	**सामाजिक पिछड़ेपन के मानदंड**
(i)	पारंपरिक व्यवसाय
(ii)	भूमिहीन
(iii)	कच्चा मकान
(iv)	जातियां
(v)	बाल विवाह
(vi)	बाल श्रमिक
(vii)	अन्य
ख	**आर्थिक पिछड़ेपन के मानदंड**
(i)	गरीबी रेखा से नीचे
(ii)	मौसमी व्यवसाय
(iii)	भू-संपत्ति
(iv)	व्यापार/वाणिज्य में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व
(v)	बेरोजगारी/अन्य रोजगार/छद्म बेरोजगारी
(vi)	अन्य
ग	**शैक्षिक पिछड़ेपन के मानदंड**
(i)	साक्षरता दर
(ii)	महिला साक्षरता दर
(iii)	उच्चतर शिक्षा
(iv)	अन्य

57. भाषायी अल्पसंख्यकों के विकास हेतु राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न कल्याण योजनाएं/कार्यक्रम कौन-कौन से हैं:

(i) सरकारी

(ii) निजी क्षेत्र

(iii) अल्पसंख्यक समुदाय

(iv) अन्य

58. भाषायी अल्पसंख्यकों के विकास पर इन कार्यक्रमों का कैसा प्रभाव है?

(i) वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां (1991-92 से वर्षवार)

(ii) आर्थिक उन्नयन (1991-92 से वर्षवार)

(iii) सरकारी व स्व-रोजगार सहित निजी क्षेत्र में रोजगार/सहभागिता

59. (i) क्या इन कार्यक्रमों के राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर निगरानी एवं मूल्यांकन की कोई प्रणाली विकसित की गई है? यदि **हां**, तो कृपया विवरण दें:—

(क) सामाजिक उन्नयन हेतु कल्याण योजनाओं की निगरानी के लिए क्रियाविधि

(ख) आर्थिक उन्नयन कार्यक्रमों के विकास हेतु क्रियाविधि

(ग) रोजगार सृजन करने वाले कार्यक्रमों के विकास हेतु क्रियाविधि।

(ii) बाहरी एजेंसियों अथवा आंतरिक स्तर पर विगत दस सालों में चलाए जा रहे इन कार्यक्रमों के विकास का संक्षेप में सारांश निष्कर्षों के साथ दें। साथ ही निम्नलिखित के लिए अपनायी गई प्रविधि भी बताएं:—

(क) वर्तमान आंकड़ों का विश्लेषण

(ख) सर्वेक्षण

(ग) अध्ययन

(घ) अनुसंधान

(ङ) अन्य

60. भाषायी अल्पसंख्यकों के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु कल्याणकारी उपायों का लाभ प्राप्त करने में उनके समक्ष आ रही कठिनाइयां बताएं।

61. क्या आपका राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों तथा स्थानीय निकायों में आरक्षण प्रदान करता है? यदि **हां**, तो विभिन्न भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षण का प्रतिशत क्या है।

क्रम सं॰	भाषाई अल्पसंख्यक	शैक्षिक संस्थान	नियोजन	कल्याण कार्यक्रम	कोई अन्य क्षेत्र (ब्यौरा दें)
(i)					
(ii)					
(iii)					
(iv)					
(v)					
(vi)					

62. आरक्षण की सुविधा प्राप्त करने हेतु भाषायी अल्पसंख्यकों के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का अभिनिर्धारण करने हेतु क्या मापदंड/मानदंड अपनाए गए हैं? कृपया विवरण दें।

63. क्या भाषायी अल्पसंख्यक उम्मीदवारों द्वारा संपूर्ण आरक्षण कोटे का उपयोग किया जा रहा है? यदि हां, तो कृपया विवरण दें। यदि नहीं तो कृपया कारण बताएं।

64. उपर्युक्त नीतियों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में राज्य द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयां बताएं।

65. कृपया राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के अभिनिर्धारण के लिए मानदंड संबंधी सुझाव दें ताकि:

(i) अधिकतम क्षेत्र व जनसंख्या हेतु शिक्षा एवं रोजगार सुनिश्चित किया जाए

(ii) न्यूनतम संभव समय में अधिसंख्य को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

संलग्नक 1.2

पहले परिचालित प्रश्नावली की अनुपूरक प्रश्नावली और विवरणात्मक नोट

प्र॰ 5. कृपया पिछड़ा वर्ग के बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जोड़ें।

प्र॰ 14. पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग को अलग से दो कॉलमों में दर्शाया गया है–आप राज्य में इनकी स्थिति को अलग-अलग अथवा एक साथ दर्शा सकते हैं।

प्र॰ 17. (ड) जोड़ें–कोई अन्य।

प्र॰ 18. (i) (ii) कृपया साक्षरता दर को पुरुष/महिला शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाएं।

प्र॰ 18. (i) (i) एक अतिरिक्त कॉलम जोड़ें—

पढ़ाई छोड़ने वालों की दर — प्राथमिक — बालक, बालिकाएं
माध्यमिक — बालक, बालिकाएं

प्र॰ 18. (ii) महिलाओं और बालिकाओं की स्थिति पर विशिष्ट रूप से प्रभाव डालने वाली प्रथाओं का उल्लेख करें—
उदाहरण स्वरूप निम्नलिखित के प्रचलन पर टिप्पणी करें—
भ्रूण हत्या–बालिकाओं की स्थिति
बाल विवाह
वेश्यावृत्ति
देवदासी प्रथा
कोई अन्य

प्र॰ 21. रोजगार—कृपया मंत्रालय/विभागवार सूचना प्रतिशत में दें।

प्र॰ 22. संसद—कृपया लोकसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख करें।

प्र॰ 23. (ग) (iv) कृपया 'अन्य' जोड़ें।

प्र॰ 23. (2) निम्नलिखित प्रश्न को 23(2) के रूप में जोड़े:—

आपके राज्य में गरीबी रेखा से नीचे निर्धारित कुल जनसंख्या क्या है? कृपया निम्नलिखित तालिका में विवरण दें:—

निम्नलिखित की प्रतिशतता

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अल्पसंख्यक	अन्य
कुल जनसंख्या					

प्र॰ 24. (क) कृपया विभागवार सूचना दें।

प्र॰ 26. (ii) (क) 3 कि॰मी॰ के दायरे में अथवा नवीनतम मानकों के अनुसार स्कूल खोले जाना।

प्र॰ 29. कृपया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधी मापदंड निर्दिष्ट मानकों के अनुसार दें।

अनुपूरक प्रश्नावली

66. राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित कल्याण/विकास योजनाओं के तहत लाभ देने के लिए क्या मानक/मापदंड अपनाए गए हैं? कृपया विवरण दें।

67. (i) क्या आप अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों को विभिन्न कल्याण/विकास योजनाओं के तहत आरक्षण देने के मौजूदा मापदंड से संतुष्ट हैं?

(ii) क्या सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े सभी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों को इस कार्यक्रम से लाभ हुआ है? यदि नहीं, तो इसका कारण बताएं।

(iii) क्या मानकों/मानदंडों में परिवर्तन की आवश्यकता है? यदि हां, तो परिवर्तन/मानदंड संबंधी सुझाव दें।

68. क्या विभिन्न कल्याण/विकास योजनाओं के तहत लाभ देने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित कोटे का पूर्णत: उपयोग होता है? यदि हां तो कृपया विवरण दें। यदि नहीं तो कारण बताएं।

69. (i) राज्य/जिला स्तर पर अनु॰ जाति, अनु॰ जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक उद्धार, आर्थिक सशक्तीकरण और रोजगार सृजन करने संबंधी कार्यक्रमों के मॉनीटरन और मूल्यांकन की क्या प्रक्रिया है?

(ii) कृपया बाह्य एजेंसियों अथवा आंतरिक स्तर पर पिछले 10 वर्षों में किए गए इन कार्यक्रमों के मूल्यांकन का संक्षिप्त विवरण परिणाम के साथ दें। साथ ही निम्नलिखित के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का उल्लेख भी करें:

क. मौजूदा आंकड़ों का विश्लेषण

ख. सर्वेक्षण

ग. अध्ययन

घ. अनुसंधान

ङ अन्य

70. (i) उल्लेख करें कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनु॰ जाति, अनु॰ जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के विकास के लिए किए गए कल्याणोपायों का लाभ उठाने में अनु॰ जातियों, अनु॰ जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा?

(ii) राज्य सरकार और उसके अधिकारियों/कार्यकर्ताओं को विहित मानदंड के अनुसार इन कार्यक्रमों और आरक्षण नीतियों को लागू करने में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें।

(iii) इन योजनाओं / कार्यक्रमों को लागू करने संबंधी मानकों/मानदंडों, जिसमें विभिन्न स्तरों पर राज्य का हस्तक्षेप भी शामिल है, में आप क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? कृपया अपने सुझाव दें।

संलग्नक 1.3

राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग

जिला स्तरीय सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली

भाग – क

जिले का विवरण

1. **राज्य**

   जिला

ब्लाकों की संख्या	गांवों की संख्या	नगरपालिका वाले शहर	अधिसूचित क्षेत्र

2. **जिले की जनसंख्या 2001–धर्मानुसार विवरण**

	कुल	हिदू	ईसाई	मुसलमान	सिख	बौद्ध	पारसी	अन्य
पुरुष								
महिला								
कुल								
ग्रामीण								
शहरी								
कुल								

3. कृपया उन अल्पसंख्यक समुदायों की सूची दें जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची में शामिल हैं।

4. **भाषावार विवरण – व्यक्ति**

   क) राज्य की प्रमुख भाषा क्या है?

   ख) जिलों की प्रमुख भाषा क्या है?

   ग) कौन सी अन्य भाषाएं बोली जाती हैं?

5. **जनसांख्यिकीय विवरण**

लिंगानुपात	शिशु मृत्यु–दर	माताओं की मृत्यु–दर

6. साक्षरता दर 1991 और 2001

	व्यक्ति		पुरुष		महिलाएं	
	1991	2001	1991	2001	1991	2001
हिन्दु						
मुस्लिम						
ईसाई						
सिख						
बौद्ध						
पारसी						
कुल						

7. आर्थिक विवरण

(क) भूमि उपयोग (हैक्टेयर में)

कुल भौगोलिकीय क्षेत्र	वन भूमि	कृषि भूमि	सिंचित भूमि

(ख) मुख्य फसलें

धान	गेंहूं	कपास	गन्ना	अन्य

(ग) विद्युतीकरण

उपभोक्ताओं की संख्या	बिजली लगाए गए गांवों की संख्या	शेष गांवों की संख्या

(घ) परिवहन

सड़क से जुड़े गांवों की संख्या	ऐसे गांवों की संख्या जहां तक सड़क नहीं हैं

(ङ) संचार

उन गांवों की संख्या जहां डाकघर नहीं है	टेलीफोन सुविधा युक्त गांवों की संख्या

(च) बैंक

बैंकों की संख्या	बैंक सेवा प्राप्त गांवों की संख्या

8 (क) **विकास सूचक**

सूचक	ज़िला	राज्य
1. प्रति व्यक्ति आय		
2. प्रति व्यक्ति वापित (बोया गया) क्षेत्र		
3. प्रति व्यक्ति खाद्योत्पादन		
4. प्रति व्यक्ति विद्युत खपत		
5. प्रति 100 वर्ग कि॰मी॰ क्षेत्र में सड़कों की लंबाई		
6. प्रति 1000 व्यक्तियों के लिए पंजीकृत वाहनों की संख्या		
7. प्रति एक लाख जनसंख्या पर डॉक्टरों की संख्या		

8. (ख) **जन स्वास्थ्य**

संस्थानों की संख्या

अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उप केंद्र कुल

पेय जल

समस्या वाले गांवों की संख्या और वाणिज्य/मुख्य व्यापार गतिविधियां।

9. गरीबी–रेखा से नीचे रह रहे परिवार

कुल	अनुजाति	अनु जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	हिन्दु	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	पारसी

10. **सामान्य सूचना**

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र/इलाके

जिले में कानून और व्यवस्था, साम्प्रदायिक सद्भाव की स्थिति

अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति अस्पृश्यता प्रथा का प्रचलन यदि कोई हो

तो बाल विवाह प्रचलन

बाल श्रम प्रचलन

बंधुआ मजदूर प्रथा का प्रचलन

धार्मिक महत्व के स्थान, मेले व त्यौहार, यदि कोई हैं।

भाग ख

शैक्षिक स्थिति

11. शिक्षा के स्तर

विभिन्न स्तरों पर नामांकन (विद्यार्थियों की संख्या)

	हिन्दु 1991/2001	मुसलमान 1991/2001	ईसाई 1991/2001	सिख 1991/2001	बौद्ध 1991/2001	पारसी 1991/2001	कुल 1991/2001
प्राथमिक							
बालक							
बालिकाएं							
कुल							
मिडिल							
बालक							
बालिकाएं							
कुल							
माध्यमिक							
बालक							
बालिकाएं							
कुल							
उच्चतर माध्यमिक							
बालक							
बालिकाएं							
कुल							
कॉलेज							
बालक							
बालिकाएं							
कुल							
पॉलिटेकनीक							
बालक							
बालिकाएं							
कुल							

आई टी आई							
बालक							
बालिकाएं							
कुल							
व्यावसायिक प्रशिक्षण							
बालक							
बालिकाएं							
कुल							
प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम							
बालक							
बालिकाएं							
कुल							
कोई अन्य							
बालक							
बालिकाएं							
कुल							

12. अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में नामांकन – 1991 और 2001

	स्कूलों की संख्या 1991/2001	**विद्यार्थियों की संख्या 1991/2001**	**कॉलेजों की संख्या 1991/2001**	**विद्यार्थियों की संख्या 1991/2001**	**व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र 1991/2001**	
					संख्या	विद्यार्थी
मुस्लिम संगठन						
ईसाई मिशनरी						
सिख संगठन						
बौद्ध संगठन						
पारसी संगठन						
कुल						

13. पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की दर (कक्षा I से कक्षा XII तक)

	I-V	VI-VIII	IX-X	XI-XII	I-XII
कुल					
मुसलमान					
ईसाई					
सिख					
बौद्ध					
पारसी					

14. सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों, जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र भी शामिल है, को दी जा रही छात्रवृत्तियां/प्रोत्साहन, और उनका लाभ उठा रहे छात्रों की संख्या–

(क) अनु॰ जातियों/अनु॰ जनजातियों/अन्य पिछड़ें वर्गों/अल्पसंख्यकों को सरकारी स्कीमों द्वारा दी जा रही।

(ख) अल्पसंख्यक संस्थाओं की अपनी स्कीमों से दी जा रही।

15. शिक्षक

संस्वीकृत पदों की संख्या	**रिक्त पदों की संख्या**	**रिक्त पद किन विषयों के लिए है**

	सुधार संबंधी सुझाव	
नियमित रूप से स्कूल न आने वाले शिक्षकों की संख्या	**शिक्षकों की गुणता**	**शिक्षण संबंधी गुणता**

16. छात्रों का नामांकन बढ़ाने के लिए सुझाव

17. छात्रों को पढ़ाई छोड़ने से रोकने संबंधी सुझाव

18. व्यावसायिक कौशल अल्पसंख्यक वर्गों को आने वाले कुछ वृत्तिक/व्यावसायिक कौशल जैसे बुनाई आदि—

	(1)	(2)	(3)	(4)
मुसलमान पुरुष महिला				
ईसाई पुरुष महिला				

	(1)	(2)	(3)	(4)
सिख पुरुष महिला				
बौद्ध पुरुष महिला				
पारसी पुरुष महिला				

19. इनका कौशल सुधारने के लिए क्या सुविधाएं अपेक्षित हैं?

20. (क). व्यावसायिक प्रशिक्षण

संस्थान	संस्थानों की संख्या																
		(1)	(2)	(3)	(4)	हिंदू		मुसलमान		ईसाई		सिख		बौद्ध		पारसी	
						बा॰	बालि॰	बा॰	बालि॰	बा॰	बालि॰	बा॰	बालि॰	बा॰	बालि॰	बा॰	बालि॰
पॉलिटेकनीक																	
आई टी आई																	
प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम केन्द्र																	
शिल्पकार प्रशिक्षण																	
अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजक																	
डीआरडीए																	
सीएपीएआरटी																	
उद्योग विभाग																	
खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड																	
हथकरघा/ हस्तशिल्प निगम																	
कोई अन्य																	

20 (ख) कौन से पाठ्यक्रमों की मांग अधिक है?

21. **भविष्य के लिए आवश्यकताएं**

(क) पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्रों के लिए आप क्या सुझाव देंगे और उन्हें किस प्रकार के कौशल सिखाए जा सकते हैं?

(क) कक्षा V उत्तीर्ण छात्रों के लिए

(ख) कक्षा VIII उत्तीर्ण छात्रों के लिए

(ग) कक्षा X उत्तीर्ण छात्रों के लिए

(ख) अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के शिक्षा स्तर में सुधार के लिए आपके सुझाव–

- छात्र स्तर पर
- अभिभावक स्तर पर
- शिक्षक स्तर पर
- स्कूल/कॉलेज स्तर पर

(ग) शिक्षा स्तर सुधारने से संबंधित कोई अन्य मुद्दा।

भाग ग

सामाजिक स्तर

22. आवास

आवास	अनु॰ जाति	अनु॰ जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	पारसी
1. आवास स्थल की आवश्यकता वाले परिवारों की संख्या								
2. विभिन्न स्कीमों के तहत आवास प्राप्त कर चुके परिवारों की संख्या (i) इंदिरा आवास योजना (ii) हुडको (iii) कोई अन्य								
3. आवास की आवश्यकता वाले परिवारों की संख्या								
4. पेय जल सुविधा की आवश्यकता वाले परिवारों की संख्या								
5. शौचालय की आवश्यकता वाले परिवारों की संख्या								
6. घरेलू उपयोग के लिए बिजली की आवश्यकता वाले परिवारों की संख्या								
7. कोई और समस्या								

आवास संबंधी आवश्यकताओं में सुधार के लिए आप क्या सुझाव देंगे?

23. स्वास्थ्य

क. जिले में चिकित्सा संस्थाओं की संख्या

	सरकारी/निजी संस्थाओं की संख्या	अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं की संख्या	औसत रोगी प्रतिदिन	विशिष्ट रोग
1. एलोपैथिक				
2. भारतीय चिकित्सा पद्धति – आयुर्वेदिक – यूनानी – होम्योपैथिक – कोई अन्य				

ख. प्रसवों की संख्या

घर पर	अस्पताल में	निजी स्वास्थ्य केंद्रों में (पी एच सी)

24. विशेष संस्थाएं

अल्पसंख्यक समुदाय अपने विशिष्ट संस्थान और धर्मार्थ संस्थान चला रहे हैं। कृपया ऐसे केंद्रों के बारे में जानकारी दें।

गतिविधियां	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	पारसी
– शिक्षा संबंधी					
– अस्पताल					
– अनाथालय					
– बालवाड़ी					
– अशक्त लोगों के लिए पुनर्वास केंद्र					
– धर्मार्थ संस्थाएं					
– कोई अन्य					

25. विशेष वर्गों की स्थिति व्यक्तियों की संख्या

	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	पारसी	कुल
1. एक महिला वाले घर						
2. महिला मुखिया वाले घर						
3. अनाथ बच्चे						
4. कोई अन्य						

भाग घ

26. आर्थिक स्थिति

1. व्यावसायिक वर्गीकरण

कामगारों की संख्या	कुल	खेती करने वाले	खेतिहर मजदूर	घरेलू कार्यों में लगे	अन्य
हिंदू					
मुस्लिम					
ईसाई					
सिख					
बौद्ध					
पारसी					

2. भू-धारिता (हेक्टेयर में)

	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	पारसी	कुल
बड़ी भूमि - कुल सिंचित भूमि							
छोटी भूमि - कुल सिंचित भूमि							
सीमांत भूमि - कुल सिंचित भूमि							

3. घरेलू कार्य करने वाले-

कामगारों की संख्या

	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	पारसी	कुल
1. चमड़े का काम करने वाले						
2. चमड़ा और खाल						
3. बुनाई और कताई						
4. रजाई बनाना						
5. फल और सब्ज़ी बेचना						
6. मछली खरीदना व बेचना						
7. रंगाई और छपाई						
8. धुलाई						
9. बर्तन बनाना						
10. कसाई						
11. धातु के सामान का व्यापार						
12. लाख की चूड़ी बनाना						
13. साईकिल रिक्शा / हाथगाड़ी खींचने वाले						
14. तांगेवाला						
15. मकैनिक						
16. कबाड़ीवाला						
17. हमाल/कुली/सामान चढ़ाने/उतारने वाले						
18. कोई अन्य						

4. राशन कार्ड धारकों की संख्या

	कुल	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	पारसी
अन्नपूर्णा							
अंत्योदय							
कुल							
अल्पसंख्यकों की कॉलोनियों में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या							

5. रोजगार

(i) सरकारी सेवारत कर्मचारियों की संख्या

समूह	कुल	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	पारसी
क							
ख							
ग							
घ							
कुल							

(ii) निजी क्षेत्र में सेवारत कर्मचारियों की संख्या

समूह	कुल	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	पारसी
अधिकारी स्तर							
अन्य स्तर							
कुल							

(iii) असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी

व्यवसाय/वृत्ति

		हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	पारसी
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

(iv) स्व नियोजित

		हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	पारसी
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

6. क्षेत्रीय कार्यक्रमों से उपलब्ध सुविधाएं

(i) लघु उद्योग–लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या

	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	पारसी	कुल
खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से सहायता							
लघु उद्योग धारकों को उधार सुविधाएं							

(ii) अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के लाभ

	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	पारसी	कुल
परियोजनाओं की संख्या							
लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या							

(iii) बैंको के माध्यम से ऋण प्रवाह

	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	पारसी	कुल
(i) लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या							
(ii) रुपयों में राशि							
(iii) सहायता प्राप्त परियोजनाएं							

(iv) निजी क्षेत्र की इकाइयों से लाभ

	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	पारसी	कुल
इकाइयों की संख्या							
लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या							

(v) औद्योगिक इकाईयां

निम्नलिखित के लिए विवरणात्मक नोट दें—

(i) जिले के लिए निर्दिष्ट औद्योगिक क्षेत्र/ज़ोन का विवरण

(ii) जिले में चालू उद्योग/औद्योगिक इकाई

(iii) प्राप्त ऋण

(iv) उत्पादित उत्पाद

(v) अर्जित आय

(vi) कर्मचारियों की संख्या

(vii) मौजूदा कौशल और उनमें सुधार के उपाय;

उन्हें लघु उद्योग अनुषंगी इकाइयों के उद्यमकर्ता बनने के लिए समर्थ कैसे बनाया जा सकता है?

(vi) सामान्य

जिले में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा अपनाए जा रहे व्यवसायों की सामान्य स्थिति क्या है ? उन्हें वर्तमान स्थिति में अपेक्षित व्यवसायों के लिए संगठित करके भविष्य की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कैसे समर्थ बनाया जा सकता है?

भाग ङ

27. विकास योजनाएं

1. ग्राम विकास

लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या

	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	पारसी	कुल
(i) राष्ट्रीय सम विकास योजना							
(ii) इंदिरा आवास योजना							
(iii) ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई) (iv) (एस जी एस वाई)							
(v) सी ए पी ए आर टी के माध्यम से सहायता							
(vi) वृद्धावस्था पेंशन							
(vii) कोई अन्य							

2. महिलाओं का विकास

(क) स्वयंसिद्ध

- स्वसहायता समूहों की संख्या
- कार्य क्षेत्र
- सदस्यों का अंशदान
- लिया गया माइक्रो क्रेडिट
- प्रोद्भूत लाभ

(ख) स्वशक्ति परियोजना

- तैयार किए गए स्वसहायता समूहों की संख्या
- कार्य क्षेत्र
- सदस्यों द्वारा अंशदान
- लिया गया माइक्रो क्रेडिट

(ग) प्रशिक्षण और रोज़गार कार्यक्रम की सहायता

- जिले में परियोजनाओं की संख्या
- परियोजनाओं के प्रकार
- शामिल महिलाओं की संख्या

(घ) स्वावलंबन

- जिले में परियोजनाओं की संख्या
- परियोजना के प्रकार
- लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या

(ङ) दूरस्थ-शिक्षा

- आयोजित पाठ्यक्रमों की संख्या
- लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या

(च) बालिका समृद्धि योजना

- वर्ष 2004-05 में अभिनिर्धारित लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या
- बैंक में जमा की गई राशि रुपयों में

(छ) कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल

- जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों की संख्या
- संस्वीकृत सीटों की संख्या
- खाली सीटों की संख्या

(ज) स्वाधार

- कठिन परिस्थितियों से जूझ रही महिलाओं की अभिनिर्धारित संख्या
- पुन:स्थापित महिलाओं की संख्या
- कार्य क्षेत्र

(झ) कोई अन्य मद

3. **बाल विकास**

(i) एकीकृत बाल विकास स्कीम परियोजनाओं की संख्या

(ii) बच्चों की देखभाल कर रहे स्व सहायता समूहों की संख्या

(iii) आंगनवाड़ियों द्वारा किए जा रहे कार्य

कार्य—लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या

(i) अनुपूरक पोषण

(ii) टीकाकरण

(iii) स्वास्थ्य संबंधी जांच

(iv) बालवाड़ी/दिवस देखभाल केन्द्र

(v) बालसेविका प्रशिक्षण

4. **अन्य क्षेत्र**

स्व सहायता समूह	पंचायत	डी आर डी ए	एन ए बी ए आर डी	कोई अन्य
स्व सहायता समूहों की संख्या				
–सदस्यों द्वारा अंशदान				
–किए गए कार्य				
–लिया गया माइक्रो क्रेडिट				
स्व सहायता समूहों ने अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा अंशदान				

5. **श्रमिक कल्याण—लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या—**

	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	पारसी	कुल
बाल श्रमिक 1. अभिनिर्धारित संख्या 2. पुनर्वासित बालकों की संख्या							
बंधुआ मजदूर 1. अभिनिर्धारित संख्या 2. पुनर्वासित श्रमिकों की संख्या							
प्रवासी श्रमिक 1. अभिनिर्धारित संख्या 2. पुनर्वासित श्रमिकों की संख्या							

भाग च

28. प्रशासन

(1) जिला अल्पसंख्यक विकास कल्याण अधिकारी के कार्यालय का प्रशासनिक ढांचा क्या है और उसके कार्यकलाप क्या हैं? मौजूदा ढांचे को सुधारने के लिए आप क्या सुझाव देंगे?

(2) जिले में स्थित वक्फ बोर्ड, गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, चर्च समिति (सी एस आई अथवा सी एन आई) बौद्ध विहार यदि, कोई हैं, का संस्थागत ढांचा और प्रशासनिक ढांचा क्या है और उनके कल्याण कार्यक्रम क्या हैं? मौजूदा ढांचे को सुधारने के लिए आप क्या सुझाव देंगे?

(3) मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउन्डेशन की भूमिका क्या है और लाभप्राप्तकर्ताओं को क्या लाभ प्राप्त हो रहे हैं? इस संबंध में अपने सुझाव दें।

(4) जिले में अल्पसंख्यकों के लिए कोई अन्य संगठन

(5) सार्वजनिक भागीदारी

(क) लोकतांत्रिक संगठनों में चुने गए प्रतिनिधियों की संख्या

	कुल	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	पारसी
लोक सभा							
विधान सभा							
पंचायत							
जिला परिषद्							
पंचायत समिति							
ग्राम पंचायत							

(ख) अल्पसंख्यक समुदायों ने पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित योजनाओं में किस सीमा तक भाग लिया है:

–स्व सहायता समूह संगठित करना

– ग्राम विकास

– स्वास्थ्य क्षेत्र (पोलियो की दवा पिलाना, मलेरिया उन्मूलन आदि)

– मत्स्य पालन

– लघु सिंचाई

–कोई अन्य

6. गैर सरकारी संगठन

कृपया जिले में कार्य कर रहे ऐसे प्रत्येक गैर–सरकारी संगठन के कार्य उनके बजट, क्रियाकलाप और विभिन्न समुदायों को उनसे प्राप्त लाभ और उनके प्रशासनिक ढांचे से संबंधित विवरण दें जो सरकार से व अन्य दाता एजेंसियों से सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

1. कुल गैर सरकारी संगठनों की कुल संख्या

2. कार्यक्रम

3. लक्ष्य समूह

(क) अल्पसंख्यक समुदाय

(ख) अन्य

संलग्नक 1.4

राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग

कुछ चुने हुए कॉलेजों को भेजी जाने वाली प्रश्नावली

1. **सामान्य जानकारी**

   (i) कॉलेज का नाम :

   (ii) पता :

   (iii) प्रबंधन प्रकार : (क) सरकारी
   (ख) निजी
   (ग) सहायता प्राप्त

   (iv) कॉलेज प्रकार :
   स्नातक पूर्व/स्नातकोत्तर/
   व्यावसायिक (स्पष्ट करें)
   (कृपया विवरण दें)
   (क) पुरुषों के लिए :
   (ख) महिलाओं के लिए :
   (ग) सह शिक्षा :

2. **कृपया कॉलेज में उपलब्ध पाठ्यक्रमों का विवरण दें:**

   क. स्नातक पूर्व डिग्री :
   ख. स्नातकोत्तर डिग्री :
   ग. व्यावसायिक :
   घ. कोई अन्य पाठ्यक्रम :

3. **निम्नलिखित के लिए कॉलेज की प्रवेश नीति का उल्लेख करें:**

   (क) सामान्य अभ्यर्थी :
   (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय :

4. **वर्ष 2004-05 और 2005-06 में निम्नलिखित श्रेणियों के विद्यार्थियों की संख्या क्या रही**

क्रम सं॰	शिक्षण वर्ष	कुल	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	पारसी
1.	2004-05							
2.	2005-06							

5. पिछले दो वर्षों में विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के कितने छात्रों ने कॉलेज के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन किया और कितनों को प्रवेश मिला?

क्रम सं॰	शिक्षण वर्ष	हिंदू		मुसलमान		ईसाई		सिख		बौद्ध		पारसी	
		आवेदन किया	प्रवेश मिला	आवेदन किया	प्रवेश मिला	आवेदन किया	प्रवेश मिला	आवेदन किया	प्रवेश मिला	आवेदन किया	प्रवेश मिला	आवेदन किया	प्रवेश मिला
1	2004–05												
2.	2005–06												

6. क्या कॉलेज किसी विशेष वर्ग के छात्रों के लिए रियायत/छात्रवृत्ति प्रदान करता है? यदि हां तो विवरण दें:—

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े	शिक्षा में पिछड़े	अल्पसंख्यक
शिक्षण शुल्क						
पुस्तकालय शुल्क						
खेल कूद शुल्क						
चिकित्सा शुल्क						
कोई अन्य शुल्क						

7. ऐसे छात्रों की संख्या जिन्होंने पिछले दो वर्ष में शिक्षा के लिए बैंक आदि से ऋण लिया है।

शिक्षण वर्ष	कुल	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	पारसी
2003–04							
2004–05							

8. क्या छात्रों को छात्रावास में प्रवेश के लिए किसी प्रकार का अधिमान अथवा आरक्षण दिया जाता है? यदि हां तो निम्नानुसार विवरण दें:—

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अल्पसंख्यक	सामाजिक व शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े वर्ग

9. कॉलेज में स्टाफ की संख्या कितनी है?

कृपया निम्नानुसार विवरण दें—

क्रम संख्या	सेवा ग्रुप	कुल	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध
1	क						
2	ख						
3	ग						
4	घ						

10. कृपया निम्नलिखित तालिका में उन छात्रों का विवरण दें ।
    जिन्होंने वर्ष 2003-04 व 2004-05 की वार्षिक परीक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए

वर्ष		कुल	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	पारसी
2003-04	स्नातक							
	स्नातकोत्तर							
	व्यावसायिक							
	अन्य							
2004-05	स्नातक							
	स्नातकोत्तर							
	व्यावसायिक							
	अन्य							

11. क्या कॉलेज में कैरियर संबंधी परामर्श और नौकरी दिलाने की सुविधा प्रदान की जाती है? यदि हां तो विवरण दें।

12. शिक्षा को बेहतर बनाने और प्रवेश के इच्छुक छात्रों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग/ अल्पसंख्यक और बालिकाओं की संख्या बढ़ाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे?

संलग्नक 1.5

धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विकास/कल्याण स्कीमों/कार्यक्रमों पर मंत्रालयों/विभागों से सूचना/डाटा एकत्र करने संबंधी प्रारूप

1. कृपया अपने मंत्रालय/विभाग द्वारा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कार्यान्वित कल्याण और विकास कार्यक्रमों/स्कीमों का और उन कार्यक्रमों में धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों की संख्या का उल्लेख करें और उन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में व्यवस्थित करें —

   1. सामाजिक उत्थान के लिए कार्यक्रम/स्कीम
   2. शिक्षा संबंधी विकास कार्यक्रम/स्कीम
   3. आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम/स्कीम
   4. रोजगार सृजन संबंधी कार्यक्रम/स्कीम
   5. कोई अन्य कार्यक्रम/स्कीम

2. 1. क्या मंत्रालय/विभाग धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए कोई विशेष स्कीम/कार्यक्रम लागू कर रहा है? यदि हां तो इसका विवरण दें।

   2. इन स्कीमों /कार्यक्रमों के तहत लाभ प्रदान करने के लिए लाभप्राप्तकर्ताओं के चयन के लिए क्या मानदंड/मानक अपनाए गए हैं? कृपया निम्नलिखित के लिए अपनाए गए मानक स्पष्ट करें —

(क)	**सामाजिक पिछड़ापन मानदंड**
(i)	पारंपरिक व्यवसाय
(ii)	भूमिहीनता
(iii)	सामाजिक प्रथाएं
(iv)	जाति
(v)	बाल विवाह
(vi)	बाल श्रमिक
(vii)	अन्य
(ख)	आर्थिक पिछड़ापन–मानदंड
(i)	गरीबी रेखा से नीचे
(ii)	मौसमी रोजगार
(iii)	भू–धारिता
(iv)	व्यवसाय/व्यापार में अपर्याप्त भागीदारी
(v)	बेरोजगारी/कम रोजगारी/छद्म बेरोजगारी
(vi)	अन्य

(ग)	**शिक्षा से पिछड़ापन–मानदंड**
(i)	साक्षरता दर
(ii)	महिला साक्षरता दर
(iii)	उच्च शिक्षा
(iv)	अन्य

3. धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के विकास में इन कार्यक्रमों का क्या प्रभाव रहा है?

   1. 1990–91 से आज तक वर्षवार वित्तीय तथा भौतिक उपलब्धियां
   2. 1990–91 से आज तक वर्षवार आर्थिक उत्थान

4. सरकारी व निजी तथा स्वरोजगार में रोजगार भागीदारी/नियोजन

   (क) इन कार्यक्रमों के मॉनीटरन और मूल्यांकन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है? कृपया निम्नलिखित का विवरण दें—

   (i) सामाजिक उत्थान कार्यक्रमों के मॉनीटरन की प्रक्रिया

   (ii) आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रमों के मूल्यांकन की प्रक्रिया

   (iii) रोजगार सृजन कार्यक्रमों के मूल्यांकन की प्रक्रिया

   (ख) पिछले दस वर्ष में इन कार्यक्रमों/स्कीमों को बाह्य एजेंसियों द्वारा अथवा आंतरिक रूप से लागू किए जाने के मूल्यांकन का निष्कर्ष सहित संक्षिप्त विवरण दें। निम्नलिखित के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का भी उल्लेख करें—

   1. डाटा विश्लेषण
   2. सर्वेक्षण
   3. अध्ययन
   4. अनुसंधान
   5. अन्य

5. कुछ अल्पसंख्यक, पिछड़े और अन्य समुदायों को उनकी वृत्ति/व्यवसाय/कारोबार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। क्या मंत्रालय ने इनमें से किसी के सामाजिक और आर्थिक विकास के किसी विशेष कार्यक्रम का अध्ययन किया है? कृपया इसका विवरण और इनके चयन के लिए अपनाए मानदंड का उल्लेख करें।

6. क्या कल्याण और विकास स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत और/अथवा अन्य क्षेत्रों में धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है? यदि हां तो निम्नलिखित में आरक्षण की प्रतिशतता बताएं—

   (i) शिक्षण संस्थान

   (ii) रोजगार

   (iii) कल्याण कार्यक्रम

   (iv) कोई अन्य क्षेत्र (कृपया स्पष्ट करें)

7. धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में आरक्षण प्रदान करने के लिए सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का अभिनिर्धारण करने के लिए अपनाए गए मानदंडों/नामों का उल्लेख करें। कृपया विवरण दें।

8. क्या धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आरक्षित कोटे का पूर्णत: उपयोग करते हैं? यदि हां तो विवरण दें और यदि नहीं तो कारण बताएं?

9. धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास संबंधी कल्याणोपायों का लाभ उठाने में सामने आ रही कठिनाइयों का वर्णन करें।

संलग्नक: 2

13 जुलाई 2005 को हुई राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अल्पसंख्यक कल्याण/अल्पसंख्यक विकास विभागों के सचिवों की बैठक की कार्यवाहियाँ

1. भारत सरकार ने 29 अक्तूबर 2004 को संकल्प पारित करके राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है ताकि धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के अभिनिर्धारण के मापदंड निर्धारित किए जा सकें और उनके कल्याण के उपाय सुझाए जा सकें। इस आयोग में एक अध्यक्ष, तीन सदस्य और एक सदस्य-सचिव होंगे। आयोग के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं—

   (i) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के अभिनिर्धारण के मापदंड संबंधी सुझाव देना;

   (ii) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणोपाय संबंधी सुझाव देना, इसमें शिक्षा तथा सरकारी नियोजन में आरक्षण भी शामिल है;

   (iii) इन सिफारिशों को लागू करने के लिए अपेक्षित संवैधानिक, विधिक और प्रशासनिक रीतियों संबंधी सुझाव देना और उनके विचार-विमर्श तथा सिफारिशों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

2. चूंकि आयोग को सौंपे गए कार्य पूरे करने के लिए उसे मूलत: सिर्फ 6 माह का समय दिया गया है और इस विषय से संबंधित आंकड़े और सामग्री सरलता से उपलब्ध नहीं हैं अत: आयोग ने राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और कुछ चुनी हुई संस्थाओं से, ऐसे सभी वर्गों की स्थिति से संबंधित आंकड़े एकत्र करने के लिए बहु-आयामी कार्यनीति अपनाने का निर्णय लिया है जिनके लिए विशेष नीति और कार्यक्रम व आरक्षण अपनाए गए हैं । इस संबंध में सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में 24 जून, 2005 को एक प्रश्नावली भी परिचालित की गई है। इस प्रश्नावली में मांगी गई जानकारी इन वर्गों के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों से संबंधित मामले तय करने के लिए सुझाई जाने वाली कार्यनीति निर्धारित करने में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होगी और इसे 7 अगस्त, 2005 तक आयोग को सौंपा जाना है। इसी के मद्देनजर, राष्ट्रीय, धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 13 जुलाई, 2005 को स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली के मिर्जा गालिब हॉल में धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित कार्य कर रही राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के सचिवों की एक बैठक आयोजित की ताकि आयोग द्वारा पहले से परिचालित प्रश्नावली पर चर्चा की जा सके और इसमें समानता सुनिश्चित की जा सके जिससे तुलनात्मक मूल्याकंन संभव होगा; प्रश्नों का आशय और उद्देश्य स्पष्ट किया जा सके और प्रश्नावली में मांगी गई सूचना/आंकड़े उपलब्ध कराने में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के सामने आने वाली समस्याओं और कठिनाइयों पर विचार किया जा सके।

3. इस बैठक में 15 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों के अल्पसंख्यक कल्याण संबंधी कार्य कर रहे मुख्य सचिवों, सचिवों और अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकायों और निगमों के अधिकारियों ने भी इस बैठक में भाग लिया।

4. इस समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा ने की। राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता सचिव तथा बैठक में भाग ले रहे सभी व्यक्तियों का स्वागत किया।

5. राष्ट्रीय, धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य सचिव श्रीमती आशा दास ने आयोग के विचारार्थ विषयों, आयोग द्वारा आंकड़े/सूचना एकत्र करने के लिए अपनाई गई कार्यनीतियों और धार्मिक तथा भाषायी अल्पसंख्यकों से संबंधित संविधानिक उपबंधों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आरंभ विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों का लाभ धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के जरूरतमंद लोगों तक नहीं पंहुचा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कमजोर वर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए नियुक्त आयोगों की रिपोर्टों का अध्ययन किए जाने तक आयोग के विचारार्थ विषयों से संबंधित कुछ चुने हुए विषयों पर त्वरित अध्ययन करने का भी प्रस्ताव है। साथ ही धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों से संबंधित आंकड़े/सूचना एकत्र करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत प्रश्नावली भी भेज दी गई है। उन्होंने बैठक में उपस्थित व्यक्तियों से आग्रह किया कि वे प्रश्नावली को पढ़ें और अपेक्षित सूचना/आंकड़े संगत सामग्री के साथ अनुबंधित तारीख तक आयोग को भेजने की व्यवस्था करें। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2001 की भारतीय जनगणना में धार्मिक अल्पसंख्यकों की जनता से संबंधित आंकड़े तो हैं किंतु भाषायी जनसंख्या के आंकड़े न तो वर्ष 1991 की जनगणना में दिए गए हैं और न ही वर्ष 2001 की जनगणना में। इसके अतिरिक्त धार्मिक अल्पसंख्यक जहां अधिकतर सजातीय और संबद्ध हैं वहीं भाषायी अल्पसंख्यक हज़ारों जातियों और उप-जातियों में फैले हुए हैं। अत: विभिन्न वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों में उनकी व्याप्ति को जानना और किसी अन्य वर्ग में भाषायी अल्पसंख्यकों का प्रतिशत निर्धारित करना आवश्यक है। धार्मिक अल्पसंख्यकों में पांच धर्मों को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया है यथा-मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और (जोरास्ट्रियन) पारसी। उन्होंने यह सुझाव दिया कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के आर्थिक विकास के लिए लागू की गई कल्याण और विकास स्कीमों से संबंधित जानकारी, इस संबंध में लाभ प्राप्तकर्ताओं के अभिनिर्धारण के लिए अपनाए गए मापदंड, और गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यकों की प्रतिशतता भी आयोग को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने बताया कि प्रश्नावली को दो भागों में बांटा गया है धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषायी अल्पसंख्यक। अत: दोनों वर्गों के लिए अलग-अलग जानकारी दी जाए। उन्होंने पहले भेजी गई प्रश्नावली में अपेक्षित संशोधनों पर बैठक में उपस्थित व्यक्तियों में परिचालित अनुपूरक प्रश्नावली पर चर्चा की।

6. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्रीमती मीरा कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में राष्ट्र की विकास प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की अधिक भागीदारी की कल्पना की गई है। उन्होंने बताया की अल्पसंख्यकों के पिछड़ें वर्गों में आर्थिक और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन वर्ष 1994 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एन एम डी एफ सी) का गठन किया गया है। दिसम्बर 2004 में एन एम डी एफ सी की प्राधिकृत पूंजी को 500 करोड़ रूपए से बढ़कर 650 करोड़ रुपए कर दिया गया है। एन एम डी एफ सी अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार सृजन वाली स्कीमों को निधि उपलब्ध कराती रही है। इसी प्रकार शिक्षा में पिछड़े वर्गों , विशेष रूप से अल्पसंख्यकों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय के अधीन मौलाना आज़ाद एजुकेशनल फाउंडेशन (एम ए ई एफ) को एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया है। एम ए ई एफ गैर-सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान प्रदान करती है। शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों की बालिकाओं को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या 1200 से बढ़ाकर 3000 कर दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2004-05 में जम्मू-कश्मीर में बालिकाओं को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या को 40 से बढ़ाकर 400 और गुजरात में यह संख्या 40 से बढ़ाकर 500 की गई है। माननीय मंत्री जी ने सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया ताकि अल्पसंख्यकों में अधिक विश्वास उत्पन्न हो सके और आयोग की प्रभाविता बढ़े। उन्होंने राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के भागीदारों से राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग को नियत तारीख तक अपेक्षित सूचना/आंकड़े उपलब्ध कराने का आग्रह किया ताकि आयोग अपने कार्यों को पूरा कर सके।

7. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रश्नावली में मांगी गई सूचना/आंकड़े विस्तृत हैं और नियत तारीख तक अपेक्षित जानकारी एकत्र करना कठिन हो सकता है। किंतु उन्होंने इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करके प्रश्नावली में अपेक्षित सूचना/आंकड़े जल्द से जल्द प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया। इसके बाद राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारियों ने अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए। उनके वक्तव्यों का सार नीचे राज्यवार प्रस्तुत किया गया है।

संलग्नक

8. राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अधिकारियों की प्रस्तुतिः

आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विकास के सचिव डॉ॰ प्रेमचंद ने कहा कि राज्य की कुल जनसंख्या में 10.8 प्रतिशत अल्पसंख्यक जनता का है और राज्य सरकार ने वर्ष 1994-95 से अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग विभाग बनाया है। उनके अनुसार अल्पसंख्यकों में शिक्षा दर बहुत कम है। राज्य सरकार ने चार जिलों में अलग-अलग अध्ययन कराए जिनसे पता चला कि 65% मुसलिम जनता गरीबी रेखा से नीचे है और उनमें 10% कृषक और सिर्फ 5% इंजीनियर, डॉक्टर, वकील आदि व्यवसायों में हैं। शेष मुसलिम जनता छोटे-मोटे कारोबारों जैसे चाय बनाना आदि में लगे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थाओं और रोजगार में मुसलिमों के लिए 5% आरक्षण स्वीकार कर लिया है। किंतु आरक्षण का लाभ संपन्न वर्गों को नहीं दिया जाएगा जैसा कि पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने अल्पसंख्यकों के हित के लिए अल्पसंख्यक वित्त बोर्ड, वक्फ बोर्ड, हज समिति और उर्दू अकादमी का भी गठन किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित जन शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यकों को वृत्तिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। उन्होंने बताया कि दलित ईसाइयों और 3 या 4 मुसलिम उप-जातियों को पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल किया गया है। जहां तक भाषायी अल्पसंख्यकों का प्रश्न है डॉ॰ प्रेमचंद ने स्पष्ट किया कि राज्य में तमिल, कन्नड़, मराठी, उड़िया, उर्दू, बंगाली और गुजराती में शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

बिहार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव डॉ॰ एम॰ ए॰ इब्राहिम ने बताया कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में अल्पसंख्यकों के लिए 100 बिस्तरों वाले अस्पताल बनवा रही है। साथ ही कब्रगाहों, गिरजाघरों, मस्जिदों आदि की चाहरदीवारी के निर्माण के लिए भी सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए कार्य आरंभ किया जा चुका है। उनके अनुसार सिखों और ईसाइयों को छोड़कर शेष अल्पसंख्यकों की साक्षरता दर, राज्य के औसत से कम है।

उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि बिहार में मुसलिमों की सामाजिक, शिक्षण और आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए किए गए सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि अल्पसंख्यक मुख्यधारा कार्यक्रमों और स्कीमों का लाभ नहीं उठा रहे हैं। अतः सभी मुख्य कल्याण स्कीमों को एक साथ लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है और यहां मुख्य समस्या जाति, सम्प्रदाय और भ्रष्टाचार की है। बिहार में भ्रष्टचार बहुत अधिक फैला हुआ है और इसके साथ जातिवाद तथा सम्प्रदायवाद भी। प्रधानमंत्री का 15-सूत्री कार्यक्रम आरंभ में काफी उपयोगी था। इसमें विभिन्न प्राधिकारियों को विकास कार्यों में दिशा प्रदान की। किंतु अब यह भी उतना प्रभावशाली नहीं रहा है। अतः इस कार्यक्रम की समीक्षा करने और इसके सशक्तीकरण की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यकों का विभिन्न बोर्डों और प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा बनना आवश्यक है ताकि अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की सुरक्षा की जा सके और उनमें अधिक विश्वास उत्पन्न किया जा सके। उन्होंने सुझाव दिया कि मदरसों का आधुनिकीकरण किया जाए और सभी छात्रों, बालकों व बालिकाओं को छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई जाएं।

छत्तीसगढ़

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रभाग के उपायुक्त श्री सी एस कोटरीवार ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में मुसलिमों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों और पारसियों को धार्मिक अल्पसंख्यक मान लिया है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी स्कीमें सुचारू रूप से लागू की जा रही हैं। राज्य सरकार ने उर्दू अकादमी, हज समिति और वक्फ बोर्डों का गठन किया है, प्रधानमंत्री के 15-सूत्री कार्यक्रम का नियमित रूप से मॉनीटरन किया जा रहा है और इस उद्देश्य से जिला कलक्टर के अधीन एक समिति गठित की गई है। कब्रिस्तानों आदि की चाहरदीवारी निर्मित की जा रही हैं। राज्य में एक अल्पसंख्यक आयोग भी गठित किया गया है। उनके अनुसार मुसलिम, ईसाई और जैन समुदाय राज्य की जनसंख्या का क्रमशः 2% , 1.9% और 3% हैं।

गुजरात

सामाजिक न्याय सचिव श्री ओ॰ रवि ने कहा कि गुजरात में अल्पसंख्यकों के लिए न तो कोई अलग विभाग है और न ही अलग आयोग गठित किया गया है। अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी स्कीमों/कार्यक्रमों का मॉनीटरन गुजरात अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के माध्यम से किया जाता है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने गुजरात के मुसलमानों में 28 समुदायों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ अभिनिर्धारित किया है और इनमें से जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्गों के अधीन नहीं आते उन्हें लाभ दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूली बच्चों को नि:शुल्क पुस्तकें और वर्दी (यूनिफार्म) बांटी जाती हैं और अल्पसंख्यकों के अस्पतालों को अनुरक्षण अनुदान प्रदान की जाती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं के लिए 26 सिलाई केंद्र हैं। किंतु अल्पसंख्यकों में साक्षरता दर बहुत कम है।

पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों के गरीब वर्ग को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए श्री रवि ने निम्नलिखित सुझाव दिए–

(i) पिछड़ा वर्ग को पिछड़ा वर्ग और अत्यधिक पिछड़ा वर्ग के रूप में अभिनिर्धारित किया जाए और इस संबंध में कसौटी निर्धारित करते समय व्यावसायिक पैटर्न को महत्व दिया जाएं।

(ii) पिछड़ा वर्ग के धनी वर्ग को अलग करने के लिए नवोन्नत (संपन्न) वर्ग की अवधारणा को अपनाया जाए।

(iii) शिक्षा पर और अधिक जोर दिया जाए; और

(iv) किसी समुदाय का सामाजिक उत्थान होने के बाद उसे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची से हटाने के लिए उपबंध होना चाहिए।

हरियाणा

शहरी विकास और सामाजिक न्याय व अधिकारिता के वित्तीय आयुक्त और मुख्य सचिव श्री एन॰ बाला बास्कर ने कहा कि राज्य के भाषाई अल्पसंख्यक स्थानीय जनता से घुल–मिल चुके हैं और यह कोई समस्या नहीं है किंतु धार्मिक अल्पसंख्यक मेवात क्षेत्र में स्थित हैं और यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यद्यपि कुछ वर्ष पहले इन समस्याओं से निपटने के लिए मेवात विकास प्राधिकरण बनाया गया था किंतु यहां रह रहे समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में फिर भी कोई सुधार नजर नहीं आया है। उनके अनुसार मदरसे और धार्मिक नेता अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों के स्कूल जाने की राह में बाधा बन रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के लाभ मेवात से बाहर के लोगों को मिल रहे हैं उन्होंने सुझाव दिया कि इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा क्योंकि सरकारी हस्तक्षेप का कोई परिणाम नहीं निकला है।

हिमाचल प्रदेश

श्री वी॰ के॰ मुद्गिल, उप निदेशक, सामाजिक न्याय विभाग ने कहा कि राज्य में कुल अल्पसंख्यक जनसंख्या 2.75 लाख है जो राज्य की कुल जनसंख्या कर 4.5% है और इसके अन्तर्गत मुस्लिम, सिख, बौद्ध और पारसी हैं। राज्य ने अल्पसंख्यक आयोग का गठन तो नहीं किया है किंतु अल्पसंख्यक कल्याण बोर्डों का गठन अवश्य किया गया है उर्दू, पंजाबी तथा भोटी भाषाएं सिखाने के लिए स्कूल है। पंजाब और चंडीगढ़ का एक ही वक्फ बोर्ड है। किंतु राज्य अपने अलग बोर्ड के गठन पर विचार कर रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक विकास निगम अल्पसंख्यकों को ऋण प्रदान करता है।

राज्य सरकार ने सिफारिश की है कि भोटी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि गुज्जरों को मुख्यधारा में शमिल कियाजा सके।

झारखंड

श्री बी॰ सी॰ निगम, विशेष सचिव, कल्याण विभाग ने स्पष्ट किया कि राज्य के जनजातीय निगम और अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी स्कीमों का सही ढंग से कार्यान्वित सुनिश्चित करने के लिए सजग पहरेदारों के रूप में कार्य करते हैं। अल्पसंख्यकों के कल्याणोंपायों में बालिकाओं को साइकिलें बांटना, कब्रिस्तानों की चारदीवारी बनाना आदि शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में मुसलमानों के लिए 30 प्राथमिक और 40 माध्यमिक पाठशालाएं हैं और राज्य वक्फ बोर्ड का गठन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि

अल्पसंख्यकों के लिए छात्रावास भी हैं। किंतु अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति की कोई स्कीम नहीं है। उनका मानना है कि भाषायी अल्पसंख्यकों के निर्धारण के मानदंड अस्पष्ट हैं और उन्हें स्पष्ट किया जाना चाहिए।

कर्नाटक

श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा अध्यक्ष, अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम ने बताया कि राज्य में वक्फ बोर्ड, हज समिति और अल्पसंख्यक आयोग हैं उन्होंने बताया कि वर्ष 1994 में राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने अल्पसंख्यकों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया। राज्य सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए एक स्कीम भी आरंभ की है जिसे मोरारजी देसाई अल्पसंख्यक स्कूल के नाम से जाना जाता है और इसे नवोदय विद्यालयों के आधार पर तैयार किया गया है। इन स्कूलों को उन जिलों में स्थापित किया गया है जहां अल्पसंख्यक जनता अधिक है। उनके अनुसार अल्पसंख्यक राज्य की कुल जनसंख्या का 16% हैं। इनमें जैन समुदाय भी शामिल हैं जिन्हें राज्य में अल्पसंख्यक घोषित कर दिया गया है। कर्नाटक में पिछड़ा वर्ग अभिनिर्धारित श्रेणी II के मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त दलित ईसाइयों को पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया है। राज्य में 400 उर्दू स्कूल हैं। इसके अतिरिक्त एक और स्कीम भी है जिसे गंगा कल्याण स्कीम कहा जाता है, इसके अंतर्गत छोटे ग्रामीण किसानों को नि:शुल्क बोर-कूप और पंपसेट उपलब्ध कराए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष घटक योजना के आधार पर अल्संख्यकों के लिए भी विशेष घटक योजना होनी चाहिए ताकि अल्पसंख्यकों में विभिन्न विकास और कल्याण योजनाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जा सके और वे इन योजनाओं का लाभ उठा सके।

मध्य प्रदेश

श्री प्रदीप भार्गव, मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग ने मत प्रकट किया कि आयोग को दिया गया छह माह का समय बहुत कम है क्योंकि इतने कम समय में आंकड़े एकत्र व संकलित करना और वास्तविक आधार पर रिपोर्ट तैयार करना संभव नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न आयोगों द्वारा अपनाए गए मानदंडों/मानकों में काफी अतिव्याप्ति है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में छह अल्पसंख्यक समुदाय हैं जबकि भारत सरकार ने सिर्फ पांच अल्पसंख्यक समुदाय ही अधिसूचित किए हैं। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदायों में शमिल किया गया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सामान्य जनसंख्या की अपेक्षा अल्पसंख्यकों की साक्षरता दर अधिक है। एन सी आर एल एम के सदस्य सचिव ने सुझाव दिया कि यह एक विशेष परिस्थिति है अत: राज्य सरकार को अल्पसंख्यकों की उच्च साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले धारकों का पता लगाने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। प्रधान सचिव, कल्याण ने इस मामले मे तुरंत कार्रवाई करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की।

श्री भार्गव ने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश में करीब 5200 मदरसे हैं किंतु कुछ ही मदरसों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सहायता अनुदान मिल रहा है। राज्य में एक मदरसा बोर्ड भी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश राज्य में सभी समुदायों के लिए 12वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा नि:शुल्क है। उन्होंने बताया कि राज्य में एक उर्दू समिति, वक्फ बोर्ड और हज समिति भी है। उन्होंने सुझाव दिया कि अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा के उच्च स्तर पर भी छात्रवृत्ति की स्कीम लागू की जाए। साथ ही वाणिज्यिक बैंकों से अल्पसंख्यक समुदायों के विकास कार्यों के लिए प्राथमिकता आधार पर ऋण देने को कहा जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि अल्पसंख्यकों में संपन्न वर्ग की अवधारणा को लागू किया जाए और 10 वर्ष में एक बार पिछड़े वर्ग की सूची से जातियों/समुदायों को हटाया अथवा शमिल किया जाए।

जहां तक भाषायी अल्पसंख्यकों का प्रश्न है राज्य में मराठी, उर्दू, मलयाली, गुजराती और बंगाली बोलने वाले लोग हैं। राज्य सरकार मराठी और अन्य भाषाओं में स्कूल चला रही है। उन्होंने मत प्रकट किया कि 'भाषायी अल्पसंख्यक' शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा ताकि इस संबंध में कोई भ्रम न रहे।

उड़ीसा

श्री गोपीनाथ मोहन्ती, निदेशक, अन्य पिछड़ा वर्ग और अपर सचिव, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग ने कहा कि 1991 की जनगणना के अनुसार भाषायी अल्पसंख्यकों में 52 लाख लोग हैं। इसी प्रकार राज्य में 1.8 लाख मुस्लिम और 2.10 लाख ईसाई हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए राज्य ने एक उर्दू अकादमी और वक्फ बोर्ड की स्थापना की है। भाषायी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए

राज्य में तेलुगु और बंगाली स्कूल हैं। बैंक अल्पसंख्यकों को ऋण संस्वीकृत करते हैं जिसकी चुकौती की अवधि पांच वर्ष है। और क्योंकि मुस्लिम जनता बहुत गरीब है और पांच वर्ष में ऋण नहीं चुका पाती है उन्होंने सुझाव दिया कि चुकौती की अवधि को 7 वर्ष अथवा अधिक किया जाए।

पंजाब

श्री राम आसरे गर्ग, उप सचिव, कल्याण विभाग ने बताया कि राज्य की 62.84% जनता अल्पसंख्यक समुदाय की है जिसमें से 59% सिख हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए अलग-अलग आयोग हैं। अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना पर भी विचार किया जा रहा है। पिछड़े वर्गों के अल्पसंख्यक छात्रों को मैट्रिक पूर्व तथा मैट्रिक के पश्चात् अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावास निर्मित करने के संबंध में विचार कर रही है।

पुडुचेरी

श्रीमती एस बानुमती, निदेशक, समाज कल्याण ने स्पष्ट किया कि संघ राज्य क्षेत्र में 3 क्षेत्र हैं, यथा—पुडुचेरी, यनम और करैकल जहां क्रमशः तमिल, तेलुगु और मलयालम बोली जाती हैं। पांडिचेरी की कुल जनसंख्या का 13% अल्पसंख्यक समुदाय है। सरकार स्कूलों में दो अल्पसंख्यक भाषाओं तेलुगु और मलयालम में शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। यहां मदरसे भी हैं। सरकार द्वारा चलाए जा रहे छात्रावासों में से 10% अनुसूचित जातियों के लिए निविर्निष्ट है। यद्यपि यहां पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग है किंतु राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कोई आयोग नहीं है। 52% जनता अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आती है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कल्याण निदेशालय केंद्रक अभिकरण के रूप में कार्य कर रहा है। कुल जनसंख्या का प्रत्येक 3% तेलुगु और मलयालम भाषी है। राज्य में कल्याण स्कीमें लागू करने में कोई कठिनाई नहीं है।

तमिलनाडु

श्री तेनकासी एस जमाहर, अपर सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने बताया कि राज्य सरकार ने जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने का निर्णय ले लिया है। राज्य में एक अल्पसंख्यक आयोग है जो कि एक अकानूनी निकाय है। आयोग ने राज्य से इसे सांविधिक निकाय का दर्जा देने की सिफारिश की है। राज्य सरकार सुनिश्चित करती है कि अल्पसंख्यक आयोग में मुस्लिम, जैन, पारसी और सिख सभी समुदायों के प्रतिनिधि रहें। यह धार्मिक और भाषायी दोनों अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक संयुक्त आयोग है। मलयालम, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, हिन्दी और गुजराती इस राज्य की अल्पसंख्यक भाषाएं हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य में 202 मदरसे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण निगम उद्यम विकास कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रहा है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने निम्नलिखित बातों के साथ-साथ भाषा की उन्नति के आदेश जारी किए हैं:—

1. अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में तमिल के साथ-साथ अल्पसंख्यकों की भाषा में पत्र व्यवहार
2. अल्पसंख्यकों की भाषाओं में दस्तावेज पंजीकृत कराने की सुविधा।
3. अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक होने पर फॉर्म क्षेत्रीय भाषा और अल्पसंख्यक भाषा में प्रयोग किए जाएं।
4. अल्पसंख्यक भाषी अधिकारियों को ऐसे जिलों में तैनात किया जाए जहां भाषायी अल्पसंख्यक अधिक हों।
5. भाषायी अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में उनकी भाषा में विवरणी प्रस्तुत करना।
6. भाषायी अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में उनकी भाषा में नामपट्ट लगाना।
7. तमिलनाडु पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा तेलुगु, उर्दू, कन्नड़, और मलयालम भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें छपवाना।
8. उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और गुजराती भाषाओं में शिक्षक नियुक्त करना।

उन्होंने यह भी कहा कि यद्यपि ऐसा नियम है कि सभी गैर–तमिल भाषी सरकारी कर्मचारियों को अपनी नियुक्ति से 4 वर्ष के भीतर तमिल भाषा सीखनी होगी और ऐसा न होने पर उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी फिर भी अभी तक इस कारण से किसी की सेवा समाप्त नहीं की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि मुस्लिम और ईसाई प्रत्येक वर्ग राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 6 % है। अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम ने राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न स्कीमें लागू की हैं। युवाओं को विभिन्न वृत्तियों के लिए वृत्तिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य में महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण देने की महिला स्कीम भी चल रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि चूँकि निगम अपने आप में छोटी–सी इकाई है अत: उनसे पूरे राज्य की स्थिति के मॉनीटरन की अपेक्षा करना बहुत कठिन है। अत: वाणिज्यिक बैंकों से कहा जाए कि वे अल्पसंख्यकों को नियत ऋण सुनिश्चित करना अपना कर्तव्य समझें। बैंक प्रत्याभूति की मांग करते हैं और अधिकांश अल्पसंख्यक ऋण के लिए प्रत्याभूति उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। इस समस्या का कुछ समाधान खोजना अत्यावश्यक है।

उत्तराखंड

श्री आर॰ एस॰ यादव, सचिव, अल्पसंख्यक आयोग ने बताया कि राज्य में अल्पसंख्यक आयोग स्थापित कर दिया गया है। आयोग दुकानों का निर्माण कराके उन्हें अल्पसंख्यकों को आबंटित करता है। कुछ जनसंख्या का 15% भाग अल्पसंख्यक वर्ग में आता है। प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम राज्य में सुचारू रूप से लागू किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल

श्री मकसूद आलम, संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण और विकास विभाग ने कहा कि अल्पसंख्यक राज्य की कुल जनसंख्या का 26.4% हैं। सरकार राज्य के मुस्लिम छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान कर रही है। कब्रिस्तानों की चाहर दीवारी का भी निर्माण कराया जा रहा है।

श्री प्रसन्न कुमार, संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकरिता मंत्रालय ने कहा कि मंत्रालय के अधीन 4 आयोग कार्य कर रहे हैं, नामत:—

(i) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

(ii) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(iii) राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग

(iv) राष्ट्रीय आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग।

9. केंद्र सरकार ने मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसियों (जोरास्ट्रियनों) को 5 अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किया है। इनमें जैन समुदाय को शामिल नहीं किया गया है। सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए होस्टल, कॉलेज, भवन आदि के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों को भी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग स्थापित करने का परामर्श दिया है।

10. अंत में, आयोग के सदस्य और दिल्ली स्थित सेंट स्टीफेन्स कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ॰ अनिल विलसन ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया और बैठक समाप्त की गई।

अनुबंध: 3

उन सामुदायिक नेताओं/धार्मिक नेताओं की सूची जिनके साथ आयोग ने विचार-विमर्श किया

(I) मुस्लिम संगठन

(1) जमात-ए-इस्लामी हिंद
(2) दारूल उलूम (वक्फ), देवबंद
(3) ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशवरत
(4) ऑल इंडिया जमायत-उर-रेयीन
(5) ऑल इंडिया जमात-ए-सेफिया
(6) ऑल इंडिया जमाएतुल कुरेश
(7) ऑल इंडिया मोमिन कान्फ्रेंस
(8) मुस्लिम एड्युकेशन, सोशल एंड कल्चरल आर्गेनाइजेशन (एम ई एस सी ओ)

(II) ईसाई संगठन

(1) ऑल इंडिया क्रिश्चयन काउंसिल
(2) कैथलिक बिशप कान्फ्रेंस ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
(3) डाइअसीज ऑफ चंडीगढ़- सी एन आई
(4) पीपॅल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट

(III) बौद्ध संगठन

(1) वर्ल्ड बुद्दिस्ट कल्चरल फाउंडेशन
(2) हिंदू हेरिटेज़ फाउंडेशन
(3) भारत तिब्बत सहयोग मंच
(4) हिमाचल अनुसंधान संस्थान, हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश)

(IV) जैन संगठन

(1) अखिल भारतीय जैन अल्संख्यक मंच, नई दिल्ली
(2) अखिल भारतीय दिगम्बर जैन महासभा
(3) दिगम्बर जैन महासभा
(4) श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महासभा

[1]राष्ट्रीय धार्मिक तथा भाषायी अल्पसंख्यक आयोग की रिर्पोट के अनुबंध

अनुबंध: 4

आयोग द्वारा प्रायोजित अध्ययनों के निष्कर्ष और सिफारिशें

अनुबंध 4.1

अध्ययन	:	**I**
विषय	:	**अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर अध्ययन-उनके पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी कारक**
एजेंसी	:	**Centre for Research, Planning & Action, नई दिल्ली**

सिफारिशें

यह अध्ययन महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 15 शहरों में संबंधित धार्मिक अल्पसंख्यकों की अधिक जनसंख्या के आधार पर किया गया। अध्ययन के परिणामों के आधार पर निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं:—

1. अल्पसंख्यकों के लिए तैयार की गई विकास प्रक्रिया में उन राज्यों पर निधि के आबंटन स्कीमों के संदर्भ में अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए जहां अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की जनसंख्या अधिक है। चूंकि वर्तमान बी पी एल प्रतिमान बहुत ही सीमित है और इसमें देश में बदलते आर्थिक परिदृश्य का ध्यान नहीं रखा गया है इसलिए इन प्रतिमानों को इस प्रकार परिवर्तित किया जाना चाहिए कि सभी पात्र और वंचित परिवार भी इसके दायरे में आ जाएं।

2. यह मानते हुए कि अल्पसंख्यक वर्ग लोग अपना कम से कम 70 प्रतिशत समय वृत्तिक कार्यों में लगाते हैं और उनके कार्य करने का शेष 30 प्रतिशत समय भी अतिरिक्त आर्थिक लाभ कमाने के लिए व्यतीत होता हैं, गरीब परिवारों के घर के आसपास रोज़गार संबंधी अतिरिक्त सुअवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इससे गरीब परिवारों के रोज़गार स्तर तथा साथ ही साथ आर्थिक स्थिति में अत्यधिक सुधार आएगा। इस प्रयोजन के लिए स्थान विशेष में समुदाय विशेष के कौशलों का निर्धारण करना तथा इन कौशलों और क्षमताओं से जुड़े व्यवसाय केंद्र खोलना उपयोगी रहेगा। यह कार्य भी गैर-सरकारी संगठनों या विशिष्ट कौशल निर्मित उत्पादों के विपणन में लगे संगठनों की सहायता से किया जा सकता है।

3. सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश अल्पसंख्यक लोगों ने न तो औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी और न ही प्राथमिक शिक्षा। मुसलमान परिवारों में औपचारिक या प्राथमिक शिक्षा न प्राप्त करने वालों का उच्चतम अनुपात 71 प्रतिशत तक था। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि मुस्लिम परिवारों के लिए बेहतर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने पर अधिक ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है अन्य समुदायों की तुलना में मुसलमानों में स्नातकों तथा स्नातकोतरों की संख्या भी बहुत कम थी। अत: शिक्षा को सुगम बनाए जाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

4. सर्वेक्षण से पता चलता है कि मुसलमान परिवार शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। लोगों को जागरूक बनाकर तथा प्रदर्शन/लेखन द्वारा इस स्थिति में सुधार लाया जाना चाहिए। मुस्लिम परिवारों को इस बात के लिए चेताया जाना चाहिए कि शिक्षा से उनके परिवार की बहुमुखी बेहतरी हो सकती है।

5. मुसलमानों और उनके बाद ईसाइयों के बड़ी संख्या में स्कूल जाने वाले बच्चों को और उनमें से विशेषकर मुसलमान परिवारों के ज्यादातर बच्चों के विद्यालय में उपस्थित न होने की बात को ध्यान में रखते हुए यह अनिवार्य हो गया है कि सरकार विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति विशेषकर मुसलमान बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास करे।

6. अध्ययन से यह पता चला है कि अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकांश परिवार विशेषकर मुसलमान और बौद्ध परिवार सरकारी स्वास्थ्य स्कीमों के विषय में नहीं जानते हैं इसलिए स्वास्थ्य स्कीमों के प्रसार के लिए कार्यक्रम बनाए जाने बहुत ज़रूरी है ताकि अल्पसंख्यक समुदाय भी इन स्कीमों का लाभ उठा सके। विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों के नेताओं को स्वास्थ्य स्कीमों के विषय में जानकारी दी जाए ताकि वे केंद्र/राज्य/जिला स्तरीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सुविधाओं/स्कीमों का लाभ उठाने के लिए आगे अपने लोगों की सहायता व मार्गनिर्देशन कर सकें।

7. यह आवश्यक है कि सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त स्वास्थ्य सुविधाओं को अल्पसंख्यकों के रिहायशी इलाकों (झुग्गी-झोपड़ियों सहित) में सुदृढ़ बनाया जाए ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के परिवार उनका लाभ सरलता से उठा सकें। जहां ये परिवार मुख्य शहरी केंद्रों से दूर बसे हुए हैं वहां समय-समय पर मोबाइल क्लीनिकों के जरिए उन तक पहुंचा जा सकता है ताकि वे भी योग्यता प्राप्त चिकित्सकों/पराचिकित्सा कार्मिकों से उपचार करवा पाएं। नि:शुल्क चिकित्सा से इन परिवारों के हाथ में आयी आय की बचत हो जाएगी चूंकि ये परिवार, परिवार की अस्वस्थता पर काफी पैसा खर्च करते हैं। इस बचे हुए पैसे को वे अपनी अन्य ज़रूरतों को विशेषकर पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने पर खर्च कर सकते हैं।

8. अध्ययन से यह पता चलता है कि केवल कुछ ही परिवारों ने चिकित्सा बीमा/जीवन बीमा कराया हुआ है। सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के एक निर्दिष्ट आय सीमा से नीचे आने वाले सभी परिवारों का सबसिडिकृत दरों पर जीवन, चिकित्सा और दुर्घटना बीमा करवाने का कार्य चुनिदा बीमा एजेंसियों से आऊट-सोरर्ज करवा सकती है। सबसिडी की राशि सरकार द्वारा वहन की जाए।

9. बालिकाओं के प्रतिरक्षण पर गंभीर रूप से ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। सरकार प्रतिरक्षण करने के कार्य में जुटी कुछ स्वैच्छिक तथा सरकारी संगठनों के साथ समन्वय करके बालिकाओं विशेषकर एक निर्धारित आय सीमा तक के अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के प्रतिरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए पहल कर सकती है इन संगठनों से परामर्श करके अल्पसंख्यक जनसमूहों में 100 प्रतिशत प्रतिरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए विशेष स्कीमें प्रारंभ की जा सकती है।

10. यद्यपि सामान्यतया सभी परिवार परिवार नियोजन के संबंध में जानते हैं परंतु केवल 9.65 प्रतिशत महिलाएं ही परिवार नियोजन के साधन अपना रही हैं। छोटे परिवार संबंधी प्रतिमान सभी परिवारों पर विशेषकर अपेक्षाकृत गरीब अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों पर समान रूप से लागू किया जाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा पोषण संबंधी जानकारी से विशेषकर मुस्लिम परिवारों को अवगत कराया जाना भी जरूरी है क्योंकि इनमें से बहुत कम लोग पोषण के विषय में जागरूक हैं। पोषण संबंधी विशेष स्कीमें विशेषतया मुस्लिम समुदायों को ध्यान में रखकर बनाई जाएं ताकि पोषण के विषय में उनकी जानकारी बढ़ सके।

11. बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार कच्चे या आधे पक्के घरों में रहते हैं। ईसाई परिवारों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। गरीब धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को अपने घर बनाने के लिए विशेष स्कीमें प्रारंभ की जानी चाहिए। ऐसी स्कीमें हुडको, एचडीएफसी तथा राष्ट्रीय महिला कोष जैसी संस्थाओं की सहायता से प्रारंभ की जा सकती हैं। कुछ स्वयं सेवी समूह भी बनाए जा सकते हैं ताकि ऐसे अल्पसंख्यक परिवारों को न केवल घर बनाने या खरीदने के लिए बल्कि आमदनी के लिए कामकाज करने के लिए भी छोटे-मोटे ऋण सरलता से उपलब्ध करवाए जा सकें । चुनिंदा गैर सरकारी संगठनों और अल्पसंख्यक विकास निगमों / बोर्डों या राज्य समाज कल्याण बोर्डों के आपसी समन्वय व सहयोग से इस कार्य को बेहतर तरीके से किया जा सकता है।

12. चूंकि सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश अल्पसंख्यक परिवार रात में रोशनी के लिए मिट्टी के तेल का इस्तमाल करते हैं अत: विभिन्न राज्यों के विद्युत वितरण प्राधिकरणों से बातचीत करके अल्पसंख्यकों के लिए विशेष डेस्क गठित किए जाएं ताकि ऐसे परिवारों को भी वैद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सके। नगरपालिकाओं को भी कहा जाए कि वे अल्पसंख्यक समुदायों के परिवारों को शीघ्रातिशीघ्र अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

13. अल्पसंख्यक परिवारों को नल-तंत्र से पानी उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय गैर सरकारी संगठनों को कार्यभार सौंपा जा सकता है कि वे स्थानीय नगरपालिकाओं के साथ मिलकर नल-तंत्र जलापूर्ति के लिए योजनाएं तैयार करें। अल्पसंख्यक समूहों के स्थानीय नेता भी जलापूर्ति मिशन के सहयोग से इस कार्य को अंजाम दे सकते हैं।

14. खाना पकाने के लिए एल पी जी के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए इसके लिए अल्पसंख्यक समुदायों को रियायती दरों पर गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए गैस आपूर्ति एजेंसियों के सहयोग से विशेष परिचय पत्र जारी किए जा सकते हैं।

15. सभी परिवारों के लिए शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। चूंकि ये परिवार असामान्य स्थानों पर रह रहे होते हैं इसलिए अल्पसंख्यक समुदायों के सभी परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करने में सुलभ इंटरनेशनल जैसे संगठनों की सहायता ली जा सकती है । यह सभी घरों के लिए एक मूलभूत जरूरत है अतः जहां यह सुविधा उपलब्ध न हो वहां कम से कम सामुदायिक शौचालयों का निर्माण व रखरखाव अनिवार्यतया किया जाना चाहिए।

16. अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों को मकानों की खरीद / निर्माण / नवीकरण के लिए गृह-निर्माण वित्त और विकास से जुड़ी एजेंसियों के सहयोग से समुचित वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

17. सर्वेक्षण से प्रकट होता है कि अल्पसंख्यक समुदायों के 48.05 प्रतिशत लोग उनके लिए चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक स्कीमों के बारे में जानते ही नहीं हैं। इसलिए सरकार को अल्पसंख्यकों में जागरूकता पैदा करने के लिए योजना बनानी चाहिए और विभिन्न विकासात्मक स्कीमों को प्रारंभ करते समय अधिकाधिक पारदर्शिता लानी चाहिए। संबंधित अधिकारियों को ऐसे लोगों के प्रति सहायक तथा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया जाना भी जरूरी है।

18. उप-सेक्टर स्कीमों जैसे अभिकल्प विकास के लिए माइक्रो वित्तीय सहायता विभिन्न सेक्टर स्कीमों के अधीन अनुदान, सीमांत धन ऋण स्कीम और शिल्पकारों को विपणन सहायता के संबंध में लोगों को जागरूक बनाना अत्याधिक जरूरी है। इन स्कीमों का अलग-अलग मूल्यांकन किया जाना भी जरूरी है ताकि अल्पसंख्यक समुदायों को मिलने वाले लाभों के परिमाण को उन पर व्यय की जाने वाली लागत के संदर्भ में सुनिश्चित किया जा सके। स्कीम के व्यापक प्रसार के लिए इसे अधिक से अधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए और इन स्कीमों की कारगरता के विषय में समय-समय पर समुदाय से पूछताछ की जानी चाहिए।

19. अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति को सुधारने के लिए रोजगार तथा शिक्षा संबंधी स्कीमों को बढ़ाने के उपाय किए जाने चाहिए। निशुल्क शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ बालिकाओं को शिक्षित बनाने को प्रोत्साहित करने स्वास्थ्य संबंधी उपबंध संशोधित करने, ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने आदि के लिए प्रयास किए जाएं तथा संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए तैयार की गई स्कीमों में इनके कार्यान्वयन के समय अल्पसंख्यक समुदाय की अधिक से अधिक भागीदारी होना भी जरूरी है।

अनुबंध : 4.2

अध्ययन	**:**	**II**
विषय	**:**	**अल्पसंख्यकों की शैक्षिक स्थिति एवं उनके पिछड़ेपन के कारण तथा पिछड़ेपन के सामाजिक-आर्थिक संकेतकों का निर्धारण**
एजेंसी	**:**	**ए रे ऑफ होप (ए आर ओ एस) फाउंडेशन, नई दिल्ली**

निष्कर्ष एवं सुझाव

1. सभी धर्म

1. केन्द्र सरकार अल्पसंख्यक आयोग को यह अधिकार प्रदान करे कि वह सारे देश से अल्प-संख्यकों की शैक्षिक, सामाजिक और अर्थिक दशा के संबंध में जानकारी और रिपोर्टें एकत्र कर सके। अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू विनियामक उपायों के तर्कसंगत व यथोचित होने के साथ-साथ उनके प्रबंध में स्वायत्तता का भी समुचित सम्मान किया जाना चाहिए।

2. अल्पसख्यंक कॉलेजों में सारी सीटें अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को ही दी जारी चाहिए न कि बहुसंख्यक विद्यार्थियों को। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को व्यावसायिक कॉलेजों में प्रवेश देने के लिए निर्धारित अर्हक अंक भी कम रखे जाने चाहिए ताकि उनमें शिक्षा के प्रति रूझान बढ़े। इसी प्रकार अल्पसंख्यकों की न्यूनतम अंकों की अपेक्षा के लिए कोई कार्यविधि विकसित की जा सकती है।

3. कोई राज्य सरकार किसी राज्य में अल्पसंख्यकों के सामाजिक–आर्थिक पिछड़ेपन पर विचार करने के बाद ही किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान कर सकती है।

4. राष्ट्र के छह प्रमुख धर्मों में पुरूष और स्त्री साक्षरता के बीच अधिकतम अंतराल हिन्दुओं में 23 प्रतिशत, बौद्धों में 21.4 प्रतिशत प्वाइंट और मुसलमानों में 17.5 प्रतिशत प्वाइंट है।

5. देश में ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां सभी धर्मों में साक्षरता की दर या तो उच्च है या फिर निम्न है। इससे पता चलता है कि समग्र क्षेत्रीय परिस्थितियां और विकास की उच्च या निम्न स्थिति साक्षरता दरों में सुधार या गतिरोध आने में अहम भूमिका निभाती है।

6. सभी प्रदेशों में अधिकांश निम्न साक्षर जिले बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान एवं उड़ीसा में स्थित हैं। ये पांच राज्य सामाजिक–आर्थिक सूचकांकों के संदर्भ में देश के सर्वाधिक पिछड़े हुए पांच राज्य हैं। इसीलिए इन राज्यों में विभिन्न धार्मिक समूहों का शैक्षिक स्तर तद्नरूप निम्न है तथा धर्म या उसकी अल्पसंख्यक स्थिति का स्पष्ट संकेत नहीं देता है। इसके अलावा इस पूर्वधारणा की इस तथ्य से भी पुष्टि होती है कि इन विभिन्न राज्यों में हिन्दुओं के बहुसंख्यक समुदाय के निम्न साक्षरता वाले जिलों की संख्या अधिकतम है।

7. **कुछ राज्यवार निष्कर्ष:** पंजाब में सिखों की जनसंख्या सर्वाधिक अर्थात् 60 प्रतिशत होने के बावजूद भी उनकी साक्षरता दर न्यूनतम दरों में है। इसी प्रकार जम्मू और कश्मीर की जनसंख्या में 67 प्रतिशत मुसलमान लोग हैं जबकि उनमें साक्षरता की दर केवल 47 प्रतिशत है। जबकि केरल में राज्य की जनसंख्या का केवल 25 प्रतिशत होने पर भी मुस्लिम साक्षरता दर 89 प्रतिशत है।

8. आरक्षण से भागीदारी नहीं बड़ी है। आरक्षण ने इन अल्पसंख्यकों में शामिल अत्यधिक निर्धन लोगों के जीवन में तनिक भी परिवर्तन नहीं किया है। इसके विपरीत इसने संविधान और राजनीति में जातिवाद की जड़ों को और गहरा कर दिया/जिसे सदा के लिए विधिबाह्य कर दिया जाना चाहिए था। सभी लोगों से अपेक्षा की जा रही है कि इसके वास्तविक प्रयोजन को सफल न होने दिया जाए अर्थात् अस्पृश्यता के चलन से पैदा होने वाले सामाजिक अलगाव को समाप्त कर दिया जाए जिससे निचली जाति के लोग भी सार्वजनिक स्थलों यथा कुओं, विद्यालयों, कार्यालयों तथा मंदिरों में प्रवेश कर पाएं।

9. आरक्षण देने पर योग्यता एवं प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत से समझौता करना पड़ता है जो लोक सेवाओं के निर्वहन के लिए अपेक्षित गुणता व दक्षता के लिए अहितकारी है। इससे गरीबों के नेतृत्व के लिए अभूतपूर्व राजनीतिक प्रश्रय को और चुनावी नतीजों के जोड़–तोड़ के लिए उग्र लोकवाद के कार्यों को बढ़ावा मिला है। भारत में कोटे से जुड़ी मानसिकता इतनी व्यापक हो गई है कि आज उच्च जातियों के लोग भी अपनी गरीबी–न कि पिछड़ेपन के कारणों को दूर करने के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं ताकि वे लोक सेवाओं, शैक्षिक सीटों और राजनीतिक पदों पर नियुक्ति प्राप्त कर सकें। आरक्षण से सामाजिक गतिशीलता पैदा नहीं होती है बल्कि यह केवल अनुसूचित जातियों के राजनीतिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के सामाजिक समावेशन का एक जरिया है।

10. विभिन्न राज्यों में सामाजिक विकास के निर्धारण के लिए यह अध्ययन किए जाने की ज़रूरत है कि जब कुछ राज्यों में इस असमानता को कम कर लिया गया है तो अन्य राज्यों में भी ऐसा क्यों नहीं हो पाया है। सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन और उसके संकेतकों को तालिकाबद्ध किया जाए तथा शिक्षा नीति बनाने या सबसिडी देने से पहले इन पर विचार किया जाए न कि धर्म को इनका आधार बनाया जाए।

11. शैक्षिक पिछड़ापन धर्म या जनांकिकी का कारक नहीं है बल्कि यह किसी निश्चित क्षेत्र या राज्य के समुदाय विशेष की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का प्रतिबिंब है। सामाजिक समूहों के बीच बच्चों के शैक्षिक स्तर के संकेतकों में पाए जाने वाले विभेदों का कारण धर्म नहीं बल्कि परिवार की आय, माता–पिता की शिक्षा तथा सामाजिक समूहों के बीच आपसी समझौते से विकास स्तर में पाए जाने वाले अंतर हैं।

II. पारसी

भारत में पारसी जन समुदाय के अस्तित्व को कायम रखने के लिए सभी संबंधितों द्वारा जहां तक संभव हो पाए सरकार द्वारा और निस्संदेह पारसी समुदाय के नेताओं द्वारा सुनिश्चित तौर पर तत्काल और पुरजोर प्रयास प्रारंभ कर दिए जाने चाहिए। यदि इस समुदाय को इतिहास बनने से बचाना है तो इस समय की सबसे बड़ी मांग यह है कि इस समुदाय के लोग प्रजनन नियंत्रण के साधनों के उपयोग को बंद करके प्रजनन वृद्धि के नए साधनों को अपनाना प्रारंभ कर दें।

III.मुसलमान

1. पिछड़े मुसलमान अल्पसंख्यकों को शैक्षिक तौर पर उन्नति करने के लिए प्रोत्साहित करने व समर्थ बनाने के लिए सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों, मुसलमानों को एकजुट होकर कार्य करना होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के उपायों के लिए पाठ्यचर्या निर्धारित करने वाले निकायों में अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि आपत्तिजनक सामग्री के समावेशन की संभावना को रोका जा सके, मुस्लिम विद्यालयों में शिक्षकों के ग्रेडों को नियमित तौर पर बढ़ाया जाए, मुस्लिम शैक्षिक संस्थानों के लिए अधिक स्थान उपलब्ध कराया जाए, राज्यों के अल्पसंख्यक आयोगों का सशक्तीकरण किया जाए ताकि वे पिछड़े अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर सकें, भ्रष्टाचार और स्वजन-पक्षपात से बचाव के लिए स्वेच्छा निर्णय के नियमों को समाप्त किया जाए, अल्पसंख्यक मुस्लिमों की शिक्षा आयोजना बनाने के लिए ठीक-ठीक मूलभूत जानकारी प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए जाएं, और शैक्षणिक संस्थान स्थापित करते समय अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों को विशेष रूप से प्राथमिकता दी जाए और प्रतिभाशाली एवं जरूरतमंद अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए।

2. उर्दू विद्यालयों की बदहाल स्थिति को सुधारा जाना चाहिए। ये विद्यालय आमतौर पर उपेक्षा का शिकार रहे हैं। इनकी अवसंरचना बहुत ही सीमित है; इनके शिक्षकों में अभिप्रेरण का अभाव है: बहुत से राज्यों में उपयुक्त पाठ्यपुस्तकें लगभग पूर्णत: नदारद हैं; और ऐसे स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियों को जानबूझकर नहीं भरा जाता है। इन स्कूलों में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए। ऐसे स्कूलों में गणित व प्राकृतिक विज्ञानों के शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी होनी चाहिए और अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम उर्दू को रहने दिया जाना चाहिए। इससे यहां के विद्यार्थी अपनी अंग्रेजी को सुधार पाएंगे जिसके बिना वे न तो अच्छे विश्वविद्यालयों में प्रवेश पा सकते हैं और न ही सामान्य जॉब मार्केट में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

3. भारतीय मुसलमानों का शैक्षिक पिछड़ापन एक राष्ट्रीय समस्या है। परन्तु जब तक वे स्वयं सुधारात्मक उपायों में अपना सहयोग नहीं देगें तब तक इस समस्या का पूर्ण समाधान हो पाना कठिन है। इस्लामी विषयों को वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के तौर पर शामिल करते हुए मदरसों को आधुनिक शिक्षण संस्थानों में रूपांतरित किया जाना बहुत ही जरूरी है।

4. आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय मुस्लमानों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एक नया शिक्षण शास्त्र विकसित किया जाए जिससे वे वर्तमान ज्ञान, अनुभव और कौशलों को विकसित करके विकास और समानता की राह में आने वाली बाधाओं को पार कर पाएं ताकि अत्याधिक प्रासंगिक और कारगर नई समझ एवं क्षमताओं से रूबरू हो पाएं।

5. चूंकि मुसलमानों के अलावा सभी अल्पसंख्यकों के शैक्षिक सूचकांक काफी अच्छे हैं इसलिए यह निष्कर्ष निकालना युक्तिसंगत होगा कि धर्म के अलावा कुछ अन्य ऐसे कारक हैं जो मुसलमानों के शैक्षिक स्तर को उन्नत बनाने की राह अवरूद्ध किए हुए हैं।

6. जिन जिलों में हिंदू साक्षरता दर एवं मुसलमान साक्षरता दर 60 प्रतिशत से ज्यादा है उनकी संख्या (क्रमश: 230 व 226) लगभग बराबर है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि 81 प्रतिशत जिलों में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है।

अनुबंध 4.3

अध्ययन	**:**	**III**
विषय	**:**	**मुस्लिमों को शिक्षा पद्धति की मुख्य धारा में लाने में मदरसा–शिक्षण की भूमिका**
एजेंसी	**:**	**जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली**

सिफारिश और सुझाव

भारत में इस समय मदरसों को जिन समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उनके समाधान के लिए अलग–अलग स्तरों पर अलग–अलग कार्यनीतियों व कार्रवाइयों की आवश्यकता है। अनुसंधानकर्त्ता द्वितीयक स्त्रोतों और सीमित फील्ड प्रेक्षणों का अवलोकन करके अपनी समझ के आधार पर निम्नलिखित सिफारिश और सुझाव दिए हैं:—

सरकार के स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई

1. आपसी विश्वास का माहौल बनाना

मदरसों और सरकार के बीच परस्पर भरोसे और दृढ़ विश्वास का माहौल बनाया जाना बहुत ही जरूरी है। सरकार पर भरोसे की कमी के कारण बहुत से मदरसे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उनके आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए लागू की गई स्कीमों का फायदा नहीं उठाना चाहते हैं। अधिकांश मदरसों को यह डर है कि ऐसा करने से उनके रोजमर्रा के कामों में अनपेक्षित हस्तक्षेप किया जाने लगेगा और धार्मिक शिक्षा देने की उनकी स्वतंत्रता छिन जाएंगी। उन्हें शंका थी कि आसूचना एजेंसियों द्वारा सूचना एकत्र की जा रही है जिसका उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। चाहे ये संदेह कितने भी अतार्किक क्यों न हों परंतु ये मदरसा शिक्षा पद्धति को सुधारने के लिए किए जा रहे ईमानदार प्रयासों के प्रति भी उनकी अनुक्रिया को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए कोई भी नई नीति, कार्यक्रम या स्कीम तब तक कारगर सिद्ध नहीं होगी जब तक कि धार्मिक विद्वानों, नेताओं और शिक्षाविदों के साथ परस्पर परामर्श करके माहौल को सम्प्रेषणशील व विश्वासप्रद नहीं बना लिया जाता।

2. मदरसा–शिक्षा संबंधी व्यापक नीति

मदरसा पद्धति को मुख्यधारा में लाने के लिए शिक्षा, बाल कल्याण, स्वास्थ्य, ग्राम विकास और गरीबी उन्मूलन सेक्टरों के बीच हद आंतरिक व पारस्परिक सम्पर्क स्थापित करके व्यापक मदरसा शिक्षण नीति तैयार किए जाने की जरूरत है।

3. मदरसा शिक्षण के लिए केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन

मदरसा शिक्षण के लिए एक ऐसे केंद्रीय निकाय की आवश्यकता है जो नियंत्रक की बजाय परामर्शदाता और सलाहकार अधिक हो मदरसों का पंजीकरण करने, मान्यता देने और प्रत्यायन करने, मदरसों के लिए निदर्श पाठ्यचर्या विकसित करने, मदरसों में धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष दोनों विषयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने, मदरसों में चलाए जाने वाले पाठयक्रमों को समता एवं समतुल्यता प्रदान करने के प्रतिमान निर्धारित करने के मुद्दों तथा अन्य संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए एक ऐसा केंद्रीय सलाहकार बोर्ड बनाने पर विचार किया जाना चाहिए जिसमें मदरसा–शिक्षण के संबंध में विशेषज्ञता प्राप्त लोगों को, संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को तथा प्रसिद्ध शिक्षाविदों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया हो।

4. मदरसों को राज्य शिक्षा बोर्डों तथा एन आई ओ एस से संबद्ध करना

उन मदरसों को ज्यादा सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए जिन्होंने अपनी पाठ्यचर्या में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को भी स्थान दे दिया है। राज्य सरकारों को कहा जाए कि इन मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर अपने–अपने परीक्षा बोर्डों से परीक्षाएं देने की अनुमति दें। इसके अलावा यदि कोई विद्यार्थी किसी भी स्तर पर सरकारी विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है तो उसे प्रोत्साहित किया जाए।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान केंद्रीय स्तर पर सक्रिय एक अन्य ऐसा निकाय है जो मदरसों के विद्यार्थियों को मुख्य धारा में लाने की जरूरत को पूरा कर सकता है। मदरसों के विद्यार्थियों के लिए विशेष तौर पर संक्षिप्त पाठ्यक्रम तैयार व लागू किए जाएं ताकि वे मदरसों की शिक्षा के साथ-साथ स्कूली शिक्षागत अर्हताएं भी प्राप्त कर लें और उनके लिए भावी उच्च शिक्षा की व्यापक संभावनाएं खुल जाएं।

5. आयकर अधिनियम में छूट और एफ सी आर ए को सुकर बनाना

आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं जैसे 80 जी और एफ सी आर ए आदि के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन करने वाले अधिकांश मदरसों की शिकायत थी कि इन मामलों में उन्हें तंग किया गया और उनके साथ भेदभाव बरता गया। चूंकि लगभग सभी मदरसों चन्दें पर आश्रित रहते हैं इसलिए इस तरह के लाभ उनके कार्यचालन के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। मदरसों को ये लाभ प्रदान करने से पारदर्शिता व उत्तरदायित्व दोनों में वृद्धि होगी क्योंकि फिर मदरसों को उपयुक्त लेखा तैयार करने पड़ेगे तथा इन कानूनों के तहत अपेक्षित विवरणी फाइल करनी पड़ेगी।

6. अल्पसंख्यक बहुल जिलों में जवाहर नवोद्य विद्यालय खोलना

भारत सरकार ने लगभग सभी राज्यों के कुछ जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की है। इन विद्यालयों ने ग्रामीण क्षेत्रों के अभावग्रस्त वर्गो में स्तरीय शिक्षा प्रदान करने में अच्छे परिणाम दर्शाएं हैं। मुसलमान बहुल जिलों में ऐसे विद्यालय खोलना एक अच्छा प्रयोजनात्मक विचार सिद्ध हो सकता है। मुसलमान मदरसा शिक्षण को प्राथमिकता दिए जाने की एक वजह अपनी गरीबी और आर्थिक तंगी बताते हैं। यह पता लगाना काफी उपयोगी सिद्ध होगा कि नाममात्र के शुल्क पर रहने और खाने पीने की सुविधा देने वाले धर्मनिरपेक्ष शिक्षण संस्थान की स्थापना किए जाने पर माता-पिता अपने बच्चों को मदरसों की बजाय इन संस्थानों में भेजना पसंद करेंगे या नहीं। यह कार्य प्रयोगात्मक आधार पर कुछ ऐसे जिलों में प्रारंभ किया जा सकता है जहां मदरसों में जाने वाले विद्यार्थी बड़ी संख्या में रहते हों।

7. धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देने वाले मदरसों को प्रोत्साहन देना

कुछ वर्तमान सरकारी स्कीमों जैसे मध्यांतर भोजन स्कीम, मुफ्त पुस्तकें, वर्दी तथा छात्रवृत्तियां, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं तथा सार्वजनिक वितरण दरों पर राशन उपलब्ध कराना आदि उन मदरसों को भी प्रदान की जाएं जो धार्मिक शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। यह इन मदरसों के लिए प्रोत्साहन कार्य करेगा तथा अन्य मदरसों के बीच इनकी एक अलग पहचान बन पाएगी। सरकार को इन मदरसों में धर्मनिरपेक्ष विषयों की शिक्षा प्रदान करने वाले कुछ शिक्षकों की नियुक्ति भी करनी चाहिए।

8. अवसंरचना में सुधार

अधिकांश मदरसों की अवसंरचना अपर्याप्त या अभावग्रस्त है इससे पढ़ाने व पढ़ने की प्रक्रिया की गुणवत्ता और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि निश्चित मानदण्डों की पूर्ति करने वाले मदरसों के लिए एकमुश्त अवसंरचना विकास अनुदान उपलब्ध कराने वाली कोई सरकारी स्कीम प्रारंभ की जाए तो वह इन मदरसों के लिए वरदान साबित होगी। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अनुदान देने, नाममात्र के ब्याज पर बैंक ऋण उपलब्ध कराने आदि जैसे विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं।

9. शिक्षकों को प्रशिक्षण

जैसा ऊपर भी बताया गया है कि धार्मिक व धर्मनिरपेक्ष दोनों तरह की शिक्षा देने वाले शिक्षकों का प्रशिक्षण एक उपेक्षित विषय रहा है। कुछ बड़े मदरसों के अलावा अधिकांश मदरसों संसाधनों के अभाव के कारण विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षणों का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। चूंकि शिक्षकों के अभिप्रेरण स्तर और अधिगम प्रक्रम अध्यापन में सुधार करने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण इनपुट है इसलिए सरकार को इन अपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या तो कुछ विश्वविद्यालयों या कॉलेजों का निर्धारण कर देना चाहिए या एन सी ई आर टी, एस सी ई आर टी और डाइट (डी आई ई टी) के विषय क्षेत्र को व्यापक बना देना चाहिए। सरकार इन संस्थानों को इन कार्यों के लिए अतिरिक्त निधि उपलब्ध करा सकती है।

10. व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था

व्यावसायिक, वाली ऐसी उपयुक्त सरकारी एजेंसियों को मदरसों से संबंद् किया जाना चाहिए जो उच्च रोज़गार योग्यता और बृहत् स्व-रोज़गार संभावनाओं वाले ट्रेडों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करें। इन संस्थानों को मदरसों के विद्यार्थियों के लिए भाषायी और

गणितीय योग्यता के अतिरिक्त घटक वाले विशिष्ट व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने चाहिए। अपनी शिक्षा पूरी होने पर मदरसों के अधिकांश विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे और उच्च शिक्षा के बढ़ते दबाव को भी कम किया जा सकेगा।

11. पंजीकरण, मान्यता और समतुल्यता

उपयुक्त सरकारी निकायों को ऐसे मदरसों व उनके द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के पंजीकरण, मान्यता और समतुल्यता की व्यवस्था करनी चाहिए जो बिल्कुल धर्म निरपेक्ष संस्थानों के समान ही विद्यालयी क्षमताएं विकसित कर पाने में समर्थ हैं। इससे मदरसों के विद्यार्थियों द्वारा धर्मनिरपेक्ष संस्थानों में अपनी उच्च शिक्षा को जारी रखने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। मदरसा–शिक्षण के लिए प्रस्तावित सलाहकार बोर्ड इस प्रयोजन के लिए मानदंड और प्रतिमान तैयार कर सकता है कुछ प्रसिद्ध मदरसों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों का दर्जा दिए जाने पर भी विचार किया जाना चाहिए।

12. मदरसों द्वारा अपेक्षित कार्रवाई

(i) सम्पूर्ण देश के मदरसों की पाठ्यचर्या में संशोधन का विषय उन प्रमुख विषयों में से एक है जिन पर तत्काल ध्यान दिया जाना जरूरी है। पहले भी बताया गया है कि अलग–अलग मदरसों की पाठ्यविवरण भी अलग–अलग हैं जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग–अलग खूबियां और खामियां हैं। यद्यपि किसी केन्द्रीय तंत्र तथा मदरसों के पाठ्य विवरण का मानकीकरण न होने की वजह से अधिकांश मदरसे अच्छें पाठ्यविवरण के लाभों से वंचित रह गए हैं। इसलिए मदरसों को इस स्थिति से उबरना होगा और इस तरह के कार्यों की पहल स्वयं ही करनी होगी।

(ii) मदरसों के विद्यार्थियों को भाषा विशेषकर अंग्रेज़ी और अरबी से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि दोनों भाषाओं को आधुनिक अभिगम से सिखाया जाए तो जॉब मिलने की संभावनाओं और विद्यार्थियों के आत्म विश्वास दोनों में वृद्धि होगी।

(iii) मदरसों के पुस्तकालयों में सभी विषयों की अच्छी पुस्तकों का संग्रह किया जाए और वे विद्यार्थियों को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएं। इससे विद्यार्थियों को अपने आस पास की बदलती दुनिया के बारे में जानने और अपनी अंतदृर्ष्टि को व्यापक बनाने में सहायता मिलेगी।

(iv) मदरसों को व्यावसायिक शिक्षा देने के संबंध में भी विचार करना चाहिए ताकि विद्यार्थी धार्मिक उत्तरदायित्वों को निभाने में सक्षम होने के साथ–साथ अन्य व्यवसायों को अपनाने में भी सक्षम हो सकें।

(v) इनमें नेतृत्व संबंधी गुण विकसित करने के लिए भी उन्हें समुचित प्रशिक्षण और प्रोत्साहन देना चाहिए।

(vi) धार्मिक/नैतिक शिक्षा तथा धार्मिक प्रेक्षणों के कर्मकाण्डी विवरणों के शिक्षण के अलावा व्यावहारिक कौशल, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कम्प्यटूर प्रशिक्षण आदि को भी पाठ्यचर्या में अनिवार्य भाग के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या को तैयार करते समय ऐसे मौलिक विषयों/शास्त्रों जैसे अंग्रेजी, गणित, भूगोल, तर्क, दर्शन, सामाजिक विज्ञान आदि को भी समुचित महत्व दिया जाए जो उसके समग्र प्रत्यक्षज्ञान व व्यक्तित्व के निर्माण में योगदान देंगे।

(vii) यदि अनम्य पाठ्यचर्या के अनुपालन के बजाय मदरसों में विद्यार्थियों को उनकी आकांक्षाओं व व्यक्तिगत प्रतिभाओं के अनुरूप विभिन्न विकल्प चुनने का अवसर दिया जाए तो इससे विद्यार्थियों की अध्ययन में रूचि भी बनी रहेगी और वे अपनी पसंद का सही कैरियर भी चुन पाएंगे।

(viii) जहां तक ज्ञान के कारगर अंतरण का संबंध है अध्यापन के रूढ़िगत तरीकों की अपनी सीमाएं हैं। अध्यापन के नए तरीकों यथा दृश्य–श्रव्य साधनों, फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट, शैक्षणिक–दौरा, दत्तकार्य, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं तथा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के भीतर व आपस में चलाए जाने वाले विनिमय कार्यक्रम/ सकारात्मक प्रतियोगिताएं आदि वर्तमान समय की मांग हैं।

(ix) मदरसों में शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता निर्धारित की जानी चाहिए। शिक्षकों का चयन करते समय प्राप्त डिग्रियों, व्यक्तिगत अभिप्रेरण, अध्यापन के प्रति रूझान आदि को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(x) मदरसों को अपनी जीविका के लिए केवल सरकारी अनुदान और सामुदायिक दान पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्हें अपने भरण–पोषण के साधन स्वयं ढूंढने चाहिए जैसे शॉपिंग कॉम्पलेक्स का निर्माण, लाभ प्रद व्यवसायों में निवेश आदि।

(xi) चूंकि आधिकांश मदरसे आवासी होते हैं इसलिए उनके रोजमर्रा के शैक्षणिक, मनोरंजनात्मक, पाठ्येत्तर तथा अन्य पहलुओं को घ्यान में रखते हुए उनके लिए एक वैज्ञानिक समय सारणी अपनाई जानी चाहिए।

(xii) मदरसों के शिक्षकों को विश्वभर में शिक्षा के क्षेत्र में हो रही प्रगति से अवगत कराए जाने से मदरसों की शिक्षा का आधुनिकीकरण तेजी से किया जा सकेगा। इससे उनकी कौशल व क्षमताओं का भी नवीकरण एवं उन्नयन होगा।

(xiii) पाठ्यचर्या विकसित करने, आधुनिक दृष्टिकोण से पाठ्यपुस्तकें तैयार करने, अन्योन्य एवं सहभागी शिक्षण करने, दृश्य–श्रव्य साधन तैयार व इस्तेमाल करने, प्रोत्साहन देने तथा खेलकूद आदि का समावेश करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि शिक्षण का कार्य शिक्षकों के लिए जीवंत, रूचिकर और अनांददायक तथा शिक्षार्थियों के लिए स्फूर्तिदायक व उल्लासकारी बन जाए।

(xiv) मदरसा शिक्षा पदध्ति को ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए प्रथम उपाय के तौर पर वर्तमान और भावी मदरसा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक रिसोर्स ग्रुप तैयार करना सबसे ज़रूरी कार्य है। धार्मिक विषयों के अलावा शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान और अन्य शिक्षा सिद्धांतों में भी निष्णात बनाया जाना चाहिए।

(xv) वर्तमान शिक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और विद्यार्थियों को रोजगार–योग्य बनाने के लिए तकनीकी एवं व्यावसायिक विषयों तथा कम्प्यूटर शिक्षा सहित किसी भी आधुनिक संस्थान में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों का ज्ञान दिया जाना चाहिए।

(xvi) मदरसों के विद्यार्थियों को भारत के विभिन्न धर्मो व सांस्कृतिक परम्पराओं की मूल्य आधारित शिक्षा भी दी जानी चाहिए। विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने से विभिन्न आस्थाओं के पारस्परिक सम्मान और गहरी समझ को विकसित करने में सहायता मिलेगी।

13. समुदाय द्वारा अपेक्षित प्रयास

यद्यपि यह समुदाय स्थानीय मदरसों के प्रारंभ और भरण–पोषण के लिए बहुत बड़ा अवलंब रहा है तथापि समुदाय को वित्त ओर मानव दोनों तरह के संसाधनो के इष्टतम योगदान के लिए तैयार करने के लिए इस पर और दबाव डाले जाने की जरूरत है। मुसलमान समुदाय के धार्मिक विद्वानों और शिक्षाविदों को एक दूसरे के नजरिए को बखूबी समझने के लिए परस्पर बेहतर तरीके से सम्पर्क और संवाद कायम करना होगा। बहुत से मदरसे नए विचारों का खुले दिल से स्वागत करते हैं परंतु उनके पास जानकारी और विशेषज्ञता का अभाव है जो सामान्यतया समुदाय के सक्षम सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है।

समुदाय से भी अपेक्षा की जाती है वह मदरसों को दिए जाने 'जकात' आदि जैसे दान बिना सोचे समझे केवल खानापूर्ति करने के स्थान पर केवल उन्हीं चुनिंदा मदरसों को देकर ज्यादा जिम्मेदाराना भूमिका निभाएगा, जो वास्तव में अच्छा कार्य कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि समुदाय मदरसों की शिक्षा पद्धति की केवल आलोचना करने के बजाय उसके प्रति गम्भीरता से चिन्तनशील रूख अपनाए। रचनात्मक आलोचना और भागीदारी ही संभवत: अपेक्षित परिवर्तन और सुधार ला सकती है।

अनुबंध 4.4

अध्ययन	**:**	**IV**
विषय	**:**	**देश में अल्पसंख्यकों के उद्धार में वित्तीय संस्थानों की भूमिका का द्रुत मूल्यांकन**
एजेंसी	**:**	**कृषि वित्त निगम लिमिटेड, मुम्बई**

सिफारिशें

(1) अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक दशाएं

भारत की कुल जनसंख्या का 18.42 प्रतिशत होने के बावजूद अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के संबंध में कोई प्रामाणिक और पूर्ण डाटा उपलब्ध नहीं है। इसके अभाव में, उन विभिन्न सामाजिक-आर्थिक अशक्तताओं की विस्तृत जांच करना कठिन हो जाता है जिनसे अल्पसंख्यक पीड़ित हैं। इसके बावजूद शैक्षिक रिकॉर्डों, एन॰एस॰एस॰ओ॰, एन॰एफ॰एच॰एस॰-2 सर्वे तथा जनगणना, 2001 से जानकारी एकत्र की गई है। देश की कुल जनसंख्या का 13.43 प्रतिशत और अल्पसंख्यक जनसंख्या का 72.92 प्रतिशत हिस्सा मुसलमान समुदाय सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय होने पर भी आर्थिक, स्वास्थ्य संबंधी व शैक्षिक सूंचकांकों के संबंध में भारत के सर्वाधिक उपेक्षित व वंचित समुदायों में से एक है। अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ-साथ राष्ट्रीय औसत की भी तुलना में मुसलमानों की साक्षरता दर और कार्यगत भागीदारी दर काफी कम है। उनमें से अधिकांश पारंपरिक तथा कम मज़दूरी वाले व्यवसायों में लगे हैं और ज्यादातर छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन कृषि मजदूर, छोटे व्यापारी या शिल्पकार हैं। उनमें से केवल कुछ ही विभिन्न विकासात्मक स्कीमों से लाभान्वित हो पाए हैं अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर अपेक्षाकृत बेहतर है। यद्यपि इनमें से कुछ विशेषकर ईसाइयों व बौद्धों में से कुछ लोग अभावग्रस्तता से जूझ रहे हैं। गरीबी-रेखा के नीचे रहने वाली 26% जनसंख्या के राष्ट्रीय औसत की तुलना में गरीब मुसलमानों की संख्या 36 प्रतिशत तक उच्च है।

(2) औपचारिक वित्तीय सेक्टर में अल्पसंख्यकों के लिए कोई विशेष स्कीम/कार्यक्रम तैयार नहीं किए गए हैं।

देश के वाणिज्यिक बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अग्रता प्राप्त सेक्टर यथा:- कृषि और संबंध कार्यकलाप, लघु, लघुतर एवं ग्रामोद्योगों, ग्रामीण कारीगरों तथा छोटे व्यापारियों आदि को कम से कम 40 प्रतिशत तक का ऋण उपलब्ध कराएंगे। इसमें 18 प्रतिशत कृषि के लिए और 10 प्रतिशत समाज के कमजोर वर्गों के लिए है। औपचारिक वित्त सेक्टर में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के सदस्यों के वित्त पोषण के लिए चलायी जा रही विशेष स्कीमों की भांति अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कोई विशिष्ट स्कीमें या ऋण लक्ष्य नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बैंकों की सामान्य ऋण स्कीमों और बैंकों द्वारा लागू किए जा रहे सरकार प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन केवल तभी ऋण मिल पाता है यदि वे नियत अर्हता शर्तों जैसे आर्थिक मापदंड आदि को पूरा कर पाते हैं। हालांकि भारत सरकार ने बैंको पर इस बात के लिए दबाव डाला है कि वे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सुनिश्चित तौर पर समुचित ऋण उपलब्ध कराएं।

(3) अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यकों को अधिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास

देश के 600 जिलों में से 175 जिले ऐसे हैं जहां 20 प्रतिशत से ज्यादा अल्पसंख्यक जनसंख्या रहती है। इनमें से लगभग 72 जिले ऐसे हैं जहां कुल जनसंख्या में से अल्पसंख्यकों की संख्या 50 प्रतिशत से ज्यादा है। देश के अल्पसंख्यक बहुल जिलों में से केवल 41 जिलों के वाणिज्यिक बैंकों ने अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले क्रेडिट का पृथक डाटा तैयार किया है। इन जिलों में 2001-2005 तक की 5 वर्ष की अवधि में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए क्रेडिट के डाटा क्रेडिट प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2004-05 में पिछले वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत वृद्धि दर्शायी गई है। यद्यपि राज्यों के निष्पादन में व्यापक अन्तर रहा है जिसकी रेंज 18.21 प्रतिशत से 98.97 प्रतिशत संवृद्धि दर तक रही है। हालांकि राष्ट्रीय और जिला स्तर पर अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या की तुलना में संवृद्धि दर में उनकी भागीदारी काफी कम रही है।

(4) अल्पसंख्यकों सहित गरीबों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थान एवं स्वैच्छिक सेक्टर द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम/स्कीमें

राष्ट्रीय स्तर के संस्थान जैसे नाबार्ड, सिडबी और 'आर॰एम के' स्वयं सेवी समूहों की संकल्पना को बढ़ावा देते रहे हैं। नाबार्ड ने विशेषतौर पर इस दृष्टिकोण को ऐसी मूल कार्यनीति के तौर पर विकसित किया है जिसका इस्तेमाल भारत की बैंकिंग प्रणाली निर्धन लोगों तक अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए कर सकती है यह अल्पसंख्यक समुदायों के पिछड़े वर्गों के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। नाबार्ड ने गरीबों को लाभान्वित करने के लिए अनुदान/ऋण आधारित विभिन्न संवर्धनात्मक स्कीमें भी प्रारंभ की हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य संगठन जैसे आगा खां फाउंडेशन, सी॰आर॰एस॰ एवं सी॰ए॰एस॰ए॰ भी उधार बचत सेवाओं, क्षमता निर्माण, कौशल आधार निर्माण समुदायिक संगठन,

गरीबों के सशक्तीकरण आदि से जुड़े कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रहे हैं। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों का अपर्युक्त संगठनों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों से लाभपूर्ण ढ़ंग से तालमेल बिठाया जा सकता है।

(5) सुझाव

(i) अल्पसंख्यक समुदायों की समस्याओं का समाधान करने की उपयुक्त कार्यनीति तैयार करने के लिए डाटा बेस उपलब्ध होना एक अनिवार्य पूर्व-शर्त है। इसीलिए धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग ने सामान्यतया सभी अल्पसंख्यक समुदायों तथा विशेषकर मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक दशा का पता लगाने के लिए व्यापक सर्वेक्षण करवाया है।

(ii) भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा इस समय लागू किए गए विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों से संबंधित डाटा को अलग-अलग धार्मिक समुदायों के हिसाब से पृथक-पृथक नहीं किया गया है जो अल्पसंख्यकों के उन्नयन की ओर लक्षित कोई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने के आधारभूत आवश्यकता है अल्पसंख्यक डाटा बेस तैयार करने का निर्णय उपयुक्त स्तर पर लिया जाना चाहिए। इसी प्रकार संबंधित एजेंसियों जैसे बैंकों, वित्तीय संस्थानों से अनुरोध किया जाए कि वे अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को दिए गए क्रेडिट प्रवाह/वित्तीय सहायता का आवश्यक डाटाबेस तैयार करें और इसे धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग को उपलब्ध कराएं।

(iii) गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने में लगे सभी संस्थानों की स्कीमों/कार्यक्रमों का सार-संग्रह तैयार किया जाना भी जरूरी है क्योंकि यह संबंधित एजेंसियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। यदि यह आयोग देश में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए लागू सभी स्कीमों के लिए केंद्रीय समन्वय एजेंसी बनने का दायित्व उठा तो माहौल में निश्चित तौर पर सुधार आएगा।

(iv) भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने 41 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में क्रेडिट प्रवाह में वृद्धि के लिए बैंकों के लिए सामान्य निदेश जारी किए हैं। हालांकि बैंकों की क्रेडिट योजना के अधीन अल्पसंख्यकों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यकों को अधिक क्रेडिट उपलब्ध कराए जाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए **क्षेत्र विशेष में संभावित कार्यकलापों पर आधारित उपयुक्त बैंकिंग योजना तैयार की जानी चाहिए**। इस बैंकिंग योजना में, अन्य बातों के अलावा, अल्पसंख्यक समुदायों के लिए संबंधित जिलों में उनकी संख्या के अनुपात के आधार पर त्रैमासिक/वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। बैंकों से क्रेडिट सुविधाएं लेने के इच्छुक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के मार्गनिर्देशन और सुविधा के लिए विभिन्न कार्यकलापों संबंधी परियोजना प्रोफाइल तैयार करने के लिए एल डी एम कार्यालय स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। इस योजना को अंततः जिला स्तरीय क्रेडिट योजना के साथ मिला देना चाहिए।

(v) सरकार प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए ताकि विकास प्रक्रिया में उनकी पर्याप्त भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके।

(vi) एन एम डी एफ सी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विशेष तौर पर गठित किया गया संगठन है। यद्यपि निगम ने अपने प्रारंभ से ही लक्ष्य समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य काफी तेजगति से किया है तथापि यह अल्पसंख्यक समुदायों के परिवारों की कुल संख्या के केवल 1.60 प्रतिशत तक ही पहुंच पाया है। इसकी कुछ स्कीमें जैसे सीमांत धन स्कीम, शिक्षा ऋण स्कीम, महिला समृद्धि योजना और कुछ अन्य संवर्धनात्मक स्कीम अभी भी गति नहीं पकड़ पाई है। समग्र मुददे् पर फिर से विचार किए जाने की जरूरत है **निगम को अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए ठोस कार्रवाई करनी होगी**। निगम की समग्र निधि को बढ़ाकर कम से कम 1000 करोड़ रुपए किया जाना चाहिए तभी यह अल्पसंख्यकों में से अधिकाधिक पिछड़े वर्गों की सहायता करने का कार्य उचित प्रकार कर पाएगा। जिन राज्य सरकारों एन एम डी एफ सी की समग्र निधि में अपना अंशदान नहीं दिया है या अन्य लोगों/संगठनों द्वारा भी अल्पसंख्यकों के कल्याण में रूचि दिखाए जाने के कारण अपने नियत शेयर से कम अंशदान किया है उन्हें निगम की प्रदत्त शेयर पूंजी में उनका पूरा अंशदान करने के लिए समझाया जाना चाहिए। 1000 करोड़ रूपए की प्रदत्त शेयर पूंजी में कम पड़ने वाली राशि की भरपायी भारत सरकार को करनी चाहिए।

(vii) प्रत्येक राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करने और मार्गनिर्देशन देने के लिए अल्पसंख्यकों की केवल एक एस सी ए होना चाहिए। कुल 35 एस सी ए में से वर्तमान में राज्यों में केवल 12 विशिष्टतया अल्पसंख्यक विकास निगमों के तौर

पर कार्य कर रही है। ये 23 निगम जिन्हें मुख्यतया अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/महिलाओं के विकास के लिए या विशेष समूहों के लिए कार्य करने के अधिदेश के साथ स्थापित किया गया था एन एम डी एफ सी स्कीमों को लागू करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान नहीं कर सकते हैं। कुछ राज्यों में एक से ज्यादा एस सी ए भी हैं। एजेंसियों की भरमार से बचने के लिए प्रत्येक राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण स्कीमों के निरीक्षण के लिए केवल एक ही विकास एजेंसी कार्यरत होनी चाहिए। इस एजेंसी को समग्र अपेक्षित अवसंरचना और जिला स्तर पर पर्याप्त स्टाफ सहित कार्यालय मुहैया कराकर सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

(viii) विकास कार्यक्रमों के लाभों को अल्पसंख्यकों तक पहुंचाने में प्रमुख प्रेरक भूमिका निभाने वाली सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र की एजेंसियों का पता लगाया जाए और इन कार्यक्रमों का प्रचार करने के लिए उनसे परामर्श करके उपयुक्त ई आई सी सामग्री तैयार की जाए। इससे विभिन्न कार्यक्रमों में अल्पसंख्यकों की अधिकाधिक भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(ix) गरीब लोगों के छोटे-छोटे सदृश और सहभागी स्वयं सेवी समूहों को बनाना तथा विकसित करना आज मानव विकास का एक सशक्त साधन बन गया है। इस प्रक्रिया से निर्धन लोग विशेषकर गरीब परिवारों की महिलाएं अपने सामाजिक-आर्थिक परिवेश के परिदृश्य में अपनी समस्याओं का सामूहिक रूप से निर्धारण व विश्लेषण कर पाती हैं। इससे उन्हें अपने स्वल्प मानवीय व वित्तीय साधनों को साझा करने और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनका उपयोग करने की प्राथमिकता को निर्धारित करने में सहायता मिलती है। कुछ राष्ट्रीय स्तर संस्थान जैसे नाबार्ड, सिडबी और आर एम के तथा कुछ गैर-सरकारी संगठन जैसे आगा खां फाउंडेशन, सीआर एस, सीए एस ए स्वयं सहायता समूहों की संकल्पना को सभी संभव तरीकों से विकसित करने के कार्य में लगे हुए हैं। अल्पसंख्यक समुदायों के निर्धन लोगों को स्वयं अपने स्वयं सहायता समूह निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आयोग को अल्पसंख्यक समुदायों के रिहायशी स्थानों/पॉकेटों का निर्धारण करना चाहिए तथा अच्छे ट्रेक रिकॉर्ड वाले गैर-सरकारी संगठनों को उपर्युक्त संगठनों के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए।

(x) मुसलमानों में निरक्षरता और बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा है। उनमें से अधिकांश के बच्चे अपनी शिक्षा के लिए मदरसों पर आश्रित हैं। इसीलिए इस बात की अत्याधिक आवश्यकता है कि अधिक से अधिक मुसलमानों को रोजगारोन्मुख शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि वह बाहरी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। मदरसा प्रणाली का आधुनिक रूप देना भी बहुत जरूरी है। बालिकाओं के लिए विशेष तौर पर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इनमें से अधिकांश पारंपरिक व्यवसायों में लगे हैं जिनके कौशल का उन्नयन और अभिकल्प विकास किया जाना भी बहुत जरूरी ताकि निर्मित उत्पादों को बाजार उपयोगी बनाया जा सके। गरीबों के आर्थिक विकास के कार्य में लगे राष्ट्रीय स्तर के बहुत से संस्थान और गैर सरकारी संगठन बहुत से शैक्षणिक एवं कौशल/अभिकल्प विकास कार्यक्रम चला रहे हैं। अल्प संख्यक समुदाय के लोगों के हित के लिए ऐसे संगठनों के साथ आपसी सहयोग की व्यवस्था इन लोगों तक पहुंच बनाने का स्थायी व कारगर उपाय है।

अनुबंध: 4.5

अध्ययन	**:**	**V**
विषय	**:**	**धार्मिक अल्पसंख्यकों के बच्चों की महत्वाकांक्षाओं और वृत्ति (कैरियर) संबंधी योजनाएं**
एजेंसी	**:**	**अनुसंधान, आयोजना और कार्य योजना केन्द्र (सी ई आर पी ए), नई दिल्ली**

यह अध्ययन सर्वेक्षण प्रपत्रों के सेट के आधार पर किया गया है। कुल मिलाकर विद्यार्थियों के बीच 1007, शिक्षकों के बीच 101 और संकाय-अध्यक्षों/संस्थानों के अध्यक्षों के बीच 7 साक्षात्कार किए गए। यह सर्वेक्षण दिल्ली के लगभग 50 संस्थानों में किया गया। 1007 विद्यार्थियों के समग्र प्रतिदर्श को अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को मिलाकर धार्मिक अल्प-संख्यकों के बीच बांट दिया गया।

सुझाव/सिफारिश

1. मूल्य आधारित शिक्षा

60 प्रतिशत विद्यार्थियों ने कहा कि उनके लिए नैतिक मूल्य ज्यादा महत्वपूर्ण हैं । यह अनुपात सामाजिक मूल्यों के पक्ष में 21 प्रतिशत तथा धार्मिक मूल्यों के पक्ष में 17 प्रतिशत था।

2. निष्पादन स्तर

निष्पादन स्तर के संबंध में, अधिकांश विद्यार्थी सबसे ज्यादा अपने माता-पिता से और तत्पश्चात् क्रमशः संस्थानों, अध्यापकों और मित्रों से प्रभावित थे। कुल मिला कर आर्थिक परिस्थितियां ही वे कारक थी जो निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही थीं। निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आर्थिक कारक अनुसूचित जन जातियों में 65% और अनुसूचित जातियों में 64% थे।

63 प्रतिशत विद्यार्थियों ने कहा कि आरक्षण उनके निष्पादन को प्रभावित करता है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों ने स्पष्टतः आरक्षण को अपने पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने वाला कारक माना जबकि सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों ने इसी आरक्षण को नकारात्मक विभेद करने वाला कारक कहा। हालांकि आरक्षण से सभी श्रेणियों के विद्यार्थियों का निष्पादन प्रभावित हो रहा था। धार्मिक अल्प संख्यक वर्ग के विद्यार्थियों ने भी इस बात की पुनः पुष्टि की।

3. वृत्ति के चयन में माता-पिता की भूमिका

81 प्रतिशत छात्र अपनी जीविका के चयन के संबंध में अपने माता-पिता से प्रभावित थे। यह अनुपात ईसाइयों में उच्चतर 91 प्रतिशत, सिक्खों में 90 प्रतिशत तथा मुसलमानों में 80 प्रतिशत था।

4. जॉब प्राप्त करने में आरक्षण की भूमिका

जहां तक जॉब प्राप्त करने में आरक्षण की भूमिका का संबंध है 27 प्रतिशत विद्यार्थियों ने कहा कि इससे रोजगार प्राप्त करने में सुविधा होती है। 13 प्रतिशत विद्यार्थियों ने कहा कि उन्हें सामान्य जॉब मार्केट में वरीयता मिलती है। इससे कुछ अधिक अनुपात के अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों ने कहा कि उन्हें जॉब मार्केट में वरीयता दी जाती है।

इसके विपरीत 37 प्रतिशत विद्यार्थियों ने कहा कि आरक्षण से उन्हें कोई सहायता नहीं मिली है। अधिकांश बौद्ध विद्यार्थियों का कहना था कि आरक्षण उनके लिए मददगार सिद्ध नहीं हुआ है।

केवल 14% विद्यार्थियों ने कहा कि अनुसूचित जातियों/जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के वर्तमान कोटे में से धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए अलग कोटा निर्धारित किया जाए। बौद्ध तथा मुसलमान विद्यार्थी वर्तमान कोटे में से धर्मवार कोटा निर्धारित किए जाने के लिए ज्यादा इच्छुक थे।

5. धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति चयन मंडलों की अभिवृत्ति

जिन विद्यार्थियों ने यह कहा कि चयन मंडल उनकी चयन प्रक्रिया में निष्पक्ष नहीं थे उनमें सर्वाधिक अनुपात बौद्ध विद्यार्थियों का था। इनमें से 36 प्रतिशत विद्यार्थियों ने कहा कि चयन मंडल आरक्षित कोटे/श्रेणी के उम्मीदवारों के हक में नहीं थे और अन्य 25% विद्यार्थियों ने कहा कि गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के प्रति उनका झुकाव ज्यादा था।

6. शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए विद्यार्थियों के सुझाव

विद्यार्थियों का सुझाव था कि निर्धन विद्यार्थियों में शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

7. शिक्षकों द्वारा दिए गए सुझाव

शिक्षकों का कहना था कि गरीब विद्यार्थियों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए समुचित वित्तीय सहायता प्रदान की जाए तथा सरकार सुदूर ग्रामों में रहने वाले विद्यार्थियों पर ज्यादा ध्यान दें।

शिक्षकों ने कौशलों में सुधार किए जाने, प्रवेश परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कराने, उपयुक्त मार्ग निर्देशन देने, सबसे निचले स्तर पर बेहतर सुविधाए उपलब्ध कराने, जीवन स्तर में सुधार करने, माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों पर अधिक ध्यान दिए जाने तथा आधुनिककरण की ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रदान किए जाने का भी सुझाव दिया।

अधिकांश शिक्षकों का मानना था कि धर्मवार या जाति-वार किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं किया जाना चाहिए। कुछ शिक्षकों ने यह भी कहा कि धर्म या जाति के आधार पर किया गया आरक्षण सामान्य तौर पर समस्त जन मानस के लिए और विशेष कर प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए अनिष्टकर हैं। उनका सुझाव था कि धार्मिक अल्पसंख्यकों/आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की भावना को बढ़ाना और उनके मस्तिष्क में सकारात्मक अभिवृत्ति के बीज बोना इस संदर्भ में एक उपयोगी दृष्टिकोण सिद्ध हो सकता है। अच्छी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा भी उनके अच्छे व सुरक्षित भविष्य का साधन बन सकती है।

कुछ शिक्षकों ने विशिष्ट आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों को वृत्ति संबंधी परामर्श देने का भी सुझाव दिया। सरकार को विद्यार्थियों के लिए तैयार किए गए कार्यक्रमों तथा उपलब्ध सुअवसरों के प्रति उनकी जागरूकता को तथा अनिवार्य अवसंरचना गत सहायता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए ताकि ऐसे विद्यार्थी उनके लिए तैयार की गई स्कीमों व कार्यक्रमों का पूरा-पूरा लाभ उठा पाएं

8. संकाय-अध्यक्षों और संस्थान के अध्यक्षों के विचार

विभिन्न संस्थानों के 7 संकाय अध्यक्षों में से 4 का कहना था कि धार्मिक अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोटा निर्धारित होना चाहिए। शेष इस तरह के आरक्षण के पक्ष में नहीं थे। विशेषकर उच्च तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रम करवाने वाले संस्थानों जैसे आई आई एम, आई आई टी व मेडिकल कॉलेजों में इस तरह के कोटे से सीटें आरक्षित किए जाने को विशेष तौर पर अस्वीकार कर दिया गया।

संकाय-अध्यक्षों/संस्थान अध्यक्षों का सुझाव है कि आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों के मूलभूत सिद्धांतों में प्रशिक्षण देने के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएं, वे कक्षा समाप्त होने के बाद के समय में भी शिक्षक-वर्ग से नियमित सम्पर्क बनाए रखें तथा उन्हें अतिरिक्त कोचिंग दी जाए जिससे उनको रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ेगी और वे सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा भी कर पाएंगे। उन्होंने नि:शुल्क शिक्षा व परामर्श देने का भी सुझाव दिया है।

अनुबंध 4.6

अध्ययन	**:**	**VI**
विषय	**:**	समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास में धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका
एजेंसी	**:**	हिमालयन रीज़न स्टडी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिल्ली

हिमालयन रीज़न स्टडी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 8 मदरसों, 8 गुरूकुलों, 5 मठों तथा 4 ईसाई धर्म-गोष्ठियों को मिलाकर कुल 25 शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिदर्श से यह अध्ययन किया।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:-

1. मदरसों, गुरूकुलों, मठों में सह-शिक्षा पद्धति नहीं है जबकि ईसाई धर्म गोष्ठियों में सह-शिक्षण की व्यवस्था है। जहां एक ओर संदर्भधीन मदरसे एवं मठ लड़कों के लिए थे वहीं गुरूकुलों में 25 प्रतिशत संस्थान लड़कियों के लिए तथा 75 प्रतिशत लड़कों के लिए था। इसके विपरीत 80 प्रतिशत ईसाई धर्मगोष्ठियों में सह-शिक्षण की व्यवस्था थी और केवल 20 प्रतिशत सिर्फ लड़कों के लिए थे।

2. कुल मिलाकर सभी प्रतिदर्श धार्मिक शिक्षण संस्थापन प्राथमिक स्तर से स्नात्तकोतर स्तर तक की उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान कर रहे थे। हालांकि मठों के मामले में समान शिक्षा के समान स्तर को स्थापित नहीं किया जा सका था।

3. शत-प्रतिशत मठों और अधिकांश मदरसों का किसी संस्थान/निकाय से संबंधन नहीं था। यद्यपि अधिकांश गुरूकुलों तथा ईसाई/संस्थानों से संबंधन था।

4. मठों और ईसाई धर्मगोष्ठियों की आय का प्रमुख स्रोत विदेशी अंशदान था जबकि मदरसों और गुरूकुलों की आय का मुख्य स्रोत संदान था।

5. मदरसों, गुरूकुलों, मठों, धर्मगोष्ठियों सभी के पास की अपनी इमारतें, छात्रावास और पुस्तकालयों की सुविधाएं और कक्षाओं, छात्रावासों में पंखों, शौचालयों, विद्युत और पीने के पानी आदि की अन्य सुविधाएं मौजूद थीं। जहां तक विभिन्न कक्षाओं के अलग-अलग बैठने की व्यवस्था और खेल के मैदानों का प्रश्न है अधिकांश प्रतिदर्श मदरसों के पास यह सुविधा नहीं थी।

6. इन शैक्षणिक संस्थानों ने अपने यहां प्रवेश के लिए कोई धार्मिक प्रतिबंध अधिरोपित नहीं किया था।

7. धार्मिक शैक्षणिक संस्थापनों की शिक्षा को बीच में ही छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 से 20 प्रतिशत के बीच थी। यह संख्या मदरसों व गुरूकुलों में सबसे ज्यादा तथा ईसाई धर्मगोष्ठियों तथा मठों में सबसे कम थी। विद्यार्थियों द्वारा मदरसों, धर्मगोष्ठियों तथा मठों को बीच में ही छोड़ देने का मुख्य कारण पारिवारिक समस्याएं थीं जबकि गुरूकुलों में इसका मुख्य कारण उपयुक्त परिवेश न मिल पाना था।

8. मठों में आने वाले शत-प्रतिशत विद्यार्थी गरीबी-रेखा से नीचे के थे तबकि धर्मगोष्ठियों में आने वाले शत-प्रतिशत विद्यार्थी गरीबी-रेखा से ऊपर रहने वालों में से थे। गुरूकुलों और मदरसों में गरीबी रेखा से नीचे के विद्यार्थियों की संख्या 69.1 से 90.2 प्रतिशत के बीच थी। मदरसों में यह संख्या सर्वाधिक 90.2 प्रतिशत तथा गुरूकुलों में सबसे कम 69.1 प्रतिशत थी।

9. प्रतिशत मदरसों में शिक्षक मुख्यतया धार्मिक शिक्षा (अर्थात् कुरान, हादिथ, तफ़्सीर, फ़िकह आदि) पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे। मठों में अध्यापक पारंपरिक मठ-शिक्षा मूलत: बौद्ध सिद्धांत सिखा रहे थे। कुछ मठों में अतिरिक्त विषय जैसे अंग्रेजी, हिन्दी और गणित आदि को शामिल किया गया था। ईसाई धर्मगोष्ठियों ने अपने पाठ्यक्रमों अंत:-शास्त्रीय विषयों को अधिक महत्व दिया था। गुरूकुलों में वेद, पुराण, वेदांत तथा उपनिषद्ों के अलावा अन्य अतिरिक्त विषयों यथा भाषा, समाजिक विज्ञानों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया था।

II. सिफारिशें

1. अधिकतर मदरसे आधुनिक विषयों को समय नहीं देते हैं। पाठ्यक्रम को सुधारने और उसका आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता निरन्तर महसूस की जा रही है किन्तु मदरसा की शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के सुधार से संबंधित अनेकानेक सम्मेलनों और सेमिनारों के बावजूद कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ है। ये सम्मेलन और सेमिनार इस प्रणाली में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में विफल रहे हैं। इसलिए, वर्तमान शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर और मदरसा शिक्षा के बुनियादी ढांचे में कोई फेरफार किए बगैर विद्यार्थियों को रोजगार योग्य बनाने के लिए किसी आधुनिक संस्था में तकनीकी और व्यावसायिक विषयों तथा कंप्यूटर शिक्षा सहित पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों को इसमें प्रारंभ किया जाना चाहिए।

2. मदरसा आधुनिकीकरण योजना शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वर्ष 1993-94 से लागू महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इसका मूल उद्देश्य अल्पसंख्यक शिक्षा को सुधारना और उसके मानक (स्तर) को सामान्य शिक्षा के बराबर लाना था। किन्तु, दुर्भाग्य से, इस स्कीम के मौजूदा पैरामीटरों से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। इसलिए, मौजूदा स्कीम को निकाल करके, सरकार को मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए सुगम्य कार्यनीति विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। इस संबंध में हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल जिलों में कुछ आदर्श मदरसों की स्थापना उसी प्रकार से की

जानी चाहिए जिस प्रकार केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई थी ताकि मदरसों में धार्मिक शिक्षा समाप्त करने के बाद छात्रों को आगे की शिक्षा के लिए इन्हीं विद्यालयों में दाखिले दिए जा सकें।

3. मदसरों में गणित, विज्ञान विषयों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए शिक्षकों को फिलहाल इस शिक्षण कार्य के लिए बहुत कम वेतन दिया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप, वे मदरसों में अधिक लम्बी अवधि तक अपनी सेवाएं जारी रखने को वरीयता नहीं दे सकते। भविष्य में, इससे मदरसों में छात्रों के अध्ययनों में रुकावट आ सकती है। इसलिए, मदरसों के विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों के हित के लिए, मदरसा शिक्षकों के वेतन को राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतनों के अनुसार संशोधित करने की आवश्यकता है।

4. इस तकनीकी युग में, सभी राष्ट्र अनेक सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान सभी विषयों के अंत:शास्त्रीय ज्ञान के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसलिए, पूरी शक्ति से यह सिफारिश की जाती है कि कभी धार्मिक शिक्षा संस्थानों को अपनी धार्मिक शिक्षा से फेरफार किए बगैर अंत:शास्त्रीय ज्ञान के विषयों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए।

5. शिक्षकों की शिक्षा एक सतत् प्रक्रिया है तथा इसके पूर्व सेवा और सेवारत घटकों को अलग-अलग नहीं किया जा सकता है। शिक्षकों के व्यावसायिक आधुनिकीकरण में, शैक्षिक संरचना, पाठ्यक्रम संबंधी ढांचे, संचालन संबंधी कार्यनीतियों, मूल्यांकन तकनीकों और प्रबंधन पद्धति में सुधार महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इसलिए, सभी धार्मिक शिक्षा संस्थाओं में उनकी शैक्षिक पद्धतियों में आद्योपांत सुधार करने के लिए उनमें शिक्षण और अनुदेश संबंधी तकनीकी की नई उन्नयन कार्यप्रणाली अपनाई जानी चाहिए। अत: शिक्षा को अधिक प्रयोजनमूलक बनाने के उद्देश्य से प्रथम कार्रवाई के रूप में उनके लिए यही सर्वोपरि है कि वे अपनी संस्थाओं में मौजूदा और भावी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक संसाधन समूह तैयार करें।

6. अनेक गुरूकुलों में विश्वविद्यालय अनदान आयोग (यू॰जी॰सी) के मान्यता प्राप्त विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम स्वीकार कर लिए गए हैं। किन्तु इन संस्थाओं में सेवारत शिक्षक बहुत कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं जबकि उनमें बहुत से शिक्षक काफी पढ़े-लिखे और प्रशिक्षत हैं। अत: यह सिफारिश की जाती है कि संचालन मंडल (गवर्निंग बॉडी)। प्रबंध समिति इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करें। यदि वे वित्तीय संकट के कारण अपने शिक्षकों के वेतनों को संशोधित करने की स्थिति में न हो तो उन्हें सरकार के पास जाना चाहिए तथा सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

अनुबंध : 4.7

अध्ययन	**:**	**VII**
विषय	**:**	धार्मिक अल्पसंख्यकों में कसौटी निर्धारिण और सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन की पहचान करना।
एजेंसी	**:**	बाबा साहिब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू, म॰प्र॰

सिफारिशें

1. धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए, उनके पिछड़ेपन की पहचान और संकेतकों के लिए मानदंड व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर तैयार किये जाने चाहिए किन्तु सामुदायिक स्तर पर नहीं।

2. प्रत्येक धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को उनके विशिष्ट मामलों और विकास संबंधी आवश्यकताओं के संदर्भ में प्रस्ताव करना चाहिए।

3. पारसियों को अपनी जाति के संरक्षण और परिरक्षण की अत्यधिक आवश्यकता थी। उनकी महत्वपूर्ण एवं क्रान्तिक आवश्यकता अपने समुदाय को लुप्त होने से बचाए रखने की थी। पारसियों के लिए, यह अपने उस अस्तित्व का संरक्षण और परिरक्षण या जो सर्वोपरि

प्राथमिकता बन गई ताकि उनकी नगण्य जनसंख्या संवद्धि को तत्काल रोका जा सके। इसलिए, सभी पारसी परिवारों की पहचान उनकी सामाजिक–जनांकिकी के संदर्भ में पिछड़ों के रूप में की जानी चाहिए।

4. पारसियों में प्रजनन शक्ति को बढ़ाने के लिए उपाय करने की आवश्यकता होगी। यह सिफारिश की जाती है कि धार्मिक संगठनों और पारसी धर्म के प्राधिकारियों को ऐसे उपाय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो इस संबंध में उनके समुदाय के लिए उपयुक्त और स्वीकार्य हो।

5. 65 वर्ष से अधिक आयु के पारसी व्यक्तियों के लिए आय के अवसरों का पता लगाया जाना चाहिए ताकि सामाजिक अलगाव, भय मनोविकृति और अकेलेपन के अवसाद से बचने के लिए वे व्यक्ति उपयुक्त कार्य पर लग सके जो परिवार में अकेले हैं और जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है।

6. पारसियों ने अपने सम्पूर्ण समुदाय के लिए ऐसे सरकार की सहायता की आशा नहीं की और यह भी स्पष्ट किया कि वे पिछड़ेपन के संबंध में अपने समुदाय के लिए संरक्षी विभेदीकरण की मांग नहीं करेंगे। किन्तु, यदि सरकार इनसे संबंधित समुदायों के पिछड़े व्यक्तियों परिवारों की सहायता करना चाहती है तो वे इसका स्वागत करेंगे। अत:उनकी बढ़प्पन का पूरा आदर करते हुए यह सिफारिश की जाती है कि पारसियों के लिए उपयुक्त सामाजिक नीति और व्यक्तिगत कानून बनाया जा सकता है।

7. अध्ययन दर्शाता है कि अधिकतर बौद्ध धर्मी धर्मपरिवर्तित अनुसूचित जातियों से संबंधित हैं। उनको पहले ही मान्यता दे दी गई है और उन्हें अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर लिया गया है। इसलिए अनुसूचित जातियों के सभी धर्म परिवर्तित बौद्ध धर्मियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया गया है, तथा बौद्ध धर्मियों में पिछड़ेपन की पहचान के लिए किन्हीं पृथक कसौटी और संकेतकों की आवश्यकता नहीं होगी।

8. धर्म परिवर्तित परिवारों में सामाजिक गतिशीलता बनाए रखने और इसके प्रोत्साहन के लिए, यह सिफारिश की जाती है कि उन्हें उनकी अनुसूचित जाति की हैसियत के अतिरिक्त, देश में अल्पसंख्यकों के लिए यथा उपबंधित और उनके लिए नियत विशेष सुविधाएं और संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

9. अध्ययन से पता चला कि अधिकतर ईसाई जिन्हें राज्य की संरक्षक विभेदीकरण नीति की आवश्यकता थी। धर्म परिवर्तित अनुसूचित जाति से संबंधित थे। उन ईसाइयों में जो धर्मपरिवर्तित अनुसूचित जनजाति के थे, उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में होने का विशेष लाभ मिलने लगा। यह सिफारिश की जाती है कि ईसाई धर्म में परिवर्तित अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को भी अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित सूची में अनुसूचित जनजाति के रूप में अपनी हैसियत बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके लिए संविधान में आवश्यक संशोधन करने की आवश्यकता होगी।

10. सिखों मे पिछड़े वर्गों से संबंधित प्रमुख समस्या आय के अवसरों की कमी और उनके परमपरागत कौशलों को उन्नयन न होना था। वे सामाजिक पहचान को महत्व देते थे। सिखों में पिछड़ेपन के मानदंड और संकेतकों को अलग–अलग किया जा सकता था, एक धर्म परिवर्तित अनुसूचित जनजाति के लिए और दूसरा उनमें आर्थिक रूप से गरीब के लिए।

11. सिखों से धर्म परिवर्तित अनुसूचित जनजातियों को, अनुसूचित जनजातियों के लिए नियत लाभ एवं विशेष सुविधाएं प्राप्त होने लगी है अत: सिखों में जो धर्म परिवर्तित परिवार समुदाय हैं उनका सामाजिक व आर्थिक पिछ़डेपन की पहचान उनकी अनुसूचित जनजाति की पहचान से निर्धारित करनी प्रारंभ की जाए। गैर धर्मपरिवर्तित व्यक्तियों के लिए, उनकी पिछड़ेपन की पहचान करने का मानदंड गरीबी होना चाहिए।

12. मुसलमान धार्मिक समुदाय में सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ेपन वर्ग थे। उनके पिछड़ेपन का मुख्य कारण परमपरागत कलाकारों की निम्न प्रौद्योगिकीय उन्नयन निम्न विपणन कौशलों और कम ज्ञान आधारित व्यवसायो था।

13. अधिकतर मुस्लिम समुदायों को अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल कर लिया गया था अत: उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह सिफारिश की जाती है कि उन्हें उनकी ओ.बी.सी. की हैसियत के अतिरिक्त देश में अल्पसंख्यकों के लिए यथा उपबंधित और उनके लिए नियत विशेष सुविधाएं और संरक्षण दिया जाना चाहिए।

14. मुसलमानों में उनके जीवन स्तर में आ रही गिरावट मुख्यत: इस बात के कारण थी कि उनके परम्परागत कौशल आधुनिक प्रौद्योगिकी और बाजार की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थे। उनके लिए अपेक्षित निवेश आवश्यक प्रौद्योगिकीय निवेश परम्परागत कौशलों को उन्नयन और बाजार से संपर्क स्थापन आदि होगा।

15. यदि सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का निर्धारण धार्मिक अल्पसंख्यकों पर ध्यान दिए बिना सामूहिक विधि के बजाय, व्यक्तिगत स्तर पर अथवा पारिवारिक स्तर पर किया जाता तो निम्न मानदंड और सूचक अपनाए जा सकते थे:

    मानदंड : गरीबी

    संकेत : सभी बी.पी.एल. परिवारों को शामिल किया जाए

16. अनुच्छेद 15(4) जिसमें यह उल्लेख है कि ''इस अनुच्छेद में अथवा अनुच्छेद 29 के किसी भी खंड 2 में निहित किसी बात से राज्य को सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े किसी वर्ग के नागरिकों की उन्नति के लिए अथवा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोका जा सकेगा'' को इस प्रकार संशोधित किया जाना चाहिए कि: ''इस अनुच्छेद में अथवा अनुच्छेद 29 के किसी भी खंड 2 में निहित किसी बात से सरकार को सामाजिक या शैक्षिक रूप से अथवा आर्थिक रूप से पिछड़े किसी वर्ग के नागरिको की उन्नति के लिए अथवा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोका जा सकेगा''।

17. जिन व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म की तरह ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म अपना लिया है, उनके लिए सरल विकल्पों में से एक विकल्प अनुसूचित जाति की हैसियत प्रदान करना होगा। किन्तु ऐसी कार्रवाई का गहरा प्रभाव पड़ सकता है। विशेष क्षेत्रों में सर्वव्यापी स्वरूप की जाति ने धर्म का भी परित्याग कर दिया है किन्तु फिर भी प्रकटत: ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म में जाति को मान्यता नहीं दी जाती है। अत: यदि जाति आधारित मानदंड को चुना जाता, तो इससे धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों के लिए नकारात्मक सामाजिक गतिशीलता उत्पन्न हो सकती थी।

    धर्म परिवर्तित करने वाले ऐसे व्यक्तियों की सामाजिक गतिशीलता से भारतीय समाज के सार्वभौमीकरण के संबंध में विकास की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अत: यह सिफारिश की जाती है कि उनकी जाति आधारित अक्षमताओं के कारण उन्हें वास्तविक रूपये से पिछड़े समाज की हैसियत में लाने की बजाय, इस प्रकार पता लगाए गए समुदायों/परिवारों को ''कम सशक्त'' के रूप में नामित किया जाना चाहिए।

18. अनुसूचित जाति/अ.जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों की मौजूदा सूचियों के अतिरिक्त ''कम सशक्त'' समुदायों/परिवारों की एक पृथक सूची बनाई जानी चाहिए।

19. धार्मिक अल्पसंख्यकों को पृथक प्रकृति और प्रमुख धर्म से उनके सांनिध्य के कारण, अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए अपनाया जा रहा मानदंड अपर्याप्त्व और अनुपयुक्त होगा तथा उससे सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को पहचान करने में गैरप्रभावकारिता उत्पन्न हो सकती है।

    इसलिए, अन्य पिछड़े/वर्गों की पहचान के लिए अपनाया गया मानदंड, संकेतक और कार्यप्रणाली को धार्मिक अल्पसंख्यकों में से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों/श्रेणी की पहचान के लिए नहीं अपनाया जाना चाहिए।

20. धार्मिक समुदायों में से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने से संबंधित समुदायों का और भी विभाजन एवं विखंडन हो सकता है। अत: धार्मिक अल्पसंख्यकों में पिछड़े और गैर पिछड़ों का वर्गीकरण करने के बजाय, यह उपयुक्त होगा कि ऐसे परिवारों / व्यक्तियों की पहचान की जाए जिन्हें उनके विकास और कल्याण के लिए निर्धारित किए गए कार्यक्रमों और योजनाओं के लाभ देने के लिए प्राथमिकता दी जा सके।

21. निजीकरण और उदारीकरण की चुनौतियों का सामना कर रहे वर्तमान विश्वव्यापी समाज पर बाजारी ताकतों का दबदबा है, भूमि एवं शारीरिक श्रम सहित, परम्परागत आर्थिक स्थापनाओं को निम्न प्राथमिकता दी गई तथा इन्हें कम उत्पादक समझा गया। अत: शिक्षा और ज्ञान पर आधारित रोजगार अवसरों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा इनसे अधिक लाभ उठाए जाएं।

    निष्पादन, स्कूल छोड़ने (ड्राप आउट) तथा व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों से नामांकन तथा रोजगार के अवसरों और सेवाओं के संबंध में शिक्षा की गुणवत्ता और आर्थिक हैसियत के बीच संयोजनों को शैक्षिक-आर्थिक पिछड़ेपन की पहचान करने के लिए एकीकृत मानदंड के रूप में अपनाया जा सकता है। इस प्रकार का मानदंड अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि ज्ञान के वर्तमान क्षेत्र में समाज के निष्पादन स्कूल छोड़ने तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन पर आधारित शिक्षा से संबंधित आय तथा व्यय के मध्य संयोजन अधिक संगत होगा।

22. धार्मिक अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान करने में प्रथम और सर्व प्रमुख समस्या किसी व्यक्ति की उसके किसी विशेष अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बद्ध होने का कानूनी और प्रशासनिक तौर पर पता लगाना है क्यों कि किसी व्यक्ति के उसके किसी धार्मिक समुदाय से संबंधित होने का पता लगाने के लिए कोई प्रमाणपत्र / प्रपत्र अथवा कोई कार्य विधि नहीं है।

    किसी धार्मिक समुदाय से सम्बद्ध होने की वर्तमान हैसियत की जानकारी जनगणना के समय किसी व्यक्ति द्वारा दिखाई गई इच्छा पर आधारित है जहां किसी विशेष धर्म समुदाय से संबंधित किसी व्यक्ति के सम्बद्ध होने का सत्यापन करने के लिए कोई प्रमाण नहीं मांगा जाता है। धर्म परिवर्तन के मामलों में, धार्मिक पुजारी / प्राधिकारी संबंधित धर्मों में नवागन्तुकों के बारे में सभी संगत सूचना युक्त कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न पुजारियों / धार्मिक प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रपत्र और प्रमाणपत्रों के कालम एक समान नहीं है।

    इसलिए, यह सिफारिश की जाती है कि धार्मिक प्रमाणपत्र का एक जैसा प्रपत्र तैयार करवाकर संबंधित धार्मिक अल्पसंख्यकों के सभी अनुयायियों को परिवार स्तर पर जारी कर दिया जाना चाहिए।

संलग्नक : 4.8

अध्ययन	**:**	**VIII**
विषय	**:**	**भारत में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की शैक्षिक स्थिति**
एजेंसी	**:**	**टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई।**

सिफारिशें

1. अल्पसंख्यकों से संबंद्ध विकास का मुद्दों पर वर्ग संदर्भों में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक संदर्भों में भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अल्पसंख्यकों में सांस्कृतिक स्वतंत्रता की आवश्यकता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि वर्ग स्वतंत्रता होती है।

2. अल्पसंख्यकों को सभांगी यूनिट के रुप में नहीं समझा जाना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय में विषमता को भी स्वीकार किया जाना चाहिए तथा नीतियाँ बनाते समय इसे ध्यान में लाया जाना चाहिए।

3. उन स्थितियों में सर्वाधिक विरोध हुए हैं जिनकी व्यवस्था ठीक नहीं रही हैं अथवा जहां अधिकार तथा सम्पत्ति को जातीय/धार्मिक समुदायों में अनुचित ढंग से वितरित किया गया है। अत: विरोध को रोकने का सर्वोत्तम तरीका ऐसी राजनैतिक व्यवस्थाओं को बढ़ावा देना है जिनमें सभी वर्गो (समूहों) को समान अधिकार देकर उचित प्रतिनिधित्व हो। सार्वजनिक संस्थाओं को अधिकार और सम्पत्ति का साम्यापूर्ण वितरण सुनिश्चित करना चाहिए और सभी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाओं से प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यह अल्पसंख्यक समुदायों को राष्ट्रीय संसाधनों, योजनाओं और कार्यक्रमों में सुगम और प्रभावी पैठ सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसका अर्थ है कि —

(क) प्राधिकारियों (जैसे अधिकारी तंत्र और विद्यालय प्रबंधन) सेवा प्रदाताओं यथा शिक्षकों में कोई भेदजनक मनोवृत्ति नहीं हानी चाहिए।

(ख) सार्वजनिक संस्थाओं/संसाधनों की गुणता को बेहतर करना होगा ताकि उसे अल्पसंख्यकों के लिए कार्यात्मक और संगत समझा जाए।

4. अल्पसंख्यक वर्गो की महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही महिलाओं की शैक्षणिक उपलब्धियों में विशेष रुप से कमी आती जारही है। ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

5. अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम बनाते समय शैक्षिक उपलब्धियों की विषमता को ध्यान में लाया जाना चाहिए। कार्यक्रमों का उद्देश्य जैन और ईसाइयों सहित अल्पसंख्यक समुदायों में उच्चतर शिक्षा (माध्यमिक और इससे ऊपर की शिक्षा) को बढ़ावा देने का होना चाहिए।

6. मुसलमानों और बौद्ध अनुयायी समुदायों के शैक्षिक उत्थान के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

7. अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी नीति निर्धारण आदर्शवादी और नेक प्रतीत होता है: तथापि, इन नीतियों के कार्यान्वयन के लिए अधिक प्रतिबद्धता और ध्यान देने की आवश्यकता हैं।

8. शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति में यथा संवर्धित क्षेत्रीय गहन योजना अति आशावादी योजना है। क्षेत्रीय गहन योजना और मदरसा आधुनिकीकरण योजना का दो घटकों वाली एक योजना में विलयन निश्चय ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर भी इससे गुणवत्ता वाली शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और मौजूदा राजनैतिक परिवेश से ध्यान परिवर्तित करने में सहायता मिल सकती है, तथा मदरसों के आधुनिकीकरण से संबंधित घटक पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है जिनकी पहुंच सीमित है।

9. इसकी व्याख्या मदरसा शिक्षा के संबंध में नकारात्मक टिप्पणी के रुप में नहीं की जानी चाहिए। मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम सामुदायिक संसाधनों का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करती है, समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करती है और पहुंच से बाहर सही सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद करती है। लेकिन मदरसा आधुनिकीकरण की योजना की अति सावधानीपूर्वक समीक्षा की जानी चाहिए। मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना पर जोर दिया जाना चाहिए, जिसे राज्य के प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जोडा जाना चाहिए। शिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता का मानीटरन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि इससे मदरसा के परिणाम के आधार पर आगे की शिक्षा के लिए नामांकन करना सुविधाजनक हो। तथापि, पंजीकरण का कार्य मदरसों पर नहीं थोपा जाना चाहिए और मदरसों को बोर्ड से जोड़ने का स्वैच्छिक प्रयास रहना चाहिए।

10. अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान (एम ई आई) सामान्य शिक्षा के साथ समुदाय सांस्कृतिकोन्मुखी शिक्षा को एकीकृत करने का भी अवसर प्रदान करता है। से संस्थाएं अल्पसंख्यक वर्गो के लिए एक विशिष्ट सांस्कृतिक वातावरण तैयार करने के साथ-साथ शैक्षिक प्रक्रियाओं के बाधक सामाजिक सांस्कृतिक विशिष्ट गतिरोधों से बाहर आने में भी उनकी सहायता कर सकती हैं। लेकिन अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाएं संदेह के वातावरण में कार्य कर रही हैं। आवश्यकता इस बात की है कि अल्पसंख्यकों को विश्वास अपनेपन का वातावरण मुहैया कराया जाए तथा उन्हें अपने समुदाय को बेहतर बनाने की कार्रवाई में शामिल किया जाए। किसी भी सार्वजनिक संस्था (अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं सहित) में न्यूनतम जांच एवं सतर्कता वांछनीय होती है तथा ये कार्रवाई कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए किए जाने वालों उपायों के साथ साथ की जा सकती है। तथापि, किसी शैक्षिक संस्था (अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं सहित) की प्रबंधकीय रुपरेखा की संमीक्षा सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए। शैक्षिक संस्थाओं की प्रबंधकीय बॉडी में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक रुचि रखने वाले व्यक्तियों को ही होना चाहिए। ऐसे किसी व्यक्ति को प्रबंधकीय निकाय में नहीं होना चाहिए जिसे उथली राजनीति में रुचि है।

11. यद्यपि, अल्पसंख्यकों के लिए उत्साहवर्धक समुदायोन्मुखी संस्थाए है, फिर भी अल्पसंख्यकों के लिए वृद्ध समाज में भी भागीदारी के अवसर रहने चाहिए। अत: विद्यालय जैसी सार्वजनिक संस्थाओं को अधिक अल्पसंख्यक अनुकूल वातावरण विकसित करना चाहिए।

उदाहरण के लिए, शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ में सामुदायिक सदस्यों की नियुक्ति, शैक्षिक संस्थाओं में संस्कृति विशिष्ट प्रतीकों का प्रदर्शन, तथा दिन-प्रतिदिन के नेमी कार्यों में सांस्कृतिक अपेक्षाएं को स्थान देना और यूनीफॉर्म की व्यवस्था करने से विद्यालयों में समुदाय से बेहतर नामांकन सुनिश्चित होगा। ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए जिससे अल्पसंख्यक विद्यालय में अपने स्वीकरण की भावना महसूस करें।

12. सामान्य शैक्षिक संस्थाओं में अल्पसंख्यकों के आरक्षण से सहायता मिल सकती है किन्तु यह कार्य सावधानी से करना होगा क्यों कि इससे राजनैतिक जोड़-तोड और प्रतिक्रियाए उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे कार्य से व्यापक समाज के सदस्यों में अल्पसंख्यक विरोधी भावना भी जागृत हो सकती है। कोई नीति तैयार करने से पहले आरक्षण मामलों के संबंध में जोरदार सार्वजनिक डिबेट की आवश्यकता होती है।

संलग्नक : 4.9

अध्ययन	**:**	**IX**
विषय	:	भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक-परिस्थितिपरक विश्लेषण
एजेंसी	:	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुम्बई।

सिफारिशें

1. चूँकि विभिन्न समुदायों में न्यूनतम लिंग अनुपात (प्रति हजार पुरुषों पर महिलाएं) सिख समुदाय में देखा गया है, अत: यह सुझाव दिया जाता है कि उनमें इस लिंग अनुपात को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं। इस संबंध में महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर करने के साथ-साथ समुदाय में लिंग संबंधी पक्षपात हटाकर और देश में महिलाओं के प्रति रूझान में परिवर्तन लाकर आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

2. जैसा कि अध्ययन से पता चला है कि धार्मिक समुदायों में मुसलमानों की किशोर (0-14) वर्ष, की जनसंख्या सर्वाधिक दशाई गई है तथा कार्य करने वालों (15-59 वर्ष) के व्यक्तियों की संख्या सबसे कम दशाई गई है। जिसके परिणाम स्वरूप अन्य धार्मिक समुदायों की तुलना में इस समुदाय में उच्चतम निर्भरता अनुपात है। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि समुदाय के संबंधित सदस्यों का (15-59) आयु वर्ग में कार्यकत जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि करने के प्रयास करने चाहिए क्यों कि इससे मुसलमानों की मौजूदा सामाजिक-आर्थिक हैसियत में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

3. विवाह की कानूनी आयु से कम आयु में विवाहित महिलाओं की बड़ी तादाद सापेक्षिक रूप से हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध अनुयायी और अन्य समुदायों में पाई गई है। इसके अतिरिक्त, बाल विवाह का प्रतिशत भी इन धार्मिक समुदायों में सापेक्षिक रूप से ऊंचा पाया गया है। इसलिए, यह सिफारिश की जाती है कि इन समुदायों के महत्वपूर्ण सदस्यों विशेषत: नेताओं को 18 वर्ष से ऊपर की आयु में बालिकाओं की शादी करने के लाभों के सबंधं में शिक्षा देने के प्रयास करने चाहिए।

4. इसके अतिरिक्त, धार्मिक समुदायों में, 'अन्य' तथा मुसलमानों की साक्षरता दर सम्पूर्ण देश के कुल 64.8 प्रतिशत के प्रति काफी हतोत्साही पायी गयी हैं। (उनका प्रतिशत मान क्रमश: 47 और 59.1 प्रतिशत हैं।) 'अन्य' और मुसलमानों के मामले में महिला साक्षरता दर भी अन्य धार्मिक समुदायों के लिए प्राप्त समरुपी मानों की तुलना में अपेक्षाकृत निम्न पाई गई है ('अन्य' के मामले में महिला साक्षरता दर 33.2 प्रतिशत थी, जबकि मुसलमानों के लिए यह 50.1 प्रतिशत थी)

5. इसके अतिरिक्त, धार्मिक समुदायों के अनुसार दिए गए शैक्षिक स्तर से संबंधित आंकड़े बताते है कि जहां तक माध्यमिक स्तर और इससे ऊपर के स्तर तक शिक्षित व्यक्तियों के अनुपात का संबंध है, मुसलमानों के लिए न्यूनतम प्रतिशत (8.6) पाया गया तथा यह संभवत: मुस्लिम बच्चों के प्राइमरी स्तर के बाद स्कूल छोड़ने की उच्च दर के कारण है। ये निष्कर्ष इस बात के सूचक हैं कि विशेषत:

उपर्युक्त धार्मिक समुदायों में अर्थात विशेषत: 'अन्य' और मुसलमानों, तथा सामान्यत: बाकी समुदायों के लिए साक्षरता और शिक्षा प्राप्ति दर को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है ताकि इन समुदायों के व्यक्तियों का उत्थान किया जा सके तथा इस संबंध में निम्नलिखित कार्यनीतियों का सुझाव दिया जाता है:—

(i) अपने समुदायों में उच्च विश्वसनीयता रखने वालो धार्मिक नेताओं को अपने समुदायों में अनुकूल शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

(ii) शिक्षा को प्रचलित करने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा नि:शुल्क पुस्तकें और लेखन सामग्री तथा मध्याह्न भोजन आदि जैसे शैक्षिक प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं।

(iii) इन समुदायों के सदस्यों में संस्थागत शिक्षा के बारे में जानकारी देने के प्रयास किए जाने चाहिए।

(iv) मुस्लिमों के लिए स्वदेशी विद्यालय और कॉलेजों को अपने पाठ्यक्रमों में धर्म निरपेक्ष विषय जोड़ने के लिए उदारता से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(v) सामान्यत: अल्पसंख्यक धर्मिक समुदायों और विशेषत: मुस्लिम, बौद्ध अनुयायी और ईसाईयों में प्राइमरी स्तर के बाद विद्यार्थियों के पढाई छोड़ने की उच्च दरों को देखते हुए, यह सिफारिश की जाती है कि छात्रों के माता-पिताओं/संरक्षकों को अपने बच्चो को विद्यालयों और कॉलेजों से न निकलने के लिए प्रेरित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

(vi) रोजगार परक शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के पुरुष और महिलाओं के लिए उपलब्ध कराए जाने चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम उनकी आजीविका कमाने में और उनकी सामाजिक-आर्थिक हैसियत में सुधार लाने में सहायक होंगे।

6. सम्पूर्ण पाठ से यह स्पष्ट है कि सामान्यत: धार्मिक अल्पसंख्यक और विशेषत: मुस्लिम तथा बौद्ध अनुयायी उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्ति के संबंध में सबसे पिछड़े हुए है। इसका एक कारण संभवत: शिक्षा की अपेक्षाकृत ऊंची लागत का होना हो सकता है जिसे अधिकतर माता-पिता वहन करने में असमर्थ होते हैं। इसके अतिरिक्त, माता-पिताओं का रुढिवादी रवैया और उच्चतर शिक्षा में बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने का कारण हो सकता हैं। अत: यह सुझाव दिया जाता है कि उच्चतर शिक्षा प्राप्ति की लागत के आम व्यक्ति के लिए वहन योग्य बनाया जाना चाहिए। यही नहीं, धार्मिक अल्पसंख्यकों के पात्र और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उच्चतर शिक्षा कुछ रियायतों पर और प्रोत्साहन देकर उपलब्ध कराई जा सकती है। उच्चतर शिक्षा दिलाने की सुविधाएं छात्र और छात्राओं के लिए सुगमता से उपलब्ध कराई जाएं।

7. धार्मिक अल्पसंख्यकों के माता-पिताओं को शिक्षा के पक्ष में अपने रवैये बदलने और अपने बच्चों, विशेषत: बालिकाओं को उच्चतर शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

8. कुल मिलाकर, अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के सशक्तीकरण के लिए, यदि इन धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के नेता शिक्षा आर्थिक उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक और सुविधाजनक कदम उठाएं और अपने समुदाय के व्यक्तियों के विकास के अवसरों में अधिकतम वृद्धि करने के लिए देश की रचनात्मक गतिविधियों में भाग ले तों यह अति सार्थक होगा।

9. सामान्यत: अल्पसंख्यकों और विशेषत: मुस्लिमों और बौद्ध अनुयायियों की प्राइमरी शिक्षा के जिस कार्य योग्य योजना बनाने की आवश्यकता है ताकि उनकी आसन्न सामाजिक आर्थिक आवश्यकताएं पूरी की जा सकें और शिक्षा की मांग तथा शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न करने के उद्देश्य से उनकी शिक्षण शीलता में भी सुधार किया जा सके जो कि इस समय की परम आवश्यकता है।

संलग्नक: 5

आयोग द्वारा प्रायोजित कार्यशालाओं के निष्कर्ष और सिफारिशें

संलग्नक: 5.1

कार्यशाला	:	**10.01.2006**
विषय	:	**गैर लाभान्वित पारसियों से संबंधित मुद्दे**
एजेंसी	:	**टाटा समाज विज्ञान संस्थान, मुम्बई**

(i) उद्देश्य

सामाजिक और आर्थिक रूप से गैर सुविधाप्राप्त पारसियों की पहचान करने के लिए मानदंड का सुझाव देना, पारसियों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के कल्याण के लिए उपायों की जिसमें शिक्षा तथा सरकारी रोजगार में आरक्षण भी शामिल है, की सिफारिश करना; तथा पारसी समुदाय से संबंधित सिफारिशों के कार्यन्वयन के लिए यथा अपेक्षित आवश्यक संवैधानिक, विधिक और प्रशासनिक रीतियों का सुझाव देना।

(ii) निष्कर्ष/सिफारिशें

1. निम्न प्रजनन से पारसी जनसंख्या प्रभावित हुई है तथा नई चिकित्सीय प्रजनन तकनीकें आई वी ई आदि अत्यधिक खर्चीली हैं जिन्हें केवल धनी व्यक्ति ही वहन कर सकते हैं। इसलिए पारसी समुदाय को सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रजनन और पुनरूत्पादक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराकर उनकी सहायता करने के उपाय किए जाने चाहिए।

2. पारसियों के ग्रामीण और शहरी दोनों समुदायों में गरीबी की स्थिति, उनकी जीवन शैली, कार्य पद्धति और आकांक्षाओं के बारे में सूचना प्राप्त करना, इनके द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की प्रकृति और विस्तार के सही आंकलन करने के लिए पर्याप्त आंकड़े एकत्रित किए जाने चाहिए।

3. पारसी समुदाय के विशिष्ट संदर्भ में आर्थिक दृष्टिगोचरता को पुन: परिभाषित करने की विशेष आवश्यकता है।

4 पारसियों का समुदाय बहुत छोटा होने के कारण इनके लिए विशेष तौर पर विरोष आरक्षण/प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होगी क्यों कि अन्य विभिन्न वृहद श्रेणियों के लिए बहुत आरक्षण या जिसके कारण छोटे समुदायों के लिए अलाभकर स्थिति उत्पन्न हुई है।

5. मूलत: पारसियों द्वारा धन प्रदत्त संस्थाओं में शैक्षिक सीटों के लिए इस समुदाय को वरीयता दी जानी चाहिए।

6. शिक्षा में आरक्षण के बजाय सरकार से वित्तीय सहायता की नीति से गुणवत्ता से समझौता किए बगैर पात्र और मेघावी छात्रों के हितों की बेहतर सहायता हो सकती है।

7. उनकी नियोजकता से सुधार लाने के लिए मानव संसाधनों को पर्याप्त रूप में और व्यावहारिक रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इसके लिए संस्थाओं में कुछ सीटों का आबंटन,जिनसे कैरियर सुनिश्चित हो, किया जाना आवश्यक है।

8. प्रवासी पारसियों को भारत में वापस आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन की व्यवस्था में मदद करने के लिए सरकार की मध्यस्थता की आवश्यकता है जैसा कि यह अन्य समुदायों में हो रहा है।

9. सामान्य पारसी अस्पतालों को अन्य समुदायों के गरीबों की देखभाल करने का भार नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ये अस्पताल जरूरतमंद पारसियों को पहले से ही नि:शुल्क चिकित्सा प्रदान कर रहे हैं।

10. पारसी समुदाय में असंगतियां दूर करने और लिंग संबंधी न्याय के लिए पारसी विवाह और संबंध विच्छेद अधिनियम, 1936 का गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसकी उन निर्णयों के मौजूदा रूझान के अनुसार पुन: जांच की जानी चाहिए जिनसे देश में अन्य समुदायों में महिलाओं के साथ बेहतर व्यवहार सुनिश्चित किया जा रहा है।

11. यघपि सह-समांशिता अधिकारों के तहत अजन्मा हिन्दू बच्चा भी हिन्दू कानून के तहत् संरक्षित होता है, किन्तु पारसी बच्चे के माता-पिता के अलग होने पर उसको सम्मति के मामले में ऐसा कोई स्वत: अधिकार या संरक्षण नहीं मिलता है।

12. अप्रजननता और समुदाय में बच्चों की कमी को देखते हुए दत्तक लेने की व्यवस्था की कमी पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

13. राज्य सरकार को पारसी कृषकों के लिए सुलभ ऋणों की मंजूरी देनी चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्षेत्र के अन्य उघोगों में भी सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाता है ताकि पर्यावरणी निम्नीकरण और कृषि पर इसके प्रतिकूल प्रभाव से बचा जा सके।

14. दहानू के पारसी लोगों को, जिनमें से (80%) चीकू वृक्षरोपण और बागवानी के माध्यम से कृषि में लगे हुए थे, दहानू में रिलायंस थर्मल पावर परियोजना द्वारा उत्पन्न पर्यावरणी प्रदूषण के कारण का भारी नुकसान हो रहा था। घटती हुई उपज और परिणामी वित्तीय नुकसान दहानू से पारसियों के बड़े पैमाने पर पलायन करने के लिए जिम्मेदार रहे हैं।

15. ग्रामीण गरीबों के लिए बेहतर शिक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन के अतिरिक्त, उनके आर्थिक उत्थान के लिए उपयुक्त रोजगार और उद्यम के लिए उपाय किए जाने चाहिए।

16. समुदाय में प्रजनन संवर्धन की सहायता करने के लिए सरकार को सब्सिडी/निशुल्क क्लीनिक खुलवाकर सहायता करनी चाहिए।

17. मानव संसाधनों को बढ़ाने के लिए उच्चतर शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के पारसी वित्त पोषित या उनकी सहायता से चल रहे संस्थानों में पारसी युवाओं को सीट उपलब्ध करायी जा सकती है।

18. पारसियों की जनांकिकी और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी समस्याओं को समझने के लिए, अध्ययन/अनुसंधान किया जाना चाहिए।

19. पारसी हितों की सुविधा के लिए राज्य के अल्प संख्यक आयोग में आवश्यकता होने पर एक पारसी प्रतिनिधि नामित किया जाना चाहिए।

20. कृषि के कॉलिजों और विश्वविघालयों में पारसी कृषकों के बच्चों के दाखिलों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

21. अल्पसंख्यकों के विशेषत: सम्पत्ति और भूमि अधिक्रमण से संबंधित हितों के संरक्षण के लिए संवैधानिक अधिकार होने चाहिए, जिन्होंने इन समुदायों के व्यक्तियों और प्रयासों दोनों को प्रभावित किया है। पुलिस या राज्य से कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी।

22. अल्पसंख्यक आयोग को जनगणना आयोग से यह अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके पास उपलब्ध आंकड़ों का प्रयोग करके पारसियों पर एक विशेष अद्यतन मोनोग्राफ तैयार करें जैसा कि वर्ष 1961 की जनगणना के लिए किया गया था।

23. पारसी समुदाय की विशेष आवश्यकताओं के अनुकूल लघु उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण और निधि उपलब्ध कराने के लिए अल्पसंख्यक आयोग को अल्पसंख्यक वित्त निगमों जैसी सुविधाओं की योजनाएं बनानी चाहिए।

संलग्नक

24. अल्पसंसख्यक आयोग को किराया अधिनियम की फिर से जांच करनी चाहिए तथा विधिक तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए सिफारिश करनी चाहिए कि जो व्यक्ति निश्चित स्तर से अधिक आय प्राप्त करते हैं, वे धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए विकसित और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए बनाए गए आवास को नहीं अपनाते हैं, जैसाकि इस समय हो रहा है तथा ट्रस्ट विलेख का उल्लंघन करके दानकर्ता की इच्छा को पूरा नहीं किया जाता है।

25. अल्पसंख्यक आयोग को समुदाय की पूंजी परिव्यय विशेषत: भू-सम्पत्ति की अधिक्रमण से सुरक्षा करने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना करनी चाहिए।

26. अल्पसंख्यक आयोग को यह सुनिश्चित करने के लिए भी सहायता करनी चाहिए कि ऐसे पारसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के बाद, जिसमें नगर/राष्ट्र को विकसित करने के लिए कार्य किया है, रखे गए सड़कों और संस्थाओं के मौजूदा नामों को भेद प्रकट करके परिवर्तित नहीं किया जाता है और अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित कुछ सुविधाएं अपने समुदाय से बाहर विवाह करने वाली पारसी महिलाओं के बच्चों के लिए भी दी जानी चाहिए, भले ही उनका समुदाए उन बच्चों को पारसी बच्चों के रूप में पहचानने में विफल हो।

27. अल्पसंख्यक आयोग को संस्कृति मंत्रालय से बहरोट गुफाओं के परिरक्षण के लिए सिफारिश करनी चाहिए जोकि पारसियों का एक तीर्थस्थल है, और जहां बिजली तथा पानी की आपूर्ति का अभाव है एवं इस तक पहुंचने के लिए उचित सड़क मार्ग नहीं हैं।

28. अल्पसंख्यक आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सरकारी योजनाएं विशेषकर वे योजनाएं जो केवल गैर सुविधा प्राप्त व्यक्तियों के लिए हैं, पारसी व्यक्तियों को दी जाती हैं।

29. अल्पसंख्यक आयोग को संसद और राज्य की विधानसभाओं में, विशेषत: महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य सभाओं में, तथा जिला परिषदों, समितियों और पंचायतों जैसी स्थानीय सरकार निकायों में पारसियों के प्रतिनिधित्व की सिफारिश करनी चाहिए।

संलग्नक: 5:2

कार्यशाला II : 17.02.2006

विषय : गैर लाभान्वित सिखों से संबंधित मुद्दे

एजेंसी : भारतीय सामाजिक संस्थान, नई दिल्ली

(i) उद्देश्य

सिखों में सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के विस्तार की जांच करना; सिख समुदाय में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान करने के लिए मानदंड का निर्धारण करना, तथा सिख समुदाय में उन व्यक्तियों के विकास और कल्याण के लिए उपायों का सुझाव देना जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हैं।

(ii) निष्कर्ष/सिफारिशें

1. अल्पसंख्यक वर्गों के लिए कानून के प्रभावी कार्यान्वयन, जाति भेद से जुड़े मामलों की शीघ्रता से जांच तथा सीमांत वर्गों को नि:शुल्क कानूनी सहायता आदि ऐसे कदम हैं जो मानव अधिकार उल्लंघन के उन्मूलन के लिए उठाए जाने चाहिए।

2. केन्द्र सरकार को पंजाब से बाहर रह रहे सिखों के लिए संरक्षी उपाय करने चाहिए ताकि वर्ष 1984 के दंगों को देखते हुए जान और माल दोनों सहित उनकी भौतिक असुरक्षा को कम किया जा सके।

3. बढ़ती हुई भ्रूण हत्या और बच्चों में गिरते हुए लिंग अनुपात पर सख्त कानूनी कार्रवाई और माता-पिताओं में संवेदीकरण और जागरूकता उत्पन्न करने के कार्यक्रमों के माध्यम से ध्यान दिया जाना चाहिए। 'जत्थेदार' को बालिका शिशुवध प्रथा रोकने में मदद करनी चाहिए जोकि एक सामाजिक बुराई है।

4. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सिख घर्म को स्वीकार करने वाले अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को आरक्षण लाभ सकारात्मक कार्रवाई और सामाजिक-आर्थिक तथा राजनैतिक सशक्तीकरण के एक भाग के रूप में दिए जाने चाहिए। सिख बहुल राज्यों, (अर्थात् उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में) की राज्य विधान सभाओं में सिखों को आरक्षण देने केलिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए।

5. सामाजिक-आर्थिक रूप से गरीब सिखों के लिए अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के संसाधनों का आवंटन अलग से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

6. कृषि और असंगठित क्षेत्र में बहुतायत को लगे हुए अनुसूचित जाति के सिखों के व्यवसायों की विविधीकरण के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। सीमांतक सिखों में उद्यमवृत्ति को वित्तीय सहायता, कौशल विकास, प्रबंधन और विपणन प्रशिक्षण आदि के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

7. पर्याप्त ऋण/क्रेडिट दिए जाने चाहिए और बैंकों को पीड़ादायक ऋण वसूली और किसानों के उत्पीड़न को रोकने के लिए संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

8. जहां किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन अधिनियम के तहत् भूमिका अर्जन किया जाता है, वहां इसकी प्रतिपूर्ति मौजूदा बाजार दर पर तत्काल की जानी चाहिए।

9. बीमार उद्योगों के लिए बीआईएफआर जैसे कृषि प्रयोजनों से लिए गए ऋण की अदायगी में किसी चूक की स्थिति में, छोटे और सीमांतक किसानों के लिए कृषि क्षेत्र के ऋण की समस्या के निपटारे के लिए ऋण समाधान बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए।

10. राज्य सरकार को शिक्षा को सर्व व्यापक बनाने के लिए दसवीं कक्षा तक के दलित सिख बच्चों और सभी बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए तथा उन्हें गुणवत्ता की शिक्षा दिलाने के लिए कदम उठाने चाहिए।

11. उच्चतर शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, सरकार को अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नए विश्वविद्यालय खोलने के लिए पहल करनी चाहिए।

12. सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों की नवजात बालिका और उसकी माता को प्रसव (डिलीवरी) के कम से कम 2 वर्ष तक नि:शुल्क चिकित्सा सेवाएं मुहैया करानी चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्य की स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए तथा ये सुविधाएं उन व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए जो निजी स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं।

13. कृषि क्षेत्र का पुनरूद्धार करने के लिए अतिरिक्त निवेशों के अतिरिक्त, न्यूनजल व्यापक फसलों, जल संरक्षण, मृदा-संरक्षण, उचित कृषि पद्धतियों के संवर्धन आदि पर और इस क्षेत्र को खाद्य संसाधन उद्योगों से जोड़ने के लिए जोर दिया जाना चाहिए। कृषि उत्पादों की बेहतर कीमतें निर्धारित की जानी चाहिए।

14. सतत् कृषि विकास के लिए वैकल्पिक 'जैविक खेती' के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता लाना अपेक्षित है। छोटे और सीमांतक किसानों पर प्रारंभिक बोझ को हल्का करने के लिए, राज्य सरकार को इसके लिए वित्तीय सहायता देनी चाहिए।

15. संविधान के 73 वें और 74 वें संशोधन में विचार किए अनुसार राजनैतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने के लिए, अनुसूचित जाति के सिखों और महिलाओं के क्षमता सृजन के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

16. सिख अनुसूचित जातियों में पिछड़ेपन के स्तर को समझने और जिम्मेदार घटकों की पहचान करने के लिए क्षेत्र आधारित अनुसंधान अध्ययन प्रारंभ किए जाने चाहिए।

संलग्नक 5.3

कार्यशाला III	:	**25.03.2006**
विषय	:	**गैर लाभान्वित बौद्ध अनुयायियों से संबंधित मामले**
एजेंसी	:	**याशादा, पुणे**

(i) उद्देश्य

देश में बुद्धिस्टों की सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक प्रोफाइल पर चर्चा करना। बुद्धिस्टों के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार घटकों और उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अपेक्षित उपायों का पता लगाना; बुद्धिस्टों और पिछड़े वर्गों के विकास के लिए मौजूदा पैरामीटर तथा कल्याण उपायों का विहंगावलोकन करना; तथा बुद्धिस्टों में सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़ों का पता लगाने के मानदंड पर चर्चा।

(ii) निष्कर्ष/सिफारिशें

1. बुद्धिस्टों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करना।
2. बुद्धिस्टों की व्यावहारिक समस्याओं का अध्ययन करने और उनके सम्पूर्ण विकास के उपाय का सुझाव देने के लिए एक आयोग की स्थापना की जा सकती है।
3. राज्य में बुद्धिस्टों के सही निर्धारण के लिए महाराष्ट्र में बुद्धिस्टों की जनगणना की समीक्षा की जानी चाहिए।
4. नवागन्तुक बुद्धिस्टों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भूमि वितरण और सरकारी भूमि के स्वामित्व प्रदान करने के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए।
5. जनजातीय बुद्धिस्टों में प्राइमरी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए क्योंकि ये व्यक्ति अधिक समय तक एक स्थान पर नहीं ठहरते हैं।
6. सरकार की कल्याण नीतियों की समीक्षा करके अच्छी तरह कार्यान्वित किया जाना चाहिए।
7. ग्राम समुदाय के भू संसाधनों का उपयोग सार्थक रोजगार उत्पन्न करने वाले और घरेलू के साथ–साथ विदेशी बाजारों के लिए विपणन योग्य अधिशेष कृषि उत्पादनों में वृद्धि करने के लिए किया जाना चाहिए जिसके द्वारा कमजोर वर्गों, विशेषत: ग्रामीण–क्षेत्रों में बद्धिस्ट समुदाय को आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके।

अनुबंध 5.4

कार्यशाला	:	**27/28.03.2006**
विषय	:	**भाषाई अल्पसंख्यक**
एजेंसी	:	**भारतीय भाषाओं का केन्द्रीय संस्थान मैसूर**

(i) उद्देश्य

देश में समग्र रूप में और विभिन्न राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यकों की स्थिति बताना और उनके लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों की नीतियां प्रस्तुत करना, भाषाई अल्पसंख्यकों के जातीय आन्दोलनों प्रवास आदि से संबंधित समस्याएं, यह पता लगाने के लिए कि भाषा

सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का अवधारक हो सकती है, भाषा और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के मध्य संबंध की खोज करना भाषाई अल्पसंख्यकों में पिछड़ों की पहचान करने के लिए मानदंड विकसित करने की आवश्यकता पर विचार करना, तथा कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए शामिल की जाने वाली सिफारिशों की संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करना।

(ii) निष्कर्ष/सिफारिशें

1. संक्रियात्मक प्रयोजनों के लिए ''भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय'' शब्द को भाषाई अल्पसंख्यकों के संभाव्य प्रकारों के सचित्र उदाहरणों की सहायता से स्पष्टत: परिभाषित किया जाना चाहिए। इस प्रकार की परिभाषाएं विधान बनाने, यदि अपेक्षित हो, और सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए कानून में संवीक्षा करने के प्रयोजनार्थ पर्याप्त समझी जाएगी।

2. भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़ेपन की पहचान के लिए प्रयुक्त मानदंड वही होना चाहिए जिसे पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए प्रयोग में लाया गया था तथा इसमें यह जोड़ा जाना चाहिए कि भाषाई अल्पसंख्यकों में ऐसे व्यक्तियों को अधिक पिछड़ों के रूप में माना जाए जो बहुसंख्यक भाषा नहीं जानते हैं।

3. भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अपनाये गए कल्याण उपाय यह स्थापित किए जाने पर ही किए जाने चाहिए कि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की मांग की गई है जहां उनकी भाषाओं को शामिल नहीं किया गया है, और जब शामिल किया गया है, तब उन भाषाओं को सांकेतिक सहायता ही मिली है।

4. प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को बहुभाषायी अल्पसंख्यकों की सूची बनाकर, जिसमें उनकी जनसंख्या और पोकेटों/ग्रामों की बसावट सहित क्षेत्रीय फैलाव को निर्दिष्ट किया गया हो, राज्य में जनसंख्या का बहुभाषिक प्रोफाइल मुहैया कराना चाहिए तथा उन स्थितियों के निवारण के लिए, जो पिछड़ेपन का कारण हैं, सरकार या किसी अन्य निकाय द्वारा अपनाई गई कार्रवाइयों के प्रभाव पर नियमित फीडबैक देना चाहिए।

5. भाषाई अल्पसंख्यकों में शिक्षा दृश्य विधान के सतत् मूल्यांकन/ मोनीटरन आवश्यक है जिनके लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के साथ-साथ केन्द्र सरकार में विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की जा सकती है।

6. प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए, जनगणना आयुक्त को उन छोटे समुदायों से संबधित ऑकड़े उपलब्ध कराने चाहिए जिनकी जनसंख्या 10,000 से कम है ताकि उनकी संख्या पर ध्यान दिए बिना सकारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जा सके।

7. प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यक को उनकी भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए उदार समर्थन दिया जाना चाहिए।

8. अत्यधिक भाषाई-अल्पसंख्यकों के विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को अल्पसंख्यकों की भाषा जाननी चाहिए तथा ऐसे रोजगारों में अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले व्यक्तियों को वरीयता दी जाए। बहुसंख्यक समुदायों को अल्पसंख्यकों की भाषाएं और रीति-रिवाजों से परिचित होने का एक अवसर दिया जाना चाहिए।

9. आरक्षण के लाभ केवल एक श्रेणी के अंतर्गत ही उपयुक्त रूप से दिए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य के रूप में रियायत का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें भाषाई अल्पसंख्यक कोटा के तहत रियायत नहीं दी जानी चाहिए। उन राज्यों में जहां कुछ समुदायों को अनुसूचित जाति के रूप में सूची बद्ध किया गया है, जब कि वैसी ही स्थिति के अन्य समुदायों को सूची में शामिल नहीं किया गया है, वहां सूची में शामिल न किए गए उन व्यक्तियों को भाषाई अल्पसंख्यक विधान के अंतर्गत लाभ देने के लिए विचार किया जा सकता है।

10. स्वदेशी भाषाई अल्पसंख्यक जो गैर प्रवासी प्रकार के हैं और जिनकी भाषाएं एक समूह में मौखिक संप्रेषण तक ही सीमित हैं, उन्हें अपनी भाषाओं के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस कार्यकलाप के लिए संसाधन-सामग्री के आबंटन और तकनीकी ज्ञान के रूप में सरकारी सहायता मिलनी चाहिए।

11. राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यक बनाने वाले अंतर्राज्यीय प्रवाक्षी श्रमिकों को अपनी मातृभाषा और संस्कृति संवर्धन की सुविधा के लिए शैक्षिक अवसर दिए जाएं।

संलग्नक : 5.5

कार्यशाला	:	**31.07.2006**
विषय	:	**''आरक्षण नीति–प्रभाव निर्धारण''**
एजेंसी/स्थान	:	**जे॰ एन॰ यू॰, नई दिल्ली**

(i) उद्देश्य

आरक्षण संबंधी संवैधानिक उपबंधों और न्यायिक निर्णयों की जांच करना, स्वतंत्रता के बाद से आरक्षण नीति में किए गए परिवर्तनों का अध्ययन करना; शैक्षिक संस्थाओं और सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण नीति के प्रभाव का निर्धारण करना; तथा आरक्षण नीति द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और समस्याओं को बताना।

(ii) निष्कर्ष सिफारिशें

1. छोटे बच्चों को स्कूल जाने के लिए आकर्षित करने हेतु योजनाएं होनी चाहिए तथा स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की आवश्यकता है ताकि गैर–लाभान्वित समूहों के विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों से प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ हो सकें। वित्तीय सहायता एवं अन्य संबद्ध उपायों में वृद्धि की जानी चाहिए क्यों कि इसके सर्वाधिक स्पष्ट परिणाम दिखाई देते हैं।

2. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों में उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जाना चाहिए। इसके लिए, वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

3. सुविधा वंचन उनेक रूपों में है तथा यह वर्ग, जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग जैसे घटकों से जुडा है। चूंकि आरक्षण नीतियों के माध्यम से सभी प्रकार के गैर लाभान्वित व्यक्ति लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अन्य प्रकार की साकारात्मक कार्रवाईयों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। आरक्षण के बजाय वंचित वर्ग को महत्व देना वांछनीय है। इससे सर्वाधिक वंचितों (गरीबों) को लाभ प्राप्त होगा और इस प्रकार से योग्यता के मामलों में समझोता किए बिना वंचित वर्गों की प्रत्येक श्रेणी में से क्रीमी लेयर को अलग किया जा सकेगा।

4. शास्तियों की मौजूदा पद्धति (उन संस्थाओं की निधि में कटौती करना जो आरक्षण के अधिदेश का पालन नहीं करती हैं आदि) के स्थान पर प्रोत्साहन पद्धति रखना बेहतर होगा जो विविधता के एजेंडा का अनुसरण करने के पक्ष में प्रोत्साहित करें और सकारात्मक भावना का सृजन करें।

5. संस्थाओं को विभिन्न जातियों और समुदायों में से अभ्यर्थी लाने के लिए अपने स्वयं का ढ़ाचा और नीतियां विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। नीतियों का मानकीकरण असहायक है और इससे अधिक प्रतिद्वन्दता और विरोध उत्पन्न होते हैं। इसलिए, यह वाँछनीय है कि लक्ष्य निर्धारित किए जाएं और इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संस्थाओं को अपनी स्वयं की नीतियां इजात करने की स्वतंत्रता हो।

6. शैक्षिक संस्थाओं में दाखिलों के लिए अर्हताएं कम करना आवश्यक हो सकता है। किन्तु संस्थाओं को अपने कट–ऑफ प्वाइंट नियत करने में समर्थ होना चाहिए। विभिन्न समूहों के विद्यार्थियों में मौजूदा भेदभाव को न्यूनतम् करने के लिए और उसे दूर करने के लिए डिग्री प्रदान करने में अंकों को कम करना समाप्त करने की भी आवश्यकता है।

7. सभी नीतियों का उद्देश्य मौजूदा हानियों और भेदभावों के उन्मूलन का होना चाहिए। इसलिए भले ही प्रवेश के मुद्दे पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता हो किंतु विशेष कार्यक्रम यथा स्थान वही होने चाहिए ताकि विद्यार्थी के उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं में डिग्री प्राप्त करके इसको छोड़ते समय तक इस अन्तराल को दूर किया जा सके।

8. गैर सुविधा प्राप्त समूहों के विद्यार्थियों के कौशल संवर्धन के लिए विशेष निधि व्यवस्था और लघुअवधि कार्यक्रम तैयार करना अपेक्षित होगा। उपचारी पाठ्यक्रमों के रूप में ऐसे कार्यक्रम जो कि डिग्री कार्यक्रम के साथ-साथ चलते हैं, अधिक प्रभावी नहीं हैं तथा इनके प्रति विद्यार्थी आकर्षित नहीं होते हैं उच्च कोटि की शिक्षा के लिए इन कार्यक्रमों के स्थान पर छुट्टी समय के दौरान कौशल संवर्धन कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएं।

अनुलग्नक: 5.6

कार्यशाला VI : 10-08-2006

विषय : सुविधावंचित ईसाईओं से संबंधित मुद्दे

एजेंसी/स्थान : सी ई आर पी ए, नई दिल्ली

(i) उद्देश्य

दूसरे धर्मों के अल्पसंख्यकों की तुलना में ईसाईयों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्तर का तुलनात्मक विश्लेषण; ईसाईयों के कुछ वर्गों के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार कारक और उनके सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्तर में सुधार करने के लिए अपेक्षित उपाय; कमजोर वर्ग के ईसाईयों के विकास के लिए मौजूद कार्यक्रमों और उनके कल्याण संबंधी उपायों का अवलोकन करना और इनके तीव्र विकास के लिए उपाय सुझाना; ईसाईयों के कल्याण और उत्थान के लिए सामुदायिक प्रयासों और मध्यक्षेप और अभीष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में उनकी उपयुक्तता को प्रलेखबद्ध करना; धर्म-परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपनाने वाले अनुज्जाति के व्यक्तियों को अनुज्जाति का दर्जा दिए जाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना।

(ii) निष्कर्ष/सिफारिशें

1. भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 2.3 प्रतिशत ईसाई हैं, इनमें से 34 प्रतिशत शहरों में रहते हैं। लगभग 60 प्रतिशत ईसाई पांच राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु, नागालैंड, मेघालय और आंध्र प्रदेश में रहते है। 40 प्रतिशत ईसाई 20 जिलों में रहते हैं जिनमें से 5 जिलों -एर्नाकुलम, कोट्टायम, कन्याकुमारी, त्रिमूर और तिरूवनंतपुरम, में ईसाईयों की जनसंख्या सबसे अधिक है।

2. अन्य धर्मों के अल्पसंख्यकों की तुलना में ईसाईयों में साक्षरता दर (80%) सबसे अधिक है और यह राष्ट्रीय साक्षरता दर (65 प्रतिशत) से भी अधिक है। सामान्यत: ईसाई सेवा क्षेत्र में नियोजित हैं किंतु नागालैंड, मेघालय में रहने वाले ईसाई कृषि से संबंधित कार्य भी करते हैं।

3. ईसाई अपने स्वास्थ्य के बारे में अधिक सतर्क होते हैं और वे अधिक तन्दुरूस्त होते है। समग्र विश्लेषण से यह पता चलता है कि स्वास्थ्य के मामले में जैन धर्म को मानने वाले सबसे आगे हैं, उसके बाद ईसाई और फिर सिक्ख तथा बौद्ध आते हैं। औसत आधार पर स्वास्थ्य की दृष्टि से मुसलमानों का स्तर अपेक्षाकृत निम्न होता है।

4. ईसाईयों की प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति व्यय भी सबसे अधिक है।

5. मुसलमानों और सिक्खों की तुलना में ईसाई समुदाय में बेरोजगारी भी काफी कम है।

6. यद्यपि ईसाई समुदाय में गरीबी रेखा से नीचे के पंजीकृत परिवारों का प्रतिशत अन्य सभी धर्मों के अल्पसंख्यकों में ऐसे परिवारों के औसत प्रतिशत से थोड़ा अधिक है, फिर भी मुसलमान और सिक्खों की तुलना में यह काफी कम है।

7. महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के कुछ चुनिंदा शहरों में सी ई आर पी ए द्वारा किए कए नमूना सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि ईसाई, मुसलमान और सिक्ख तथा बुद्ध धर्म को मानने वाले गरीब परिवारों की सामाजिक-आर्थिक विशेषताएं कुछ सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के संबंध में सामान्यत: एक समान हैं।

8. यदि भिन्न-भिन्न सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं के संबंध में औसतन धार्मिक वर्गों की तुलना अनु॰ जाति/अनु॰ जनजाति वर्ग की सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं से की जाए तो अधिकांश सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों, अर्थात् आय, शिक्षा और आवास आदि के संबंध में अनु॰ जाति/अनु॰ जनजाति का वर्ग कमजोर दिखाई पड़ता है।

9. यदि पिछड़ापन और गरीबी धर्म से परे हैं तो यह माना जाएगा कि दलित-वर्ग सहित सभी गरीब अपने धर्म को ध्यान में रखे बिना राज्य द्वारा दी जाने वाली सहायता के पात्र हैं।

10. सर्वेक्षण से प्राप्त डाटा से यह पता चलता है कि लगभग सभी धर्मों के प्रत्यार्थियों ने शिक्षा, रोजगार और ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान करके विभिन्न धार्मिक समुदायों के उत्थान की आवश्यकता पर बल दिया है।

11. यद्यपि ईसाई-धर्म में जाति-प्रथा को नहीं माना जाता है, फिर भी देश के अधिकांश भागों में ईसाईयों में जाति-प्रथा का प्रचलन है ।ईसाई नेता बार-बार यह तर्क देते आए हैं कि धर्म परिवर्तन से समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन नहीं होता है।

अनुलग्नक: 5.7

कार्यशाला VII : 18/19.08.2006

विषय : ऐसे लोगों को अनुसूचित दर्जा देना जिन्होने ईसाई और इस्लाम धर्म परिवर्तन किया है।

एसेंसी/स्थान : टाटा समाज विज्ञान संस्थान, मुम्बई

(i) उद्देश्य

दलित मुसलमान और दलित ईसाईयों में सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के स्तर की जांच करना; दलित ईसाईयों और मुसलमानों के बीच सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का वर्गीकरण करने के लिए विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और अन्य मानदंडों का निर्धारण करना; विभिन्न जातियों और समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने और हटाने से संबंधित संवैधानिक उपबंधों और कानूनों की जांच करना; अनुसूचित जाति की सूची में जातियों और समुदायों को शामिल करने का निर्धारण करने के लिए विभिन्न पणधारियों (stakeholders) के पक्ष पर विचार करना और संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के पैरा 3 में संशोधन यदि कोई हो, करना।

(ii) निष्कर्ष सिफारिशें

1. धर्म परिवर्तन करते हुए ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने से इसलिए वंचित रखा गया है क्योंकि सिख और बुद्ध धर्म का उद्भव हिंदू धर्म से ही हुआ है जबकि ईसाई-धर्म और इस्लाम का उद्भव भारत से बाहर हुआ है। तथापि, यह तर्क बहुत अधिक मान्य नहीं है क्योंकि मांग इस बात की है कि जाति से संबंधित समस्याओं से निपटा जाए जो कि धर्म-परिवर्तन के बावजूद ज्यों की त्यों विद्यमान हैं और संसद अधिनियम 1990 का 15 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि धर्म-परिवर्तन से किसी व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां नहीं बदलतीं।

2. कुछ अपवाद स्वरूप मामलों को छोड़कर, धर्म-परिवर्तन करके ईसाई और मुस्लिम धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को अब भी उसी रूप में पहचाना जाता है जैसा कि हिंदू धर्म छोड़ने से पहले उन्हें पहचाना जाता था। साफ-सफाई जैसे दूषित और मलिन कार्य, जैसे सफाई करना, झाड़ू लगाना आदि, करने वाले लोगों को धर्म-परिवर्तन के बाद भी उसी रूप में पहचाना जाता है जैसे कि धर्म-परिवर्तन के पहले जाना जाता था। वे अभी भी जाति प्रथा से पीड़ित हैं और अत्यधिक सामाजिक एवं आर्थिक विसंगतियों और शैक्षिक पिछड़ेपन को झेल रहे हैं जैसा कि पहले से मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति के लोग झेल रहे हैं।

3. जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और हाल ही में धर्म परिवर्तन करके ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाले लोगों को आरक्षण में उनका हिस्सा और अन्य लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए और साथ ही उन्हें शामिल किए जाने से मौजूदा हिंदुओं और अनुसूचित जातियों के लाभ भी कम होने चाहिए।

4. धर्म–परिवर्तन करके ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाली अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सही प्रतिशत निर्धारित करने की अत्यधिक आवश्यकता है। ऐसा अनुमान है कि इस समय धर्म–परिवर्तन करके इस्लाम धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 8 प्रतिशत है और ईसाई धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 1 प्रतिशत है। कुल मिलाकर ये भारत की जनसंख्या का लगभग 9 प्रतिशत हैं। इन समुदायों को यदि अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाता है और बाद में ये अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण कोटे से बाहर हो जाते हैं तो जनसंख्या का एक बड़ा प्रतिशत (अर्थात् 9 प्रतिशत) अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण कोटे से बाहर हो जाएगा और अनुसूचित जाति के आरक्षण कोटे में शामिल हो जाएगा, जिससे वर्तमान अनुमान के अनुसार ये विद्यमान 15 प्रतिशत से बढ़कर 24 प्रतिशत हो जाएगा।

5. धर्म–परिवर्तन करके ईसाई धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को यदि अनुसूचित जाति की विद्यमान सूची में शामिल किया जाता है तो इनमें अपेक्षाकृत अधिक शिक्षित व्यक्तियों को मौजूदा आरक्षण का पर्याप्त लाभ होगा, इस तर्क का बेहतर समाधान यह हो सकता है कि अनुसूचित जातियों के 24 प्रतिशत आरक्षण में से इनके लिए कोटा निर्धारित किया जाए। दूसरे शब्दों में, अनुसूचित जाति के 24 प्रतिशत कोटे में से 15 प्रतिशत कोटा पहले से मान्यताप्राप्त अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित किया जाए, 8 प्रतिशत कोटा धर्म–परिवर्तन करके इस्लाम धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के लोगों के लिए और 1 प्रतिशत कोटा धर्म–परिवर्तन करके ईसाई–धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के लोगों के लिए निर्धारित किया जाए।

6. धर्म–परिवर्तन करके ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा स्वयं को अनुसूचित जाति की मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष करने का एक कारण विशेष संरक्षण विधियों, जैसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, के अधीन संरक्षण प्राप्त करना है और उनके अनादर न होने देने तथा उन पर होने वाले अनगिनत अत्याचारों से स्वयं को बचाना है।

7. मौजूदा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का नाम बदलकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के धर्म–परिवर्तित व्यक्ति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम रख दिया जाए।

8. धर्म–परिवर्तन करके ईसाई और इस्लाम धर्म को अपनाने वाले अनुसूचित जाति के लोगों में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए और अन्य संबद्ध मुद्दों के लिए अलग समिति गठित की जाए जिसमें इस विषय से संबंधित विशेषज्ञ शामिल किए जाएं। धर्म–परिवर्तन कर ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए जाने का निर्णय लेने के बाद समिति द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट पर इस प्रकार की कार्यशाला में चर्चा की जाए।

अनुलग्नक: 5.8

कार्यशाला VIII : 29/30.08.2006

विषय : पिछड़ेपन को राजनीति से अलग करना – वैकल्पिक दृष्टिकोण

एजेंसी/स्थान : दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

(i) उद्देश्य

धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के स्तर की जांच करना; सामान्य रूप से पिछड़े वर्गों और विशेष रूप से धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के निर्धारण के लिए मानदंड प्रस्तावित करना; और धार्मिक तथा भाषायी अल्प–संख्यकों के बीच सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विकास और कल्याण के लिए उपायों और सकारात्मक कार्रवाई करने का सुझाव देना।

(ii) निष्कर्ष सिफारिशें

1. स्वतंत्रता के कई वर्षों बाद भी वंचित समुदायों के अधिकांश लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं; जो ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यंत विकट परिस्थितियों में रह रहे हैं, जहां माध्यमिक शिक्षा तो क्या प्राथमिक शिक्षा की भी सुविधा नहीं है या गिने चुने लोगों को यह सुविधा प्राप्त है।

2. मंडल आयोग ने आवश्यक डाटा और साक्ष्य एकत्र करने के लिए विभिन्न विधियां और तकनीकें अपनाई हैं। इस आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने के लिए 11 मानदंड अपनाए हैं जिन्हें तीन प्रमुख शीर्षकों के, तहत वर्गीकृत किया गया है; सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक मानदंड। इन तीन वर्गों में प्रत्येक वर्ग के संकेतकों को अलग वरीयता दी गई थी। सामाजिक संकेतकों को 3 अंकों की वरीयता दी गई। शैक्षिक संकेतकों में प्रत्येक को 2 अंक दिए गए और आर्थिक संकेतकों में प्रत्येक को 1 अंक दिया गया था। इन अंकों को मिलाकर जिन जातियों के 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक बनते हैं उन्हें सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी जाति के रुप में सूचीबद्ध किया गया। इस प्रकार से निर्धारित मानदंड की आवधिक समीक्षा करना जरुरी है क्योंकि संकेतकों का मान बार-बार बदलता रहता है, इसके अलावा इनका आंकलन करना भी मुश्किल है।

3. मंडल आयोग द्वारा अपनाए गए मानदंड के अनुसार जातिगत वर्गों को वर्गीकरण का आधार बनाया गया है। इसके साथ एक अन्य मानदंड, विशेषकर आर्थिक मानदंड भी शामिल करने की आवश्यकता है।

4. मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत आधा रह गया है, इसके परिणामस्वरूप लाभकारी जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। किंतु इन सभी तर्कों का विरोध करते हुए सरकार ने बार-बार इस सूची में और अधिक जातियों को शामिल किया है। जब एक बार किसी जाति-वर्ग को इस सूची में शामिल कर लिया जाता है तो बाद में व्यावहारिक रुप से इसे सूची में से हटाया जाना संभव नहीं होता है। इसलिए इस पर पुनः जांच करने की आवश्यकता है।

5. वर्ष 1931 के जनगणना आंकड़ो के आधार पर मंडल आयोग का अनुमान है कि 3743 भिन्न भिन्न जातियों और समुदायों की कुल जनसंख्या (अनु॰ जाति और अनु॰ जनजाति को छोड़कर) में 54% पिछड़े हुए लोग हैं। वर्ष 1931 के बाद जाति-वार जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के वर्ष 1999-2000 के सर्वेक्षण के अनुसार देश की जनसंख्या का लगभग 36 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के मुसलमानों को निकालने से यह अनुपात कम हो कर 32 प्रतिशत हो गया है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन एफ एच एस) द्वारा वर्ष 1998 में एक सर्वेक्षण किया गया जिसके अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के गैर-मुसलमान समुदाय का अनुपात 29.8 प्रतिशत है। यद्यपि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रत्यर्थी के अपने वर्गीकरण पर आधारित है अथवा प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित है फिर भी ऐसा माना जाता है कि यह मामला भी राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मामले जैसा ही है। ऐसी परिस्थितियों में विश्वसनीय डाटा बेस की अनिवार्यता पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता है किंतु साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करते हुए बेहतर सकारात्मक कार्य-नीतियां तैयार की जा सकती है।

6. भिन्न-भिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए लाभान्वित होने वाले वर्गों का निर्धारण करने का मानदंड भिन्न-भिन्न है। कुछ लोग कार्यक्रम के उद्देश्यों के आधार पर आर्थिक मानदंड (उदाहरणार्थ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले) अपनाते हैं और कुछ जाति, स्त्री-पुरूष या आयु-सीमा को आधार बनाते हैं।

7. समाज के संपन्न वर्ग को आरक्षण से परे रखा जाना चाहिए। यदि पिछड़े वर्गों में से संपन्न वर्ग को अलग नहीं किया जाता है तो आरक्षण नीति के तहत दी गई रियायतें अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत केवल संपन्न वर्ग को ही मिलेगी, समाज के कमजोर वर्गों तक ये लाभ नहीं पहुंचेगा। यदि हम तमिलनाडु राज्य के पिछले पांच वर्ष के आंकड़े देखें तो अन्य पिछड़ा वर्ग के केवल संपन्न वर्ग को ही सभी तरह के लाभ मिले हैं। सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग (एम बी सी), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। वास्तव में जरुरतमंद लोगों को यह लाभ तभी मिलेगा जब संपन्न वर्ग को आरक्षण के लाभों से वंचित रखा जाए।

8. कोटा के विपरीत प्रतिबंधित दृष्टिकोण सही हो सकता है जिसमें सामूहिक विशिष्टताओं को शामिल किए बिना व्यक्तिगत या घरेलू विशिष्टताओं को महत्व मिलेगा। मॉडल साक्ष्य आधारित होना चाहिए और यह ग्रुप अलाम (डिस्एडवांटेज) जैसे जाति/ समुदाय,

लिंग, धर्म और निवास क्षेत्र (अर्थात् ग्रामीण/शहरी विकास) के चार प्रमुख आयामों का निराकरण करता है। विद्यालय के उस स्थान के आधार पर, जहां दसवीं कक्षा की परीक्षा ली गई थी, शहरी और ग्रामीण प्रत्यर्थियों का अलग से मूल्यांकन किया गया है। पिछड़ेपन के सामान्य संकेतकों के आधार पर क्षेत्रों को तीन ज़ोन में बांटा गया है। उच्चतर शिक्षा के संबंध में सापेक्ष पिछड़ेपन के स्वीकृत अनुभव अन्य संकेतकों के आधार पर जाति और समुदाय को प्वाइंट्स दिए गए है। इस मैट्रिक्स में लिंग कारक को भी स्थान दिया गया है जिसमें महिलाओं को उनकी अन्य विशिष्टताओं जैसे जाति और क्षेत्र के आधार पर अलग के प्वाइंट दिए गए हैं।

9. यद्यपि अन्य पिछड़ा वर्ग भी सूची में जातियों का निरंतर शामिल होना भी चिंता का विषय है। चूंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत आधा हो गया है इसलिए अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में से लाभान्वित होने वाली जातियों को निरंतर हटाया जाना चाहिए। किंतु सरकार लगातार सूची में जातियों को शामिल कर रही है। यह देखा गया है कि संभवत: भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पिछड़ेपन की मोहर लगाने की मांग की जाती है। जब एक बार कोई जाति-वर्ग आरक्षण की सूची में शामिल हो जाता है तो बाद में व्यवहारिक रूप से उसे सूची से हटाया जाना संभव नहीं होता है।

10. अन्य पिछड़ा वर्ग और गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीब लोगों को एक पिछड़ा वर्ग के रूप में माना जाना चाहिए।

11. विद्यालय स्तर की शिक्षा में अधिकाधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि उच्चतर शिक्षा में प्रवेश पा सके।

12. अनुसूचित जातियों को धर्मनिरपेक्षता के मानदंड के आधार पर पुन: सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और अल्पसंख्यक समुदायों के धर्मो को मानने वालों के लिए विशेष कोटा निर्धारित करने पर विचार किया जाए।

13. भिन्न भिन्न पिछड़े वर्गो के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की नीतियां होनी जरूरी है।

14. हाल ही में किए गए अध्ययन में ''कृषि से संबंधित कार्य करने वाली जातियां'' और ''अन्य'' या कृषितर पिछड़ी जातियां अर्थात् जिनके पास अपनी जमीन नही है किंतु वे दूसरों की जमीन पर काम करते है, श्रेणी का इस्तेमाल किया गया है।

15. पिछड़ेपन के मानदंड में निम्न सामाजिक स्तर निर्धनता, निम्न आय, शिक्षा और रोजगार में पिछड़ापन, भूमिहीनता और पारंमरिक कार्य करने वाली जातियों को शामिल किया जाना चाहिए।

16. निम्न प्रतिष्ठा वाले व्यवसायों में लगे व्यक्तियों में अधिक अंतर होता है।

17. पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए शैक्षिक पिछड़ापन महत्वपूर्ण मानदंड है।

18. जिन व्यक्तियों और परिवारों ने विनिदिष्टि विशिष्टताओं के आधार पर प्रगति की है और जिन्हें संपन्न वर्ग माना गया है उन्हें आरक्षण वर्गो की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। संपन्न वर्ग को अलग करने की पद्धति से वंचित लोगों को लाभ मिलेगा। इसे अनु॰ जाति, अनु॰ जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों पर भी लागू किया जाना चाहिए।

अनुलग्नक : 5.9

कार्यशाला IX : **02.09.2006**

विषय : **सुविधा वंचित मुसलमानों से संबंधित मामले**

एजेंसी/स्थान : **भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली**

(i) उद्देश्य

मुसलमानों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और व्यवसायिक स्थिति पर चर्चा करना; शैक्षिक और सरकारी नौकरी में आरक्षण सहित मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गो के विकास के तरीकों और क्रियाविधियों पर चर्चा करना और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित मुसलमानों के निर्धारण के लिए मानदंड का सुझाव देना।

संलग्नक

(ii) निष्कर्ष/सिफारिशें

1. लोगों को छोटे परिवार के मानदंड सही तरीके से अपनाने के लिए शिक्षित करना।

2. अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास और सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व के लिए सकारात्मक कार्रवाई करना अपेक्षित है।

3. जिला-वार मुसलमान अल्पसंख्यक विकास बोर्ड बनाया जाना चाहिए जिसमें मुसलमान समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। यह बोर्ड मुसलमानों की शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से बनाई गई कल्याण परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर नज़र रखेगा जैसे उद्यम लगाने के लिए प्रशिक्षण देना, मुसलमान उद्यमियों के लिए ब्याज मुक्त ऋण देना, कारीगरों के उत्पादों का विपणन, मुसलमानों द्वारा स्थापित नए उद्योगों के लिए कम-से-कम 5 वर्ष तक कर में छूट देना, बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना जैसे पानी, मलजल निकासी सिस्टम, बिजली, औषधालय, विद्यालय, सड़कें, बैंक आदि।

4. भारत सरकार को शिक्षा, औद्योगिक विकास और बुनियादी सुविधाओं के विकास आदि जैसे मुख्य क्षेत्रों को अभिनिर्धारित करके विशेष परियोजनाएं तैयार करनी चाहिए और मुस्लिम समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए निर्धारित समय में उनका कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।

5. वक्फ संपत्ति (शहरों और गांवों) के विकास के लिए स्कीम बनाई जानी चाहिए और उसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

6. सरकार को प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए प्रयास करने चाहिए और संविधान के अनुच्छेद 350 'क' के अनुसार बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत मुसलमान समुदाय को 'पिछड़ा वर्ग' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए जिससे वे शैक्षिक संस्थाओं में और सरकारी नौकरियां पाने में वरीयता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

7. व्यापक रूप से सुसंगत तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाए जिससे मुस्लिम समुदाय में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाई जा सके।

8. विभिन्न विकास स्कीमों के निष्पादन और उनके प्रभाव की वर्ष में एक बार समीक्षा की जानी चाहिए और उसके परिणामों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त नीतिगत समायोजन किया जाना चाहिए।

9. भारत सरकार को संसद, राज्य सभा और स्थानीय निकायों में मुसलमानों की जनसंख्या के अनुपात में उनके लिए विशिष्ट सीटें आरक्षित करने का कानून बनाना चाहिए।

10. सरकार को सभी सरकारी सेवाओं और सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए नौकरियां सुनिश्चित करने के लिए उचित कानून बनाना चाहिए।

11. अनुसंधान से यह पता चला है कि सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के कम-से-कम 3 विश्वव्यापी स्वीकृत निर्धारिकों, जैसे शिशु मृत्यु-दर, शहरीकरण का स्तर और जन्म के समय जीवित रहने की औसतन संभावना के संबंध में मुसलमान समुदाय बहुसंख्यक समुदाय, अर्थात् हिंदुओं से भी आगे है। ऐसी परिस्थितियों में मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने का बार-बार प्रयास करना न तो संवैधानिक रूप से उचित है और न ही नैतिक दृष्टि से उचित है।

12. एक सामान्य नागरिक संहिता बनाई जानी चाहिए और उसे स्वैच्छिक रूप से लागू किया जाना चाहिए।

13. मुस्लिम विवाह का पंजीकरण करना अनिवार्य होना चाहिए।

14. मुस्लिम महिलाओं को तलाक/संपत्ति के उत्तराधिकार के मामले में समान अधिकार दिए जाने चाहिए।

संलग्नक: 6

धर्म–परिवर्तन कर के ईसाई/इस्लाम धर्म अपनाने वाले अनु॰ जाति के लोगों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राय जानने के लिए पत्र व्यवहार करना

आशा दास
सदस्य सचिव

भारत सरकार
राष्ट्रीय धार्मिक और
भाषायी अल्पसंख्यक आयोग
(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय)

डी ओ. सं. 2–1/2005 एन सी आर एल एम

31 जनवरी 2006

महोदय,

भारत सरकार ने आयोग को अन्य बातों के साथ–साथ आरक्षण के प्रयोजनार्थ दलित ईसाईयों (अथवा धर्म–परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के लोग) और दलित मुसलमानों (अथवा धर्म–परिवर्तन कर के इस्लाम धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के लोग) का विशेष रूप से अनुसूचित जाति के रूप में उल्लेख करने के औचित्य की जांच करने के लिए कहा है। इस्लाम धर्म अपनाने वाले इन व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग के संबंध में विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लिखित याचिका दर्ज की गई है।

इस मामले की वांछनीयता और व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए आयोग ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के विचार जानने का निर्णय लिया ताकि धर्म–परिवर्तन करके ईसाई/इस्लाम धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के मामले में आयोग को अपनी राय बनाने में मदद मिल सके।

अतएव, आपसे अनुरोध है कि कृपया आगे आयोग के विचारार्थ इस मामले में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की राय 15 फरवरी 2006 तक भेज दें।

इस संबंध में आपका सहयोग सराहनीय होगा।

भवदीया,

(हस्ताक्षर)

(आशा दास)

प्रति प्रेषित
सभी राज्यों और संघ राज्य प्रशासन के मुख्य सचिव

अनुलग्नक: 7

सार्वजनिक सूचना

राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय)

1. भारत सरकार ने धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने के लिए मानदंड निर्धारण करने और उनके विकास के लिए उपायों तथा आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए यथापेक्षित संवैधानिक, विधिक और प्रशासनिक कार्यविधियों का सुझाव देने के लिए यथापेक्षित संवैधानिक, विधिक और प्रशासनिक कार्यविधियों का सुझाव देने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया है इस आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा हैं और प्रोफेसर डा॰ ताहिर महमूद, डा॰ अनिल विल्सन और डा॰ मोहिन्दर सिंह आयोग के सदस्य हैं और श्रीमती आशा दास सदस्य सचिव हैं।

2. बाद में, भारत सरकार ने आयोग को आरक्षण के प्रयोजनार्थ, दलित ईसाईयों (अथवा धर्म-परिवर्तन करके ईसाई धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के लोग) और दलित मुसलमानों (अथवा धर्म-परिवर्तन करके इस्लाम धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के लोग) का विशेष रूप से अनुसूचित जाति के रूप में विशेष उल्लेख किए जाने के औचित्य की जांच करने के लिए कहा है। आयोग से यह भी अपेक्षित है कि वह इस बात की जांच करे और अपने विचार प्रस्तुत करे कि संविधान (अनु॰ जाति) आदेश के पैरा-3 में से ''धर्म'' की शर्त को हटा दिया जाए अथवा नहीं और संविधान (अनु॰ जाति) आदेश के पैरा-3 में ईसाई और इस्लाम धर्म को शामिल किया जाए अथवा नहीं।

3. एतद् द्वारा आयोग ने राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और आम जनता से इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तारीख से छः सप्ताह के अंदर उनके विचार/सुझाव मांगे हैं। अपने विचार/सुझाव निम्नलिखित पते पर भेजें:

संयुक्त सचिव,
राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग,
गेट नं॰ 30, दूसरी मंजिल,
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003
ई-मेल: ncrlm 2005@rediffmail.com

संलग्नक 8

आयोग ने जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा किया है उनके नाम

संलग्नक: 8.1

आंध्र प्रदेश राज्य के निरीक्षण की रिपोर्ट का सार

1. राज्य का नाम : आंध्र प्रदेश

2. निरीक्षण की तारीख : 21, 22 अक्तूबर, 2005

3. आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों का विवरण, जिन्होंने राज्य का दौरा किया है। (i) न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा, अध्यक्ष
(ii) डा॰ अनिल विल्सन, सदस्य
(iii) डा॰ माहिंदर सिंह, सदस्य
(iv) श्रीमती आशा दास, सदस्य सचिव

4. राज्य द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों की मान्यता प्राप्त धार्मिक समुदाय : बौद्ध, ईसाई, मुसलमान, सिख और पारसी

5. राज्य की संक्षिप्त जनसांखिया की रूपरेखा :

		सभी धार्मिक	हिदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
राज्य की कुल जनसंख्या	लाखों में	762.10	678.4	69.9	11.8	0.3	0.3	0.4	0.007	0.05
	प्रतिशत में (%) में	100.0	89.0	9.2	1.6	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	0.05
स्त्री-पुरूष अनुपात	हजार में से	978	979	961	1037	796	960	936	–	946

*(2001 की जनगणना)

6. अल्पसंख्यकों के विकास के लिए राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था:

(i) राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है और प्रधान सचिव की अध्यक्षता में अल्संख्यक कल्याण विभाग है राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण आयुक्त कार्यालय भी है।

(ii) आंध्र प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

(iii) आंध्र प्रदेश राज्य महिला आयोग

6. अन्य संस्थागत ढांचा

(i) सन् 1979 में गठित आंध्र प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग।

(ii) आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड।

(iii) आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ परिषद।

(iv) आंध्र प्रदेश राज्य हज समिति।

(v) आंध्र प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम।

(vi) अल्पसंख्यक शैक्षिक विकास केंद्र।

(vii) आंध्र प्रदेश औद्योगिक प्रौद्योगिकीय परामर्श संगठन (ए पी आई टी सी ओ)।

(viii) जन शिक्षण संस्थान (जे एस एस)।

(ix) दैरातुल मारिक

7. शैक्षिक स्थिति:

(i) साक्षरता दर :*

	व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदु	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
साक्षरता दर(%)	कुल	60.5	59.4	68.0	75.3	78.7	54.8	93.2	–	69.5
	महिला	50.4	49.2	59.1	69.8	72.7	41.0	89.6	–	63.2

*(2001 की गणना के अनुसार)

(ii) राज्य में कक्षा I-X तक 68.95 प्रतिशत बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं जबकि राष्ट्रीय औसत 62.58 प्रतिशत है।

(iii) मदरसा में शिक्षा

(क) 354 मदरसे आंध्र प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त कर रहे हैं। मदरसों को राज्य सरकार/मदरसा बोर्ड द्वारा मान्यता दी जा रही है।

(ख) शहरों की अपेक्षा गाँवों में अधिक संख्या में लोग मदरसों से आधुनिक शिक्षा ले रहे हैं।

(ग) बहुत कम मदरसे ऐसे हैं जो गैर-सरकारी मुस्लिम संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं।

(iv) विद्यालयों की संख्या

(i) मुस्लिम समुदाय के विद्यालय – 273

(ii) ईसाई समुदाय के विद्यालय – 295

(ii) बौद्ध समुदाय के विद्यालय – 3

(v) गैर-सरकारी संस्थाओं की संख्या है:—

(i)	चिकित्सा	–	2 मुस्लिम समुदाय के
		–	1 यूनानी मुस्लिम समुदाय का
(ii)	इंजीनियरी	–	38 मुस्लिम समुदाय के
		–	21 ईसाई समुदाय के
		–	1 सिक्ख समुदाय का
(iii)	दंत-चिकित्सा	–	1 ईसाई समुदाय का
(iv)	अन्य	–	277

(vi) उर्दू अकादमी- यह एक स्वायत्त निकाय है, इसकी स्थापना 1975 में हुई - यह अकादमी 35 उर्दू पुस्तकालयों और 29 कंप्यूटर केंद्र चला रही है - अकादमी छात्रवृत्ति, पुरस्कार और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(vii) अल्पसंख्यक शिक्षा विकास केंद्र ने कक्षा में अल्पसंख्यकों के बच्चों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए एकीकृत परियोजनाएं शुरू की हैं।

(viii) जन शिक्षण संस्थान (जे एस एस) में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जरी का काम आदि जैसे विभिन्न व्यवसायों में व्यावसायिक प्रशिक्षण और अध्ययन दिया जाता है और झुग्गी-झौंपड़ी में रहने वाले नव-शिक्षित अल्पसंख्यक महिलाओं और शिक्षित बेरोजगार युवकों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ix) शैक्षिक संस्थाओं और अस्पतालों के लिए अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।

(x) उर्दू भाषा को उचित मान्यता दी जानी चाहिए। न्यायपालिका में उर्दू अनुवादक होने चाहिए। केंद्रीय विद्यालयों, सैनिक विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में उर्दू को भाषा विषय के रूप में लागू किया जाना चाहिए।

8. स्वास्थ की स्थिति:

(i)

जन्म दर (%)	मृत्यु दर (%)	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित बालक)	राज्य में ऐलोपैथिक चिकित्सा के अस्पताल और बिस्तर (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित)		राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या
			अस्पताल	बिस्तर	
20.4	8.0	59	521	35021	1490

स्रोत: केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो, दिल्ली सरकार स्वास्थ्य सेवा द्वारा प्रकाशित हैल्प इन्फॉरमेशन ऑफ इंडिया 2005

सी एच सी: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

9. आर्थिक स्थिति:

(क) काम में भागीदारी की दर* (प्रतिशत में)

व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुस्लमान	ईसाई	सिक्ख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
पुरूष	56.2	56.9	50.1	53.3	57.0	52.6	55.3	–	52.7
महिला	35.1	37.1	16.8	32.7	12.4	39.3	3.9	–	25.0

(*2001 की गणना)

(ख) व्यावसायगत वर्गीकरण:*

नाम	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिक्ख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
खेतिहर	22.5	23.9	7.4	8.7	4.1	26.4	1.5	–	11.7
कृषि मजदूर	39.6	41.0	21.8	38.6	6.4	37.3	0.7	–	9.7
घरेलू उद्योग	4.7	4.6	6.1	2.2	6.6	2.9	2.9	–	3.9
अन्य कामगार	33.1	30.5	64.6	50.5	82.9	33.5	94.8	–	74.7

*(2001 गणना)

(ग) राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 15.77 है जो कि राष्ट्रीय औसत–26.10: की तुलना में कम है।

10. विद्यमान आरक्षण नीति:

राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों और समय–समय पर राज्य में निर्धारित मानकों का अनुपालन कर रही है।

11. अन्य पिछड़ा वर्ग का निर्धारण करने के लिए विद्यमान मानदंड:

सामाजिक, आर्थक और शैक्षिक पिछड़ापन निर्धारण के मानदंड हैं।

12. राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमें/कार्यक्रम:

(i) सरकारी स्तर पर:

(क) अपने हितों की रक्षा करने के लिए पूर्ण विकसित अल्पसंख्यक कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग विभाग है।

(ख) वर्ष 1985 में आंध्र प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम को विभाग में शामिल किया गया श्रीकाकुलम को छोड़कर सभी जिलों में इसके यूनिट कार्यालय हैं। यह निगम विभिन्न लाभकारियों को ऋण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ग) निम्नलिखित को सहायता अनुदान:

(i) वक्फ संस्थाओं (8187) का वर्ष 1995–96 से 2004–05 तक कुल सहायता अनुदान 3074.6 लाख रु० है।

(ii) गैर–वक्फ संस्थाओं (921) का कुल सहायता अनुदान 458 लाख रु० है।

(घ) वक्फ की संपत्ति का सर्वेक्षण करने के लिए वक्फ आयुक्त ने 1 करोड़ रु की राशि निर्दिष्ट की है।

(ii) बैंकों से संबंधित जानकारी:

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आंध्रा बैंक और राज्य स्तर की बैंकर समिति के अध्यक्ष ने यह उल्लेख किया है कि:—

(क) राज्य में सभी बैंकों ने अल्पसंख्यकों के लिए ऋण–प्रवाह का मॉनीटरन करने के लिए अलग सेल बनाएं हैं। जिला परामर्श समिति और राज्य स्तर की बैंकर समिति की बैठकों में इसकी नियमित समीक्षा की जाती है।

(ख) सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित अल्पसंख्यकों को तुरंत राहत और तुरंत/पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) जिला और राज्य की वार्षिक ऋण योजनाओं में अल्पसंख्यकों की क्षेत्र–वार आवश्यकताओं को शामिल किया जा रहा है।

(घ) अल्पसंख्यक समुदाय के कुल 2,61,254 स्वयं-सहायता समूहों में से 17635 समूहों को सभी बैंको से वित्तीय सहायता दी जाती है। वित्तीय सहायता की कुल राशि 68 करोड़ रु: है।

(ङ) स्वयं-सहायता समूह बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं।

(च) बैंकों ने बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए ग्रामीण विकास संस्थानों की स्थापना की है ताकि वे स्व-रोजगार शुरू कर सकें।

(छ) स्वयं-सहायता समूहों के लिए प्रशिक्षण संबंधी घटकों में क्षमता-निर्माण, बहीखाता लिखना, कौशल-विकास और उन्नयन तथा स्व-रोजगार शामिल हैं।

(ज) यदि राज्य सरकार बैंकों को मुफ्त जमीन दे तो बैंक प्रशिक्षण संस्थान के लिए भवन-निर्माण भी कर सकते हैं।

(झ) ईलूरू में कालीन-निर्माण और हज यात्रियों के लिए टोपियों की सिलाई के काम को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है।

13. राजनीतिक संस्थाओं में धार्मिक समुदायों का प्रतिनिधित्व:

क्रम सं॰	कुल सं॰	धार्मिक प्रतिनिधियों की संख्या
1.	संसद	धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के 3 संसद सदस्य
2.	राज्य सभा	धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के 11 विधानसभा सदस्य

14. भाषायी अल्पसंख्यक:

(i) राज्य की राजभाषा : तेलूगु

: उर्दू को भी 13 जिलों की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है।

(ii) राज्य में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं: : कन्नड़, तमिल, मराठी और उड़िया

15.(i) आयोग के संपर्क में रहने वाले राज्यपाल, मुख्य मंत्री/अन्य मंत्रियों की टिप्पणियां:

(क) श्री वाई॰एस॰ राजशेखर रेड्डी, मुख्य मंत्री, आंध्र प्रदेश ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

(i) राज्य 'धनी' और 'निर्धनों' के बीच अंतर कम करने के प्रति वचनबद्ध है।

(ii) संपन्न वर्ग को गरीबों के लिए निर्दिष्ट लाभ नहीं मिलने चाहिए।

(iii) अनुसूचित जाति की सूची में से संपन्न वर्ग के समुदायों को हटाए जाने की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए और नियमित रूप से इसका सर्वेक्षण (प्रत्येक दस वर्ष बाद) किया जाना चाहिए।

(iv) आरक्षण नीति के दुरूपयोग की जांच की जानी चाहिए।

(v) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े दलित ईसाईयों को रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण देने पर विचार करने के लिए अधिकाधिक जानकारी एकत्र की जानी चाहिए।

(ख) मोहम्मद फरीरूद्दीन, अल्पसंखक कल्याण एवं मत्स्य उद्योग मंत्री ने निम्नलिखित का उल्लेख किया:

(i) विभाग द्वारा अल्पसंख्यकों को ब्याज मुक्त शैक्षिक ऋण प्रदान करना।

(ii) उर्दू घर एवं शादी-खाना का निर्माण।

(iii) हैदराबाद और अल्पसंख्यकों की घनी आबादी वाले कुर्नूल जिलों को उनके आर्थिक विकास के लिए अधिक निधि आबंटित करना। मुसलमानों को रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में 5 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने संबंधी आदेश जारी करना। (बाद में न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया)

(ग) मुख्य सचिव ओर अन्य सरकारी कार्यकर्ताओं की टिप्पणियां:

(i) श्री टी॰ के दीवान, मुख्य सचिव का मानना है कि:

(क) आज की युवा पीढ़ी सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षित नहीं होती है क्योंकि वे एम एन सी के तहत अपने को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं।

(ख) अच्छा स्वास्थ्य और उच्च कोटि की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(ग) छठी कक्षा के बाद विद्यार्थियों को (कोचिंग) पर्याप्त छात्रवृत्ति और कैरियर बनाने के लिए उचित मार्गदर्शन दिया जाए।

(घ) अन्य सचिवों के विचार इस प्रकार हैं—

(i) अल्पसंख्यकों में पिछड़ा वर्ग वह वर्ग है जिसकी राजनीति में कोई भागीदारी नहीं है।

(ii) विद्यालयों में बहुत कम संख्या में लड़कियों का नामांकन होता है। व्यावसायिक कौशल, मध्यांतर आहार और उपस्थित होने पर प्रोत्साहन देने की स्कीम लागू करके इसमें सुधार किया जा सकता है।

(iii) विद्यालय, निवास स्थान से 1 कि॰ मी॰ तक की दूरी में होना चाहिए।

(iv) लड़कियों के विद्यालय में महिला अध्यापिकाएं होनी चाहिए।

(v) 30 से 40 प्रतिशत बच्चों को अभी भी कन्या संरक्षण कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं किया गया है।

(vi) जनजातीय क्षेत्रों में लघु आंगनवाड़ी बहुत लोकप्रिय हैं।

(vii) जनजातीय लोगों ने परा-चिकित्सीय कर्मचारियों, बाल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अधिक संख्या में आवासीय विद्यालयों की मांग भी की है।

(viii) राज्य में मुसलमान मछुआरों (3000) की भली-भांति देख-रेख की जाती है।

(ix) मुसलमान कुक्कुट-पालन विकास स्कीमों का लाभ ले रहे हैं। राज्य में प्रतिदिन 3.5 करोड़ अंडों का उत्पादन होता है। यह एक आशावादी उपाय है।

16. विचारार्थ विषयों से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणियाँ:

(i) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के बीच पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने के लिए सुझाए गए मानदंड और पिछड़ेपन का निर्धारण करने के मानदंड के रुप में गरीबी रेखा की संकल्पना:

गरीब से गरीब लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का निर्धारण किया जाना चाहिए ताकि जरुरतमंद और सर्वाधिक पात्र लोगों के बीच स्कीम को कारगर कार्यान्वयन किया जा सके।

(ii) सेवा और शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण के संबंध में संपन्न वर्ग की संकल्पना: संपन्न वर्ग को गरीब-वर्ग के लिए निर्दिष्ट लाभ नहीं लेने चाहिए। जब एक बार किसी परिवार को आरक्षण नीति का लाभ मिल जाता है तो उसे आरक्षण सूची में से हटा दिया जाना चाहिए।

(iii) धर्म-परिवर्तन करके ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देना:

ईसाई समुदाय के अधिकांश प्रतिनिधियों ने दलित ईसाईयों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने का अनुरोध किया है। कुछ दलित ईसाई वास्तव में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। यह अनुभव किया गया कि दृढ़तापूर्वक अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए इस मुद्दे पर और अधिक जानकारी एकत्र करना अपेक्षित है।

17. सामुदायिक प्रतिनिधियों, और गैर-सरकारी संगठनों और अन्य भागीदारों की विभिन्न मुद्दो पर टिप्पणियां:

(i) राजस्व अधिकारी द्वारा अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। जाति प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा की जाए।

(ii) अलग अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की जाए।

(iii) वक्फ प्रशासन के कार्यों का ब्यौरेवार अध्ययन किया जाना चाहिए। वक्फ विकास निगम की स्थापना की जाए।

(iv) अल्पसंख्यक समुदायों के सशक्तिकरण के लिए सभी आयोगों, समितियों, निगमों और बोर्ड आदि में उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ऐसे निकायों में महिला प्रतिनिधियों के लिए भी प्रावधान किया जाना चाहिए।

(v) ईसाईयों के विकास के लिए अलग निधि बनाई जानी चाहिए।

(vi) रेलवे, डाक और तार जैसे कुछ रोजगारों में आंग्ल-भारतीयों को प्राथमिकता दी जाए।

(vii) राज्य सरकार शैक्षिक संस्थाओं में ईसाईयों को 3 प्रतिशत आरक्षण देने पर विचार करे।

(viii) सिख समुदाय ने इस आशय की सरकारी अधिसूचना जारी किए जाने का अनुरोध किया है जिससे उन्हें राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा मिल सके।

(ix) सिखों में 'सिकलिगर' वर्ग के सिक्खों के लिए विकास पैकेज का प्रावधान किया जाए और उन्हें मुसलमानों के बराबर आरक्षण दिया जाए।

(x) अन्य भाषायी अल्पसंख्यकों, जैसे हिंदी, गुजराती, बांग्ला, मराठी भाषा के अल्पसंख्यकों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को उपलब्ध सुविधाओं के समान सुविधाएं दिए जाने का अनुरोध किया है।

(xi) थुलुवा वेल्लाला संघ (तमिल) ने भाषायी अल्पसंख्यकों का दर्जा दिए जाने का अनुरोध किया है।

18. एन सी आर एल एम की टिप्पणियां:

आयोग का मानना है कि कुछ भागीदारों ने न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि पूरे देश के मुसलमानों के विकास के लिए बहुत उपयोगी सुझाव दिए हैं। संक्षेप में ये सुझाव निम्नलिखित हैं:

(i) केंन्द्रीय मुस्लिम राहत न्यास होना चाहिए। मुसलमानों को अदावाकृत बैंक ब्याज इस न्यास को क्रेडिट किया जाए। जिन मुसलमानों की चल और अचल संपत्ति का कोई वारिस नहीं है उन्हें इस न्यास के नाम कर दिया जाए।

(ii) मुसलमान जनशक्ति निगम की स्थापना की जाए।

(iii) जकात निधि के प्रबंधन के लिए वक्फ की राज्यवार युनिटें होनी चाहिए।

(iv) अल्पसंख्यकों में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए।

(v) राज्य में बैंकों द्वारा महिलाओं के लिए चलाए जा रहे स्व-रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण के संबंध में आयोग का यह सुझाव है कि महिलाओं को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ लड़कों (पुरूषों) के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि वे घर में बैठ कर निष्क्रिय (बेकार) न हो जाएं।

(vi) एन सी आर एल एम के अध्यक्ष ने यह सुझाव दिया हैं कि बैंकों को कैदियों का बचत खाता खोलने और उनमें बचत करने की आदत डालने में पहल करनी चाहिए, इसके अतिरिक्त उनके कौशल को विकसित करने के लिए भी लिए भी प्रयास करना चाहिए।

अनुलग्नक: 8.2

बिहार राज्य के निरीक्षण की रिपोर्ट का सार

1. राज्य का नाम : बिहार

2. निरीक्षण की तारीख : 13–14 फरवरी, 2006

3. राज्य का दौरा करने वाले आयोग के अध्यक्ष/ सदस्यों का विवरण
   (i) न्यायमर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा, अध्यक्ष
   (ii) डा॰ महिंदर सिंह, सदस्य
   (iii) श्रीमती आशा दास, सदस्य सचिव

4. राज्य द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यताप्राप्त धार्मिक समुदाय : मुसलमान, सिख ईसाई बौद्ध और पारसी

5. राज्य की संक्षिप्त जनसांख्यिकीय रूपरेखा: **

		सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की	लाख में	830.00	690.8	137.2	0.5	0.2	0.2	0.2	1*	0.5
कुल जनसंख्या	प्रतिशत में (%)	100.0	83.2	16.5	0.1	नगण्य	नगण्य	नगण्य	–	0.1
स्त्री/पुरूष अनुपात	हजार* में से	919	915	943	974	879	841	904	–	935

* पूर्णांक संख्या में

** (2001 की जनगणना)

6. राज्य अल्पसंख्यक विकास निगम का प्रशासनिक ढांचा:

   (i) राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्री है। इस विभाग की स्थापना 1991 में हुई थी।

   अन्य संस्थागत ढांचा

   (i) 1991 में गठित बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग।

   (ii) पिछड़ा वर्ग आयोग।

   (iii) अनु॰जाति/अनु॰ जनजाति विकास वित्त निगम।

   (iv) राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम 1984 से कार्य कर रहा है।

   (v) सुन्नी और शिया मुसलमानों के लिए अलग–अलग वक्फ बोर्ड।

   (vi) जिला और राज्य स्तर पर 15 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति।

7. शैक्षिक स्थिति:

(i) साक्षरता दर:*

	व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
साक्षरता दर (%)	कुल	47.0	47.9	42.0	71.1	79.8	59.0	93.3	–	28.7
	महिला	33.1	33.4	31.5	66.4	73.3	42.2	90.8	–	14.9

*(2001 की गणना)

(i) वर्ष 2002-03 में कक्षा I-X तक बीच में ही विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की प्रतिशत 83.60 थी जो राष्ट्रीय औसत 62.58 प्रतिशत की तुलना में अधिक है।

(ii) मदरसा में शिक्षा

(क) राज्य में कुल 1119 मदरसे हैं।

(ख) कक्षा VIII से मैट्रिक स्तर के विद्यार्थियों को राज्य मदरसा बोर्ड पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाता है। आई॰ए॰ से एम॰ए॰ स्तर तक धार्मिक शिक्षा दी जाती है। राज्य सरकार मदरसों के लिए अनुदान देती है।

(ग) राज्य में लड़कियों के लिए 735 मदरसे हैं।

(घ) इनका जांचकर्ता निकाय मदरसा शिक्षा बोर्ड है।

(ङ) सभी मदरसे सर्व शिक्षा अभियान के तहत चलाए जा रहे हैं।

(च) छोटे मदरसों की देख-रेख का काम मदरसा शिक्षा बोर्ड का है। ये अधिकांशत: जकात के स्वैच्छिक अंशदान पर निर्भर होते हैं।

(छ) राज्य में उर्दू अकादमी/ उर्दू निदेशालय भी है।

(ज) प्रत्येक जिले में अल्पसंख्यकों के लिए छात्रावास हैं।

(झ) अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को वक्फ बोर्ड और उर्दू अकादमी के माध्यम से छात्रवृत्ति दी जाती है।

(ञ) विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से व्यावसयिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ट) विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए कोचिंग कक्षाएं आयोजित की जाती हैं।

(ठ) गरीब कन्या विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति-स्कीम तैयार की जा रही है। मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन की ओर से प्रति 10,000 रु॰ की दर से 200 कन्याओं को छात्रवृत्ति दी गई है।

(i) प्राथमिक शिक्षा:

(क)	सरकारी प्रारंभिक शिक्षा (प्राथमिक) विद्यालयों की संख्या	52000
(ख)	निजी विद्यालयों की संख्या	20000
(ग)	सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों की संख्या	108
(घ)	पंचायत के अध्यापको की संख्या	1,00,000 (उर्दू माध्यम के विद्यालयों के लिए 10%)

(v) माध्यमिक शिक्षा:

(क)	विद्यालयों की संख्या:	2800
(ख)	अध्यापकों की संख्या:	16689
(ग)	मुसलमान अध्यापकों की संख्या:	1868

(vi) धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित संस्थाओं की संख्या

(क)	इंजीनियरिंग कॉलेज	3
(ख)	दंत-चिकित्सा विद्यालय	3
(ग)	अन्य	56

(vii) अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने में विलंब।

(viii) समाज के कमजोर वर्गों के लिए प्रत्येक जिले में तकनीकी शिक्षा केंद्र।

(ix) कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में उर्दू, अरबी, पारसी भाषा के अध्यापकों के रिक्त पदों को भरा जाए और जिला/उप-प्रभागों में उर्दू अनुवादों/सहायक अनुवादकों/टंककों की नियुक्ति की जाए।

(x) मुसलमान कन्याओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की आवश्यकता।

(xi) प्रत्येक ब्लॉक/पंचायत में उर्दू के प्राथमिक/मिडिल स्कूल खाले जाए।

(xii) ये विद्यालय मुसलमानें की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में खोले जाए।

8. **स्वास्थ्य की स्थिति:**

(i)

जन्मदर (%)	मृत्यु दर (%)	शिशु मृत्य दर (प्रति 1000 जीवित बच्चों में से)	राज्य में ऐलोपैथी चिकित्सा के अस्पतालों और बिस्तरों (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रो सहित) की संख्या		राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो की संख्या
			अस्पताल	बिस्तर	
30.7	7.9	67	101	3030	1648

स्त्रोत: केंद्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, दिल्ली सरकार स्वास्थ्य सेवा द्वारा प्रकाशित हैल्थ इन्फारमेशन ऑफ इंडिया 2005,

सी एच सी: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

(ii) राज्य में 1100 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो और उप-केंद्रों के माध्यम से गरीबों को स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

(iii) 17 प्रतिशत प्रसव के मामले किसी न किसी चिकित्सा संस्थान में होते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को प्रत्येक प्रसव के लिए 600 रु॰ दिए जाते हैं।

(iv) टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 48 प्रतिशत जनसंख्या को शामिल किया गया है।

9. **आर्थिक स्थिति**

(क) काम में भागीदारी की दर:*

(प्रतिशत)

व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
पुरूष	47.4	47.7	45.8	46.3	50.8	44.3	53.2	–	53.5
महिलाए	18.8	19.6	15.1	31.9	9.1	18.7	4.2	–	39.9

*(2001 की गणना)

(ख) व्यावसायिक वर्गीकरण:*

(प्रतिशत)

नाम	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
खेतिहर	29.3	31.0	19.8	14.4	15.1	36.9	2.9	–	21.5
कृषि मजदूर	48.0	47.3	51.5	30.2	16.7	38.5	3.6	–	65.6
घरेलू उद्योग	3.9	3.6	5.8	3.2	3.3	2.9	3.6	–	4.1
अन्य कामगार	18.8	18.0	22.8	52.2	64.9	21.8	89.8	–	8.8

*(2001 की गणना)

(ग) बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का प्रतिशत 42.60 है, जो कि राष्ट्रीय औसत (26.10 प्रतिशत) से बहुत कम है।

(घ) 1984 में राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम की स्थापना की गई। यह ऋण देने वाली प्रमुख एजेंसी है और मार्च 2006 तक 1421 लाभभोगियो को है 8 करोड़ रु॰ ऋण वितरित किए जाने का अनुमान है।

(ङ) राज्य की 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। 1.91 प्रतिशत मुसलमान भूमिधारी है।

(च) राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम प्रारंभ से लेकर अब तक केवल 6000 लोगों को ही ऋण-वितरित कर सका है।

(छ) अनुमोदित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए अल्पसंख्यक वित्त निगम को पर्याप्त निधि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(ज) स्वंय-सहायता समूहों के तहत बीड़ी बनाने के काम में लगी महिलाओं के हितों की सुरक्षा करना आवश्यक है।

10. **विद्यमान आरक्षण नीति**

राज्य सरकार ने आरक्षण नीति लागू की है। राज्य की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 26 प्रतिशत आरक्षण है।

11. अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धारण के लिए विद्यमान मानदंड:

जाति और सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ापन इसके मानदंड है।

12. राज्य सरकार विभिन्न विकास स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है।

(i) सरकारी स्तर पर:—

(क) केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के रूप में इंदिरा आवास योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ख) समाज के सभी वर्गों के लिए ग्रामीण रोजगार स्कीम और रोजगार गारंटी स्कीम चलाई जा रही हैं।

(ग) बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम के माध्यम से अल्पसंख्यकों को ऋण का वितरण।

(ii) बैंकों से संबंधित जानकारी:—

(क) राज्य में भारतीय स्टेट बैंक अग्रणी बैंक है। 40 प्रतिशत ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए है; 10 प्रतिशत ऋण कमजोर वर्गों/अल्पसंख्यको के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

(ख) 30.9.2005 को कुल बकाया अग्रिम-4019.42 करोड़ रुपए था। सभी बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण की राशि 1300 करोड़ रुपए से भी अधिक है।

(ग) बैंकों के सामने ऋण-वसूली की समस्या है।

(घ) 47,000 ऋण आवेदनों में से लगभग 37,000 को ऋण की मंजूरी दी गई थी।

13. राजनीतिक संस्थाओं में धार्मिक समुदायों का प्रतिनिधित्व:

क्रम सं॰	नाम	कुल संख्या	समुदायों के धार्मिक प्रतिनिधियो की संख्या
1.	संसद (लोक सभा)	56	6
2.	राज्य परिषद	96	6
3.	ताल्लुका बोर्ड/ब्लॉक विकास समिति	1998	298
4.	ग्राम पंचायत	116029	उपलब्ध नहीं

14. भाषायी अल्पसंख्यक

(i) राज्य की राजभाषा : हिंदी

(ii) राज्य में बोली जाने वाली : मैथिली, भोजपुरी, उर्दू, बंगाली

अन्य भाषाएं

15. (i) आयोग के साथ परस्पर संपर्क के दौरान राज्यपाल, मुख्यमंत्री/अन्य मंत्रियों की टिप्पणियां:

(क) बिहार के मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार का कहना है कि:

(i) राज्य सरकार अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न उपाय कर रही है।

(ii) राज्य में राज्य अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक वित्त आयोग, 15-सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति कर्य कर रही हैं।

(iii) उन्होंने पुन: यह कहा कि धर्म-परिवर्तन करके ईसाई और मुसलमान धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को अनु॰ जाति का दर्जा दिए जाने पर उनके विचार संसद के रिकार्ड में उपलब्ध हैं क्योंकि धार्मिक आस्था में परिवर्तन होने

से दलित समुदाय की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस संबंध में संविधान में भी आशोधन करना अपेक्षित है और इसकी जांच की जानी चाहिए।

(iv) अन्य पिछड़ा वर्ग/अधिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(ख) सचिव और अन्य सरकारी कार्यकर्ताओं की टिप्पणियां:—

(i) राज्य में पिछड़ा वर्ग और अधिक पिछड़ा वर्ग–दो सूचियां हैं। इस सूची में अल्पसंख्यक वर्ग भी शमिल हैं।

(ii) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए कोई स्कीम नहीं है।

16. **विचारार्थ विषयों से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणियां:**

(i) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के बीच पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने के लिए सुझाए गए मानदंड और पिछड़ेपन के निर्धारण के रूप में गरीबी रेखा की संकल्पना:

राज्य सरकार ने कुछ जातियों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियां घोषित किया है और उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग के बराबर माना है। भागीदारों/प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित विविध विचार रखे हैं:—

(क) आरक्षण सामाजिक–आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाए।

(ख) आरक्षण मंडल आयोग की सिफारिश के अनुसार जातियों और समुदायों तक सीमित हो।

(ग) स्वतंत्रता से पहले अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल पददलित जातियों को संविधान (अनुच्छेद–341) और संविधान (अनु॰ जाति) आदेश, 1950 में संशोधन करके अनु॰ जाति का दर्जा दिया जाए।

(ii) नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण के संबंध में संपन्न वर्ग की संकल्पना।

(iii) धर्म–परिवर्तन करके ईसाई/इस्लाम धर्म अपनाने वाले अनु॰ जाति के व्यक्तियों को अनु॰ जाति का दर्जा देना:

सामुदायिक प्रतिनिधियों का मानना है कि अनु॰ जाति के दलित मुसलमानों / दलित ईसाईयों को अनु॰ जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए।

17. सामुदायिक प्रतिनिधियों, गैर–सरकारी संगठनों और अन्य भागीदारों की विभिन्न मुद्दों पर दिप्पणियां:

(i) एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मुसलमानों को सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर आरक्षण दिया जाए।

(ii) मंडल आयोग द्वारा निर्धारित मानदंड में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।

(iii) भाषायी अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से बांग्लादेश के प्रवासियों की स्थिति दयनीय है।

(iv) अल्पसंख्यक भाषाओं के अध्यायकों की तैनाती और अनु॰/जाति अनु॰ जनजाति के लिए कल्याण अधिकारियों के पैटर्न पर जिले में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति।

(v) मुसलमान कारीगरों और तकनीशियनों के ज्ञान और विशेषज्ञता को सरकारी रूप से मान्यता दी जाए और उसका इस्तेमाल किया जाए।

(vi) सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति को 10 लाख रु॰ का मुआवजा दिया जाए और परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए।

(vii) अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए।

(viii) इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण रोजगार स्कीम और पंचायतों में मुसलमानों का प्रतिशत निर्धारित किया जाए।

(ix) मंडल आयोग के तहत दिए गए आरक्षण को ईमानदारी से लागू करना जरूरी है।

(x) संपन्न वर्गों को आरक्षण का लाभ न दिया जाए।

(xi) बुनकर/हथकरघा उद्योग को सुरक्षा प्रदान की जाए और चिकित्सा, इंजीनियरी, अन्य व्यावसायिक कॉलेजों और विधान परिषद्/राज्य सभा में सीटें आरक्षित की जाएं।

(xii) संसद और राज्य सभाओं में आंग्ल-भारतीयों को नामित करने के उपबंध की समीक्षा करना जरूरी है क्योंकि ये ईसाईयों का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

(xiii) मुसलमान धोबियों को अनु॰ जाति की सूची में शमिल किया जाए।

(xiv) संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रमों, जैसे यूनिसेफ, यू एन डी पी, डब्ल्यू एच ओ आदि और अन्य स्कीमों, में कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाए।

(xv) सिखों के लिए उचित कल्याण संबंधी उपाय किए जाएं।

(xvi) बंगाली भाषा में प्राथमिक-स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं दी जाएं और अल्पसंख्यक वित्त निगम में बंगालियों को लाभभोगियों के रूप में शमिल किया जाए।

(xvii) वक्फ की संपत्तियों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए।

18. **एन सी आर एल एम की टिप्पणियां:**

(i) संविधान के तहत सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है इसलिए समाज के किसी भी समुदाय या वर्ग में वंचन या उपेक्षा की भावना नहीं होनी चाहिए।

(ii) संविधान एक पवित्र दस्तावेज है और संबंधित मुद्दों की गहन जांच और उन पर चर्चा किए बिना इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता।

(iii) सभी स्थानों पर अनु॰ जाति, अनु॰ जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाना चाहिए। शैक्षिक संस्थाओं में छात्रावास में सबको मिल-जुलकर रहना चाहिए, जाति और समुदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

(iv) केरल राज्य की मदरसा शिक्षा,को आदर्श रूप में अपनाया जाए जिसके विद्यार्थी प्रात:काल अथवा सांयकाल मदरसा जाते हैं और दिन के समय नियमित रूप से विद्यालय में जाकर शिक्षा लेते हैं।

(v) अधिक से अधिक लोगों को शमिल करने के लिए राज्य सरकार को विद्यमान अल्पसंख्यक वित्त निगम के अलावा अन्य वित्त निगमों की स्थापना करने पर विचार करना चाहिए।

अनुबंध: 8.3

छत्तीसगढ़ राज्य में किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट का सार

1. राज्य का नाम : छत्तीसगढ़

2. निरीक्षण की तारीख : 18–19 फरवरी, 2006

3. आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों का विवरण जिन्होंने राज्य का दौरा किया। (i) प्रोफेसर, डा॰ अनिल विल्सन, सदस्य
(ii) श्रीमती आशा दास, सदस्य सचिव

4. राज्य द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय: के रूप में मान्यता प्राप्त धार्मिक समुदाय मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन

5. संक्षेप में राज्य का जनसंख्या संबंधी ब्यौरा:*

		सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसल-मान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या	लाखों में	208.3	197.3	4.1	4.0	0.7	0.6	0.6	13*	0.9
	प्रतिशत (%) में	100	94.7	2.0	1.9	0.3	0.3	0.3	नगण्य	0.5
महिला/पुरुष अनुपात	हज़ार में से	989	990	943	1021	899	1012	922		1014

* (पूर्णांको में)

6. अल्पसंख्यकों के विकास के लिए राज्य का प्रशासनिक ढांचा:

(i) कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग का अध्यक्ष मुख्य सचिव के रैंक का अधिकारी होता है और आयुक्त (कमिश्नर) रैंक का एक अधिकारी उसकी सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है।

(ii) अन्य संस्थागत ढांचे।

राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना की गई है:

(क) राज्य अल्पसंख्यक आयोग

(ख) राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग

(ग) पिछड़ा वर्ग आयोग

(घ) राज्य सहकारी वित्त और विकास निगम (राज्य मध्यस्थ एजेंसी)

(ङ) वक्फ बोर्ड/वक्फ ट्रिब्यूनल/हज समिति

वर्ष 2006–2007 के दौरान वक्फ़ कमिश्नर के कार्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है।

(च) मार्च, 2002 में स्थापित मदरसा बोर्ड

(छ) भाषा अकादमी

(ज) उर्दू अकादमी

7. शैक्षिक स्थिति:

(i) साक्षरता दर:

साक्षरता दर (%)	व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसल-मान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
	कुल	64.7	63.9	82.5	75.3	89.0	84.9	96.8	–	53.6
	महिला	51.9	50.8	74.0	68.2	84.7	76.9	94.8	–	38.4

(ii) मदरसा शिक्षा

(क) मार्च, 2002 में मदरसा बोर्ड की स्थापना की गई थी। अब तक इसके द्वारा 314 प्राथमिक स्कूल और 16 माध्यमिक स्कूल पंजीकृत किए गए हैं-जिनमें से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 35 मदरसों को सहायता अनुदान प्राप्त होता है-उच्चतर कक्षाओं में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या अधिक है-285 प्राथमिक स्कूलों की तुलना में 15 मदरसे मिडल स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं।

(ख) राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा का मूल्यांकन किया जाता है।

(ग) अल्पसंख्यकों सहित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति।

(घ) हॉस्टल और आश्रम स्कूल-लड़कियों के लिए चार (300 सीटें)

(ङ) मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां-5.03 लाख छात्र

(च) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां-0.64 लाख छात्र

8. स्वास्थ्य की स्थिति:

(i)

जन्म दर %	मृत्यु दर %	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जन्में बच्चों में से)	राज्यों में ऐलोपैथिक अस्पतालों और बिस्तरों (सीएचसी सहित) की संख्या		राज्यों में प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की संख्या
			अस्पताल	बिस्तर	
25.2	8.5	–	138	5565	516

स्रोत: हेल्थ इंफोमेशन ऑफ इंडिया 2005

केंद्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, डी जी एच एस द्वारा प्रकाशित सी एच सी:

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

(i) 16 जिला अस्पताल, ब्लॉक स्तर पर 146 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सी एच सी)/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पी एच सी) और सुदूर और पिछड़े क्षेत्रों में 500 उप-केंद्र/स्वास्थ्य सेवाओं की आधारिक संरचना कमज़ोर है।

(ii) राज्य में क्षयरोग के मामले अधिक होते हैं।

9. आर्थिक स्थिति:

(क) कार्य प्रतिभगिता दर:

[प्रतिशत में]

व्यक्तियों	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदु	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
पुरुष	52.8	52.9	48.5	51.8	51.1	49.8	54.1	–	55.5
महिला	40.0	40.7	15.0	40.5	8.6	32.5	5.4	–	50.6

(ख) व्यावसायिक वर्गीकरण:

[प्रतिशत में]

नाम	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदु	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
कृषक	44.5	44.9	15.2	54.2	7.9	24.8	4.4	–	60.2
खेतिहर मज़दूर	31.9	32.7	13.1	17.8	5.0	12.0	1.1	–	33.0
घरेलू उद्योग	2.1	2.0	3.1	0.7	2.8	10.1	3.0	–	0.5
अन्य कामगार	21.5	20.4	68.6	27.3	84.2	53.0	91.5	–	6.4

(ग) गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों की संख्या–208.33 लाख की कुल जनसंख्या की तुलना में 14.29 लाख अर्थात् 41.41 प्रतिशत है।

(घ) अल्पसंख्यकों में से 11.76 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं।

(ङ) नई औद्योगिक नीति–2004 में महिलाओं के लिए प्रोत्साहन।

(च) महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री रोज़गार योजना के तहत आय के स्रोत मुहैया कराने लिए विशेष प्रोत्साहन।

10. अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान करने के लिए विद्यमान मानदंड:

राज्य सरकार निम्नलिखित मानदंड़ का पालन करती है:

(i) साक्षरता दर

(ii) राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/केंद्र सरकार की नौकरियों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या।

(iii) निर्वाचित व्यक्तियों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अनुपात

(iv) सामाजिक स्तरण में समुदाय की स्थिति।

11. राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विकास योजनाएं/कार्यक्रम।

(i) सरकार के स्तर पर:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में कई 'जन–हित' योजनाएं जैसे साईकिल और जूतों का वितरण, पर्यावरण हितैषी वानस्पतिक किस्मों को लगाना, सस्ती दरों पर चावल और नमक का वितरण आदि की काफी सराहना की गई है।

(ख) 'नवंज़ोर योजनाएं' गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवारों के लिए बनाई गई एक अन्य लोकप्रिय योजना है। उनकी जीवन शैली और विकास को प्रभावित करने वाली अन्य योजनाएं निम्नलिखित हैं—

(ii) अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम:

(i) शौचालयों का निर्माण

(ii) कामगारों को प्रशिक्षण देना

(iii) बस्तर और सुरगुजा क्षेत्रों के गांवों को सिंचाई पम्प देना

(iv) 'सभी के लिए बिजली' कार्यक्रम

(v) 500 से 1000 के बीच की जनसंख्या वाले गांवों को मुख्य रोड से जोड़ना

(iii) बैंको से संबंधित सूचना:

(i) 3 अग्रणी बैंक (भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंड़िया, देना बैंक)

(क) विभिन्न कार्यक्रमों के विषय में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।

(ख) सरकार के विभिन्न विस्तार विभागों को संयुक्त प्रयास करना चाहिए खासतौर पर अल्पसंख्यक समुदायों के लिए।

(ग) जल्दी-जल्दी और घर-घर जाकर प्रचार अभियान चलाना।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और पशु पालन को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(ङ) देना बैंक ने 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत की कुल वसूली दर्ज की है।

(च) अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण का दस प्रतिशत उपलब्ध कराने के लक्ष्य की जगह 11.61 प्रतिशत ऋण देने का लक्ष्य प्राप्त किया।

(छ) नबार्ड योजना में एक भी बकायादार समूह नहीं है। तथापि, एस जी एस वाई के संबंध में वसूली 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है। कुल मिलकर राज्य में 20,000 एस एच जी एस हैं।

12. राजनीतिक संस्थाओं में धार्मिक समुदायों का प्रतिनिधित्व

	कुल	अल्पसंख्यक
लोक सभा	11	–
राज्य सभा	5	1
विधान सभा	90	2

13. भाषायी अल्पसंख्यक

(i) राज्य की राजभाषा : हिन्दी

(ii) राज्य में बोली जाने वाली अन्य भाषा : उड़िया, मराठी, बंगाली

14. आयोग के साथ परस्पर बातचीत के दौरान राज्यपाल/मुख्य मंत्री/अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों द्वारा की गई टिप्पणियां:

(i) छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महामहिम लेफ्टिनेंट जनरल (सेवा निवृत) के॰एम॰ सेठ, की राय में समाज के विभिन्न वंचित वर्गों को दिया जाने वाले आरक्षण केवल एक पीढ़ी के लाभार्थियों तक सीमित कर दिया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जनजाति वर्गों मे क्रीमी लेयर की संकल्पना को लागू किया जाना चाहिए जिससे मूल जनजाति समूहों की स्थिति में सुधार लाया जा सके। बैगास और अबुझमरैहस जनजातियों ने जनजाति उप-योजना से न के बराबर लाभ प्राप्त किया है। अब तक खर्च की गई राशि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के अनुरूप नहीं है।

(ii) डॉ॰ रमन सिंह, मुख्य मंत्री ने कहा कि धर्म का भेदभाव किए बिना अत्यन्त गरीबों को प्राथमिकता दी जाएगी। पिछड़ेपन का मानदंड आर्थिक स्थिति होगी। जहां तक दलित मुस्लिमों का संबंध है उन्होंने माना कि विद्यमान वर्गीकरण सही है और उसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

15. विचारार्थ विषयों से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणियां:

(i) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए प्रस्तावित मानदंड और पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए मानदंड के रूप में गरीबी रेखा की संकल्पना:

(क) केंद्र सरकार को सिर्फ 'सामान्य दिशानिर्देश' जारी करने चाहिए और अन्य पहलुओं को राज्य सरकार पर छोड़ देना चाहिए।

(ख) सामुदायिक विकास के स्तर पर किए गए सर्वेक्षण के बाद ही धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में से पिछड़े वर्गों को पहचानने के मानदंड पर कार्य किया जा सकता है।

(ग) आर्थिक स्थिति को पिछड़ेपन का पता लगाने का मानदंड होना चाहिए।

(ii) नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर (creamy layer) की संकल्पना:

(क) अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए भी क्रीमी लेयर की संकल्पना लागू की जानी चाहिए।

(ख) क्रीमी लेयर में आने वालों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।

(ग) धर्म के भेदभाव के बिना आरक्षण की सुविधा अत्यंत गरीबों को दी जानी चाहिए।

(iii) ईसाई/इस्लाम में धर्मान्तरित लोगों को अनुसूचित जाति का स्तर प्रदान करना:

(क) राज्य इसाई/इस्लाम में धर्मान्तरित लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि छात्रवृत्ति और अन्य लाभों के लिए वे पहले से ही अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में आते है।

16. विभिन्न मुद्दों पर सामुदायिक प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य प्रतिभागियों की टिप्पणियां:

(क) अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अलग से वित्त निगम की स्थापना की जानी चाहिए और उनमें से सबसे गरीब को सहायता दी जानी चाहिए।

(i) नीतिगत मामलों और अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के संदर्भ में राज्य अल्पसंख्यक आयोग को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिए।

अनुबंध: 8.4

गोवा राज्य में किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट का सार

1. राज्य का नाम : गोवा

2. निरीक्षण की तारीख : 28-29 मई, 2006

3. आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों का विवरण जिन्होंने राज्य का दौरा किया :
   (i) श्री न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, अध्यक्ष
   (ii) प्रोफेसर डॉ॰ ताहिर महमूद, सदस्य
   (iii) डॉ॰ अनिल विल्सन, सदस्य
   (iv) श्रीमती आशा दास, सदस्य सचिव

4. राज्य द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय: के रूप में मान्यता प्राप्त धार्मिक समुदाय —

5. संक्षेप में राज्य का जनसंख्या संबंधी ब्यौरा: **

		सभी धार्मिक समुदाय	हिन्दु	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या	लाखों में	13.5	8.9	0.9	3.6	970*	649*	820*	–	353*
	प्रतिशत (%) में	100	65.8	6.8	26.7	01	नगण्य	0.1	–	नगण्य
महिला/ पुरूष अनुपात	हजार में से	961	918	867	1,107	644	818	885	–	868

*(पूर्णांको में)

** (2001 जनगणना)

6. अल्पसंख्यकों के विकास के लिए राज्य का प्रशासनिक ढ़ांचा:

(i) अल्पसंख्यक आयोग: वर्तमान में ऐसा कोई आयोग नहीं है। तथापि, राज्य सरकार ऐसे आयोग की स्थापना के पक्ष में है।

7. शैक्षिक स्थिति:

(i) साक्षरता दर:*

साक्षरता	व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिन्दु	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
दर (%)	कुल	82.0	81.9	75.4	83.8	95.5	82.8	95.7	–	73.3
	महिला	75.4	74.2	70.0	78.8	94.9	75.6	95.2	–	63.2

*(2001 जनगणना)

(ii) कक्षा I-X में उच्चतर राष्ट्रीय औसत के 62.58 प्रतिशत की तुलना में 39.68 प्रतिशत छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं। गोवा में कुल साक्षरता दर 82.0 प्रतिशत है जो 64.8 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। उसी प्रकार से सभी समुदायों में साक्षरता स्थिति काफी उत्साहवर्धक है।

(iii) भाषायी अल्पसंख्यक प्राथमिक स्तर तक अपना स्कूल स्वयं चला रहे हैं।

(iv) करीब 150–160 प्राथमिक अध्यापक अधिक हैं।

(v) कुछ उर्दू स्कूल भी हैं और वहां पर प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी के कारण अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं।

(vi) स्कूलों में अंग्रेजी भाषा की मांग के कारण स्थानिक भाषा के स्कूल बंद हो गए हैं।

(vii) शैक्षणिक संस्थाओं में कोई आरक्षण लागू नहीं हैं।

(viii) लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष योजनाएं लागू हैं और प्रतिभाशाली छात्रों को पुरस्कार प्रदान किया जाता हैं।

8. स्वास्थ्य स्थिति:

(i)

जन्म दर (%)	मृत्यु दर (%)	राज्य में ऐलोपैथिक अस्पतालों और बिस्तरों (सी एच सी सहित) की संख्या		राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या
		अस्पताल	बिस्तर	
13.9	8.1	20	2639	19

स्रोत: हेल्थ इंफोरमेशन ऑफ इंडिया 2005

केंद्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यरो, डीजीएचएस द्वारा प्रकाशित

सी एच सी: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

(ii) मलेरिया/एच आई वी/एड्स चिंता के विषय हैं।

9. आर्थिक स्थिति

(क) कार्य प्रतिभागिता दर:*

(प्रतिशत में)

व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिन्दु	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
पुरूष	54.6	57.9	54.16	45.6	67.3	68.3	60.0	–	56.6
महिला	22.4	24.4	10.9	20.4	10.8	29.1	11.2	–	40.9

*(2001 जनगणना)

(ख) व्यवसायिक वर्गीकरण

(प्रतिशत में)

नाम	सभी धार्मिक समुदाय	हिन्दु	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
कृषक	9.6	12.0	0.5	4.8	0.9	1.5	–	–	1.1
खेतिहर मजदूर	6.8	7.4	0.5	6.6	0.7	0.9	0.7	–	0.6
घरेलू उद्योग	2.8	2.8	2.3	3.1	0.5	3.0	1.3	–	4.0
अन्य कामगार	80.7	77.9	96.7	85.4	97.9	94.5	98.0	–	94.3

*(2001 जनगणना)

(ग) गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या का प्रतिशत बहुत कम है अर्थात् 26.10 की राष्ट्रीय औसत की तुलना में केवल 4.40 है।

(घ) प्रवासियों की संपत्ति की देखभाल करने के लिए अप्रवासी भारतीयों के लिए एक आयुक्तालय स्थापित किया गया है।

(ङ) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के प्रवासियों पर सरकार को विशेष ध्यान रखना चाहिए और उसे पी डी एस के तहत कवर करना चाहिए।

(च) अर्ध-कुशल प्रवासी श्रमिक मुख्यत: कर्नाटक से आते हैं।

(छ) गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के उत्थान के लिए विशेष योजनाएं लागू करनी चाहिए।

10. विद्यमान आरक्षण नीति

17 समुदायों की अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में पहचान की गई है जिनमें से कुछ ईसाई समुदाय भी हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में कोई भी मुस्लिम समुदाय शामिल नहीं है।

11. अन्य पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिए विद्यमान मानदंड

धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का पहचानने के लिए जाति को आधार माना गया हैं।

12. राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विकास योजनाएं/कार्यक्रम

सामाजिक कल्याण निदेशालय अनुसूचित जाति/अन्य पिछडा वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाएं जैसे आवास, वृत्तिका, मेधावी छात्रवृति, स्कूलों में अनुशिक्षण कक्षाएं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना आदि, चलाते हैं।

13. भाषायी अल्पसंख्यक:

(i)	राज्य की राजभाषा	:	कोंकणी
(ii)	राज्य में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं	:	मराठी, कन्नड़, हिन्दी, उर्दू और मलयालम

14. आयोग के साथ परस्पर संवाद के दौरान राज्यपाल/मुख्यमंत्री/अन्य मंत्रियों द्वारा की गई टिप्पण्यिां :

(क) गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रताप सिंह राणे ने निम्नलिखित टिप्पणिया की:

(ii) गोवा में कोई भी धर्मान्तरित नहीं है और जातीय अल्पसंख्यकों को कोई खास परेशानी नहीं है।

(iii) अधिशेष संपत्तियों के लिए सामुदायिक भूमि की अवधारणा लोगों में हैं।

(iv) पिछले 10 वर्षों में या उससे अधिक समय से किसी भी प्रकार के भेदभाव की रिपोर्ट नहीं की गई है।

(v) महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हैं।

(ख) डॉ॰ विल्फ्रेड ए॰ डिसूज़ा , उप मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं–

(i) अपने स्कूल चलाने में जनजातियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं क्योंकि वे लागू कानून के अनुसार कार्य नहीं करते हैं।

(ii) मराठी, गुजराती और कन्नड़ भाषा को अल्पसंख्यक भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिएं।

(ग) शिक्षा मंत्री, गोवा ने निम्नलिखित टिप्पणियों की–

(i) संपत्ति में पति–पत्नी दोनों का 50–50 प्रतिशत हिस्सा होना चाहिए।

(ii) राज्य में एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाना चाहिए।

(घ) श्री जे॰पी॰ सिंह, मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

(क) गोवा आदर्श राज्य है और अपने विकास के लिए सूचना प्रौद्यागिकी और अद्यतन तकनीकों का प्रयोग कर रहा है।

(ख) साम्प्रदायिक दंगों के छुट–पुट मामलों को छोड़ दें तो गोवा में भाषायी और धार्मिक समुदायों के बीच सामाजिक सौहार्द का माहौल है।

(ग) राज्य में समुदायों के बीच कोई विर्शष समस्या नहीं है। सुदूर तटीय क्षेत्रों में कुछ भेद अवश्य है।

(घ)10+2 आयु वर्ग के युवाओं में विदेश जाने के प्रति रूझान है।

15. विचारार्थ विषयों से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणियां:

(i) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए प्रस्तावित मानदंड और पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए मानदंड के रूप में गरीबी रेखा की संकल्पना: जाति को मानदंड के तौर पर प्रस्तावित किया गया है।

(ii) नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर (सम्पन्न व्यक्ति) की संकल्पना: आरक्षण में हर स्तर पर क्रीमी लेयर आवेदन कर सकती है।

(iii) ईसाई/इस्लाम में धर्मान्तरित लोगों को अनुसूचित जाति का स्तर प्रदान करना: गोवा में धर्मान्तरित लोग नहीं हैं।

16. सामुदायिक प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य प्रतिभागियों की विभिन्न विषयों पर टिप्पणियां:

(i) मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के अनुसार –

(क) अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में कोई भी मुस्लिम समुदाय शामिल नहीं है।

(ख) मुस्लिम स्कूलों को अल्पसंख्यक संस्थाओं में शामिल नहीं माना जाता है क्योंकि प्राधिकारी ऐसे प्रमाण–पत्र को नहीं मानते हैं।

(ग) शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण उर्दू स्कूल नहीं चल रहे हैं।

(घ) मडगांव में कब्रिस्तान बनाने के लिए सामुदायिक भूमि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(ii) जैन समुदाय के प्रतिनिधियों ने अनुरोध किया कि गोवा में जैन धर्म मे पुराने मंदिरों और पवित्र स्थानों को सुरक्षा प्रदान करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए।

अनुबंध 8.5

गुजरात राज्य में किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट का सार

1. राज्य का नाम : गुजरात

2. निरीक्षण की तारीख : 24–25 मई, 2006

3. आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों का विवरण जिन्होंने राज्य का दौरा किया। : (i) श्री न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, अध्यक्ष
(ii) श्रीमती आशा दास, सदस्य सचिव

4. राज्य द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता प्राप्त धार्मिक समुदाय :

5. संक्षेप में राज्य का जनसंख्या संबंधी ब्यौरा:

		सभी धार्मिक समुदाय	हिन्दु	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या	लाखों में	506.71	451.43	45.92	2.84	0.46	0.18	5.25	0.12	0.28
	प्रतिशत (%) में	100	89.1	9.1	0.6	0.1	नगण्य	1.0	नगण्य	नगण्य
महिला/पुरूष अनुपात	हजार में से	920	918	937	988	824	889	969	–	986

*(2001 जनगणना)

6. अल्पसंख्यकों के विकास के लिए राज्य का प्रशासनिक ढांचा:

अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कार्य कर रहा है।

अन्य संस्थागत ढांचा

(i) पिछडे वर्गों के लिए राज्य आयोग

(ii) गुजरात अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम लिमिटेड

(iii) राज्य वक्फ बोर्ड

(iv) राज्य हज समिति

7. शैक्षणिक स्थिति:

(i) साक्षरता दर*

साक्षारता दर %	व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिन्दु	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
	कुल	69.1	68.3	73.5	77.7	85.1	66.9	96.0	–	69.9
	महिला	57.8	56.7	63.5	71.2	79.7	53.6	93.5	–	64.1

*(2001 जनगणना)

(ii) I-X कक्षा में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों का प्रतिशत 62.82 है जो 62.58 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत के लगभग समान ही है।

(iii) मदरसा शिक्षा

(क) धार्मिक अल्पसंख्यकों के 675 स्कूल है– (सरकारी स्कूल–304 और सहायता प्राप्त स्कूल–371)

(ख) मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां।

(ग) रिहायशी इलाकों के 1 कि॰मी॰ की सीमा के अंदर प्राथमिक स्कूल की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(घ) कन्या कल्वणी रथ यात्रा–स्कूलों में लड़कियों की सौ प्रतिशत भर्ती सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना कि प्राथमिक स्तर पर शून्य प्रतिशत लड़कियां पढ़ाई छोड़ें।

(ङ) प्रवासी मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में मदद करने के लिए गैर सरकारी संगठन कार्यरत हैं।

(च) सिलाई, कढ़ाई, कालीन बुनने आदि के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त कार्यशालाओं के द्वारा व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। अब तक 1700 लाभार्थियों के प्रशिक्षण पर 20.53 लाख रुपए खर्च किया जा चुका है।

(छ) धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए योग्यता शिक्षा और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का प्रबंध किया जाएगा और इसके अलावा इसाइयों और मुस्लिमों को शिक्षा के क्षेत्र में छात्रवृत्ति और सुलभ ऋण व आरक्षण का लाभ तथा नौकरियां दी जाएंगी।

(ज) विश्वविद्यालय स्तर पर पाली भाषा के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

8. स्वास्थ्य की स्थिति:

जन्मदर (%)	मृत्यु दर (%)	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जन्में बच्चों में से)	राज्य में एलोपौथिक अस्पतालों और बिस्तरों (सी एच सी सहित) की संख्या		राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या
			अस्पताल	बिस्तर	
24.6	7.6	57	503	35056	1070

स्रोत: हेल्थ इन्फोर्मेशन ऑफ इंडिया 2005

केंद्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, डीजीएचएस द्वारा प्रकाशित सीएचसी: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

9. आर्थिक स्थिति

(क) कार्य प्रतिभागिता दर:*

व्यक्ति %	सभी धार्मिक समुदाय	हिन्दु	मुस्लमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
पूरुष	54.9	55.2	51.1	54.1	54.9	54.0	56.2	–	56.9
महिला	27.9	29.6	13.0	37.5	7.4	12.9	6.8	–	35.8

*(2001 जनगणना)

(ख) व्यवसायिक वर्गीकरण:

(प्रतिशत में)

नाम	सभी धार्मिक समुदाय	हिन्दु	मुस्लमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
खेतिहर मजदूर	27.3	28.7	11.9	25.6	4.7	2.5	2.6	–	34.2
घरेलु उद्योग	24.3	25.2	14.7	24.5	2.5	8.4	1.1	–	22.1
अन्य कार्मिक	2.0	1.9	3.6	1.3	1.4	0.9	1.7	–	1.6
अन्य कामगार	46.4	44.1	69.7	48.7	91.4	88.3	94.6	–	42.1

*(2001 जनगणना)

(ग) गरीबी की रेखा से नीचे गुज़र-बसर करने वाले लोगों की संख्या का प्रतिशत बहुत कम है अर्थात् 26.10 की राष्ट्रीय औसत की तुलना में केवल 14.07 है।

(घ) बैंक के प्रतिनिधियों की राय में गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे परिवारों के लिए आय मानदंड है और आवासीय स्थिति के साथ-साथ समय-समय पर यूनिट लागत की समीक्षा की जानी चाहिए।

(ङ) ग्रामीण मुस्लिम हाशिए पर पहुंच गए हैं और नई आर्थिक नीति से मुस्लिम दस्तकार जैसे शिल्पकार, बुनकर, कुम्हार आदि प्रभावित हुए हैं।

10. वर्तमान आरक्षण नीति:

सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 27 प्रतिशत पद सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित है।

11. अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए विद्यमान मानदंड:

राज्य सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान नहीं की है परन्तु जाति, परम्परागत व्यवसाय, अचल (भूमि) सम्पत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, आय, परिवार के आकार, आवास आदि जैसे विभिन्न मानदंडों के आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों में से 29 जातियों की पहचान की है।

12. राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विकास योजनाएं/कार्यक्रम:

(i) सरकार के स्तर पर:

(क) मानव गारिमा योजना के तहत स्व रोजगार-3000/रु के औजार (किट) दिया जाता है।

(ख) कुटीर उद्योग-बैंक ऋण की एवज़ में 3000 रु की आर्थिक सहायता करना।

(ग) महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र-सिलाई सीखने के लिए 250/-रु प्रति माह की वृत्तिका और सिलाई मशीन खरीदने के लिए 1500/-रु॰ देना।

अन्य:

(i) गुजरात अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाएं कार्यान्वित करता है, जो निम्नलिखित हैं:-

(ii) मियादी ऋण के लिए सीधी वित्त योजना, उपांत धन योजना, लघु-वित्त, शैक्षणिक ऋण आदि।

(iii) महिला समृद्धि योजना-अल्पसंख्यकों की प्रशिक्षित महिलाओं को स्वावलंबन समूहों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना।

(iv) बैंक संबंधी जानकारी प्रदान करना:

बैंक के प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित टिप्पणियां की:

(क) विभिन्न योजनाओं का लाभ अत्यधिक गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है।

(ख) लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

(ग) बिचौलियों को हटाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि लाभार्थी सीधे बैंक से संपर्क कर सकें।

13. भाषायी अल्पसंख्यक:

(i) राज्य की राज्य भाषा: गुजराती और हिंदी

(ii) राज्य में बोली जाने वाली: उर्दू, सिंधी और मराठी

14. चयनित निकायों में धार्मिक समुदायों का प्रतिनिधित्व:

संसद सदस्यों की	धार्मिक अल्पसंख्यकों कुल संख्या	की संख्या
संसद	37	1 (राज्य सभा)
विधान सभा	182	3

15 राज्यपाल/मुख्यमंत्री और अन्य सरकारी अधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणियां:

(i) गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई टिप्पणियां निम्नलिखित हैं:

(क) धर्म, जाति या भाषा का भेदभाव किए बिना राज्य में कल्याण योजनाएं चलाई जा रही है।

(ख) आरक्षण नीति, धर्म या जाति पर आधारित नहीं होनी चाहिए।

(ग) एस ई बी सी में शामिल 29 अल्पसंख्यक समुदायों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है।

(घ) ईसाई या इस्लाम में धर्मान्तरितों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वे पिछड़ी जाति की सूची में आते हैं।

गुजरात सरकार के मुख्य सचिव और अन्य सचिवों की टिप्पणियाँ:

श्री सुधीर मंकड़, मुख्य सचिव ने कहा कि अब तक 128 जातियों/वर्गों/ समूहों की एस ई बी सी के रूप में पहचान की गई है। इनमें से 28 मुस्लिम समुदाय की और एक इसाई समुदाय से हैं।

16. विचारार्थ विषयों से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणियाँ:

(i) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए प्रस्तावित मानदंड और पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए मानदंड के रूप में गरीबी रेखा की संकल्पना: राज्य सरकार का मानना है कि इस संबंध में अलग से कार्य करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि गरीबों के उत्थान के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में अन्य समुदायों के साथ सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय पहले से ही शामिल हैं।

(ii) नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण में क्रीमी लेयर की संकल्पना: कहा गया कि धार्मिक अल्पसंख्यकों से क्रीमी लेयर को अन्य पिछड़ी जातियों की सूची से हटा देना चाहिए।

(iii) ईसाई/इस्लाम में धर्मान्तरित लोगों को अनुसूचित जाति का स्तर प्रदान करना: राज्य सरकार की राय में इसाई या इस्लाम में धर्मान्तरितों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वे पिछड़ी जाति की सूची में आते हैं। तथापि, ईसाई और मुसलमान समाज के प्रतिनिधियों ने इस दर्जे की वकालत की जबकि सिख समुदाय के प्रतिनिधि यह दर्जा दिए जाने के पक्ष में नहीं थे।

17. विभिन्न मुद्दों पर सामुदायिक प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य प्रतिभागियों की टिप्पणियाँ:

अध्यक्ष, गुजरात राज्य हज समिति के अनुसार:

(i) अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त बक्शी आयोग धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए उपयुक्त नहीं है। इनकी पहचान करने के लिए आय को मानदंड बनाना चाहिए।

(ii) धार्मिक अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्ग और सभी सामाजिक-अर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति अलग-अलग होने के कारण। उनके लिए समान मानदंड नहीं होना चाहिए।

(iii) सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अंदर धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए आरक्षण दिया जाए।

(iv) सीनियर सिटिज़न एसोसिएशन, मुस्लिम सोसाइटी काम्प्लैक्स के प्रतिनिधियों के अनुसार पिछड़ी जातियों की पहचान करने के

लिए बने वर्तमान मानदंड उपयुक्त/युक्ति युक्त हैं परतु वर्तमान उपायों ने धामिक अल्पसंख्यकों और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की शिक्षा और आर्थिक विकास के क्षेत्र में मददगार साबित नहीं हुई है।

(v) मुस्लिम धोबी समिति ने सम्पूर्ण भारत की अनुसूचित जाति की सूची में धोबियों को शामिल करने की मांग की है।

(vi) अध्यक्ष, मणिनगर सिंधी पंचायत, अहमदाबाद ने मांग की कि विधायी निकायों में सिंधी समुदाय का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सिंधी अकादमी को दिए जाने वाले अनुदान को बढ़ाया जाना चाहिए और उन्हें कृषि भूमि की खरीद करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

(vii) बौद्ध धर्म के प्रतिनिधियों ने उल्लेख किया कि बौद्ध समुदाय को अनुसूचित जाति से हटा कर अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया जाना चाहिए, राज्य सरकार को बुद्ध जयंती के अवसर पर अवकाश घोषित करना चाहिए, राज्य में स्थित बौद्ध मूर्तियों, स्मारकों गुफाओं आदि का रखरखाव और सुरक्षा की जानी चाहिए।

(viii) गैर सरकारी संगठन (प्रशांत) के प्रतिनिधियों ने कहा कि दलित/जनजाति/मुस्लिम राज्य में अपनी पसंद से घर या दुकान नहीं खरीद सकते और उन्हें बेहतर शिक्षा मुहैया नहीं है।

(ix) पारसी समुदाय ने देश में कम होती पारसी जनसंख्या पर चिंता जताई और राज्यसभा में एक पारसी व्यक्ति के नामाकंन का सुझाव दिया।

(x) कामगार स्वास्थ्य सुरक्षा मंडल ने जानकारी दी की वाल्मीकी समाज के सदस्य जीवन भर सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करने को बाध्य है अत: उन्हें विशेष आरक्षण देने का सुझाव दिया।

(xi) अहमदाबाद वीमेन्स एक्शन ग्रुप की सचिव ने कहा कि गरीबी के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं क्योंकि वे अपने परिवार के लिए कमाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं।

(xii) श्री गुजरात वनवासी कल्याण परिषद् की राय में आर्थिक पिछड़ेपन के लिए परिवार को मानदंड बनाना चाहिए।

अनुबंध: 8.6

हरियाणा राज्य में किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट का सार

1. राज्य का नाम : हरियाणा

2. निरीक्षण की तारीख : 24 फरवरी, 2006.

3. आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों का विवरण जिन्होंने राज्य का दौरा किया : (i) न्यायामूर्ति रंगनाथ मिश्रा, अध्यक्ष
(ii) डॉ॰ मोहिंदर सिंह, सदस्य
(iii) श्रीमति आशा दास, सदस्य सचिव

4. राज्य द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता प्राप्त धार्मिक समुदाय : —

5. संक्षेप में राज्य का जनसंख्या संबंधी ब्यौरा:**

		सभी धार्मिक समुदाय	हिन्दु	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या	लाखों में	211.4	186.5	12.2	0.3	11.7	0.1	0.6	24*	0.21
	प्रतिशत (%) में	100	88.2	5.8	0.1	5.5	नगण्य	0.3	–	–
महिला/पुरूष अनुपात	हजार में से	861	858	870	918	893	783	911	–	790

* (पूर्णांकों में)

** (2001 की जनगणना)

6. अल्पसंख्यकों के विकास के लिए राज्य का प्रशासनिक ढांचा:

(i) हरियाणा सरकार ने ''हरियाणा सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन'' नाम से एक राज्य स्तरीय निकाय का गठन किया है।

(ii) अन्य संस्थागत ढांचे।

राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना की गई:

(iii) हरियाणा वक्फ बोर्ड

(iv) वर्ष 1995 में राज्य मध्यस्थ एजेंसी के रूप में हरियाणा की पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कल्याण निगम की स्थापना की।

7. शैक्षिक स्थिति:

(i) साक्षरता दर:*

साक्षारता दर %	व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिन्दु	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
कुल जनसंख्या	कुल	67.9	69.4	40.0	85.3	68.9	67.4	94.2	–	66.9
महिला	महिला	55.7	57.1	21.5	81.8	62.2	54.9	90.7	–	57.7

* (2001 की जनगणना)

(ii) कक्षा IX तक राष्ट्रीय औसत के 62.58 की तुलना में 29.14 की दर से बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं।

(iii) शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े अल्पसंख्यकों में शैक्षणिक उत्थान के लिए एक योजना बनाई गई है जिसके तहत मुफ्त वर्दी, मुफ्त स्टेशनरी और उन छात्रों, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 50,000/– से कम है, को साइकिल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iv) हरियाणा में श्री बाबा मस्तनाथ डेंटल कॉलेज एंड हास्पिटल, अस्थल बोहर और श्री बाबा मस्तनाथ आर्युवेद डिग्री कॉलेज, अस्थल बोहर (रोहतक), ये दो व्यवसायिक चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाए हैं जिन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है।

(v) वहां पाँच तकनीकी शिक्षा संस्थाएं हैं जहां अल्पसंख्यक संस्थाओं में 42.5 प्रतिशत आरक्षण अल्पसंख्यकों के लिए है।

(vi) शिक्षा के लिए ऋण योजना के तहत, हरियाणा के अल्पसंख्यक समुदाय के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिनकी आय क्रमश: 40,000/– रू. और 55,000/– तक है, को 2.50 लाख रु॰ तक का ऋण 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है।

(vii) उर्दू माध्यम के स्कूलों, उर्दू शिक्षकों और संस्थाओं में आधारिक संरचना की कमी है। केवल फतेहबाद जिले में ही करीब एक तिहाई शिक्षकों के पद खाली हैं।

(viii) मुस्लिम समुदाय के व्यापक हित में यह आवश्यक है कि पारम्परिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा को अलग किया जाए।

(ix) वहां हरियाणा उर्दू और पंजाबी साहित्य अकादमी स्थापित है।

(x) राज्य सरकार सामान्य रूप से अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक पिछड़ेपन और खासतौर पर अल्पसंख्यक महिलाओं में शैक्षणिक पिछड़ेपन को लेकर चिंतित हैं।

(xi) 557 स्कूल के कमरे, 6 मेवात मॉडल स्कूल, 1 लड़कियों का होस्टल, 3 आई टी आई, पाँच आवासीय कॉलानियों में 418 घर, रोजका मेओ और हाथिन में औद्योगिक एस्टेट, सामुदायिक भवन और फिरोजपुर झिर्का में बहुउद्देशीय ऑडिटोरियम बनाए हैं।

(xii) छात्रों को वृत्तिका के तौर पर साइकिल और वर्दी दी जाती है। लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। व्यवसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है।

8. स्वास्थ्य की स्थिति:

(i)

जन्म दर (%)	मृत्यु दर (%)	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जन्में बच्चों में से	राज्य में ऐलोपैथिक अस्पतालों और बिस्तरों (सी एच सी सहित) की संख्या		राज्य में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की संख्या
			अस्पताल	बिस्तर	
26.3	7.1	59	133	7118	408

स्रोत: हेल्थ इंफोमेशन ऑफ इंडिया 2005

केंद्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, डी जी एच एस द्वारा प्रकाशित

सी एच सी: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

(ii) राज्य द्वारा कई स्वास्थ्य कल्याण उपाय किए गए हैं जैसे–आई सी डी एस कार्यक्रम क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम, भ्रूणहत्या (गर्भपात) को बंद करना, अल्ट्रासांउड क्लीनिकों पर रोक, जच्चा-बच्चा की देखभाल आदि।

9. आर्थिक स्थिति:

(क) कार्य प्रतिभागिता दर*:

(प्रतिशत में)

व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिन्दु	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
पुरुष	50.3	50.4	45.2	53.3	53.1	49.9	52.6	–	53.8
महिला	27.2	27.6	29.4	23.4	19.9	22.4	7.4	–	23.3

*(2001 की जनगणना)

(ख) व्यवसायिक वर्गीकरण*:

नाम	सभी धार्मिक समुदाय	हिन्दु	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
कृषक	36.0	35.9	34.5	2.9	41.8	6.7	4.2	–	15.6
खेतीहर मज़दूर	15.3	15.0	18.4	10.5	16.4	25.4	0.5	–	9.7
हरति उद्योग	2.6	2.5	2.5	1.3	2.8	3.5	5.4	–	3.6
अन्य कामगार	46.1	46.5	44.5	85.3	38.9	64.4	89.9	–	71.1

* (2001 की जनगणना)

(ग) राष्ट्रीय औसत (26.10 %) की तुलना में गरीबी की रेखा से नीचे गुजरबसर करने वाले परिवारों की संख्या कम (8.74 %) है।

(घ) 52 पशुपालन केंद्र और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

10. (क) राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विकास योजनाएं/कार्यक्रम।

(i) हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। 15.2.2006 तक निगम ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के 4943 लोगों को स्व-रोज़गार उपलब्ध कराया है और 17.73 करोड़ रुपए बाँटे हैं।

(ii) जिला ग्रामीण विकास एजेंसी अल्पसंख्यकों सहित समाज के कमज़ोर वर्गों के बीच योजनाओं और वित्तीय सहायता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ऋण कैंप आयोजित करती है।

(iii) ग्रामीण विकास और स्व-रोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (RUDSET) द्वारा अल्पसंख्यक बहुल मेवात क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली योजनाओं के बारे में जागरूकता लाने के लिए पाठ्यक्रम चलाते हैं।

(iv) वर्ष 1980 में हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री, हरियाणा की अध्यक्षता में मेवात विकास बोर्ड (MDB) का गठन किया है। सरकार ने चालू योजनाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य,सामुदायिक कार्य, खेल-कूद, कृषि, पशुपालन, औद्योगिक प्रशिक्षण आदि के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 62.07 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

(v) मेवात विकास एजेंसी ने स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से मेओ महिलाओं को सामाजिक एकीकरण के लिए जागरूक बनाया है। करीब 1928 से भी अधिक स्वयंसेवी समूह कार्य कर रहे हैं जिनमें 26717 से भी अधिक महिलाएं सदस्य के रूप में जुड़ी हुई हैं। महिलाएं अपने परिवार के लिए स्वयं जीविकोपार्जन करने लगी हैं और अपने रोज़गार से 1500/-रु से 7000/-रु प्रति माह तक प्राप्त कर रही हैं।

(vi) हरियाणा के अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के लिए जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण और शहरी इलाकों में क्रमश: 40,000/-रु और 55,000 रु है, को सावधि ऋण योजना और उपांत धन ऋण योजना के तहत पांच लाख रु. तक ऋण दिया जाता है।

(ख) बैंको से संबंधित सूचना:

बैंकों को दो स्तरों पर कार्यवाही करनी चाहिए अर्थात 'गरीबी की रेखा के नीचे' रहने वाले परिवारों और 'गरीबी की रेखा के ऊपर' रहने वाले परिवारों के लिए अलग-अलग होनी चाहिए।

11. भाषायी अल्पसंख्यक:

(i)	राज्य की राजभाषा	:	हिन्दी
(ii)	राज्य में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं	:	अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी

12. आयोग के साथ परस्पर संवाद के दौरान राज्यपाल/मुख्यमंत्री/अन्य अधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणियां:

(i) आयोग ने हरियाणा के राज्यपाल और मंत्रियों से मुलाकात की।

(ii) श्रीमति मीनाक्षी आनंद चौधरी, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ने राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे विविध कार्यक्रमों का उल्लेख किया।

(iii) सचिव, शिक्षा विभाग ने कहा कि जाति और धर्म का भेदभाव किए बिना सभी को प्राथमिक स्तर के स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है। VI कक्षा में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की लड़कियों को मुफ्त स्टेशनरी और मुफ्त वर्दी दी जाती है।

(iv) आयुक्त, शिक्षा ने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यकों की शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन को लेकर चिंतित है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और व्यवसायिक शिक्षा पर अधिक ज़ोर दिया जाता है।

(v) हरियाणा वित्त निगम के प्रबंध निदेशक ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बनाई जा रही विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया।

(vi) निदेशक, स्वास्थ्य सेवा ने स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न कल्याण उपायों जैसे आई एम आर, एम एम आर, दीर्घायु, महिला–पुरुष अनुपात, गर्भपात को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख किया।

(vii) सचिव, सामाजिक कल्याण विभाग ने राज्य सरकार द्वारा महिला–पुरूष के घटते अनुपात को रोकने के लिए किए गए उपायों और अल्पसंख्यक समुदाय सहित राज्य में बालिकाओं के कल्याण के लिए उठाए गए एकीकृत कदमों से अवगत कराया। लड़कियों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे लड़कियों के लिए अलग स्कूल, लड़कियों का हॉस्टल, उच्च शिक्षा के लिए लड़कियों को वृत्तिका, लड़कियों के नाम पर 20 वर्ष के लिए आवधिक जमा जिसका उपयोग उनकी शादी के अवसर पर किया जा सके और लड़की के माता–पिता को वृद्धावस्था पेंशन।

13. विचारार्थ विषयों से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणियां:

(i) धार्मिक और भाषासी अल्पसंख्यकों में से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए प्रस्तावित मानदंड और पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए मानदंड के रूप में गरीबी रेखा की संकल्पना;

अनूसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के मामले में पालन किए गए मानदंड को धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के लोगों के मामले में भी लागू किया जा सकता है।

(ii) नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण में क्रीमी लेयर (Creamy layer) की संकल्पना: ऐसा माना गया कि अन्य पिछड़े वर्गों पर लागू क्रीमी लेयर की संकल्पना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों पर भी लागू होनी चाहिए।

(iii) ईसाई/इस्लाम में धर्मान्तरित लोगों को अनुसूचित जाति का स्तर प्रदान करना:

कहा गया कि ईसाई या इस्लाम में धर्मान्तरित होने पर भी समाज में अनुसूचित जाति के दर्जे में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अत: ऐसे व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाएगा। तथापि, अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों द्वारा इस विषय पर अलग–अलग राय दी गई।

14. सामुदायिक प्रतिनिधियों, गैर–सरकारी संगठनों और अन्य प्रतिभागियों की विभिन्न विषयों पर टिप्पणियां:

(i) अल्पसंख्यक सहित पिछड़े वर्गों के लिए बनाई गई विकास और कल्याण योजनाओं का लाभ अभी भी अत्यंत गरीबों को नहीं मिल पा रहा है।

(ii) घटते महिला–पुरूष अनुपात को रोकने के लिए उपाय किए गए हैं।

(iii) राज्य में मुसलमानों का समस्याओं से निपटने के लिए निधि और योजनाओं की कमी है।

(iv) शिक्षा के क्षेत्र में सिख समुदाय को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे पंजाबी स्कूलों की कमी, सामान्य और गुरमुखी भाषा के शिक्षकों, और बुनियादी सुविधाओं आदि की कमी।

(v) जागरूकता और शिक्षा के क्षेत्र में कमी के कारण ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ मुस्लिम लाभार्थियों को नहीं मिल पा रहा है।

(vi) धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण कोटे में से आरक्षण लागू किया जा सकता है।

(vii) अन्य वर्गों के साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण नियमित अंतराल, अनुमेय तौर पर प्रति पांच वर्षों में किया जाना चाहिए।

(viii) ऐसे स्थान, जहां पर बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक रहते हैं, वहां पर उपयुक्त नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(ix) महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण किया जाना चाहिए।

(x) राज्य द्वारा ईसाई मिशनरी अस्पतालों को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करनी चाहिए।

15. एन सी आर एल एम की टिप्पणियां:

न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, अध्यक्ष, एन सी आर एल एम ने कहा कि क्रीमी लेयर से आकर (सम्पन्न व्यक्ति) स्नातक करने के बावजूद एक बड़ी संख्या में लोग शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जो सामाजिक ढांचे के लिए गंभीर समस्या का परिचायक है।

अनुबंध-8.7

हिमाचल प्रदेश राज्य में किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट का सार

1. राज्य का नाम : हिमाचल प्रदेश

2. निरीक्षण की तारीख : 8-9 जून, 2006

3. आयोग के अध्यक्ष/ सदस्यों का विवरण जिन्होंने राज्य का दौरा किया।
   (i) श्री न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा अध्यक्ष
   (ii) श्रीमती आशा दास, सदस्य सचिव

4. राज्य द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता प्राप्त धार्मिक समुदाय : मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन

5. संक्षेप में राज्य का जनसंख्या संबंधी ब्यौरा:*

		सभी धार्मिक समुदाय	हिन्दु	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
राज्य/संघ राज्य	लाखों में	60.8	58.0	1.2	0.08	0.7	0.8	0.01	–	नगण्य
क्षेत्र की कुल जनसंख्या	प्रतिशत (%) में	100.0	95.4	2.0	0.1	1.2	1.2	नगण्य	–	–
महिला/पुरूष अनुपात	हजार में से	968	973	806	822	898	942	877	–	1005

*(2001 की जनगणना)

6. अल्पसंख्यकों के विकास के लिए राज्य का प्रशासनिक ढांचा:

(i) सरकार के स्तर पर

(क) माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड गठित किया गया है जिसके तहत मामलों और समस्याओं का निपटान किया जाता है।

(ख) राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की भी स्थापना की गई है।

(ग) हिमालच प्रदेश वक्फ बोर्ड

(घ) राज्य हज समिति

(ङ) हिमालच अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम

7. शैक्षाणिक स्थिति:

(i) साक्षरता दर*:

साक्षारता दर %	व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिन्दु	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
	कुल	76.5	76.8	57.5	82.8	83.0	73.7	96.3	–	78.0
	महिला	67.4	67.7	46.6	79.5	76.2	64.7	94.8	–	74.3

* (2001 जनगणना)

(ii) 62.58 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में 29.25 प्रतिशत छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं।

(iii) मदरसा शिक्षा

(क) राज्य में 14 मदरसे हैं जो उर्दू, अरबी और धार्मिक शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए प्राथमिक से 10 + 2 तक की शिक्षा दे रहे है।

(ख) वक्फ बोर्ड जरूरतमंद और मेधावी छात्रों को योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

(ग) वक्फ बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से मान्यताप्राप्त एक इस्लामिया स्कूल चलाया जा रहा है।

(iv) आई आर डी पी छात्रवृत्ति

(v) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(vi) मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति

(vii) परीक्षा पूर्व कोचिंग और सम्बद्ध योजना

(viii) वहां एक उर्दू अकादमी भी है और दो स्थानों पर उर्दू की कक्षाएं ली जाती हैं।

(ix) अल्पसंख्यकों में कमज़ोर वर्ग को शिक्षा स्नातक (B.Ed.), व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा की सुविधा मुहैया कराने की आवश्यकता है।

(x) सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े मुस्लिम गैर-सरकारी संगठनों के लिए 30 प्रतिशत बजट उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(xi) 50 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 112 व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र।

(xii) 300 की जनसंख्या के लिए एक आंगनवाड़ी केंद्र।

8. स्वास्थ्य की स्थिति:

जन्म दर (%)	मृत्यु दर (%)	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जन्में बच्चों में से	राज्य में ऐलोपैथिक अस्पतालों और बिस्तरों (सी एच सी सहित) की संख्या		राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या
			अस्पताल	बिस्तर	
20.6	7.1	49	141	7786	438

स्रोत: हेल्थ इंफोमेशन ऑफ इंडिया 2005

केंद्रीय स्वास्थय आसूचना ब्यूरो, डी जी एच एस द्वारा प्रकाशित

सी एच पी: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

9. आर्थिक स्थिति:

(क) कार्य प्रतिभागिता दर*:

व्यक्तियों	सभी धार्मिक समुदाय	हिन्दु	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
पुरुष	54.6	54.7	56.3	60.1	52.5	50.9	54.5	–	46.7
महिला	43.7	44.1	32.9	32.5	23.4	46.4	10.2	–	15.0

*(2001 जनगणना)

(ख) व्यवसायिक वर्गीकरण:

नाम	सभी धार्मिक समुदाय	हिन्दु	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
कृषक	65.3	66.1	49.4	9.7	39.9	55.2	1.9	–	29.8
खेतिहर मजदूर	3.1	3.1	3.9	4.2	3.0	2.3	1.5	–	6.1
घरेलू उद्योग	1.8	1.7	2.7	1.9	2.2	2.5	8.2	–	3.1
अन्य कामगार	29.8	29.0	44.1	84.2	54.9	40.0	88.4	–	61.1

*(2001 जनगणना)

(ग) 26.10 प्रतिशत की राष्ट्रीय स्तर की तुलना में केवल 7.63 प्रतिशत की जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे अपना गुजरबसर कर रही है।

(घ) सितम्बर, 1996 में हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम का गटन किया गया।

10. अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान करने के लिए विद्यमान मानदंड:

मानदंड निम्नलिखित हैं:

सामाजिक रूप से पिछड़ापन, जाति और आर्थिक पिछड़ापन (गरीबी रेखा के नीचे) को मानदंड के रूप में माना गया है।

11. राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विकास योजनाएं/कार्यक्रम।

(i) हिमालच अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम

(क) कृषि संबंधी गतिविधियों, सेवा क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र के लिए स्व रोजगार उत्पन्न करने के लिए ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ख) स्व रोजगार उद्यमों के तहत महिला उद्यमी के सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।

(ग) उपांत धन और सावधि ऋण योजनाएं और लघु उद्योगों के लिए ऋण।

(घ) अंतर जातीय विवाहों को बढ़ावा देना।

(ङ) निगम ने 5 करोड़ रूपए की शेयर पूंजी प्राधिकृत की है और मई, 2006 तक 629.39 लाख रूपए तक ऋण का वितरण किया है।

12. भाषायी अल्पसंख्यक:

(i) राज्य की राजभाषा	:	हिंदी
(ii) राज्य में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं	:	अंग्रेजी पहाड़ी, कांगड़ी, पंजाबी, नेपाली, डोगरी भोटी

13. आयोग के साथ परस्पर संवाद के दौरान मुख्य सचिव द्वारा की गई टिप्पणिया।

(i) मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश ने कहा कि शिक्षित लोगों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के मद्दे नजर शिक्षा प्रशिक्षण और कौशल को बढ़ाने के लिए सुविधाओं को सुधारने की आवश्यकता है।

(ii) उन्होंने गरीबी रेखा के नीचे गुज़र बसर करने वाले लोगेां और अन्य पिछड़ी जातियों के मानदंड पर आधारित एक समेकित फार्मूला इजाद करने का सुझाव भी दिया।

14. विचारार्थ विषयों से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणियां:

(i) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए प्रस्तावित मानदंड और पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए मानदंड के रूप में गरीबी रेखा की संकल्पना ऐसा माना गया कि:

(क) उनका जाति, सम्प्रदाय, धर्म और भाषा के भेदभाव की बजाय पिछड़ेपन को मानदंड मानना चाहिए।

(ख) गरीबी की सीमा-रेखा को समाज के पिछड़े वर्गों को पहचानने का मानदंड होना चाहिए और सभी सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लाभ उनको मुहैया किए जाने चाहिए और जाति, सम्प्रदाय या धर्म पर आधारित भेदभाव को दूर करना चाहिए।

(ii) नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर (creamy layer) की संकल्पना:

(क) राज्य सरकार का मानना हे कि क्रीमी लेयर को सही तौर पर परिभाषित किया जाना चाहिए। इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या परिवार में से एक व्यक्ति को एक बार लाभ दिया जाना चाहिए या पिछड़े वर्ग के पूरे परिवार को एक बार लाभ दिया जाना चाहिए।

15. विभिन्न विषयों पर सामुदायिक प्रतिनिधियों, गैर–सरकारी संगठनों और अन्य प्रतिभागियों की टिप्पणियां:

(क) अखिल हिमाचल मुसलमान कल्याण समाज के अध्यक्ष ने कहा कि मुसलमानों को समग्र रूप से 'अन्य पिछड़ा वर्गों' के तौर पर अधिसूचित किया जाना चाहिए और उनके लिए अखिल भारतीय सेवाओं में 5 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में मुसलमान महिलाओं की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और उन्हें सभी स्तरों पर विकास के मौके दिए जाने चाहिए।

(ख) रेव (Rev) अशोक मैसे, सदस्य अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड, ने सुझाव दिया है कि मुसलमान और ईसाईयों के गैर सरकारी संगठनों को और विकासात्मक मुद्दों पर बनाई गई समितियों में शामिल किया जाना चाहिए।

(ग) श्री एन॰ ए॰ हाशमी, सदस्य वक्फ बोर्ड ने अल्पसंख्यकों में शामिल कमज़ोर वर्गों के लिए शिक्षा स्नातक व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा के लिए सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

अनुबंध: 8.8

जम्मू कश्मीर राज्य में किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट का सार

1. राज्य का नाम : जम्मू कश्मीर

2. निरीक्षण की तारीख : 3–11 सितम्बर, 2005

3. आयोग के अध्यक्ष/ सदस्यों का विवरण जिन्होंने राज्य का दौरा किया। : (i) डा॰ मोहिंदर सिंह, सदस्य
(ii) श्रीमती आशा दास, सदस्य सचिव

4. राज्य द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता प्राप्त धार्मिक समुदाय :

5. संक्षेप में राज्य का जनसंख्या संबंधी ब्यौरा

		सभी धार्मिक समुदाय	हिन्दु	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
राज्य/संघ राज्य	लाखों में	101.44	30.05	67.9	0.2	2.1	1.1	0.02	–	नगण्य
क्षेत्र की कुल जनसंख्या	प्रतिशत (%) में	100	29.60	67.0	0.2	2.0	1.1	–	–	–
महिला/पुरूष अनुपात	हजार में से	892	824	927	594	809	941	856	–	902

*(2001 की जनगणना)

6. अल्पसंख्यकों के विकास के लिए राज्य का प्रशासनिक ढांचा:

(क) राज्य में समाज के सभी कमज़ोर वर्गों के कल्याण का ध्यान रखने के लिए मंत्री की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग बनाया गया।

(ख)राज्य में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम स्थापित है।

(ग) महिलाओं के कल्याण के लिए जम्मू-कश्मीर महिला विकास निगम है:

(घ) मुख्य कार्यकारी पार्षद की अध्यक्षता में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलटमेंट काउंसिल (एल ए एच डी सी) भी है।

7. शैक्षणिक स्थिति

(i) साक्षरता दर %	व्यक्ति समुदाय	सभी धार्मिक	हिन्दु	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
	पुरुष कुल	55.5	71.2	47.3	74.8	85.4	59.7	86.5	–	46.3
	महिला	43.0	59.0	34.9	60.9	77.6	49.0	83.3	–	37.8

* (2001 जनगणना)

(ii) 62.58 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में कक्षा I-X में 51.07 प्रतिशत छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं।

(iii) शिक्षा का सार्वजनीकरण हुआ है।

(iv) मदरसों में शिक्षा

(क) मदरसे मुख्य रूप से धार्मिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

(ख) मदरसों के चरण बद्ध ढंग से आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की आवश्यकता है।

(i) उच्च शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए जैसे लद्दाख क्षेत्र के योग्य छात्रों के लिए छात्रवृत्ति।

8. स्वास्थ्य की स्थिति:

(i)

जन्म दर (%)	मृत्यु द र (%)	राज्य में ऐलोपैथिक अस्पतालों और बिस्तरों (सी एच सी सहित) की संख्या		राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या
		अस्पताल	बिस्तर	
18.6	5.7	जम्मू 36 कश्मीर 40	जम्मू 1700 कश्मीर 1595	334

स्रोत: हेल्थ इंफोमेशन ऑफ इंडिया 2005

केंद्रीय स्वास्थय आसूचना ब्यूरो, डी जी एच एस द्वारा प्रकाशित

सी एच पी: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

9. आर्थिक स्थिति:

(क) कार्य प्रतिभागिता दर*: (प्रतिशत में)

व्यक्ति %	सभी धार्मिक समुदाय	हिन्दु	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
पुरुष	50.0	55.6	47.2	67.6	53.6	51.7	59.9	–	54.9
महिला	22.5	23.2	22.0	22.1	15.3	41.0	9.8	–	4.3

*(2001 जनगणना)

(ख) व्यवसायिक वर्गीकरण:* (प्रतिशत में)

नाम	सभी धार्मिक समुदाय	हिन्दु	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
कृषक	42.4	41.9	43.4	5.0	22.4	45.4	6.4	–	20.0
खेतीहर मज़दूर	6.6	3.7	8.3	1.4	1.9	4.5	2.4	–	–
घरेलू उद्योग	6.2	1.2	9.2	0.6	1.7	1.5	3.1	–	–
अन्य कामगार	44.8	53.2	39.2	93.0	74.0	48.7	88.1	–	80.0

*(2001 जनगणना)

(ग) राष्ट्रीय औसत के 26.10 प्रतिशत की तुलना में राज्य में 3.48 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रहे हैं।

(घ) लद्दाख क्षेत्र में हस्तशिल्प, हथकरघा, सामुदायिक पर्यटन, पर्वतारोहण, ट्रैकिंग आदि के विकास की संभावनाएं हैं।

(ङ) पुष्पोत्पादन की भी संभावना है।

(च) लद्दाख के स्थानीय लोगों को केंद्र सरकार और अन्य उद्यमों की परियोजनाओं में काम में लगाया जाना चाहिए।

10. वर्तमान आरक्षण नीति:

10 प्रतिशत पद अनुसूचित जनजातियों के लिए और 8 प्रतिशत पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए जाने चाहिए।

11. राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विकास योजनाएं/कार्यक्रम

(क) अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम:

(i) अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम (MFDC) विभिन्न कल्याण योजनाएं चलाता है।

(क) शिक्षा का सार्वजनीकरण

(ख) ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाएं

(ग) विधवा गृह और अनाथालय

12. भाषायी अल्पसंख्यक

(i) राज्य की राजभाषा: उर्दू

(ii) राज्य में बोली जाने वाली: डोगरी, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी,
अन्य भाषाएं लद्दाखी ओर बाल्टी

13. राज्यपाल/मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा की गई टिप्पणियां:

(क) जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मुफ्ती मुहम्मद सैयद ने कहा:

(i) राज्य में सभी के पास रहने के लिए घर और भोजन है। यहां तक की अनुसूचित जाति भी अब सशक्त हो गए हैं और अब कोई विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) ऋण माफ कर दिए गए हैं, शैक्षणिक स्थिति में सुधार हो रहा है और राज्य के हर जिले में एक डी पी एस स्कूल चल रहा है।

(iii) शिक्षा का सावर्जनीकरण हुआ है। ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना चल रही है और विधवा-गृह और अनाथालय हैं।

(ख) मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में साक्षरता में सुधार हुआ है। जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

(ग) सचिव, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा ने कहा कि पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले पिछड़ी जाति के अत्यंत पिछड़े लोगों को विशेष देखभाल की आवश्यकता है और नए कालेजों, पॉलीटेक्निक्स, महिलाओं के लिए आई आई टी खोलने से संबंधित जानकारी से अवगत कराया।

(घ) प्रबंध निदेशक, जम्मू–कश्मीर महिला विकास निगम की राय में आर्थिक सशक्तिकरण की सहायता के लिए पिछड़े वर्गों को दी गई सहायता 'स्प्रिंगबोर्ड' जैसी होनी चाहिए। शिया समुदाय की लड़किया आगे नहीं आ पा रही है और उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(ङ) लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलेपमेंट काउंसिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद ने कहा कि लद्दाख में दोनों धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आते हैं और शिक्षा और नौकरी में आरक्षण सहित कल्याण उपायों को लागू करने की आवश्यकता है।

14. विचारार्थ विषयों से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणियां:

(i) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए प्रस्तावित मानदंड और पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए मानदंड के रुप में गरीबी की रेखा की संकल्पना :

कहा गया है कि मानदंड जाति या धर्म का भेदभाव किए बिना लोगों की आर्थिक स्थिति पर आधारित होनी चाहिए। कहा गया कि वह सभी समुदायों के लिए समान होनी चाहिए और गरीबी की रेखा के नीचे गुज़रबसर करने वाले लोगों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

(ii) ईसाई/इस्लाम में धर्मान्तरित लोगों को अनुसूचित जाति का स्तर प्रदान करना:

ईसाई ऐसे किसी दर्जे के पक्ष में नहीं थे। तथापि, वे राज्य में अल्पसंख्यक के रूप में आरक्षण चाहते थे।

15. विभिन्न मुद्दों पर सामुदायिक प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य प्रतिभागियों की टिप्पणियां:

(क) डॉ॰ गुलाम अली गुलजार, अध्यक्ष, न्यू कश्मीर एजुकेशन सोसाइटी ने कहा कि मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है और मदरसों से पास होने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों के लिए मान्यता मिलनी चाहिए।

(ख) श्री ए आर हमूजरा, अध्यक्ष सी ओ एस ओ कश्मीर ने कहा कि आतंकवाद के कारण करीब एक लाख बच्चे अनाथ हो गए हैं। उन्हें शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की आवश्यकता हैं।

(ग) 'न्यू लाइट वोमेन्स वेल्फेयर सोसाइटी' की प्रतिनिधियों ने कहा कि कारखानों और हस्तशिल्प केंद्रों के पास स्कूल खोलकर प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाना अपेक्षित है।

(घ) श्री इम्तियाज़ हुसैन, अध्यक्ष एन जी ओ कोऑर्डिनेशन फेडेरेशन ने कहा कि शैक्षणिक सुविधाएं, व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और हस्तशिल्प के विकास के लिए ठोस उपाय किए जाने चाहिए।

(ङ) श्री के॰एस॰ बाली, अध्यक्ष, गुरूद्वारा और प्रबंधक समिति, श्रीनगर ने कहा कि व्यापार जगत और सरकारी सेवाओं में उन्हें (सिखों को) कोई विशेष हिस्सा प्राप्त नहीं है। उन्होंने शैक्षणिक सुविधाओं, पंजाबी भाषा के विकास, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर पंजाबी कार्यक्रमों के प्रसारण करने का अनुरोध किया।

(च) लद्दाख में कृषि और दुग्ध (डेरी) उत्पादों में आत्मनिर्भर बनने की क्षमता है।

(छ) राज्य सरकार ने कुछ पहाड़ी/ ग्रामीण क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्र (आर बी ए) के रुप में वर्गीकृत किया है और राज्य सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है । तथापि, कुल लोगों द्वारा झूठा आर बी ए प्रमाण पत्र बनवा कर इसका दुरूपयोग किया जा रहा है वास्तविकता यह है कि वे लोग उस शहर में रहते ही नहीं है।

(ज) न्यू कश्मीर वीमेन यूनाइटेड वुमेन आर्गनाइज़ेशन ने कहा कि मानसिक रुप से विकलांग बच्चों और अनाथ बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उनकी परवरिश और शिक्षा के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता देनी चाहिए।

(झ) पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग की श्रीमती एम॰ आबिदा ने कहा कि सामान्य और तकनीकी शिक्षा के लिए महिलाओं के लिए एक अलग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए और उच्च स्तर पर महिला अधिकारियों को नियुक्त किया जाए, खासकर योजना और प्रशासन विभागों में।

(ञ) महिला उद्यमियों को व्यापार और विपणन केंद्र खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

16. एन सी आर एल एम की टिप्पणियां:

(क) आयोग के सदस्य सचिव ने सुझाव दिया कि क्योंकि लद्दाख ऊँचाई पर है और वहां जनसंख्या भी कम है अत: वहां विशेष प्रावधानों की आवश्यकता है। सहकारी स्तर पर ग्रीन हाउस तकनीक का प्रयोग करने की आवश्यकता है।

(ख) कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए स्वयं सेवी समूहों और व्यवसायिक प्रशिक्षण की योजनाओं का उपयोग करना चाहिए।

(ग) महिलाओं को स्वयं सेवी समूहों व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए और एम एलडी सी और महिला विकास निगम से ऋण सहायता प्राप्त करनी चाहिए।

(घ) लद्दाख में रहने वाली महिलाएं राष्ट्रीय महिला कोश से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

(ङ) लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलेपमेंट काउंसिल द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करके महाबोधी इंटरनैशनल मेडिटेशन सेंटर द्वारा किए गए सराहनीय कार्य को पूर्ण करना चाहिए।

अनुबंध : 8.9

झारखंड राज्य में किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट का सार

1. राज्य का नाम : झारखंड

2. निरीक्षण की तारीख : फरवरी 14–16, 2006

3. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का निरीक्षण करने वाले आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों का विवरण : (i) डा॰ मोहिन्दर सिंह, सदस्य
(ii) श्रीमती आशा दास, सदस्य सचिव

4. राज्य द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के रुप में मान्य घोषित किए गए धार्मिक समुदाय : मुसलमान, ईसाई, सिख बौद्ध, पारसी और जैन

5. संक्षेप में राज्य का जनसंख्या संबंधी ब्यौरा:

		सभी धार्मिक समुदाय	हिन्दू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
राज्य/संघ राज्य	लाखों में	269.5	184.7	37.3	10.9	0.8	–	0.2	–	35.1
क्षेत्र की कुल जनसंख्या	प्रतिशत (%) में	100	68.6	13.8	4.1	0.3	5940*	0.1	321*	13.0
महिला/पुरूष अनुपात	हजार में से	941	928	939	1018	838	885	928	–	990

* पूर्णांकों में

**(2001 की जनगणना)

6. अल्पसंख्यकों के विकास के लिए राज्य का प्रशासनिक ढ़ांचा:

(i) सरकार का कल्याण विभाग अल्पसंख्यकों के विकास की देख-रेख करता है।

(ii) जनजातीय सहकारी विकास निगम एन एम डी एफ सी की मध्यस्थ एजेन्सी के रूप में कार्य करता है।

(iii) राज्य अल्पसंख्यक आयोग

(iv) वक्फ बोर्ड

7. शैक्षिक स्थिति

(i) साक्षरता दर*

साक्षरता %	व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिन्दू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
	कुल	53.6	54.6	55.6	67.9	87.8	62.5	90.9	–	40.2
	महिला	38.9	39.2	42.7	59.8	82.3	48.7	86.0	–	25.1

*(2001 जनगणना)

(ii) जहां तक साक्षरता दर का संबंध है, सभी धार्मिक समुदायों सिख (87.8.),ईसाई (67.9.), बौद्ध (62.5.) और मुसलमान (55.6.) की दर राज्य औसत (53.6.) से अधिक हैं।

(iii) मदरसा शिक्षा।

(क) झारखंड शैक्षिक परिषद से सम्बद्ध 321 मदरसे हैं।

(ख) मदरसे धार्मिक और आधुनिक शिक्षा देते हैं।

(ग) सिम्डेगा के विधायक ने सुझाव दिया कि सरकार को ग्रामीण इलाकों में अल्पसंख्यकों के स्कूलों और मदरसों पर उचित ध्यान देना चाहिए। मान्यताप्राप्त स्कूलों को अनुदान दिया जाना चाहिए और उन्हें सरकारी स्कूलों के बराबर माना जाना चाहिए।

(iv) उर्दू अध्यापकों की रिक्तियों को उर्दू के जानकर अध्यापकों द्वारा भरा जाना चाहिए।

(v) उर्दू की पाठ्य पुस्तकें समय पर उपलब्ध होनी चाहिए।

(vi) माध्यमिक स्तर तक 810 भाषायी अल्पसंख्यक संस्थान हैं जिनमें से 6 निजी संस्थान हैं और शेष सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान हैं।

(vii) श्री स्टीफन मरांडी, विधायक ने कहा कि ईसाई अल्पसंख्यक चिकित्सा सुविधा और शिक्षा संस्थान समुदाय के कमजोर वर्गों और जनजातीय जनसंख्या को प्रशसनीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सरकार को उनके कार्यों में बेवजह दखलन्दाजी से बचना चाहिए।

(viii) झारखंड उड़िसा टीचर्स एसोसिएशन ने उडिया अध्यापकों की दुर्दशा और भाषा की किताबों आदि की अनुपलब्धता पर ध्यान आकर्षित किया हैं

8. स्वास्थ्य की स्थिति :

(i)

जन्म दर (%)	मृत्यु दर (%)	राज्य में ऐलोपैथिक अस्पतालों और बिस्तरों (सी एच सी सहित) की संख्या		राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या
		अस्पताल	बिस्तर	
26.3	8.0	47	1410	561

स्त्रोत: हेल्थ इंफेंमेशन ऑफ इंडिया 2005
केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, डी जी एच एस द्वारा प्रकाशित
सी एच सी: सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

(ii) विशेषतौर पर बीपीएन परिवारों से कोई भेदभाव किए बिना सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है।

(iii) अल्पसंख्यक संस्थानों को सहायता प्रदान की जा रही है जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए एम्बुलेन्स जैसी सुविधाएं प्रदान करना।

9. आर्थिक स्थिति:

(क) कार्य प्रतिभागिता दर*

(प्रतिशत में)

व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिन्दू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
पुरुष	48.0	48.0	43.5	50.1	51.0	47.7	52.4	–	52.1
महिला	26.4	23.9	18.8	41.3	6.7	23.8	6.8	–	42.8

*(2001 जनगणना)

(ख) व्यवसाय के अनुसार वर्गीकरण

(प्रतिशत में)

नाम	सभी धार्मिक समुदाय	हिन्दु	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
कृषक	38.5	34.7	25.2	63.7	5.2	42.3	11.9	–	56.2
खेतिहर मजदूर	28.2	29.0	27.0	15.8	4.3	19.4	4.4	–	29.8
घरेलू उद्योग	4.3	4.5	6.6	1.8	2.6	1.9	3.4	–	2.4
अन्य कामगार	29.1	31.8	41.3	18.6	87.9	36.4	80.4	–	11.5

*(2001 जनगणना)

राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट का अनुबंध

(ग) 29. से अधिक भूमि पर वन है। यह क्षेत्र देश के कुल खनिज संसाधन का लगभग 40. है।

(घ) मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम ने अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए अनेक स्कीम लागू की हैं।

(ङ) कृषि विभाग एस एच जी के माध्यम से छोटे और सीमान्त कृषकों की सहायता करता है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उद्यान मिशन आरम्भ किया जा रहा है।

(च) प्रमाणित बीज दिए जा रहे हैं और जनजातीय क्षेत्रों सहित महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है।

10. **मौजूदा आरक्षण नीति**

भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों दोनों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

11. **अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मौजूदा मानदण्ड:**

पिछड़े वर्गों की पहचान की मौजूदा प्रक्रिया संसद और विधान सभा द्वारा अधिनियमित विभिन्न अधिनियमों के उपबंधों से शासित होती है।

12. **राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा लागू विकास स्कीमें/कार्यक्रम**

(i) **सरकारी स्तर:**

राज्य अल्पसंख्यक आयोग और 15-सूत्री कार्यान्वयन समिति अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के लिए कार्य कर रही है। यह निम्नलिखित मुद्दों को देखती है:

(क) कब्रिस्तान की चारदीवारी

(ख) होस्टल का निर्माण

(ग) 'कीऑस्क' निर्माण

(घ) वोकेशनल प्रशिक्षण

(ङ) साइकिलों का वितरण

(च) छोटे वाहनों का वितरण (4 पहिए वाले)

(छ) सी एम कन्यादान योजना और अभिप्रेरणात्मक स्कीमें

(ii) बैंक से संबंधित सूचना:

(क) राज्य स्तरीय बैंक समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार होती है और उसमें प्राथमिक क्षेत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाती है।

(ख) बैंक कमजोर वर्ग, लघु उद्योग और कृषि क्षेत्र को प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं।

(ग) वसूली दर 60-70 प्रतिशत है।

13. राजनैतिक संस्थानों में धार्मिक समुदाय का प्रतिनिधित्व

क्रम संख्या		कुल संख्या	धार्मिक प्रतिनिधियों की संख्या
1.	लोक सभा/राज्य सभा	14	1
2.	विधान सभा	81	13

14. भाषायी अल्पसंख्यक

(i) राज्य की राजभाषा : हिन्दी

(ii) राज्य में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं : उड़िया, उर्दू, बंगाली, मुंदारी, संथाली, उरांव

15. आयोग के साथ हुई बातचीत में राज्यपाल/मुख्य मंत्री/ अन्य गणमान्य व्यक्तियों की टिप्पणियां:

(i) झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी;

(क) अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्ग के विकास के लिए शिक्षा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

(ख) इन वर्गों को दिए गए लोगों के मूल्यांकन के बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर को इसमें से हटाने की प्रक्रिया आरम्भ करना भी आवश्यक है।

(ii) प्रधान सचिव (कार्मिक) ने सुझाव दिया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और पोषण के संबंध में कल्याणकारी उपाय किए जाने चाहिए।

16. विचारार्थ विषयों से संबंधित मामलों पर टिप्पणियां:

(i) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में से पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने के लिए संस्तुत मानदण्ड और पिछड़ेपन के निर्धारण में मानदण्ड के रूप में गरीबी रेखा की अवधारणा:

राज्य सरकार ने महसूस किया कि पिछड़े वर्गों की पहचान की मौजूदा प्रक्रिया संसद और विधान सभा द्वारा अधिनियमित विभिन्न अधिनियमों के उपबंधों से शासित होती है जो कि पर्याप्त हैं।

(ii) क्रीमी लेयर की अवधारणा सेवाओं और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण देना है:
तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग द्वारा प्राप्त लाभों के मूल्यांकन के बाद इन क्रीमीलेयर को इस वर्ग में से हटाने की प्रक्रिया आरम्भ की जानी चाहिए।

(iii) ईसाई/मुसलमान के रूप में धर्म परिवर्तन करा चुके व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का रूतबा प्रदान करना।

(क) राज्य सरकार की राय यह थी कि इस मामले पर अंतिम निर्णय इसमें शामिल सभी मुद्दों पर उचित रूप से विचार करने के बाद ही किया जाना चाहिए।

(ख) श्री स्टीफन मरांडी जैसे कुछ व्यक्तियों ने महसूस किया कि ईसाई धर्म में धर्मान्तरित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति के लिए यथा उपलब्ध आरक्षण किया जाना चाहिए।

(ग) ईसाई धर्म में धर्मान्तरित अनुसूचित जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के संबंध में यह कहा गया था कि राज्य में अधिकांश ईसाई जनसंख्या जनजाति है और वह आरक्षण का लाभ पहले से ही ले रहे हैं। कुछ को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया गया है।

(घ) कल्याण और पिछड़ा वर्ग मंत्रालय भी ईसाई धर्म में धर्मान्तरित दलितों को अनुसूचित जाति का लाभ देने के पक्ष में नहीं था।

17. विभिन्न मामलों पर समुदाय के प्रतिनिधियों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य प्रतिभागियों की टिप्पणियां:

(क) राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने कमजोर वर्गों के लिए अच्छी शिक्षा और समान अवसर देने पर जोर दिया ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

(ख) 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यकारी अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि मुसलमान आमतौर पर पिछड़े हैं और उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें सामाजिक समानता दिलाने के लिए उनके उत्थान के उपाय किए जाने चाहिए।

(ग) यद्यपि कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है फिर भी अल्पसंख्यकों के बीच इन विकास कार्यक्रमों का मामूली-सा सकारात्मक प्रभाव है।

(घ) राज्य में वक्फ बोर्ड, मदरसा शिक्षा और उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना के लिए समुदाय के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिए।

अनुबंध: 8.10

कर्नाटक राज्य में किए गए निरीक्षण की रिर्पोट का सार

1.	राज्य का नाम	:	कर्नाटक
2.	निरीक्षण की तारीख	:	अक्तूबर 19-20, 2005
3.	राज्य का निरीक्षण वाले आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों का विवरण	:	(i) रंगनाथ मिश्रा, अध्यक्ष (ii) डॉ अनिल विलसन, सदस्य (iii) डॉ मोहिन्दर सिंह, सदस्य (iv) श्रीमती आशा दास सदस्य सचिव
4.	राज्य द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्य घोषित किए गए धार्मिक समुदाय	:	मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्व और पारसी

5. संक्षप में राज्य का जनसंख्या संबंधी ब्यौरा*:

		सभी धार्मिक समुदाय	हिन्दु	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या	लाख में	528.5	443.2	64.6	10.0	0.2	4.0	4.1	0.007	1.2
	प्रतिशत (%) में	100.0	84.0	12.2	1.9	0.03	0.7	0.8	0.001	0.2
महिला व पुरुष अनुपात	हजार में से	965	966	957	1030	739	907	926	-	966

*(2001 की जनगणना)

6. अल्पसंख्यकों के विकास के लिए राज्य का प्रशासनिक ढांचा:

कर्नाटक में निम्नलिखित संस्थाएं मौजूदा हैं:

(i) अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय

(ii) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग–यह अल्पसंख्यकों के आर्थिक विकास और शैक्षिक तरक्की की देख-रेख करता है

(iii) अल्पसंख्यक निदेशालय–यह केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कार्य करता है।

(iv) विभाग का प्रमुख के.ए.एस. वरिष्ठ वेतनमान का अधिकारी है।

अन्य संस्थाएं

(v) 1994 में स्थापित कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग।

(vi) 1995 में स्थापित राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग।

(vii) राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग।

(viii) वक्फ: राज्य में राज्य वक्फ बोर्ड है और जिला स्तर पर वक्फ सलाहकार समिति है।

(ix) 1986 में स्थापित कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम लिमिटेड।

7. शैक्षिक स्थिति:

(i) साक्षरता दर* :

साक्षारता दर (%)	व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिन्दु	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
	कुल	66.6	65.6	70.1	87.4	83.7	54.8	84.3	–	68.2
	महिलाएं	56.9	55.3	63.0	84.0	77.3	42.0	77.2	–	57.2

(2001 जनगणना)

(ii) I—X कक्षा के बीच पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों का प्रतिशत 62.14 था जबकि राष्ट्रीय औसत 62.58 प्रतिशत था।

(iii) मदरसा शिक्षा।

(क) लगभग 385 पंजीकृत मदरसे हैं।

(ख) कुछ मदरसे केवल धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं और कुछ धार्मिक और औपचारिक दोनों शिक्षा देते हैं।

(ग) जहां तक पाठ्यक्रम का संबंध हैं विभिन्न समूह के मदरसे विभिन्न पाठ्यक्रम अपनाते हैं।

(iv) सहायता प्राप्त धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों की संख्या: 483

(v) धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक संस्थान निम्नलिखित हैं:

विश्वविद्यालय पूर्व कॉलेज	127
डिग्री कालेज	101
पॉलीटेक्नीक	19
आई॰टी॰ संस्थान	69
आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज	01
यूनानी मेडिकल कॉलेज	03
होम्योपैथी कॉलेज	04
फार्मेसी कॉलेज	08

(vi) अल्पसंख्यकों के लिए हॉस्टल:

- मैट्रिक-बाद लड़कियों का हॉस्टल-7 हॉस्टल-7 जिले प्रत्येक में 50 छात्राएं
- मैट्रिक-पूर्व लड़कियों का हॉस्टल-800 छात्राओं को लाभ पहुँचाते हुए जिलों में 16 हास्टल

- 3335 छात्रों के लिए अल्पसंख्यक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे 51 सहायतार्थ अनुदान प्राप्त हॉस्टल।
- अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए जिलों में 9 मोरारजी देसाई आवासीय स्कूल।
- अल्पसंख्यक स्वैच्छिक संगठन द्वारा हॉस्टल के निर्माण के लिए 2005-2006 में 10 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई
- चरणबद्व तरीके से हॉस्टल के निर्माण के लिए 75 लाख रुपये का प्रावधान किया गया।

(vii) वजीफा देकर विधि स्नातकों को प्रशिक्षित करने के लिए अल्पसंख्यकों के लिए प्रशिक्षण।

(viii) संघ लोक सेवा आयोग और कर्नाटक लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण।

(ix) अल्पसंख्यकों के आई आई टी/डिप्लोमा विद्यार्थियों को वजीफा।

(x) धार्मिक अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक और अन्य स्थितियों के अध्ययन के लिए कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ में 'स्टडी चेयर' के सृजन का प्रस्ताव–जिसके लिए 2005-2006 मे 10 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई थी।

(xi) विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उत्कृष्ट विद्यार्थियों को तैयारी कराने के लिए अल्पसंख्यक अकादमी की स्थापना करना।

(xii) राज्य सरकार ईसाई समुदाय द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक संस्थानों में 50% अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को प्रवेश देने की शर्त छोड़ देगी क्योंकि ईसाई जनसंख्या 2 प्रतिशत से भी कम है।

(xiii) जैसी परम्परा पहले बनी हुई थी उसी के अनुसार चिकित्सा और इंजीनियरिंग कॉलेज प्रत्येक में दो सीटें पारसियों के लिए बनी रहेंगी।

(xiv) शैक्षिक संस्थाओं और अस्पतालों को अल्पसंख्यक हैसियत का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए काफी समय लिया जाता है।

(xv) उर्दू अकादमी का प्रशासनिक नियंत्रण संस्कृति विभाग के पास रहने की बजाय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दिया जाए।

8. स्वास्थ्य की स्थिति:

(i)

जन्म दर (%)	मृत्यु दर (%)	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित बच्चों पर)	राज्य में ऐलोपैथिक अस्पतालों और बिस्तरों (सी एच सी सहित) की संख्या		राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या
			अस्पताल	बिस्तर	
21.8	7.2	52	723	41304	1679

स्रोत:हेल्थ इन्फोरमेशन ऑफ इंडिया, 2005 केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, डी जी एच एस द्वारा प्रकाशित

सी एच सी: सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

9. आर्थिक स्थिति:

(क) कार्य प्रतिभागी दर–:

(प्रतिशत में)

व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिन्दू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
पुरुष	56.6	57.5	52.1	53.7	56.5	46.5	–	–	–
महिला	32.0	34.0	19.9	25.8	14.0	36.5	–	–	–

* (2001 जनगणना)

(ख) व्यवसायिक वर्गीकरण:*

(प्रतिशत में)

नाम	सभी धार्मिक समुदाय	हिन्दू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
कृषक	29.2	31.9	10.0	8.2	6.3	17.7	–	–	–
खेतीहर मज़दूर	26.5	27.7	17.3	8.5	5.6	54.6	–	–	–
घरेलू उद्योग	4.1	3.5	9.5	2.8	4.8	1.0	–	–	–
अन्य कामगार	40.2	36.9	63.1	80.4	83.3	26.7	–	–	–

*(2001 जनगणना)

(ग) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 20.04 था जबकि राष्ट्रीय औसत 26.10 प्रतिशत था।

10. मौजूदा आरक्षण नीति:

राज्य ने निम्नलिखित रूप में आरक्षण दिया है:

		आरक्षण
श्रेणी–I	ईसाई धर्म में धर्मान्तरित अनुसूचित जाति	4%
श्रेणी–II क	बौद्ध	15%
श्रेणी–II ख	मुसलमान	4%
श्रेणी–III क	पिछड़ा वर्ग	4%
श्रेणी–III ख	अन्य ईसाई और जैन (केवल दिगम्बर)	5%
	कुल	32%
श्रेणी	अनुसूचित जाति	15%
श्रेणी	अनुसूचित जनजाति	3%

11. अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान के लिए मौजूदा मानदण्ड निम्नलिखित मानदण्ड का पालन किया जाता है: वह व्यक्ति या उसके माता-पिता/अभिभावक सरकार में समूह 'क' या समूह 'ख' के अधिकारी नहीं होंगे, सकल आय 2 लाख से अधिक नहीं होगी, उसके पास 10 यूनिट या अधिक कृषि भूमि नहीं होगी।
क्योंकि ईसाई धर्म में धर्मान्तरित अनुसूचित जाति श्रेणी-I में शामिल है इसलिए उसमें से क्रीमी लेयर को हटाने का खंड उन पर लागू नहीं होगा।

12. राज्य सरकार द्वारा लागू विकास स्कीमें/कार्यक्रम :

(i) सरकारी स्तर:

(क) सामाजिक कल्याण विभाग अल्पसंख्यकों के लिए नोडल ऐजन्सी है। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए जिला अधिकारियों के माध्यम से अनेक योजनाएँ (स्कीमें) लागू की जा रही हैं। उनमें से कुछ का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नलिखित है।

(i) विभिन्न विषयों में बेरोजगार युवाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिकल वायरमैन, सिविल निर्माण कार्य पर्यवेक्षण, रेडियो, टी वी मरम्मत, टेलरिंग, एम्ब्रोयडरी आदि 500 प्रशिक्षणार्थियों के लाभ के लिए 25 लाख रुपए आबंटित किए गए।

(ii) अनाथ और निराश्रित बच्चों के लिए अल्पसंख्यक अनाथालयों को सहायतार्थ अनुदान 2005-2006 में 38.76 लाख रुपए का प्रावधान किया गया।

(iii) कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम ने अनेक स्कीमें लागू की हैं जैसे स्वावलम्बन, गंगा कल्याण श्रमशक्ति स्कीम, माइक्रो-प्लस स्वर्णिम, एमएमडीएफसी स्कीम के अंतर्गत आवधिक ऋण, व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और आर्थिक सहायता स्कीम के लिए सरकारी अनुदान।

(iv) वक्फ बोर्ड ने दो कल्याण योजनाएं (स्कीम) चलाई हैं जिनके नाम हैं कर्नाटक स्टेट वक्फ रिलीफ फंड और तालीम स्कालरशिप स्कीम।

(ii) बैंक से संबंधित सूचना:

बैंक के प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित वक्तव्य दिया है।

(i) आटोमोबाइल क्षेत्र में ऋण की वसूली 50 प्रतिशत या अधिक है लेकिन अन्य क्षेत्रों में कम है।

(ii) लाभार्थियों की ऋण की मंजूरी और उसकी सुर्पुदगी के बीच काफी बड़ा अन्तर है।

(iii) प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है।

13. निर्वाचित निकायों में धार्मिक अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व:

क्रम संख्या	निर्वाचित निकाय	धार्मिक प्रतिनिधियों की संख्या	प्रतिनिधियों की कुल संख्या
(i)	संसद	2	28
(ii)	विधान सभा	6	224
(iii)	जिला परिषद	8 (27 जिला परिषद में से 3 में)	97 (27 जिला परिषद में से 3 में)
(iv)	तालुक बोर्ड/ब्लाक विकास समिति		
(v)	नगर बोर्ड/नगर निगम		
(vi)	ग्राम पंचायत	2363 (27 जिलों में से 13 जिलों में ग्राम पंचायतों में)	39009 (27 जिलों में से 13 जिलों में ग्राम पंचायतों में)
(vii)	अन्य		

14. भाषायी अल्पसंख्यक:

(i) राज्य की राजभाषा: कन्नड

(ii) राज्य में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं: उर्दू, तेलुगू, तमिल, मलयालम और मराठी

15. आयोग के साथ हुई बातचीत में राज्यपाल, मुख्य मंत्री/अन्य मंत्रियों ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

(i) आयोग ने श्री टी॰एन॰ चतुर्वेदी, कर्नाटक के राज्यपाल, श्री धर्मसिंह, मुख्यमंत्री और श्री एम॰पी॰ प्रकाश, उप मुख्य मंत्री को बुलाया।

(ii) श्री जब्बार खान होनाल्ली, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

(क) एनसीआरएलएम ने सरकारी सेवाओं और शैक्षिक संस्थानों में मुसलमानों का आरक्षण 4% से बढ़ाकर 10% प्रतिशत करने और बैकलॉग रिक्तियों को भरने पर विचार करने का अनुरोध किया।

(ख) यद्यपि आरक्षण तो 4 प्रतिशत है लेकिन सरकारी सेवाओं में मुसलमानों का प्रतिशत आधे से भी कम है। बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए।

(ग) भारत सरकार अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कुल राज्य योजना बजट का विशिष्ट अनुपात और मुसलमानों के लिए कम से कम 5% बजट अलग रखेगी।

16. विचारार्थ विषयों पर टिप्पणियाँ:

(i) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में से पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने के लिए संस्तुत मानदण्ड और पिछड़ेपन के निर्धारण में मानदण्ड के रूप में गरीबी रेखा की अवधारणा:

राज्य सरकार की राय यह है कि शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए सामान्य मानदण्ड अपनाया जा सकता है।

(ii) क्रीमी लेयर का अर्थ सेवाओं और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण प्राप्त व्यक्तियों से है।
राज्य सरकार संपन्न व्यक्तियों की नीति का अनुपालन करती है।

(iii) ईसाई/मुसलमान के रूप में धर्म परिवर्तन करा चुके व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का रूतबा प्रदान करना। इस संबंध में कोई विशेष विचार अभिव्यक्त नहीं किए गए थे लेकिन ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों ने दलित ईसाईयों को अनुसूचित जाति का स्थान प्रदान किए जाने की अपील की है।

17. विभिन्न मामलों पर समुदाय के प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य प्रतिभागियों की टिप्पणियाँ:
ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों ने अपील की कि:

(i) दलित ईसाइयों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की जाए और उन्हें अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए। उन्हें अभी भी आर्थिक और सामाजिक अन्याय और अस्पर्शता का सामना करना पड़ रहा है।

(ii) सिखों के प्रतिनिधि ने कहा कि सिखों के अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए, सिक्लीगढ़ सिख अत्यन्त पिछड़े और गरीब हैं। उनके लिए मकानों का निर्माण किया जाए और उन्हें शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएं।

(i) जैन समुदाय ने अपने प्रतिनिधि को राज्य सरकार में मंत्री, लोक सेवा आयोग, राज्य सचिवालय आदि में शामिल करने के लिए कहा। अल्पसंख्यकों में से बारी-बारी से उन्हें अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए और ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित आरक्षण कोटा मुसलमानों को भी दिया जाना चाहिए।

(ii) तेलुगू भाषी लोगों ने अपनी भाषा को बढ़ावा देने, खाली पड़े अध्यापकों के पदों को भरने और सेवारत प्रशिक्षण, तेलुगू भाषियों के रहने के स्थान पर तेलुगू स्कूल खोलना और कैम्प में रहने वाले कामगारों के लिए राजस्व देने वाले गाँवों को दी जाने वाली विशेष सुविधाएँ प्रदान किए जाने की मांग की।

(iii) सक्षम तमिल अध्यापकों की कमी और स्कूलों की खराब आधारभूत सुविधाओं के कारण तमिल बच्चे कन्नड स्कूलों में स्थानान्तरित होते हैं।

(iv) बंगाली भाषा, संस्कृति और साहित्य को संरक्षित रखना, बैंगलौर शहर में बंगाली माध्यम के स्कूलों में 25 बंगाली अध्यापकों की नियुक्ति की जाए।

18. एन सी आर एल एम की टिप्पणियाँ:

(i) प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के नामांकन को बढ़ाने के लिए, आंगनवाड़ियों का नेटवर्क बढ़ाने, मदरसों में भोजनावकाश में भोजन उपलब्ध कराने और महिला अध्यापकों की तैनाती उन स्थानों में करने, जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, पर विचार किया जाए।

(ii) जनगणना के प्रयोजन से भारत के रजिस्ट्रार जनरल 'साक्षर' की परिभाषा की पुन: समीक्षा करे क्योंकि ऐसा लगता है कि थोड़ा-बहुत पवित्र कुरान जानने वाले मुसलमान भी साक्षर की श्रेणी में रखे गए हैं।

(iii) विकास विभाग, वित्त निगम और अग्रणी बैंकों के सहयोग से गरीब अल्पसंख्यकों में से भी सबसे गरीबों को विशेष विकास पैकेज दिया जाए। अग्रयी बैंको को सिखों, बौद्धों और पारसियों तक पहुँचने का ईमानदार प्रयास करना चाहिए।

(iv) अल्पसंख्यक समुदाय को विभिन्न आयोगों/निगमों/समितियों/बोर्डों में उपयुक्त तरीके से में शामिल/नामित किया जाना चाहिए सहयोगी बनाया जाना चाहिए।

(v) अल्पसंख्यक महिलाओं को समाज को शासित करने वाले प्रतिनिधि मंडल में उचित स्थान मिलना चाहिए।

अनुबन्ध: 8.11

केरल राज्य में किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट का सार

राज्य का नाम : केरल

निरीक्षण की तारीख : नवम्बर 16–19, 2005

3. राज्य का निरीक्षण करने वाले आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों का विवरण :
   (i) डॉ॰ अनिल विल्सन, सदस्य
   (ii) डॉ॰ मोहिन्दर सिंह, सदस्य
   (iii) श्रीमती आशा दास
   सदस्य सचिव

4. राज्य द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्य घोषित किए गए धार्मिक समुदाय : मुसलमान और ईसाई

5. संक्षेप में राज्य का जनसंख्या संबंधी ब्यौरा :

		सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
राज्य की कुल जनसंख्या	लाख में	318.4	178.8	78.6	60.6	0.03	0.02	0.04	नगण्य	0.02
	प्रतिशत में (%)	100.0	56.2	24.7	19.0	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य
महिला और पुरुष अनुपात	हजार में से	1058	1058	1082	1031	714	875	996	–	957

*(2001 जनगणना)

6. अल्पसंख्यकों के विकास के लिए राज्य का प्रशासनिक ढाँचा:
   (i) सामान्य प्रशासन विभाग अल्पसंख्यकों के कल्याण की देख–रेख करता है।
   (ii) राज्य में कोई अल्पसंख्यक आयोग नहीं है।
   (iii) पिछड़ा समुदाय और अनुसूचित समुदाय कल्याण मंत्री।
   (iv) पिछड़ा वर्ग विकास निगम।

   अन्य संस्थाएं:
   (i) पिछड़ा वर्ग आयोग
   (ii) केरल वक्फ बोर्ड
   (iii) केरल राज्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड
   (iv) केरल राज्य महिला विकास निगम

7. शैक्षिक स्थिति :
   (i) साक्षरता दर*

साक्षरता दर (%)	व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
	कुल	90.9	90.2	89.4	94.8	92.4	92.1	25.5	–	91.3
	महिला	87.7	86.7	85.5	93.5	89.1	88.4	93.4	–	89.1

*(2001 जनगणना)

(ii) I—X से दसवीं कक्षा तक बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की दर केवल 12.90% (लड़के 16.78% और लड़कियां 8.88%) जबकि राष्ट्रीय औसत दर 62.58 प्रतिशत इसकी तुलना में कहीं अधिक है। देश में सबसे अधिक साक्षरता दर 90.9% है।

(iii) मदरसा शिक्षा:

(क) केरल ने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहां राज्य मदरसा बोर्ड है जो उन मदरसों पर संपूर्ण शैक्षिक नियंत्रण रखता है जिन्हें सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है।

(ख) राज्य मदरसा बोर्ड का गठन किया गया है।

(ग) इन मदरसों के लिए कोई विशिष्ट पाठ्यक्रम नहीं है।

(घ) राज्य में मदरसों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

इस स्कीम के अंतर्गत 42 मदरसे शामिल हैं।

1. मदरसे में दी जा रही शिक्षा की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह सामान्य स्कूली शिक्षा के समय में नही दी जाती है बल्कि यह शिक्षा स्कूली घंटों से पहले या बाद में दी जाती है।
2. स्कूल में मुसलमान लड़कियों के लिए 'स्कालरशिप' स्कीम शुरू की गई है जिसमें उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रत्येक लड़की को 75 रुपए दिए जाएँगे और हाई स्कूल में 100 रुपए की दर से 'स्कॉलरशिप' दी जाएगी।

(iv) अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे स्कूल/कॉलेज इस प्रकार हैं:

क्रम संख्या		कला और विज्ञान कालेज	प्रशिक्षण/अरबी कॉलेज	अल्पसंख्यक स्कूल	अल्पसंख्यक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान
(क)	ईसाई	76	9	–	–
(ख)	मुसलमान	21	2/11(13)	–	–
(ग)	सहायताप्राप्त	–	–	3861	34
(घ)	गैर सहायता प्राप्त	–	–	397	–

8. स्वास्थ्य संबंधी स्थिति:

(i)

जन्म दर (%)	मृत्यु दर (%)	नवजात शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार जीवित बच्चों पर)	राज्य में ऐलोपैथिक अस्पताल और बिस्तरों (सीएचसी सहित) की संख्या		राज्य में प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या
			अस्पताल	बिस्तर	
16.7	6.3	11	189	25839	933

स्रोत: केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, डीजीएचएस द्वारा प्रकाशित
हेल्थ इन्फोर्मेशन ऑफ इंडिया 2005

सीएससी: सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

(ii) प्रत्येक पंचायत में सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र है। धार्मिक या भाषायी भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

9. आर्थिक स्थिति :

(क) कार्य प्रतिभागी दर:*

[प्रतिशत में]

व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
पुरुष	50.2	53.1	42.0	52.1	63.3	52.7	59.7	–	50.5
महिला	15.4	19.3	5.9	16.3	15.3	14.0	12.3	–	19.7

*(2001 जनगणना)

(ख) व्यवसायिक वर्गीकरण*

[प्रतिशत में]

नाम	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
कृषक	7.0	5.5	6.1	12.8	3.2	7.1	21.0	–	6.0
खेतिहर मजदूर	15.8	18.3	11.8	11.2	10.9	11.3	7.7	–	9.6
घरेलू उद्योग	3.6	4.2	2.7	2.5	1.9	2.1	3.6	–	3.8
अन्य कामगार	73.6	72.6	79.5	73.5	84.0	79.5	67.7	–	80.6

* (2001 जनगणना)

(ग) केरल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या कम है अर्थात 12.72 प्रतिशत जबकि राष्ट्रीय औसत 26.10 प्रतिशत है।

10. मौजूदा आरक्षण नीति:

राज्य ने पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए सेवाओं में 40 प्रतिशत आरक्षण दिया है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिया है। जहां तक शैक्षिक संस्थानों का संबंध है चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि और कला और विज्ञान कॉलेजों में अल्पसंख्यकों के लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं।

11. अन्य पिछड़ा वर्गों की पहचान के लिए मौजूदा मानदण्ड जाति/समुदाय और राजस्व विभाग से जारी आय प्रमाणपत्र को मानदण्ड माना गया है।

12. राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए विकास स्कीमें/कार्यक्रम:

(i) सरकारी स्तर:

(क) पिछड़ा वर्ग विकास निगम ने निम्नलिखित विभिन्न स्कीमें लागू की हैं:

(i) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए आय पैदा करने वाले स्वनियोजित उद्यम।

(ii) शिक्षा के लिए ऋण

(iii) तकनीकी और उद्यमिता कौशल का ग्रेड बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट से जुड़े हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम

(iv) लघु वित्तपोषण की महिला समृद्धि योजना को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई और महिलाओं के संबंधित विषयों से जोड़ा गया।

(v) गरीबों में भी सबसे गरीब की सहायता के लिए ऋण की कम राशि के वित्त पोषण की स्कीम

(vi) विशिष्ट आय उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों के लिए प्रत्येक जिले में एक करोड़ रुपए की दर से पांच अल्पसंख्यक बहुलता वाले जिलों में बहु आयामी योजना लागू करना।

(vii) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम (एआईपी) स्कीम।

(ii) बैंक से संबंधित सूचना:

(i) केनरा बैंक के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि 64 प्रतिशत लाभ सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तक जाते हैं।

(ii) स्टेट बैंक ने अल्पसंख्यकों को 6093 करोड़ (संचयी) रुपए के ऋण दिए हैं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 568 करोड़ रुपए के ऋण दिए हैं।

(iii) ऋण की वसूली (86%) संतोषजनक है।

13. भाषायी अल्पसंख्यक :

(i) राज्य की राजभाषा : मलयालम

(ii) राज्य में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं : तमिल, कन्नड, कोंकणी

14. (i) आयोग से की गई बातचीत में राज्यपाल, मुख्य मंत्री/अन्य मंत्रियों और अन्य सरकारी अधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

(क) श्री ओमेन, चंडी केरल के मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित टिप्पणी की;

(i) समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए सभी को शिक्षा सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(ii) राज्य सरकार ने बुजुर्गों और शरीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए स्कीम लागू कर रखी है।

(iii) निजी क्षेत्र में आरक्षण की आवश्यकता है।

(iv) दलित ईसाईयों और धीवरों सहित समाज के सर्वाधिक पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की आवश्यकता है।

(ख) श्री ई॰ टी॰ मोहम्मद बशीर, शिक्षा मंत्री ने निम्नलिखित टिप्पणी की :

(i) मंत्री जी ने डॉ॰ गोपाल सिंह पैनल रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें मुसलमानों और नव बौद्धों को राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ माना है।

(ii) पाँच जिलों की पहचान शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र के रूप में की गई है।

(iii) राज्य ने चिकित्सा, इंजीनियरिंग, प्रोफेशन सेन्टर और +2 कार्यक्रमों में आरक्षण का प्रावधान किया है।

(iv) राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कमजोर वर्ग के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम को सराहा गया है

(v) देश भर में मुसलमानों, अन्य पिछड़े वर्गों और भाषायी अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया जाना चाहिए।

(vi) राज्य सेवाओं में मुसलमानों और अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए उनकी विशेष भर्ती की जाए।

(ग) श्री वी. के. इब्राहीम कुंजु, उद्योग और समाज कल्याण मंत्री ने निम्नलिखित मुद्दों का उल्लेख किया।

(i) तटीय क्षेत्रों में अपर्याप्त स्कूल और अन्य संस्थान

(ii) स्व-वित्त पोषित संस्थानों में अत्यधिक फीस

(घ) श्री जस्टिस एल. मनमोहन, अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग ने टिप्पणी की कि पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए बैकलॉग कोटा भरने संबंधी नरेन्द्र समिति की रिपोर्ट को शीघ्र लागू किया जाए।

(ङ) मुख्य सचिव और अन्य सचिवों/सरकारी अधिकारियों की टिप्पणियां:

(i) क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण।

(ii) आरक्षण का लाभ सबसे गरीब व्यक्ति का नहीं मिल रहा है।

(iii) भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए सहायता उपाय अपनाए जाते हैं।

(vi) पंचायती राज संस्थाओं में केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण है।

15. विचारणीय विषयों से संबंधित मामलों पर टिप्पणी:

(i) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए पिछड़ेपन का निर्धारण करने का मानदण्ड।

(ii) सेवाओं और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा:

राज्य में क्रीमी लेयर की अवधारणा को स्वीकार किया जाता है और उसे लागू किया गया है।

(iii) ईसाई/मुसलमान धर्म में धर्मान्तरित व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का स्थान प्रदान करना:

दलित ईसाईयों को अनुसूचित जाति की सूची में शमिल किया जाए।

16. विभिन्न मामलों पर समुदाय के प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य प्रतिभागियों की टिप्पणियाँ:

(i) जीवन के सभी क्षेत्रों में दलित ईसाईयों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

(ii) अनुसूचित जाति मूल के ईसाईयों के प्रति विसंगतियों और उनके पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग नियुक्त किया जाए।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों ने महसूस किया कि संविधान में दलित ईसाईयों के अधिकारों को पूरा संरक्षण दिया गया है और उन्हें अनुसूचित जाति समुदाय के बराबर रखे जाने की आवश्यकता नहीं है।

(iv) संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अधीन मुसलमानों के लिए आरक्षण की आवश्यकता है क्योंकि वे सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं।

(v) राज्य में अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की स्थापना की जाए।

(vi) अल्पसंख्यकों से संबंधित स्कीमों को मॉनीटर करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की स्थापना की जाए।

(vii) सरकार मुसलमान समुदाय के उत्थान के लिए चेरिटेबल मुस्लिम ट्रस्ट, सोसायटीज और एसोसिएशनों को प्रोत्साहित करे।

(viii) राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय की तर्ज पर अरबी विश्वविद्यालय की स्थापना करे।

(ix) सभी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाएँ पंजीकृत होनी चाहिए और उन्हें मौलाना आजाद एजुकेशन फाउन्डेशन से अनुदान मिलना चाहिए।

(x) एंग्लो–इंडियन समुदाय को पिछड़ा वर्ग माना जाए और केन्द्र सरकार की सेवाओं में नौकरियों में उन्हें 2 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।

(xi) लेटिन केथोलिक ने स्थानीय स्वायत्त शासन, राज्य विधान मंडल, संसद, न्यायपालिका, विश्वविद्यालयों और सिविल सेवाओं में प्रतिनिधित्व दिए जाने का अनुरोध किया।

(xii) तमिल प्रतिनिधियों ने नौकरियों में आरक्षण देने का अनुरोध किया और स्कूलों में तमिल अध्यापकों के पदों को भरने का अनुरोध किया।

(xiii) कोंकणी भाषायी अल्पसंख्यकों ने सेवा/शिक्षा और राज्य सरकार की विभिन्न समितियों/विश्वविद्यालयों/सलाहकार बोर्डों आदि में आरक्षण की मांग रखी है और कोंकणी अकादमी की स्थापना की भी मांग की है।

(xiv) उर्दू भाषायी अल्पसंख्यकों ने उन्हें फीस के भुगतान के संबंध में संपन्न व्यक्तियों की श्रेणी से बाहर रखने और मुस्लिम कोटा में उन्हें आरक्षण देने का अनुरोध किया।

(xv) भाषायी अल्पसंख्यक आयोग ने भाषायी अल्पसंख्यकों के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता की सराहना की है और आयोग को लगता है कि वह अन्य राज्यों के सामने आदर्श प्रस्तुत करेगा।

अनुबन्ध: 8.12

मध्य प्रदेश राज्य में किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट का सार

1. राज्य का नाम: मध्य प्रदेश

2. निरीक्षण की तारीख: मार्च 3-4, 2006

3. राज्य का निरीक्षण करने वाले आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों का विवरण:
   (i) प्रो॰ डॉ॰ अनिल विल्सन, सदस्य
   (ii) श्रीमती आशा दास, सदस्य सचिव

4. राज्य द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्य किए गए धार्मिक समुदाय: मुसलमान, ईसाई, बौद्ध सिख, पारसी, और जैन

5. संक्षेप में राज्य का जनसंख्या संबंधी ब्यौरा:**

		सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या	लाख में	603.5	550.0	38.4	1.7	1.5	2.1	5.4	382*	4.1
	प्रतिशत में (%)	100.0	91.1	6.4	0.3	0.2	0.3	0.9	नगण्य	0.7
महिला व पुरूष अनुपात	हजार में से	919	918	929	996	882	949	925	–	1029

*पूर्णांकों में
**(2001 की जनगणना)

6. अल्पसंख्यकों के विकास के लिए राज्य का प्रशासनिक ढाँचा:

पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का प्रमुख प्रधान सचिव रैंक का अधिकारी होता है।

अन्य संख्यागत ढांचा

राज्य सरकार ने निम्नलिखित संस्थाओं का गठन किया है:

(i) मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग

इस आयोग का गठन अक्तूबर, 1996 में हुआ था।

(ii) वक्फ बोर्ड

(क) इसका गठन 1996 में हुआ था। वक्फ की संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए और अतिक्रमण के मामलों की जाँच पड़ताल के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति की गई है।

(iii) मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम

(iv) एक हज समिति है।

7. शैक्षिक स्थिति:

(i) साक्षरता दर:*

साक्षरता दर %	व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
	कुल	63.7	62.8	70.3	85.8	82.9	74.4	96.2	–	52.1
	महिलाएँ	50.3	49.0	60.1	81.4	76.7	62.6	93.6	–	37.6

*(2001 जनगणना)

(ii) पहली कक्षा से दसवीं कक्षा के बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों की दर 63.79 है जबकि राष्ट्रीय औसत 62.58 है।

(iii) मदरसा शिक्षा

(क) मध्य प्रदेश में लगभग 6000 मदरसे हैं और मदरसा बोर्ड में पंजीकृत मदरसों की संख्या 5252 है, शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2.76 लाख है, भारत सरकार ने मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए जिन मदरसों के अनुदान देने पर विचार किया है उनकी संख्या लगभग 446 है।

(ख) मदरसे प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर स्तर पर शिक्षा प्रदान करते हैं।

(ग) राज्य मदरसा बोर्ड से सम्बद्ध मदरसों में आधुनिक विषयों को पढ़ाया जाता है।

(घ) राज्य सरकार शिक्षा के केरल आदर्श (मॉडल) का अध्ययन कर रही है और शीघ्र ही वह इसे लागू कर सकती है। सर्व शिक्षा अभियान और मदरसा शिक्षा को एकीकृत किया जाना अनिवार्य है। सभी मदरसों में मध्याह्न के भोजन की सुविधा दी जाएगी।

(ङ) मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए वित्तीय सहायता

(i) मदरसों में परम्परागत शिक्षा के साथ विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी और अंग्रेजी की शिक्षा दी जाएगी।

(ii) भारत सरकार की ओर से अध्यापकों को 3000 रूपए प्रति माह की दर से 12 महीने का वेतन और साइंस किट की खरीद के लिए 4000 रुपए की शत प्रतिशत सहायता दी जाएगी।

(च) राजीव गाँधी शिक्षा मिशन की मदरसा स्कीम।

(छ) राष्ट्रीय मदरसा बोर्ड की स्थापना की जाए और राज्य स्तरीय मदरसा बोर्ड को इस संस्था से सम्बद्ध किया जाए।

(ज) उत्कृष्ट परिणाम देने वाले मदरसों को विशेष अनुदान दिया जाना चाहिए। मदरसे के बच्चों के लिए भोजनावकाश में भोजन दिया जाना चाहिए।

(झ) औद्योगिक घरानों के सहयोग से व्यवसायिक शिक्षा देना आरम्भ किया जाए और मदरसों को विज्ञान व गणित के अतिरिक्त व्यवसायिक पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए अनुदान दिया जाए।

(iv) उर्दू भाषा को बढ़ावा देने और उर्दू साहित्य को प्रकाशित करने के लिए उर्दू अकादमी स्थापित की गई है।

(v) राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद द्वारा वित्तीय सहायता।

(vi) रोजगार के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए और व्यवसायिक कॉलेजों में प्रवेश के लिए परीक्षा–पूर्व कोचिंग स्कीम और वजीफा।

(vii) अल्पसंख्यकों के कल्याण में लगी पंजीकृत सोसायटी को स्कूल, हास्टल, कॉलेज के भवन निर्माण, कोचिंग देने और प्रयोगशाला के लिए उपस्कर और फर्नीचर आदि खरीदने के लिए मौलाना आजाद एजूकेशन फाउन्डेशन, नई दिल्ली द्वारा दी गई वित्तीय सहायता।

(viii) मराठी, सिंधी, पंजाबी और जनजातीय भाषाओं के विकास के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

(ix) राज्य सरकार द्वारा गुरूकुलों और संस्कृत पाठशालाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

(x) सिंधी भाषा को महत्व दिया जाना चाहिए और एक विषय के रूप में सिंधी भाषा के साथ हायर सेकेन्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को सिंधी बहुलता वाले जिलों में अध्यापक के रूप में नियोजन देने में वरीयता दी जानी चाहिए।

(xi) समाज के पिछड़े वर्गों को नि:शुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए।

8. स्वास्थ्य की स्थिति:

(i)

जन्म दर (%)	मृत्यु दर (%	नवजात शिशु मृत्यु दर (1000 जीवित शिशुओं पर)	राज्य में ऐलोपैथिक अस्पतालों और बिस्तरों की संख्या (सीएचसी सहित)		राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या
			अस्पताल	बिस्तर	
30.2	9.8	82	324	17702	1194

स्रोत: केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, डी जी एच एस द्वारा प्रकाशित हेल्थ इनफार्मेशन ऑफ इंडिया 2005

सी एच सी: सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

9. आर्थिक स्थिति:

(क) कार्य प्रतिभागिता दर:*

(प्रतिशत में)

व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
पुरूष	51.5	51.7	47.6	48.2	53.8	50.1	53.7	–	57.1
स्त्री	33.2	34.5	16.9	32.7	13.4	35.0	7.4	–	55.4

*(2001 जनगणना)

(ख) व्यवसायिक वर्गीकरण:*

(प्रतिशत में)

व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
कृषक	42.8	44.4	17.7	19.1	31.5	20.2	8.7	–	56.1
खेतिहर मजदूर	28.7	29.5	17.1	9.5	7.4	29.9	1.8	–	38.7
घरेलू उद्योग	4.0	3.7	9.2	1.2	3.1	13.6	4.2	–	0.5
अन्य कामगार	24.5	22.3	56.1	70.3	58.0	36.3	85.3	–	4.6

*(2001 जनगणना)

(ग) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार राष्ट्रीय औसत (26.10%) की तुलना में अधिक है (37.43%)

10. अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मौजूदा मानदण्ड निम्नलिखित है:

मध्य प्रदेश में निम्नलिखित मानदण्ड लागू किया गया है:

(i) हिंदूओं की जाति व्यवस्था में छोटी जाति और अन्य समुदायों द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़ी समझी जाने वाली जातियां।

(ii) वे लोग जिनके पास घर और भूमि खरीदने के साधन नहीं है।

(iii) परम्परागत कार्यों को छोटा और कम फायदा देने वाला समझा जाता है, विशेष तौर पर ऐसे कार्य जिनमें शारीरिक श्रम ज्यादा लगता है।

(iv) सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व का न होना या बहुत कम होना।

(v) दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में रिहाइश मुख्य तौर पर कच्चे घरों में रहना।

(vi) राजनैतिक क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व का न होना या बहुत कम होना।

(vii) ऐसे समुदाय जहां 17 वर्ष से भी कम उम्र में शादी होती है।

(viii) ऐसे समुदाय जिनमें परिवारों को उपभोग्य पदार्थों को खरीदने के लिए ज्यादा ऋण लेना पड़ता है।

11. राज्य सरकार द्वारा विकास स्कीम/कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए आठ सूत्री कार्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है।

(i) सरकारी स्तर:

(क) अल्पसंख्यकों को मध्य प्रदेश में लागू विभिन्न विभागीय स्कीमों से लाभ पहुंचा है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा लागू किए जा रहे आठ सूत्री कार्यक्रम से विभिन्न उपायों के जरिए अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर को सुधारने और उनके विकास में योगदान दिया जा रहा है।

(ग) मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम द्वारा दी गई ऋण सहायता के लाभार्थियों की संख्या में सितंबर 2005 तक बहुत वृद्धि हुई है, लाभार्थियों की कुल संख्या 1,80,104 थी।

(घ) केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली द्वारा वक्फ भूमि का विकास। ऋण लेने की सुविधा वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति के केन्द्रीय वक्फ परिषद द्वारा दी जाती है।

(ii) बैंक से संबंधित सूचना:

(क) राज्य सरकार ने यह महसूस किया कि बैंकों को अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम को दी गई गारन्टी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि की जा सके।

(ख) राज्य स्तरीय बैंक समिति ने संकेत दिया कि अल्पसंख्यकों को दी गई ऋण राशि में से लगभग आधा ऋण जैनियों ने हासिल किया है। बौद्ध लोगों को लाभ का सबसे कम हिस्सा मिला है।

(ग) ऋण की वसूली 40 से 50 प्रतिशत के बीच में होती है। बैंकों से ऋण लेने में और विकास विभागों से प्रोजेक्टों का अनुमोदन कराने में अल्पसंख्यकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

(घ) बैंक को विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए विभिन्न नीतियां रखनी चाहिए।

(ङ) ऋण सुविधाएं देने के लिए बैंक के नियमों को सरल बनाया जाए।

(च) सरकार उन गैर सरकारी संगठनों की पहचान करे जो प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हों, बैंक से ऋण ले सके और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित कर सके।

12. भाषायी अल्पसंख्यक:

(i) राज्य की राजभाषा: हिन्दी

(ii) राज्य में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं: मराठी, उर्दू, छत्तीसगढ़ी, भिली, भिलोदी, मालवी, बुंदेली/बुंदेलखंडी

13. आयोग के साथ हुई बातचीत में राज्यपाल, मुख्य मंत्री की टिप्पणियां

(i) श्री बलराम जाखड़, मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने निम्नलिखित टिप्पणियां की:-

(क) विकास स्कीमों में धर्म अथवा जाति के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी गरीबों को समान समझा जाना चाहिए।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में से संपन्न व्यक्तियों को हटाया जाना चाहिए।

(ग) सरकार को ऐसे परिवारों को विकास का लाभ जैसे रियायत, ऋण, उपदान अथवा कोई अन्य सुविधा एक बार देनी चाहिए।

(घ) योजना बनाते समय शिक्षा पर अपेक्षित जोर नहीं दिया जाता।

(ङ) कृषि और कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग को प्राथिमिकता दी जानी चाहिए जिससे कृषकों और कृषि श्रमिकों की स्थिति में सुधार आएगा।

(ii) श्री शिव राज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित टिप्पणियां की।

(क) केवल 'गरीबी' के आधार पर ही पिछड़ेपन का पता लगाया जाना चाहिए। गरीबों में भी जो सबसे गरीब हो उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(ख) किसी व्यक्ति को गरीबी रेखा के नीचे रहने तक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इस श्रेणी के लोगों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।

(ग) ईसाई अथवा मुसलमान धर्म में धर्मान्तरित व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का स्थान दिए जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि उनहें पहले ही अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया जा चुका है और इस व्यवस्था से राज्य का प्रयोजन पूरा हो जाता है।

14. विचारणीय विषयों से संबंधित मामलों पर टिप्पणियां:-

(i) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में से पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने का संस्तुत मानदण्ड और पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए मानदण्ड के रूप में गरीबी रेखा की अवधारणा:

(क) राज्य सरकार की यह राय है कि सामाजिक-आर्थिक, जाति और अन्य आधारभूत मानदण्डों को स्वीकार किया जाए।

(ख) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक जाति/वर्ग/जिन्हें अपनी परम्परागत जाति व्यवस्था में निचला दर्जा हासिल है और अन्य लोगों द्वारा उन्हें सामाजिक रूप से पिछड़ा माना जाता है।

(ग) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक जाति/वर्ग की सामान्य आर्थिक हैसियत जिसकी वजह से उनके पास, भूमि, घर और अन्य परिसंपत्तियां खरीदने के संसाधन नहीं हैं।

(घ) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक जाति/वर्ग के परम्परागत व्यवसाय और जीवन यापन के साधन जिन्हें (क) परम्परागत विश्वास के अनुसार हीन समझा जाता है (ख) जिसे उनके श्रम की तुलना में लाभदायक नहीं समझा जाता है बल्कि घटिया और हीन समझा जाता है (ग) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक जाति/वर्ग जो अपने जीवनयापन के लिए मुख्य तौर पर श्रम पर निर्भर करता है (घ) उनकी महिलाएं भी जीवन यापन के लिए कार्य करती हैं।

(ङ) सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है या उनका प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं है।

(च) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक जाति/वर्ग के रहने का स्थान, जीवन शैली और घर की व्यवस्था सुदूर और अलग-थलग पड़े ग्रामीण क्षेत्रों में बने कच्चे घरों में रहते हैं।

(छ) राजनैतिक क्षेत्रों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है या उनका प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं है।

(ज) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक और भाषा आधारित जाति/वर्ग जहां उन परिवारों की संख्या ज्यादा है जो उपभोग्य सामग्री खरीदने के लिए ऋण लेते हैं।

(ii) सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के संबंध में 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा:

(क) अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए लागू यह अवधारणा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लागू होना चाहिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची से कुछ समुदायों को निकालने का काम तत्काल आरम्भ किया जाना चाहिए।

(ख) धर्म या जाति का भेदभाव किए बिना सभी गरीबों को समान समझकर व्यवहार किया जाना चाहिए।

(ग) समुदाय में पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए साक्षरता स्तर को मानदण्ड बनाया जाना चाहिए।

(iii) ईसाई/मुसलमान धर्म में धर्मान्तरित व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का स्थान प्रदान करना:

(क) राज्य ईसाई/मुसलमान धर्म में धर्मान्तरित व्यक्तियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का स्थान देने के पक्ष में नहीं है क्योंकि उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल कर लिया गया है।

(iv) राज्य सरकार ने मौजूदा अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 29 के खंड-2 और अनुच्छेद 16(4) में संशोधन करने का सुझाव दिया है ताकि राज्य की सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व रखने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पक्ष में नियुक्ति और पदों के आरक्षण और अनुसूचित जाति और जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सके।

15. विभिन्न मामलों पर समुदाय के प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य प्रतिभागियों की टिप्पणियां:-

(i) अल्पसंख्यकों का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण तत्काल कराया जाए। ऐसा सर्वेक्षण करते समय समुदाय के प्रमुखों से परामर्श किया जाए।

(ii) अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाएं और उन्हें लागू किया जाए।

(iii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को अपेक्षित विकास कार्यक्रम तैयार करने और लागू करने की कार्यकारी शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए निधियों के आबंटन के संबंध में देश को मार्गदर्शन प्रदान करने लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त आयोग को स्थापित करना वांछनीय है।

(iv) अल्पसंख्यक आयोग को शैक्षिक संस्थानों के लिए अल्पसंख्यक स्थिति वाला प्रमाणपत्र जारी करने की शक्ति प्रदान की जाए।

(v) अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा को सुधारने के लिए उन्हें विशेष अनुदान और सुविधएं प्रदान की जाएं।

(vi) धार जिले से प्राप्त जैन मूर्ति दिगम्बर जैन समुदाय को लौटाई जाए और गिरनार (गुजरात) में जैन समुदाय के प्राचीन पूजा स्थल को संरक्षण प्रदान किया जाए।

(vii) जहां तक धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के विकास का संबंध है धर्म या भाषा की तुलना में शिक्षा और रोजगार अधिक महत्वपूर्ण तत्व हैं।

(viii) पिछड़ेपन के मानदंड में सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार के पिछड़ेपन को शामिल किया जाना चाहिए।

(ix) गृह और रक्षा मंत्रालयों में मुसलमानों की भर्ती की जानी चाहिए। जिन क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या 25 से 32 प्रतिशत हो उन क्षेत्रों को आरक्षित श्रेणी में माना जाए।

(x) शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं नि:शुल्क होनी चाहिए।

(xi) अनुसूचित जातियों को दी जाने वाली सभी सुविधाएं मुसलमान/ईसाई धर्म में धर्मान्तरित अनुसूचित जाति के लोगों को भी दी जानी चाहिए।

(xii) जिला प्राधिकारियों द्वारा समुदाय संबंधी प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल किया जाए।

(xiii) जनजातीय ईसाईयों को अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

(xiv) मदरसों को सहायतार्थ अनुदान समय पर दिया जाना चाहिए।

(xv) मुसलमानों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित सुविधाओं का पता लगाया जाए।

(xvi) विधवाओं और शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की अनदेखी, सेवाओं में मुसलमानों का आरक्षण और बैंकों द्वारा ऋण देने के लिए प्रतिभूति जमा कराने की शर्त की वापसी ऐसे अन्य मामले हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

(xvii) सिख प्रतिनिधियों ने कहा कि सिकलीगर और बनजारों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए और मजहबी; रविदास और रामगढ़िया सिखों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए।

(xviii) सिख समुदाय की लबाना, जुलाहा, रामगढ़िया जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया जाए।

(xix) मध्य प्रदेश पंजाबी अकादमी को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए जैसा कि मदरसा बोर्ड के मामले में किया गया है।

(xx) अल्पसंख्यकों में बाल श्रमिकों की अधिकता और बौद्धों को महत्वपूर्ण धर्मस्थलों की यात्रा के दौरान कम सुविधा प्राप्त होने पर ध्यान दिया जाए।

(xxi) बौद्ध समुदाय की महत्वपूर्ण मांगे इस प्रकार है:

(क) बोध गया का महाबोधि महा विहार बौद्धों को सौंपा जाए।

(ख) भोपाल और सांची के बीच बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए और इस प्रयोजन के लिए 5 एकड़ जमीन आबंटित की जाए।

(ग) बौद्ध समुदाय के एक प्रतिनिधि को राज्य सभा के सदस्य के रूप में नामित किया जाए।

(xxii) अनुसूचित जाति द्वारा जैन समुदाय के सदस्यों को उत्पीड़ित किए जाने पर ध्यान दिया जाए।

(xxiii) पिछड़ेपन का निर्धारण निरक्षरता और गरीबी के आधार पर किया जाना चाहिए न कि धर्म या जाति के आधार पर।

(xxiv) मुसलमान शेख मेहतर, नाई, धोबी, चमार को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए और मुसलमान बंजारा, बिलोची, मेवाती को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए।

(xxv) जाति या धर्म के स्थान पर आर्थिक स्थिति को आरक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए। और यह सुविधा केवल एक बार दी जानी चाहिए।

अनुबंध: 8.13

महाराष्ट्र राज्य में किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट का सार

1. राज्य का नाम: महाराष्ट्र

2. निरीक्षण की तारीख: जनवरी, 10–13, 2006

3. राज्य का दौरा करने वाले: आयोग के अध्यक्ष/ सदस्यों का विवरण
   (i) श्री जस्टिस रंगनाथ मिश्र, अध्यक्ष
   (ii) डा॰ मोहिन्दर सिंह, सदस्य
   (iii) डा॰ अनिल विल्सन, सदस्य
   (iv) श्रीमती आशा दास, सदस्य सचिव

4. राज्य द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के रूप मे मान्यता प्राप्त धार्मिक समुदाय: मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी

5. संक्षेप में राज्य का जनसंख्या संबंधी ब्यौरा:*

		सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या	लाख में	968.8	778.6	102.7	10.6	2.1	58.4	13.0	0.5	2.4
	प्रतिशत में%	100.0	80.4	10.6	1.1	0.2	6.0	1.3	0.05	0.2
स्त्री–पुरूष अनुपात	हजार में से	922	923	889	993	829	961	942	–	988

*(2001 जनगणना)

6. अल्पसंख्यकों के विकास के लिए राज्य का प्रशासनिक ढांचा

   (i) वक्फ का एक मंत्री है

   अन्य संस्थाएं

   (i) राज्य अल्पसंख्यक आयोग
   (ii) प्रत्येक जिले में अल्पसंख्यक कल्याण समिति है जिसके प्रमुख जिला कलक्टर होते हैं।
   (iii) राज्य वक्फ बोर्ड
   (iv) हज समिति
   (v) उर्दू अकादमी

7. शैक्षिक स्थिति:

   (i) साक्षरता दर:*

साक्षरता दर%	व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
	कुल	76.9	76.2	78.1	91.0	88.9	76.2	95.4	–	73.2
	महिलाएं	67.0	65.9	70.8	87.4	84.5	65.2	92.3	–	64.8

(ii) I कक्षा से X कक्षा तक पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 52.05 है जबकि राष्ट्रीय औसत 62.58 प्रतिशत है।

(iii) मदरसा शिक्षा

(क) 2637 मदरसों में से, 1426 पंजीकृत हैं और केवल 4 ने भारत सरकार से वित्तीय सहायता ली है।

(ख) राज्य सरकार मदरसा बोर्ड गठित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

(ग) मदरसों के आधुनिकीकरण की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम में लगभग 11 मदरसों को शामिल किया गया था।

(घ) राज्य मदरसा बोर्ड गठित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ङ) भारत सरकार मदरसों के लिए राज्यवार बजट निर्धारित करेगी।

(च) राज्य में 2800 उर्दू माध्यम के स्कूल हैं और कुछ उर्दू माध्यम के बी.एड. कॉलेज है।

(छ) उर्दू भाषा के विकास के लिए और उर्दू और मराठी भाषा को नजदीक लाने के लिए 1975 में उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी।

(ज) अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने को लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(झ) राज्य लोक सेवा आयोग में परीक्षा के माध्यम के रूप में उर्दू लागू करना।

(ञ) अल्पसंख्यक विधार्थियों को अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने की आवश्यकता।

(ट) अल्पसंख्यक संस्थानों को प्रतिवर्ष मान्यता देने की परम्परा को छोड़ दिया जाए उसे स्थायी मान्यता दी जाए।

(ठ) मुसलमान महिलाओं को कानूनी जानकारी, शरीयत कानून और सर्व शिक्षा अभियान के प्रति जागरूक बनाना।

(ड) बौद्ध विद्यार्थियों के लिए होस्टल के निर्माण के लिए डॉ॰ बाबा साहेब अम्बेडकर बौद्ध संस्थान को वित्तीय सहायता दी जाए।

(ढ) लड़कियों के होस्टल में अनिवार्य रूप से महिला वार्डन होनी चाहिए।

(ण) उर्दू अध्यापकों के पदों को समय पर भरा जाना चाहिए।

(त) अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के होस्टल का निर्माण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के समान होना चाहिए।

(थ) उर्दू अकादमी के चैयरमैन का पद भरा जाए।

(द) सरकार को पाली भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए।

(घ) अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा अध्यापकों की भर्ती में होने वाली तथाकथित धांधलियों पर ध्यान दिया जाए।

(iv) अनेक अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा 3000 सैकेन्डरी स्कूल चलाए जाते हैं।

(v) महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग पुलिस कांस्टेबलों/पुलिस सब इंस्पेक्टरों की भर्ती के लिए परीक्षा–पूर्व कोचिंग क्लास चलाता है और संघ लोक सेवा आयोग/एमपीएससी द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्षेत्रीय मार्गदर्शन केन्द्र चलाता है।

(vi) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए स्थानीय स्तर पर गहन कार्यक्रम चलाए जाए।

(vii) 2000 में स्थापित मौलाना आजाद वित्त और विकास निगम अनेक स्कीमें चलाता है: (i) प्रत्यक्ष ऋण स्कीम, (ii) सावधि ऋण स्कीम (iii) नव उद्योग स्थापना धनराशि ऋण और (iv) शैक्षिक ऋण स्कीम।

(viii) सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण स्कीम अर्थात (i) सावित्री बाई फूले स्पेशल स्कालरशिप फॉर गर्ल स्टूडेन्ट (ii) व्यवसायिक शिक्षा (iii) राजश्री छत्रपति साहू महाराज मेरिट स्कालरशिप फॉर ओबीसी स्टूडेन्टस।

(ix) महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्र और व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए लड़कियों को वजीफा और स्व-रोजगार।

(x) शैक्षिक संस्थान खोलने के लिए अल्पसंख्यकों के किसी प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सरकार की इच्छा।

(xi) किसी औसत महाराष्ट्रवासी की तुलना में अल्पसंख्यकों का शैक्षिक स्तर ऊंचा है।

(xii) अल्पसंख्यक सोसायटी/ट्रस्टों द्वारा लगभग 6000 प्राथमिक स्कूल और 20 इंजीनियरिंग कॉलेज चलाए जा रहे हैं।

(xiii) विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिए कोचिंग/मार्गदर्शन केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करना।

(xiv) अधिकांश मुसलमान शहरों में रहते हैं और उनकी साक्षरता दर (78.1%) सभी अन्य समुदायों (76.9%) की तुलना में अधिक है।

(xv) राज्य सरकार मराठी से भिन्न भाषाओं के माध्यम या अनुदेश देने वाले स्कूलों को खुलने को प्रोत्साहित करती है।

8. स्वास्थ्य की स्थिति:

(i)

जन्म दर (%)	मृत्यु दर (%)	नवजात शिशुओं की मृत्यु दर (प्रति हजार जीवित बच्चों पर)	राज्य में ऐलोपैथिक अस्पतालों और बिस्तरों की संख्या (सीएचसी) सहित		राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या
			अस्पताल	बिस्तर	
19.9	7.2	42	1170	76447	1780

कृपया आंकडें मूल से देखें।

स्रोत: केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, डीजीएचएस द्वारा प्रकाशित हेल्थ इनफोरमेशन ऑफ इंडिया 2005 सीएचसी: सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

(i) मुसलमानों में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर (28.2%) हिन्दुओं (58.3%) की तुलना में कम है।

9. आर्थिक स्थिति:

(क) कार्य प्रतिभागिता दर*

(प्रतिशत में)

व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
पुरुष	53.3	54.0	50.0	52.4	55.6	49.3	57.0	–	53.2
महिला	30.8	33.6	12.7	25.3	11.8	31.3	10.6	–	37.3

*(2001 जनगणना)

(ख) व्यवसायिक वर्गीकरण*

(प्रतिशत में)

नाम	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
कृषक	28.7	32.2	8.1	4.7	5.2	14.3	13.4	–	24.6
खेतिहर मजदूर	26.3	26.6	17.6	4.6	5.4	42.7	3.3	–	33.1
घरेलू उद्योग	2.6	2.6	3.6	1.9	3.7	2.5	3.2	–	2.3
अन्य कामगार	42.4	38.7	70.7	88.8	85.7	40.5	80.1	–	40.0

*(2001 जनगणना)

ग) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 25.02 राष्ट्रीय औसत 26.10 की तुलना में कम है।

घ) महिला मंडलों और स्वयं सहायता समूहों को उचित दर की दुकानें देना।

ङ) राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या लगभग 45 लाख है जिनमें से 1/5 के पास अधिकृत कार्ड नहीं हैं।

च) कमजोर वर्गों को सामाजिक-आर्थिक लाभ देने के लिए आर्थिक आधार ही एकमात्र मानदण्ड है।

10. अन्य पिछड़ा वर्गों की पहचान के लिए मौजूदा मानदण्ड:

सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन को मानदण्ड के रूप में लिया जाता है।

11. राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही विकास स्कीमें/कार्यक्रम।

सरकारी स्तर:

(क) वक्फ मंत्री है।

(ख) महिलाओं के लिए अस्थायी आश्रम और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा गृह।

(ग) 1975 में महिला वित्त और विकास निगम (महिला आर्थिक विकास महामंडल) स्थापित किया गया था: इस निगम ने अनेक स्कीमें चलाई हैं जैसे ग्रामीण ऋण कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वयंसिद्ध कार्यक्रम, महिला स्वाबलम्बन निधि, 'रमाई महिला साक्ष्मी करण', नबार्ड (एनएबीएआरडी) प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय सम विकास योजना, कृषि सप्तक योजना, जनजातीय महिलाओं के लिए प्रोजेक्ट, स्वयं सहायता समूह फेडरेशन, स्वैच्छिक संगठन (एनजीओ) और राज्य स्तरीय फोरम, एनओआरएडी प्रोजेक्ट, महिला प्रशिक्षण और नियोजन कार्यक्रम को सहायता, तत्काल भोजन केन्द्र (रेडी टू ईट सेन्टर), स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना, महिला प्रांगण योजना, जागरूकता कार्यक्रम, कौशल विकास और कामधेनु आदि 1 अगस्त 2005 तक गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या 36551 थी।

(घ) बैंकों से संबंधित सूचना:

(i) बैंक ऑफ महाराष्ट्र राज्य का अग्रणी बैंक है। इसने उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अधीन कौशल वृद्धि में अल्पसंख्यक आवेदकों के लिए स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया है।

(ii) भारतीय स्टेट बैंक ने स्वयं सहायता समूहों के साथ 'डेरी चिलिंग प्लांट' स्थापित किया है यह स्वयं सहायता समूहों, अल्पसंख्यकों और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को ऋण प्रदान करता है।

(iii) बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि ने क्षेत्रवार स्कीमों की पहचान का सुझाव दिया।

(iv) राज्य स्तरीय बैंक समिति से प्राप्त सूचना में स्पष्ट हुआ है कि 5 अल्पसंख्यक समुदायों को कुल ऋण का 6 प्रतिशत दिया गया जबकि अन्य समुदायों को 94 प्रतिशत दिया गया।

(v) वर्ष 2004-05 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र की उपलब्धि 84.71 प्रतिशत थी।

(vi) 2004 में 53.92 प्रतिशत वसूली की गई थी।

(vii) औरंगाबाद जिले में मुसलमानों और बौद्धों की तुलना में पारसियों और सिखों को ज्यादा ऋण मिला था।

(viii) बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयां आती है क्योंकि बैंक अभी भी गारन्टीदाता और इसके सामान्तर प्रतिभूति जमां करने पर जोर देते हैं जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इन मानदण्डों पर जोर देने से मना किया है।

(ix) नबार्ड, लघु उद्योग विभाग और जिले के अग्रणी बैंकों को अल्पसंख्यकों के लिए उद्योग संवर्द्धन केन्द्र स्थापित करने चाहिए।

12. भाषायी अल्पसंख्यक:

(i)	राज्य की राजभाषा:	मराठी
(ii)	राज्य में बोली जाने वाली: अन्य भाषाएं	हिन्दी, उर्दू, गुजराती, सिंधी, कन्नड, तमिल, तेलुगू, बंगाली

13. आयोग के साथ हुई बातचीत में राज्यपाल, मुख्य मंत्री। अन्य मंत्रियों और अन्य सरकारी अधिकारियों की टिप्पणियां:

(क) महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री विलास राव देशमुख ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणियां की:

(i) अपने स्तर पर 15 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा

(ii) राज्य पुलिस में मुसलमानों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व

(iii) अन्य पिछड़ा वर्गों को अनुसूचित जाति का स्थान और अनुसूचित जाति को अनुसूचित जनजाति की मांग करने से रोकने के उपायों की आवश्यकता है।

(iv) क्रीमी लेयर की अवधारणा का ईमानदारी से पालन किया जाए।

(ख) मुख्य सचिव और अन्य सरकारी अधिकारियों की टिप्पणियां:

(i) मुख्य सचिव श्री आर॰एम॰ प्रेम कुमार ने निम्नलिखित टिप्पणियां की:

(क) यह राज्य एक महानगर है और बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के बीच कोई भेद नहीं है।

(ii) श्री जे॰ एम॰ पाठक, प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ने निम्नलिखित टिप्पणियां की:

(क) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए कोई विशेष योजना नहीं है।

(ख) तमिल माध्यम के स्कूल की मांग में कमी आई है।

14. विचारणीय विषयों से संबंधित मामलों पर टिप्पणियां:

(i) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में से पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने का संस्तुत मानदण्ड और पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए मानदण्ड के रूप में गरीबी रेखा की अवधारणा। निम्नलिखित मानदण्ड का सुझाव दिया गया था: आय स्तर, व्यवसाय का प्रकार; महिला प्रधान घर, लम्बे समय से बीमार रोगी जैसे एच आई वी। एड्स, कोढ आदि को सहायता प्रदान करने वाले परिवार और देवदासी प्रथा आदि जैसी सामाजिक विंसगतियों की शिकार आदि।

(ii) सेवा और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण के लिए 'क्रीमी लेयर की अवधारणा':

राज्य सरकार की यह राय थी कि क्रीमी लेयर की अवधारण को ईमानदारी से माना जाए। एक और सुझाव यह था कि क्रीमी लेयर में समय-समय पर परिवर्तन किया जाना चाहिए और समय-समय पर मानदण्ड निर्धारित किए जाने चाहिए।

(iii) ईसाई, मुसलमान धर्म में धर्मान्तरित व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का स्थान प्रदान करना राज्य सरकार ने यह महसूस किया कि ईसाई, मुसलमान या पिछड़े वर्गों में से दलितों की पहचान करने के स्थान पर समाज के व्यापक हित में समान मानदण्ड अपनाया जाना चाहिए। लेकिन कुछ प्रतिभागियों ने दलित ईसाईयों और दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति का स्थान दिए जाने की वकालत की।

15. विभिन्न मामलों पर समुदाय के प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य प्रतिभागियों की टिप्पणियां:

(i) सेवाओं में अल्पसंख्यक समुदायों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व अर्थात 18 प्रतिशत की तुलना में 6 प्रतिशत

(ii) 'खोजा' समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने का अनुरोध।

(iii) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कीमें, भोजनावकाश में भोजन, आई॰सी॰डी॰एस और परिवार नियोजन को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है।

(iv) संपत्ति में महिलाओं के अधिकार को उचित संरक्षण प्रदान करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ को विधिबद्ध करने की आवश्यकता है।

(v) मुसलमानों में बाल श्रमिकों की दुर्दशा और उर्दू स्कूलों की खराब दशा।

(vi) राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का पद लंबे समय तक खाली नहीं रहना चाहिए।

(vii) मुसलमान महिलाओं में कानूनी जानकारी, शरीयत कानून और सर्व शिक्षा अभियान के प्रति जागरूकता पैदा करना।

(viii) 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में ढिलाई

(ix) बोद्धों के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाए और बुद्ध बिहारों को प्राथमिक स्कूल का दर्जा दिया जाए।

(x) मुसलमान कुनबिस को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता दी जाए।

(xi) वक्फ बोर्ड की असंतोषजनक कार्यप्रणाली।

(xii) तलाकशुदा महिलाओं को सामाजिक रूप से पिछड़े के रूप में मान्यता दी जाए।

अनुलग्नक:8.14

मणिपुर राज्य के दौरे की रिपोर्ट का सार

1. राज्य का नाम: मणिपुर

2. दौरा करने की तारीख: 10 अप्रैल, 2006

3. आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों का ब्यौरा जिन्होंनें राज्य का दौरा किया।
   (i) डा॰ ताहिर महमूद, सदस्य
   (ii) डा॰ अनिल विल्सन, सदस्य
   (iii) डा॰ मोहिंदर सिंह, सदस्य
   (iv) श्रीमती आशादास, सदस्य सचिव

4. राज्य द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में मान्यता प्राप्त धार्मिक समुदाय: मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध।

5. राज्य की संक्षेप में जनसांख्यिकी स्थिति (प्रोफाइल):**

		समस्त धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
राज्य/राज्य संघ क्षेत्र की कुल जनसंख्या	लाख में	21.7	10.0	1.9	7.4	0.01	0.02	0.01	11*	2.4
	प्रतिशत (%) में	100	46.0	8.8	34.0	0.1	0.1	0.1	नगण्य	10.9
लिंग अनुपात	हजार में	978	974	973	977	515	879	842	–	1009

*पूर्ण संख्याओं में

**(2001 को जनगणना के अनुसार)

6. अल्पसंख्यकों के विकास के लिए राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था:

   (i) राज्य सरकार ने अप्रैल, 2000 में अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग (एमओबीसी) की स्थापना की।

   (ii) यहां एक अलग जनजातीय विभाग और पहाड़ी ग्राम प्राधिकरण है।

   अन्य संस्थागत ढांचा

   (i) अल्पसंख्यक आयोग:

   (क) फरवरी, 2004 में राज्य अल्पसंख्यक आयोग (एक-व्यक्ति आयोग) का गठन किया गया। 2004-05 के दौरान, 3.50 लाख रु॰ सहायता अनुदान के रूप में दिए गए।

   (ख) राज्य सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने के लिए स्वीकृति दे दी है।

   (ii) वक्फ बोर्ड/वक्फ अधिकरण/हज समिति।

(क) मई, 1988 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ।

(ख) हज समिति 1987 से कार्यरत है।

7. शैक्षिक स्थिति:*

(i) साक्षरता दर:

साक्षरता दर (%)	व्यक्ति	समस्त धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
	कुल	70.5	75.3	58.6	65.9	88.5	53.3	94.5	–	73.5
	स्त्री	60.5	64.7	41.6	58.5	79.8	38.2	93.5	–	63.4

*(2001 की जनगणना के अनुसार)

(ii) 62.58 प्रतिशत राष्ट्रीय औसत की तुलना में कक्षा 1 से X तक बीच में पढ़ाई छोड़ने (ड्राप आउट) वालों की दर 60.54 प्रतिशत है।

(iii) मदरसा शिक्षा

(क) मदरसों की कुल संख्या 58 है। मणिपुर में पंजीकृत मदरसों की संख्या लगभग 38 है जो केवल धार्मिक और धर्मविज्ञान विषयों पर शिक्षा देते हैं। राज्य सरकार नवीन विषयों को शुरू करने के प्रयास कर रही है।

(iv) आईटीआई: राज्य में कई आईटीआई और पॉलिटेक्निक स्थापित किए गए हैं।

(v) अल्पसंख्यकों को प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वे राज्य पुलिस में सम्मिलित हो सकें।

(vi) मदरसों की कार्यप्रणाली को सरल एवं कारगर बनाने के लिए पश्चिम बंगाल पद्धति पर मदरसा बोर्ड का गठन किया जाए।

(vii) बौद्ध परिषद ने समस्त सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ें वर्गों के लिए सामान्य मानदंड का समर्थन किया।

(viii) मुस्लिम बालिका छात्रावास:

विशेष रूप से मुस्लिम छात्राओं के लिए हट्ट्या, इंफाल में 40 छात्रावासों निर्माण के लिए वर्ष 2004–05 के दौरान 20 लाख रु॰ मंजूर किए गए हैं जिससे कि वे अपने राज्य में ही उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर सकें।

(ix) उर्दू भाषा के विकास के लिए एक नॉडल केंद्रीय एजेंसी एनसीपीयूल का संचालन असंतोषप्रद रहा। इसके लिए उर्दू/अरबी अध्यापक नहीं मिल सके।

(x) वित्तीय संकटों के कारण मुस्लिम, शिक्षा के लिए राज्य से बाहर नहीं जा पाते।

8. स्वास्थ्य की स्थिति:

(i)

जन्म दर (%)	मृत्यु दर (%)	राज्य में एलोपैथी अस्पतालों एवं बिस्तरों (सीएचसी सहित) की संख्या		राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या
		अस्पताल	बिस्तर	
115.5	4.8	28	670	72

*स्रोत: हैल्थ इंफार्मेशन ऑफ इंडिया 2005

केंद्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, डीजीएचएस द्वारा प्रकाशित सी एच सी: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

(ii) स्कीम में गरीबी रेखा से नीचे के अल्पसंख्यक रोगियों को चिकित्सा उपचार के लिए मेडीकल बोर्ड की सिफारिश पर वित्तीय सहायता दी जाएगी।

9. आर्थिक स्थिति:*

(क) कार्य में भागीदारी की दर:*

नाम	समस्त धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
पुरूष	48.1	50.0	43.7	46.5	73.7	53.0	55.6	–	48.5
महिला	39.0	38.5	29.6	41.8	28.1	40.7	16.3	–	40.1

*(2001 की जनगणना के अनुसार)

(ख) व्यावसायिक वर्गीकरण (%)*

नाम	समस्त धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
कृषक	40.2	25.9	28.6	65.0	11.4	60.9	4.9	–	31.2
खेतिहर मजदूर	12.0	12.8	22.3	7.4	2.6	12.3	0.9	–	16.6
घरेलू उद्योग	10.3	13.3	7.6	5.6	2.6	2.3	1.8	–	13.7
अन्य कामगार	37.6	48.0	41.5	22.0	83.4	24.5	92.4	–	38.5

*(2001 की जनगणना के अनुसार)

(ग) राज्य में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 26.10 की तुलना में 28.54 है।

(घ) राज्य के अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हाथकरघा, सिंचाई पंप सेट, डेरी-उद्योग, वनस्पति-उद्योग, मुर्गीपालन, बढ़ईगिरी, चटाई बनाना, बत्तख पालन आदि जैसी कई स्कीमें शुरू की जा रही हैं। इस स्कीम में मशीन औजार एवं उपस्कर आदि के रूप में सामग्री और कार्यकारी पूंजी शामिल है।

(ङ) गरीबी रेखा से नीचे के उन अल्पसंख्यक परिवारों को छत बनाने का सामान (खपरैल) दिया जाता है जो कच्चे घरों में रह रहे हैं।

(च) एमओबीसी विभाग के सदस्य ने सुझाव दिया कि अल्पसंख्यकों के लिए आर्थिक मामलों से संबंधित सैल बनाया जाए और अल्पसंख्यकों के बारे में गहन अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ निकाय गठित किया जाए।

10. वर्तमान आरक्षण नीति

(क) मणिपुर में रह रहे ईसाई सभी अनुसूचित जनजाति के हैं और उन्हें शिक्षा तथा सरकारी नौकरियों में 31 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है। ओबीसी श्रेणी में आने वाले अल्पसंख्यकों के लिए कोई आरक्षण नीति नहीं है।

11. ओबीसी की पहचान का वर्तमान मानदंड:

(क) जैसा कि समस्त जनजातीय शैक्षिक रूप से उन्नत नहीं हैं, राज्य में कमजोर जनजातीय लोगों को एस.टी. की हैसियत दी गई है।

12. राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाएं/ कार्यक्रम।

(i) सरकारी स्तर:

(क) मणिपुर में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने अप्रैल 2000 में एक पूर्ण अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग बनाया था। विभाग अल्पसंख्यकों के संबंध में विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी कार्य कर रहा है।

(ख) कौशल विकास कार्यक्रम:

विभिन्न रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिससे कि वे स्व रोजगार शुरू करने का साहस जुटा सकें।

वर्ष 2005-2006 के दौरान पिछड़े अल्पसंख्यकों की अनुशिक्षण (कोचिंग) के लिए दो नई स्कीमें शुरू की गई थी।

(ग) मुस्लिमों (मैती-पंगल) का विशेष बेंचमार्क सर्वेक्षण:

मुस्लिमों, (मैती-पंगल) जिन्हें केंन्द्रीय और राज्य सूची में अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित किया गया है उनका बेंचमार्क सर्वेक्षण किया गया जिससे उनके पिछड़ेपन का स्तर निर्धारित किया जा सके।

(घ) प्रधानमंत्री का 15-सूत्री कार्यक्रम:

राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री के 15-सूत्री कार्यक्रम को मॉनीटर करने के लिए राज्य और जिला स्तरों पर मॉनीटरन समितियां गठित की हैं।

13. भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग:

(i)	राज्य की राजभाषा:	अंग्रेजी (मणिपुरी)
(ii)	राज्य में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं:	बंगाली के अतिरिक्त कई जनजातीय भाषाएं।

14. आयोग से बातचीत के दौरान राज्यपाल/मुख्यमंत्री द्वारा दी गई टिप्पणियां:

एन सी आर एल एम आयोग से बातचीत के दौरान, मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री ओ ईबोबी सिंह ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

(i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच निम्नलिखित को दूर करने का एक अस्थायी उपाय था।

(ii) क्रीमीलेयर में आने वालों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए।

(iii) राज्य में समस्त ईसाई अनुसूचित जनजाति के हैं और शिक्षा तथा सरकारी नौकरियों में 31 प्रतिशत आरक्षण ले रहे हैं।

(iv) राज्य में ओबीसी/अल्पसंख्यकों के लिए कोई आरक्षण नीति नहीं है।

(v) ओबीसी को आरक्षण देने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(vi) मुख्य सचिव, मणिपुर ने बताया कि:

(क) मुस्लिम राज्य में अत्यधिक पिछड़े और कमजोर है और नौकरों वाले काम कर रहे हैं।

(ख) मदरसों का आधुनिकीकरण किए जाने के संबंध में कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

(ग) इस राज्य में लाभोन्मुखी स्कीम है।

(घ) कमजोर जनजाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति की हैसियत दी गई है।

(ङ) ईसाईयों/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए विभिन्न कल्याणकारी कदम उठाने के संबंध में एक अलग जनजातीय विभाग और हिल विलेज अथॉरिटी है।

(च) 40 प्रतिशत योजना निधियां पहाड़ी क्षेत्रों के लिए हैं और उक्त निधियों को घाटी के कामों में नहीं लगाया जा सकता।

15. विचारार्थ विषयों से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणियां:

(i) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों से पिछड़ा वर्ग निर्धारित करने के लिए सुझाए गए मानदंड और पिछड़ापन निर्धारित करने के लिए मानदंड के रूप में गरीबी रेखा की संकल्पना:

गरीबी में भी सबसे ज्यादा गरीब लोगों के उत्थान के लिए समस्त सुविधाएं और सहायता प्रदान की जाए। इसका मानदण्ड धर्म की बजाय आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना होना चाहिए।

(ii) सेवाओं और शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण में क्रीमी लेयर की संकल्पना:

अनुसूचित जाति/ जनजाति की श्रेणी में क्रीमी लेयर की शुरूआत की जाए। आरक्षण के लाभ क्रीमी लेयर में आने वालों को नहीं दिए जाने चाहिए।

(iii) ईसाई धर्म/इस्लाम में संपरिवर्तित लोगों को अनुसूचित जाति की हैसियत प्रदान करना:

इसका मानदंड सामाजिक-आर्थिक हैसियत होना चाहिए न कि जाति।

16. सामुदायिक प्रतिनिधियों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य भागीदारों की विभिन्न मुद्दों पर टिप्पणियां:

(i) अन्य पिछड़ा वर्ग को तमिलनाडु/केरल पद्धति पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

(ii) टिंक रैगवैंग चेपरियाक, दी जेलियांगरोंग और हरारका को जनजातीय धार्मिक अल्पसंख्यकों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाए परंतु उन्हें जनजातीय लोगों के बीच पहले से ही शामिल कर लिया गया है।

(iii) घाटी में रह रहे लोगों को भाषायी अल्पसंख्यक के रूप मे समझा जाना चाहिए।

(iv) इस संबंध में अनुदेश 9 स्थानीय बोलियों में निर्देश दिए जा रहे हैं।

(v) प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम को कारगर ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है।

(vi) राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने मेडीकल/इंजीनियरी पाठ्यक्रमों में अल्पसंख्यक मुस्लिमों के आरक्षण और मैती-पंगलों के लिए शिक्षा में आरक्षण सहित अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए सुझाव दिए हैं।

(vii) राज्य अल्पसंख्यक आयोग एक बहु-सदस्य आयोग होना चाहिए।

(viii) मैती क्रिस्ट्यन (ईसाई) के एक प्रतिनिधि को राज्य अल्पसंख्यक आयोग में शामिल किया जाए।

(ix) किए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी उपायों से अच्छे परिणाम मिले हैं। परंतु अभी काफी उपाय करने शेष हैं,

(x) ईसाई जनजातियों को दिए जाने वाले आरक्षण को सही ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

(xi) मणिपुर के सनमाही लोगों को अल्पसंख्यकों की श्रेणी में शामिल किया जाए।

(xii) मैती–वर्ग को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में घोषित किया जाए।

(xiii) मणिपुर राज्य महिला विकास निगम के अध्यक्ष ने बताया कि मणिपुर में महिलाओं की स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य भागों की तुलना में ज्यादा अच्छी थी। विभिन्न रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

17. एनसीआरएलएम की टिप्पणियां:

(क) आयोग ने प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षा प्रदान करने में मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड की कार्यप्रणाली और इसकी अपर्याप्तताओं के बारे में स्पष्ट किया और केरल का उदाहरण दिया, जहां मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा दी जाती है और बच्चे नियमित विद्यालय आते हैं जो उनके उच्चतर साक्षरता स्तरों को बताता है।

(ख) आयोग के इस प्रश्न के संबंध में कि मुस्लिमों को अनुसूचित जनजाति की हैसियत क्यों नहीं दी जा रही है, राज्य सरकार ने बताया कि मुस्लिम जनजातीय लोग नहीं हैं बल्कि वे एक गुट में रहते हैं।

अनुलग्नक: 8.15

मेघालय राज्य के दौरे की रिपोर्ट का सार

1. राज्य का नाम: मेघालय

2. दौरे की तारीख: 21 अप्रैल, 2006

3. आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों का ब्यौरा जिन्होंने राज्य का व्यौरा/जिन्होंने राज्य का दौरा किया:
   (i) डा॰ अनिल विल्सन, सदस्य
   (ii) श्रीमती आशा दास, सदस्य सचिव

4. राज्य द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के रूप मे मान्यता प्राप्त धार्मिक समुदाय:

5. राज्य की संक्षेप में जनसांख्यिकी स्थिति:*

	समस्त धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
राज्य संघ/राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या	लाख में	23.2	3.1	1.0	16.3	0.03	0.05	–	2.7
	प्रतिशत (%) में	100	13.3	4.3	70.3	0.1	0.2	–	11.5
लिंगा अनुपात	हजार में	972	827	891	1004	718	871	906	– 996

*(2001 की जनगणना के अनुसार)

6. अल्पसंख्यकों के विकास के लिए राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था:

   (i) समाज कल्याण विभाग अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए नॉडल विभाग है। इसका प्रमुख समाज कल्याण मंत्री होता है।

   अन्य संस्थागत ढांचा:

   (i) कोई अल्पसंख्यक आयोग नहीं—

   (ii) मेघालय राज्य महिला आयोग का गठन अक्तूबर, 2004 में हुआ।

   (iii) वक्फ बोर्ड/ वक्फ अधिकरण/हज समिति।

   (ख) वक्फ बोर्ड का गठन 1975 में हुआ। बोर्ड को प्रतिवर्ष 10,000/- रु. का काफी कम अनुदान मिलता है।

7. शैक्षिक स्थिति:*

   (i) साक्षरता दर:

साक्षरता दर (%)	व्यक्ति	समस्त धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
	कुल	62.6	69.3	42.7	65.3	74.7	70.8	69.9	–	45.0
	स्त्री	59.6	60.3	35.2	63.3	64.1	64.3	65.3	–	44.7

* (2001 की जनगण्ना के अनुसार)

(ii) कक्षा I से X तक बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों (ड्रापआउट) की दर 80.93 प्रतिशत है जो 62.58 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से प्रतिकूलत: बराबर समझी जाती है।

(iii) राज्य में तीन पॉलिटेक्निक कॉलेज तो हैं लेकिन कोई इंजीनियरी कॉलिज नहीं है। विद्यार्थियों को डिग्री स्तर की शिक्षा के लिए राज्य से बाहर भेजने का खर्चा दिया जाता है।

8. स्वास्थ्य की स्थिति:

जन्म दर (%)	मृत्यु दर (%)	राज्य में एलोपैथी अस्पतालों एवं बिस्तरों (सीएचसी सहित) की संख्या।		राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या।
		अस्पताल	बिस्तर	
24.7	7.4	30	2157	95

स्रोत: हैल्थ इंफार्मेशन ऑफ इंडिया 2005
केन्द्रीय स्वस्थ्य आसूचना ब्यूरो, डीजीएचएस द्वारा प्रकाशित
सीएचसी: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

(ii) वृद्धों के लिए चिकित्सा उपचार।

(iii) अनुपूरक पोषण प्रोग्राम

(iv) न्यूट्रीशन सॅवेलन्स सिस्टम (एनएसएस)

(v) अल्पपोषित गर्भवती एवं दुग्धपान कराने वाली महिलाओं और किशोर लड़कियों को नेशनल न्यूट्रीशन मिशन सबसिडाइज्ड फूड ग्रेंस (चावल)।

9. आर्थिक स्थिति:*

(क) कार्य में भागीदारी की दर:*

[प्रतिशत में]

व्यक्ति	समस्त धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
पुरुष	48.3	55.9	48.9	46.2	55.6	47.6	63.0	–	51.1
महिला	35.1	22.4	11.8	37.5	17.2	25.3	31.6	–	42.4

(ख) व्यावसायिक वर्गीकरण (%):*

नाम	समस्त धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
कृषक	48.1	21.4	29.7	53.6	5.4	31.2	46.1	–	50.4
खेतिहर मजदूर	17.7	12.3	23.8	17.7	4.7	10.7	3.5	–	21.6
घरेलू उद्योग	2.2	3.5	3.5	1.9	0.7	1.6	1.9	–	2.0
अन्य कामगार	32.0	62.8	42.9	26.8	89.2	56.5	48.5	–	26.0

*(2001 को जनगणना के अनुसार)

(ग) राज्य में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों की संख्या 26.10 प्रतिशत राष्ट्रीय औसत की तुलना में 33.87 प्रतिशत है।

(घ) महिला स्वयं-सहायता समूहों के माध्यम से स्वयंसिद्ध (आईडब्ल्यूईपी) एकीकृत महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम।

(ड़) महिला आर्थिक सशक्तीकरण (एनओआरएडी) स्कीमें

(च) प्रमुख स्वैच्छिक संगठनों को संगठनात्मक सहायता।

(छ) आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण।

(ज) वनों में लकड़ी काटने पर प्रतिबंध से प्लाईवुड उद्योग प्रभावित हुआ है।

(झ) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक है।

(ञ) राज्य की जनसंख्या का 80 प्रतिशत भाग कृषि मोनोक्रॉपिंग में लगा है। बागवानी को तकनीकी मिशन की सहायता से विकसित किया जा सकता है।

(ट) झूम (शिफ्टिंग) खेती को और अधिक टिकाऊ तथा लाभप्रद बनाया जाए।

10. राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाएं/कार्यक्रम।

(i) सरकारी स्तर:

I. महिला कल्याण एवं विकास:

(i) महिलाओं के स्व रोजगार के लिए प्रशिक्षण।

(ii) महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता।

(iii) महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय नीति का कार्यान्वयन।

II. वृद्धों, अशक्त व्यक्तियों एवं निस्सहायों के कल्याण के लिए योजना:

(i) महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, निस्सहायों, विधवाओं, वृद्धों एवं अशक्त महिलाओं की देखभाल के लिए स्वैच्छिक संगठन को सहायता अनुदान।

(ii) बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना

III. विकलांगों के कल्याण के लिए योजना:

राज्य सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अयोग्य एवं अशक्त व्यक्तियों को सेवाएं दे रही है।

IV. बाल कल्याण

केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें:

(i) एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीमें (आईसीडीएसएस)

(ii) उदीशा विश्व बैंक सहायता प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम-(आईसीडीएस)

(क) बालिका समृद्धि योजना।

(iii) किशोरी शक्ति योजना (किशोर बालिका स्कीम)

11. भाषा अल्पसंख्यक वर्ग:

(i) राज्य की राजभाषा : अंगेजी

(ii) राज्य में बोली जानेवाली अन्य भाषाएं : खासी, पनार या जैतिया और गारो।

12. आयोग के साथ होने वाली बातचीत में राज्यपाल, मुख्यमंत्री द्वारा की गई टिप्पणियां:

(क) मेघालय के राज्यपाल श्री एम॰एम॰ जैकब ने निम्नलिखित टिप्पणियां की:

(i) धर्म, जाति, भाषा आदि के उल्लेख किए बिना सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछडों का पता लगाने के लिए एक सामान्य मानदंड अपनाया जाना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी स्कीमों और कार्यक्रमों से सबसे गरीब लोगों को लाभ मिल रहा है।

(ii) नीतियों और कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए।

(ख) समाज कल्याण मंत्री श्री मार्तले एन॰ मुखिम ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी मानदंड निर्धारित करते समय स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए एक शौचघर के निर्माण के लिए 1000/– का निर्धारित मानदंड मेघालय के मामले में लागू नहीं हो सकता जहां सीमित आवगामन एवं दुर्गम क्षेत्र के कारण शौचघर बनाने के लिए 10,000/– रू॰ का खर्च अनिवार्य हो सकता है। जल आपूर्ति स्कीमों के मामले में भी यही स्थिति है।

(ग) मेघालय के मुख्य सचिव ने निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया:

(i) जाति या धर्म गरीबी के निर्धारक नहीं हो सकते पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए एक समान मानदंड आवश्यक है।

(ii) लाभों का वितरण असमान रहा है।

(iii) केन्द्रीय निधियां प्राय: वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्त होती हैं।

(iv) पूर्वोत्तर के छोटे राज्यों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी स्कीमों के लिए अखिल भारतीय मानदंडों में उपयुक्त परिवर्तन/लचीलेपन की आवश्यकता है।

(v) खण्डश: पूछताछ और अत्यधिक नियंत्रण के कारण अर्थात् उद्योग के लिए परिवहन सबसिड़ी के मामले में भारत सरकार से मंजूरी लेने के लिए पर्याप्त समय लिया जाता है।

(vi) यद्यपि यह महिला प्रधान समाज है, फिर भी तृतीयक और द्वितीयक क्षेत्रों में पुरूषों का प्रभुत्व है

(vii) ग्राम दरबार जिला परिषदों, सिविल और पुलिस सेवाओं तथा विधान सभा में मुश्किल से कोई महिला प्रतिनिधि है।

(घ) राज्य सरकार के अन्य सचिवों/अधिकारियों की टिप्पणियां:

(i) लगभग 500 महिला कॉपरेटिव और 6500 स्वयं सहायता समूह हैं–1400 नाबार्ड के साथ पंजीकृत है।

(ii) टिम्बर ट्रांसपोर्ट पर प्रतिबंध से बांग्लादेश में तस्करी होने लगी है और इससे पश्चिमी जिले में रहने वालों की जीविका पर प्रभाव पड़ा है।

13. विचारार्थ विषय से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणियां:

(i) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के बीच पिछड़ा वर्ग निर्धारित करने के लिए सुझाए गए मानंड और पिछड़ापन निर्धारित करने के लिए मानदंड के रूप में गरीबी रेखा की संकल्पना: जाति, धर्म अथवा भाषा मानदंड नहीं होने चाहिए। पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए एक समान मानदंड विकसित किया जाना चाहिए।

(ii) सेवाओं और शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण में क्रीमीलेयर की संकल्पना:

आरक्षण के लाभ समान होने चाहिए जिससे कि अमीर और शक्तिशाली इनसे अधिकाधिक लाभान्वित न हों।

(iii) ईसाईधर्म/इस्लाम में परिवर्तित अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति पर विचार-विमर्श कोई विशेष राय नहीं दी गई।

14. विभिन्न मुद्दों पर समुदाय के प्रतिनिधियों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य भागीदारों की टिप्पणियां:

(i) गारो साक्षरता सोसाइटी ने बताया कि गारो शोषित और गरीब हैं। प्रत्येक व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है।

(ii) सेवंथ डे ऐडवेंटिस्ट चर्च ने अपने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार से सहायता प्राप्त न होने के बारे में उल्लेख किया।

(iii) मुख्य कार्यपालक सदस्य खासी हिल्स आटनॉमॅस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने जो भी बताया उसका नीचे उल्लेख किया है:

(क) राज्य में महिला प्रधान सोसाइटी होने पर भी लैंगिक भेदभाव है।

(ख) परिषद विद्यालयों के लिए भवन, सड़कों कम्युनिटी हॉल, बस शेड़ आदि के निर्माण से संबंधित विकास कार्यों की देखरेख कर रही है।

(ग) जिला परिषदें खनिज, कोयला वनोत्पाद आदि के कारण वित्तीय लाभों में भागीदार होती हैं।

15. एन सी आर एल एम की टिप्पणी:

(i) आयोग चाहता था कि ग्रामीण विकास विभाग अपनी विकास स्कीमों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने से संबंधित स्कीम का कार्यान्वयन और समस्त पात्र लोगों को सम्मिलित करना और जो पात्र नहीं हैं उनका बाहर रखना सुनिश्चित करने में मानदंड की प्रभावोत्पादकता/उपयुक्तता के बारे में एक विस्तृत नोट प्रस्तुत करे।

अनुलग्नक: 8.16

मिजोरम राज्य के दौरे की रिपोर्ट का सार

1. राज्य का नाम: मिजोरम

2. दौरे की तारीख: 22–24 जनवरी, 2006

3. आयोग के अध्यक्ष/ सदस्यों का ब्यौरा जिन्होंने राज्य का दौरा किया
   (i) डा॰ मोहिंदर सिंह, सदस्य
   (ii) श्रीमती आशा दास, सदस्य सचिव

4. राज्य द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में मान्यता प्राप्त धार्मिक समुदाय: हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और सिख,

5. राज्य की संक्षेप में जनसांख्यिकी स्थिति :**

		समस्त धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या	लाख में	8.90	0.3	0.1	7.7	326*	0.7	–	–	0.02
	प्रतिशत (%) में	100	3.6	1.1	87.0	नगण्य	7.9	–	–	0.3
लिंग अनुपात	हजार में से	935	341	271	986	नगण्य	929	738	–	985

* पूर्ण संख्या में
** (2001 की जनगणना के अनुसार)

6. अल्पसंख्यकों के विकास के लिए राज्य का प्रशासनिक ढांचा:

   अल्पसंख्यकों के लिए कोई आयोग गठित नहीं किया गया है।

7. शैक्षिक स्थिति :

   (i) साक्षरता दर :*

साक्षरता दर (%)	व्यक्ति	समस्त धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
	कुल	88.8	79.3	74.7	93.1	91.8	45.8	61.7	–	95.5
	महिला	86.7	81.2	57.4	91.4	88.7	34.5	55.7	–	94.1

* (2001 की जनगणना के अनुसार)

   (ii) देश में केरल के बाद साक्षरता अधिकतम दूसरे स्थान पर है।

   (iii) पढ़ाई बीच में छोड़ने (ड्रांपआउट) वालों की दर 75.68 प्रतिशत है जो 62.58 प्रतिशत राष्ट्रीय औसत की तुलना में बहुत अधिक है।

   (iv) यहां नेपाली हाई स्कूल, 3 नेपाली मिडिल स्कूल, 10 नेपाली प्राइमरी स्कूल और 1 बंगाली मिडिल स्कूल है।

8. **स्वास्थ्य की स्थिति :**

(i)

जन्म दर (%)	मृत्युदर (%)	राज्य में एलोपैथी अस्पतालों और बिस्तरों (सीएचसी सहित) की संख्या		राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या
		अस्पताल	बिस्तर	
16.0	5.1	20	1169	57

स्रोत : हैल्थ इंप्पोर्मेशन ऑफ इंडिया 2005
केंद्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, डी जी एच एस द्वारा प्रकाक्षित।
सी एच सी : सामुदायिक स्वास्थय केंद्र

(ii) जड़ी बूटियां उगाने को बढ़ावा दिया जाए।

9. **आर्थिक स्थिति :**

(क) कार्य में भागीदारी की दर :*

[प्रतिशत में]

नाम	समस्त धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
पुरुष	57.3	81.5	86.5	55.6	86.1	53.4	69.9	–	59.7
महिला	47.5	24.5	37.9	47.8	26.7	50.2	48.7	–	55.9

*(2001 की जनगणना के अनुसार)

(ख) व्यावसायिक वर्गीकरण :*

नाम	समस्त धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
कृषक	54.9	7.8	12.1	55.2	12.7	86.7	66.1	–	65.9
खेतिहर मजदूर	5.7	1.5	7.2	6.1	शून्य	4.1	4.6	–	6.1
घरेलू उद्योग	1.5	1.0	3.0	1.5	0.4	1.9	3.7	–	3.2
अन्य कामगार	37.9	89.7	77.6	37.2	86.9	7.2	25.7	–	24.8

*(2001 की जनगणना के अनुसार)

(ग) गरीबी रेखा से नीचे के परिवार समस्त भारत में 26.10 प्रतिशत की तुलना में 19.47 प्रतिशत हैं।

(घ) वन क्षेत्र का उपयोग किया जाए और बॉस के पेड़ अधिक से अधिक लगाए जाएं।

(ङ) तीन जिलों लांगतलई, सेहा कोलासिव में बुनियादी सुविधाओं का विकास नहीं हुआ है।

(च) 137 गांवों में विद्युतीकरण (18.7%) नहीं हुआ है।

(छ) आधे से अधिक गांव (50.2%) सड़क मार्ग से जुड़े हुए नहीं हैं।

(ज) बांस के पेड़ अधिक से अधिक लगाना लघुवन उत्पाद का मुख्य पहलू है।

संलग्नक

(झ) 70% से अधिक परिवार कृषि और झूम खेती पर निर्भर हैं।

(ञ) वन आधारित उद्योग में संभावनाएं हैं।

10. राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है विकास योजनाएं/कार्यक्रम।

(क) जनसंख्या के पिछड़े वर्ग के विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपाय किए जाते हैं।

(ख) चालू योजनाओं के साथ-साथ पिछड़े धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्थान पर विचार किया जा रहा है।

(ग) मिजोरम में प्रत्येक गांव और उपग्राम में सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए) के तहत प्राथमिक विद्यालय की सुविधा प्रदान की गई है।

(घ) प्रत्येक जिले में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है।

(ङ) प्रत्येक गांव में एक या एक से अधिक आंगनवाडी केंद्र खोले गए हैं।

(च) महिलाओं के लिए स्वयंसिद्ध स्कीम (एस एच जी) और स्वधर स्कीम शुरू की गई है।

(छ) आई॰ सी॰ डी॰ एस॰ परियोजनाएं 21 हैं।

(ii) बैंकों से संबंधित सूचना

(क) भारतीय स्टेट बैंक एम एफ डी सी, भारत सरकार के लिए मध्यस्थ एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक जनता को सामान्य रूप से ऋण स्वीकृत करता है लेकिन अल्पसंख्यक आधार पर नहीं। ये आधार जोन है : शैक्षिक ऋण, आय सृजन/स्व-रोजगार, उद्योग लगाना, मकानों के निर्माण आदि।

(ग) वसूली दर 38 प्रतिशत है।

11. राजनीतिक संस्थाओं में धार्मिक समुदायों का प्रतिनिधित्व :

क्रम संख्या		कुल	अल्पसंख्यक
1.	लोकसभा/राज्य सभा	2	–
2.	राज्य विधान सभा	40	02 (बौद्ध)
3.	ग्राम परिषद	3212	304 (बौद्ध)

12. भाषायी अल्पसंख्यक :

(i) राज्य की राजभाषा: अंग्रेजी, मिजो

(ii) राज्य में बोली जानेवाली अन्य भाषाएं: हिंदी, होतार, पेटे, लाई और स्टेट मारे।

13. आयोग के साथ होने वाली बातचीत में मुख्य मंत्री/अन्य अधिकारियों द्वारा दी गई टिप्पणी :

(i) आयोग ने मिजोरम के राज्यपाल एच॰ ई॰ से बातचीत की।

(ii) मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की कि धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है और राज्य में पूर्ण रूप से साम्प्रदायिक सद्भावना है। राज्य में कोई जाति प्रथा भी नहीं है।

(iii) मुख्य सचिव ने कहा कि मिजो एक मैत्रीपूर्ण समाज है और किसी की भी सामाजिक हैसियत के अनुसार भेदभाव या प्राथमिकता नहीं है। समाज मे मिजो महिलाओं को अधिक सम्मान प्राप्त हैं। सामाजिक संगठनों का एक नेटवर्क है। गोरखा को ओबीसी सूची में शामिल करने की उनकी मांग पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई है।

14. विचारार्थ विषय से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणियां :

(i) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के बीच पिछड़ा वर्ग निर्धारित करने के लिए सुझाए गए मानदंड और पिछड़ापन निर्धारित करने के लिए मानदंड के रूप में गरीबी रेखा की संकल्पना : राज्य सरकार ने यह विचार व्यक्त किया कि सामाजिक–आर्थिक मानदंड निर्धारित करते समय एक समान पद्धति अधिक उपयुक्त हो सकती है।

(ii) सेवाओं और शैक्षिक संस्थाओं के आरक्षण में क्रीमी लेयर की संकल्पना :

यह माना गया कि अनुसूचित जाति/जनजाति के बीच क्रीमी लेयर वाले व्यक्तियों को लाभ नहीं दिए जाने चाहिए।

(iii) ईसाई धर्म/इस्लाम में परिवर्तित लोगों को अनुसूचित जाति की हैसियत प्रदान करना :–

राज्य सरकार का यह मत था कि धर्म परिवर्तन से व्यक्ति की हैसियत में परिवर्तन नहीं होता। जाति वही रहती है और सामाजिक–आर्थिक पिछड़ापन भी वही रहता है।

15. सामुदायिक प्रतिनिधियों, गैर–सरकारी संगठनों तथा अन्य भागीदारों को विभिन्न मुद्दों पर टिप्पणियां:

(क) मिजोरम भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

(ख) हमार और पेटे भाषा का विकास किया जाए और उनकी उन्नति के लिए अकादमी बनाई जाए।

(ग) पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे गैर–जनजातीयों को वे लाभ दिए जाएं जो अनुसूचित जनजातीय लोगों को उपलब्ध हैं।

16. एन सी आर एल एम की टिप्पणियां :

(i) आयोग ने उन क्षेत्रों में मोबाइल बैंक की सुविधा प्रदान करने का सुझाव दिया जहां किसी कारण से बैंक की कोई शाखा नहीं है।

(ii) आयोग का यह मत था कि ऋण की वसूली के कार्य को आउटसोर्स किया जाए और यंग मिजो एसोसिएशन और स्वयं सहायता समूहों जैसी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग किया जाए।

अनुलग्नक : 8.17

नागालैंड राज्य के दौरे की रिपोर्ट का सार

1. राज्य का नाम: नागालैंड

2. दौरे की तारीख : 29 नवंबर — 01 दिसंबर, 2006

3. आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों का ब्यौरा जिन्होंने राज्य का दौरा किया।
   (i) प्रो॰ डा॰ अनिल विल्सन, सदस्य
   (ii) श्रीमती आशा दास, सदस्य सचिव

4. राज्य द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में मान्यताप्राप्त धार्मिक समुदाय : नहीं

5. राज्य की संक्षेप में जनसांख्यिकी स्थिति : **

		समस्त धार्मिक समुदाय	हिन्दू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या	लाख में	19.9	1.5	0.4	17.9	1152*	1356*	2093*	03*	6108*
	प्रतिशत (%) में	100.0	7.7	1.8	90.0	0.1	0.1	0.1	नगण्य	0.3
लिंग अनुपात	हजार में से	900	582	614	941	488	782	–	–	–

*(पूर्ण संख्याओं में)

**(2001 की जनगणना के अनुसार)

6. शैक्षिक स्थिति:

(i) साक्षरता दर :*

साक्षरता	व्यक्ति	समस्त धार्मिक समुदाय	हिन्दू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
	कुल	66.6	74.9	48.2	66.2	82.8	74.6	–	–	–
	महिला	61.5	65.6	33.3	61.6	72.7	70.1	–	–	–

* (2001 की जनगणना के अनुसार)

(ii) कक्षा I से X तक बीच में पढ़ाई छोड़ने (ड्रापआउट) वाले बच्चों की दर राष्ट्रीय औसत प्रतिशत 62.58 की तुलना में 77.47 प्रतिशत है।

(iii) मणिपुर में अध्ययन कर रहे नागा लड़कों को भाषा की समस्या है क्योंकि वे नागा पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं लेकिन मणिपुर में कोई शैक्षिक बोर्ड नहीं है। विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए नागालैंड आना पड़ता है।

(iv) मणिपुर शिक्षा बोर्ड के साथ नागा पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा देने वाले स्कूलों की संबंद्धता होनी चाहिए।

(v) सामान्य बैचलर और मास्टर ऑफ आर्ट्स देने वाली शिक्षा के संबंध में नागालैंड पिछड़ा हुआ है और तकनीकी शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है।

(vi) राज्य में केवल एक विज्ञान कालेज और एक नर्सिंग स्कूल है। उच्चतर / तकनीकी शिक्षा के केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई मेडीकल या इंजीनियरी कालेज या साधन नहीं है।

(vii) अन्य राज्यों में कुछ मेडीकल कालेजों में नागालैंड की लगभग 200 सीटें आरक्षित हैं लेकिन युवाओं की मांगों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सीटों की संख्या बढ़ाकर दुगुनी की जानी चाहिए।

7. आर्थिक स्थिति :

(क) कार्य में भागीदारी की दर :*

(प्रतिशत में)

व्यक्ति	समस्त धार्मिक समुदाय	हिन्दू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
पुरुष	46.7	64.6	60.5	44.4	75.2	52.7	–	–	–
महिला	38.1	14.2	16.2	39.9	19.6	32.8	–	–	–

*(2001 की जनगणना के अनुसार)

(ख) व्यावसायिक वर्गीकरण :*

(प्रतिशत में)

व्यक्ति	समस्त धार्मिक समुदाय	हिन्दू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
कृषक	64.7	8.8	13.3	71.0	8.5	18.3	–	–	–
खेतिहर मजदूर	3.6	4.1	9.2	3.5	1.2	7.6	–	–	–
घरेलू उद्योग	2.6	2.1	2.9	2.6	2.9	1.8	–	–	–
अन्य कामगार	29.0	85.0	74.6	22.8	87.3	72.3	–	–	–

* (2001 की जनगणना के अनुसार)

(ग) नागालैंड में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का राष्ट्रीय औसत 26.10 प्रतिशत की तुलना में 32.67 प्रतिशत है।

(घ) कृषि-सेवाओं के विकास और रोजगार के अवसर सृजित करने विशेषकर युवावर्ग एवं महिलाओं के लिए काफी संभावनाएं हैं।

(ङ) ग्राम परिषदों को निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं जो समानांतर रूप से कार्य करती हैं। निधि का 25 प्रतिशत भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है।

(च) 600 स्वयं सहायता समूहों को स्वयं सिद्ध स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है।

(छ) सुप्रीम कोर्ट द्वारा लकड़ी काटने और उसे ले जाने पर लगाए गए प्रतिबंध से राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है।

(ज) राज्य का वित्तीय ढ़ांचा खराब स्थिति में है।

(झ) राज्य में 3000 औद्योगिक इकाईयां और 7,000 लाभार्थी है।

(ञ) पुरुषों की तुलना में महिला किसान अधिक हैं। ''झूम'' खेती की प्रणाली राज्य के लिए लाभप्रद है क्योंकि चक्रानुक्रम में सभी की बारी आती है।

8. वर्तमान आरक्षण नीति :

राज्य में कोई अनुसूचित जाति / ओबीसी नहीं है। राज्य में ईसाई जनजातीय लोगों का बहुमत है। सोलह जनजातीय लोगों में से नौ पिछड़े वर्ग के हैं और लगभग 33 प्रतिशत आरक्षण है।

9. ओबीसी की पहचान के लिए
वर्तमान मानदंड: नागालैंड में ओबीसी श्रेणी नहीं है।

10. राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाएं / कार्यक्रम।

(क) (i) अल्पविकसित क्षेत्रों की देख रेख के लिए अलग निदेशालय है जिन्हें विशेष पैकेज दिया गया है।

(ii) महिलाओं के विकास के लिए विशेषकर उत्पादन एवं प्रशिक्षण के क्षेत्रों में कई योजनाएं हैं।

(iii) राज्य में प्रधानमंत्री की ग्रामीण रोजगार योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(iv) नागालैंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड बैंकों के माध्यम से अपना विकास कार्यक्रम चला रहा है और इसने 130 इकाईयों को 90 लाख रु॰ की आर्थिक सहायता प्रदान की है।

(v) वर्ग 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' के पदों पर युवाओं के लिए 25,000 रोजगार अवसर उत्पन्न करने की एक स्कीम तैयार की गई है।

(vi) व्यापक विकास के लिए सरकार के पास चार कार्यकारी समूह हैं:- (i) उद्योग एवं सम्बद्ध क्षेत्र, (ii) कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, (iii) सामाजिक सेवा क्षेत्र और (iv) महिलाओं का सशक्तीकरण ।

(ख) बैंकों से संबंधित सूचना :

(i) भारतीय स्टेट बैंक प्रमुख बैंक है।

(ii) वसूली दर कम (24%) है।

(iii) बैंक ऋण देने में अनिच्छुक है।

(iv) नागालैंड इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनआईडीसी) और नागालैंड हैंडलूम एण्ड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएचएचडीसी) एनएमएफडीसी के लिए राज्य की मध्यस्थ एजेंसियां हैं।

11. आयोग के साथ होने वाली बातचीत में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों द्वारा दी गई टिप्पणियां :

(i) आयोग ने नागालैंड के राज्यपाल श्री श्यामल दत्ता से मुलाकात की। उनकी टिप्पणी थी कि स्थानीय प्रशासन ने भारत सरकार पर निर्भर रहने की आदत डाल ली है जिसे सुधारा जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि नागाओं का एक सशक्त समाज है और मां परिवार का निर्वहन करती है, राज्य में संसाधनों की कोई कमी नहीं है और कई युवा ड्रग्स और एचआईवी से प्रभावित हैं। स्थानीय प्रशासन और समाज में जिम्मेदारी और जवाबदेही की भावना लाने की जरूरत है।

(ii) मुख्यमंत्री श्री नेफियुरियों ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

(i) इस समय युवा वर्ग की प्रवृत्ति कृषि संबंधी कार्यों से दूर रहने की है और इसलिए उनकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रशिक्षित करने और नए क्षेत्रों में शामिल करने की जरूरत है।

(ii) जैसा कि नागालैंड में ग्राम क्षेत्र परिषदें हैं, पीआरआई के लिए राज्य को कोई केन्द्रीय सहायता प्राप्त नहीं होती। उन्हें पंचायती राज मंत्रालय से निधियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(iii) राज्य में सांप्रदायिक दंगे नहीं होते यद्यपि वहां जनजातीय लोगों के बीच कभी-कभी मतभेद हो जाते हैं।

(iii) गृहमंत्री श्री थेन्यूचो ने जानकारी दी कि नागालैंड बहु-भाषायी राज्य है और हर जिले की भाषा भिन्न-भिन्न है। मणिपुर में नागा अल्पसंख्यक हैं। अत: उनकी अल्पसंख्यक स्थिति को मान्यता दी जानी चाहिए और नागा विद्यालय मणिपुर शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं। एनएमडीएफसी को राज्य के उद्यमियों के लिए ऋण सुविधाएं दी जानी चाहिए।

12. आयोग के साथ होने वाली बातचीत में मुख्य सचिव और अन्य सरकारी अधिकारियों द्वारा दी गई टिप्पणियां :

मुख्य सचिव श्री लालहुआ ने निम्नलिखित टिप्पणी की :

(क) नागालैंड में कोई जातिप्रथा नहीं है और बिना किसी सामाजिक स्तरण के समतावादी समाज है।

(ख) ग्राम परिषदें और ग्राम विकास बोर्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इन संस्थाओं को पी॰आर॰आई॰ के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए और वे लाभ जो पी॰आर॰आई॰ को दिए जाते हैं, ग्राम परिषदों को दिए जाने चाहिए।

(ग) राज्य सरकार ने कुछ जिलों में पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाया है जहां कम प्रगतिशील जनजातीय लोग निवास कर रहे है। सोलह में से नौ जनजातीय पिछड़े हैं। उनके लिए कोहिमा में एक अलग निदेशालय और 55 कमरों का छात्रावास है।

(घ) उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पूरे देश में विकास के कार्यक्रमों को सहायता देने के लिए एक समान मानदंड होना उचित नहीं है। दुर्गम क्षेत्र, दूरस्थता और व्यय संबंधी कारको पर विचार किया जाना चाहिए।

(ङ) अल्पसंख्यक के तौर पर जनजातीय लोगों को केन्द्र सरकार से सहायता दी जानी चाहिए।

(च) राज्य में कोई बंधुआ या भूमिहीन मजदूर नहीं है।

(छ) चूंकि राज्य में रोजगार के अवसर अपर्याप्त हैं, तो भी राज्य को पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वादे के अनुसार डीओएनएआर विभाग से 1250 करोड़ दिए जाने चाहिए।

13. अन्य सरकारी अधिकारियों की टिप्पणियां निम्नलिखित हैं:

(i) नागालैंड की वृद्धि दर गत 5 वर्षों में 15 प्रतिशत रही है।

(ii) जनजातीय समानता बनाए रखी जा रही है और किसी को भी अल्पसंख्यक घोषित नहीं किया गया है।

(iii) जैविक चीनी, हल्दी आदि का उत्पादन शुरू करने के लिए एसएचजी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(iv) आईएमआर और एमएमआर राष्ट्रीय स्तर से नीचे है और लिंग अनुपात भी सही है।

(v) संस्थागत डिलीवरी कवरेज केवल 15 प्रतिशत है।

(vi) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / उप-केन्द्र स्थापित करने के लिए 20,000 जनसंख्या का मानदंड राज्य के दुर्गम क्षेत्र और जनसंख्या विस्तार को देखते हुए उच्चतर साइड पर माना जाता है।

14. विभिन्न मुद्दों पर सामुदायिक प्रतिनिधियों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य भागीदारों की टिप्पणियां :

(क) गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और मस्जिद प्रबंधन समिति के प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्हें राज्य में कोई समस्या नहीं है।

(ख) गोरखा समुदाय के प्रतिनिधि ने बताया कि वे 35 वर्षों से भी ज्यादा समय से राज्य में है। लेकिन अब उनका अस्तित्व संकट में है, राज्य में कोई ओबीसी वर्ग नहीं है और वे अल्पसंख्यक या पिछड़ेपन का मिलने वाले किसी भी लाभ का उपयोग नहीं कर सकते।

(ग) मानवाधिकारों के लिए नागालैंड के लोगों के आंदोलन के प्रतिनिधि ने बताया कि उनकी भाषाओं की उपेक्षा की गई है और उन्हे आठवीं अनूसूची में शामिल नहीं किया गया है।

(i) कैथोलिक चर्च के प्रतिनिधि ने टिप्पणी की कि राज्य में कुछ लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हो सकते हैं लेकिन सामाजिक रूप से पिछड़ा कोई नहीं है।

15. एनसीआरएलएम की टिप्पणियां:

(i) डा॰ अनिल विल्सन, सदस्य ने बताया कि यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर ईसाई अल्पसंख्यक हैं, नागालैंड में उनका बहुमत है। ऐसी स्थिति के बारे में और अधिक जानकारी लेना महत्वपूर्ण होगा।

(ii) सदस्य सचिव ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

(क) अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के संदर्भ में, सदस्य सचिव ने स्पष्ट किया कि मणिपुर में नागा अल्पसंख्यक अपनी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं और उनकी देखभाल कर सकते हैं और यदि मामले को उच्च स्तर पर लिया जाए तो हल निकाला जा सकता है।

(ख) उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जहां शैक्षिक/प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित करने के लिए बाहर की एजेंसियों को बढ़ावा दिया जाए। विशिष्ट राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं को राज्य में पाठ्यक्रम चलाने के लिए प्रेरित किया जाए।

(ग) उन्होंने अधिक से अधिक मध्यस्थ एजेंसियां नियुक्त करने पर जोर दिया।

अनुलग्नक : 8.18

उड़ीसा राज्य के दौरे की रिपोर्ट का सार।

1. राज्य का नाम: उड़ीसा

2. दौरे की तारीख: 7-8 नंवबर, 2005.

3. आयोग के अध्यक्ष/: सदस्यों का ब्यौरा जिन्होंने राज्य का दौरा किया।
   (i) जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, अध्यक्ष
   (ii) डा॰ मोहिन्दर सिंह, सदस्य
   (iii) श्रीमती आशा दास, सदस्य सचिव

4. राज्य द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में मान्यता प्राप्त धार्मिक समुदाय:

5. राज्य की संक्षेप में जनसांख्यिकी स्थिति:

		समस्त धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
राज्य /संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या	लाख में	368.0	347.2	7.6	9.0	0.17	0.10	0.09	–	3.6
	प्रतिशतता (%) में	100.0	94.4	2.1	2.4	0.04	0.02	0.02	–	1.0
लिंग अनुपात	हजार में से	972	971	948	1026	851	904	933	–	1009

*(2001 की जनगणना के अनुसार)

6. अल्पसंख्यकों के विकास के लिए राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था:

(क) इस राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है-अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण का एक अलग विभाग 1999 में बनाया गया था।

(ख) उड़ीसा एसटी एण्ड एससी डेवलपमेंट फाइनेंस कोऑपरेटिव कारपोरेशन, एनएमडीएफसी की माध्यस्थ एजेंसी है।

(ग) राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में गठित किया गया।

अन्य संस्थागत ढांचा

(क) अल्पसंख्यक आयोग—

राज्य में कोई अल्पसंख्यक आयोग नहीं है। राज्य सरकार राज्य में उक्त आयोग के गठन पर पड़ौसी राज्यों से सूचना एकत्र कर रही है।

(ख) वक्फ बोर्ड/वक्फ अधिकरण/हज समिति: में सभी संस्थाएं राज्य सरकार द्वारा गठित की गई हैं और इन्हें अनुदान भी दिया जा रहा है।

7. शैक्षिक स्थिति:

(i) साक्षरता दर:

साक्षरता दर (%)	व्यक्ति	समस्त धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
	कुल	63.1	63.3	71.3	54.9	90.5	71.0	93.3	–	42.4
	महिला	50.5	50.6	62.3	44.1	86.1	58.8	89.6	–	26.5

*(2001 की जनगणना के अनुसार)

(ii) सिखों, मुस्लिमों और बौद्धों ने 64.8 प्रतिशत राष्ट्रीय औसत की तुलना में साक्षरता की बढ़ी हुई दर प्रस्तुत की है। ईसाईयों की कम हुई साक्षरता दर (55 प्रतिशत) चिंता का विषय है।

(iii) राज्य में कक्षा I से X तक बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर (72) राष्ट्रीय औसत (63) की तुलना में अधिक थी।

(iv) मदरसा शिक्षा:

(क) 1 सरकारी मदरसा, 78 सहायता प्राप्त मदरसे और 88 गैर-सहायता प्राप्त मदरसे मुस्लिम समुदाय के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

(ख) मदरसों में औपचारिक स्कूल शिक्षा का पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है।

(ग) अन्य ओल्ड स्कीम मदरसे भी हैं जिन्हें उर्दू को बढ़ावा देने के लिए सहायता अनुदान मिलता है।

(घ) गवर्नमेंट उर्दू वोकेशनल ट्रेनिंग, कटक भी उर्दू के विद्यार्थियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देता है।

(ङ) इस राज्य में उर्दू अकादमी बनाई गई है।

(v) मिशनरी स्कूल:

(क) इस राज्य में ईसाई विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए 212 मिशन-नियंत्रित प्राथमिक विद्यालय हैं।

(ख) एक मिशन नियंत्रित सहायता प्राप्त थाम्पसन सीटी ट्रेनिंग स्कूल कटक में चल रहा है।

(vi) कटक में एक तेलगू प्राथमिक विद्यालय और एक बंगाली प्राथमिक विद्यालय है जिन्हें सहायता अनुदान मिलता है।

(vii) आई टी आई:

(क) राज्य सरकार ने धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के 5000 से अधिक लोगों के कौशल विकास के लिए 9 आईटीआई स्थापित किए हैं।

(ख) उर्दू भाषा के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा उर्दू अकादमी बनाई गई है। परंतु इसमें कोई भी परिषद कार्य नहीं कर रही है।

(ग) राज्य सरकार सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों दोनों में प्राथमिक स्तर तक लड़कों एवं लड़कियों दोनों को पुस्तकें और यूनीफार्म प्रदान कर रही है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है।

(घ) उर्दू के अध्यापकों के समस्त रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव है।

(ङ) राज्य के तेलगू अध्यापकों को आंध्र प्रदेश में बी॰ एड॰ के प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया जाएगा।

इसी प्रकार आंध्र प्रदेश के उड़िया अध्यापकों को उड़ीसा में बी॰एड॰ का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(च) राज्य सरकार को ईसाई स्कूलों के निर्माण के लिए भूमि आवंटन और ईसाई कालेजों में रिक्त पदों को भरने के लिए मध्यस्थता करनी चाहिए।

(छ) तेलगू प्राथमिक विद्यालय खराब स्थिति में हैं। तेलगू अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा जा रहा है। विद्यालयों को कोई सहायता अनुदान नहीं मिल रहा है।

8. स्वास्थ्य की स्थिति:

जन्म दर (%)	मृत्यु दर (%)	नवजात शिशु मुत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)	राज्य में एलोपैथिक अस्पतालों एवं बिस्तरों (सीएचसी सहित) की संख्या		राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या
			अस्पताल	बिस्तर	
23.0	9.7	83	406	13146	1282

स्रोत: हैल्थ इन्फार्मेशन ऑफ इंडिया 2005
केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, डीजीएसएस द्वारा प्रकाशित।
सीएचसी: सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

9. आर्थिक स्थिति:

(क) कार्य में भागीदारी की दर:*

[प्रतिशत में]

व्यक्ति	समस्त धार्मिक समुदाय	हिन्दू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
पुरुष	52.5	52.7	45.9	50.5	53.4	55.0	54.1	–	52.4
स्त्री	24.7	24.4	6.8	38.9	6.2	36.7	5.2	–	47.7

*(2001 की जनगणना के अनुसार)

(ख) व्यावसायिक वर्गीकरण:*

[प्रतिशत में]

नाम	समस्त धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
कृषक	29.8	29.7	10.0	35.2	2.1	18.5	5.7	–	43.2
खेतिहर मजदूर	35.0	35.2	15.6	37.8	1.9	4.2	3.6	–	40.5
घरेलू उद्योग	4.9	5.0	4.1	2.3	2.1	53.5	2.5	–	6.8
अन्य कामगार	30.3	30.1	70.2	24.8	94.0	23.9	88.2	–	9.5

(*2001 की जनगणना के अनुसार)

(i) राज्य सरकार द्वारा गठित समितियों में बौद्धों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। उनकी स्थिति दयनीय है, जिनकी आय 600 रु॰ प्रतिमाह से कम है।

(ii) अल्पसंख्यकों के लिए आर्थिक विकास स्कीमें तो हैं लेकिन क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उनके लिए कोई अलग स्कीम नहीं है।

(iii) उड़ीसा में जनसंख्या का 50 प्रतिशत भाग गरीबी रेखा से नीचे है।

10. ओबीसी की पहचान के लिए वर्तमान मानदंड:

(क) पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची तैयार करने के लिए भी सामाजिक-आर्थिक मानदंड देखे जाते हैं;

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया कि धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के बीच सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(ग) राज्य सरकार ने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के बारे में तो जानकारी उपलब्ध है लेकिन अल्पसंख्यकों के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

11. राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास स्कीमें/कार्यक्रम:

(i) सरकारी स्तर—

(क) राज्य सरकार ने 1999 में ''अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण'' नाम से एक अलग विभाग बनाया है।

(ख) राज्य में प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वित हो रहा है।

(ग) इस राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए आर्थिक एवं शैक्षिक कार्यक्रम भी चल रहा है। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन संगठनों को सीधे ही निधि उपलब्ध करा रहा है।

(घ) टेलर्स (दर्जी) और नाईयों ओबीसी की सूची में शामिल किया गया है और उन्हे समस्त लाभ प्राप्त हो रहे हैं।

(ii) अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम—

(क) राज्य सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की स्कीमें चला रही है। जो इस प्रकार हैं:

(i) मियादी ऋण स्कीमें; और

(ii) स्व-रोजगार उद्यम लगाने के लिए गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अल्पसंख्यक समुदायों को रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए जिलों में माइक्रो फाइनेंस स्कीमें;

(iii) लाभार्थियों की औसत संख्या 2201;

(iii) बैंकों से संबंधित सूचना

(क) राज्य सरकार एनएमडीएफसी की मियादी ऋण स्कीम (तत्काल योजना), माइक्रो फाइनेंस स्कीम से अल्पसंख्यक समुदाय के बीच कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए परिवारोन्मुखी आय और रोजगार सृजन स्कीमें क्रियान्वित कर रही है।

(ख) वसूली दर कम (11%) है।

(ग) दंड विधि अपनाकर और कलेक्टरों को वसूली एजेंट और जब्ती एजेंट नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत करके ऋणों की वसूली को बढ़ाने के उपाय किए गए है जो 11 प्रतिशत पर बहुत कम है।

12. राजनीतिक संस्थाओं में धार्मिक समुदायों का प्रतिनिधित्व

लोक सभा	–	
राज्य सभा	–	
राज्य विधान सभा	–	3 (मुस्लिम)

13. भाषायी अल्पसंख्यक

(v)	राज्य की राजभाषा	:	उड़िया और अंग्रेजी
(vi)	राज्य में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं	:	बंगाली, तेलगू, हिंदी और उर्दू

14. आयोग के साथ होने वाल बातचीत में राज्यपाल/मुख्यमंत्री/अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा दी गई टिप्पणियां:

उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने आयोग द्वारा उठाए गए निम्नलिखित मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया:

(i) उर्दू और भाषा अध्यापकों के रिक्त पद भरे जाएं।

(ii) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए गठित राज्य आयोग को ओबीसी और धार्मिक तथा भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए राज्य आयोग के रूप में पुन: निर्दिष्ट किया जाए।

(iii) अनुसूचित जाति समुदाय की धर्म परिवर्तन पर अपनी जातिगत हैसियत खोने की समस्याओं के संबंध में उन्हें अनुसूचित जाति समुदाय से बाहर लाने और ओबीसी के रूप में मानने का निर्णय लिया गया।

(iv) जहां तक पुणे केंद्रीय जेल द्वारा अपने कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किए गए प्रगामी उपायों का संबंध है मुख्यमंत्री की इच्छा थी कि अपर महानिदेशक (जेल) उड़ीसा में जेलों के लिए सिस्टम की जांच करें।

15. विचारार्थ विषयों से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणियां:

(i) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के बीच पिछड़े वर्गों के निर्धारण के लिए सुझाए गए मानदंड और पिछड़ापन निर्धारित करने के लिए मानदंड के रूप में गरीबी रेखा की संकल्पना।

लाभार्थियों के चयन के लिए राज्य सरकार ने मानदंड के रूप में सामाजिक पिछड़ेपन और आर्थिक पिछडेपन को चुना है।

(ii) सेवाओं और शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण के संबंध में क्रीमी लेयर की संकल्पना:

धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति को मानदंड के रूप में लिया जाता है।

(iii) ईसाई धर्म/इस्लाम धर्म में परिवर्तित लोगों को अनुसूचित जाति की हैसियत प्रदान करना:

राज्य सरकार के पास अनुसूचित जाति के ईसाई धर्म में परिवर्तित होने या ओबीसी में अल्पसंख्यकों को शामिल करने के संबंध में कोई सूचना नहीं है।

16. विभिन्न मुद्दों पर समुदाय के प्रतिनिधियों, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य भागीदारों की टिप्पणियां:

(i) मुस्लिम समुदाय की मुख्य समस्याएं निम्नलिखित हैं—शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा आवास सुविधाओं की कमी।

(ii) अल्पसंख्यकों को विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण दिया जाए।

(iii) राज्य स्तर पर समन्वय या सांप्रदायिक सद्भाव समिति गठित है जिसके अध्यक्ष प्रमुख सचिव होते हैं। किंतु काफी समय से इसकी कोई बैठक नहीं हुई है तथा इसको समाप्त करने की घोषणा करने के प्रयास किए जाते रहे हैं।

(iv) राज्य सरकार को लक्ष्य समूह के लिए रोजगारोन्मुख कार्यक्रम/स्कीमें शुरू करनी चाहिए।

(v) कालेज की प्रवेश समितियों या रोजगार समितियों में अल्पसंख्यक समुदाय का कोई सदस्य नहीं होता।

(vi) अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अलग से कॉलिज शुरू किए जाएं।

(vii) मुस्लिमों में परिवार नियोजन कार्यक्रमों की जानकारी का अभाव एक दूसरा कारण है।

(viii) उर्दू तथा धार्मिक शिक्षा के अलावा, सदस्यों में इनके साथ-साथ अन्य विषय भी पढ़ाए जाएं।

(ix) मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई टी आई) खोले जाएं।

(x) कारीगरों को प्रशिक्षण देने के लिए कौशल-आधारित कोई संस्थान नहीं है।

(xi) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के लाभों से वंचित रखा जाता है।

(xii) दक्षिणी उड़ीसा में दलित ईसाईयों की जनसंख्या 6.50 लाख है। उनकी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति शोचनीय है।

(xiii) यह भी बताया गया कि सामान्य श्रेणी में उम्मीदवार फर्जी जाति/समुदाय प्रमाणपत्र प्राप्त कर रहे हैं जिससे रोजगार प्राप्त करने तथा शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश पाने में वास्तविक अनु॰जाति, अनु॰ज॰ जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग वंचित हो रहा है।

17. एन सी आर एल एम की टिप्पणियां:

(i) पत्नी तथा पति-दोनों के लिए संयुक्त पट्टा (Putta) पद्धति को राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जाए, जैसा कर्नाटक में वास भूमि के लिए किया जाता है। राजस्व विभाग को इस मामले पर गौर करना चाहिए।

(ii) कमजोर तबकों के लिए चलाए जा रहे परीक्षा-पूर्व कोचिंग केन्द्रों में प्रवेश पाने के लिए अल्पसंख्यकों के सामने आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, एम सी आर एल एम आयोग में सुझाव दिया है कि राज्य सरकार द्वारा अधिकाधिक केन्द्रों का चयन किया जाए। इन केन्द्रों के लिए विभिन्न स्कीमों के तहत सहायता अनुदान देने की भारत सरकार से सिफारिश की जाए। अल्पसंख्यकों को विभिन्न स्तरों पर समाज के अन्य वर्गों के साथ समान शर्तों पर प्रतिभागी बनने में सश्रम होने के लिए अवसर दिए जाएं।

(iii) आयोग ने टिप्पणी की कि धार्मिक अल्पसंख्यकों, जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ बी सी) श्रेणी में सम्मिलित किया गया है, के संबंध में सूचना इकट्ठा करना आवश्यक है।

(iv) आयोग ने राज्य सरकार से रिकॅवरी रेट में सुधार करने का अनुरोध किया है क्योंकि रिकॅवरी के बिना सरकार दूसरों की सहायता के कवरेज का विस्तार नहीं कर सकती।

अनुलग्नक: 8.19

राजस्थान राज्य के दौरे पर रिपोर्ट का सार

1. राज्य का नाम: राजस्थान

2. दौरे की तारीख: 10–11 फरवरी, 2006

3. आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों को ब्योरे, जिन्होंने राज्य का दौरा किया:
   (i) न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र अध्यक्ष
   (ii) डा॰ मोहिंदर सिंह, सदस्य
   (iii) श्रीमती आशा दास सदस्य सचिव

4. राज्य द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में मान्यताप्राप्त धार्मिक समुदाय : मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख

5. राज्य की संक्षेप में जनसांख्यिकी स्थिति**

		सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या	लाख में	565.1	501.5	47.9	0.7	8.2	0.1	6.5	86*	5253*
	प्रतिशतता में (%)	100	88.7	8.5	0.1	1.5	नगण्य	1.2	–	–
लिंग अनुपात	हजार में से	921	920	929	986	892	802	960	–	815

* (पूर्ण संख्याओं में)

** (2001 की जनगणना के अनुसार)

6. अल्पसंख्यकों के विकास के लिए राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था:
   (i) अलग से कोई अल्पसंख्यक कल्याण विभाग नहीं है।
   (ii) राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग का 2001 में गठन किया।
   (iiii) राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का 1999 में हुआ और जनवरी, 2004 में इसे भंग कर दिया गया।

   अन्य संस्थागत ढांचा:

   (iv) में राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त और विकास सहकारी कारपोरेशन लिमि॰ का 2000 में गठन हुआ। यह एन एम डी एफ सी की मध्यस्थ एजेंसी है।
   (v) में राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ बी सी) वित्त और विकास निगम की स्थापना 2000 में की गई

7. शैक्षिक स्थिति:

   (i) साक्षरता दर:*

साक्षरता दर (%)	व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
	कुल	60.4	60.2	56.6	83.0	64.7	71.4	94.0	–	55.6
	महिला	43.9	43.2	40.8	77.7	53.8	55.1	89.3	–	40.2

*(2001 की जनगणना के अनुसार)

राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(ii) राज्य में कक्षा I से X तक 62.58 प्रतिशत से बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं जबकि राष्ट्रीय औसत 75.77 प्रतिशत है।

(iii) मदरसों में शिक्षा

(क) राज्य में राजस्थान मदरसा बोर्ड है। यहां 1841 पंजीकृत मदरसे हैं जिनके माध्यम से धार्मिक तथा आधुनिक शिक्षा दी जाती है।

(ख) राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा मदरसों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

(ग) परा-टीचर्स का वेतन पर्याप्त नहीं है।

(घ) राजस्थान वक्फ बोर्ड राज्य में मुस्लिमों के शैक्षिक तथा सामाजिक विकास के लिए सराहनीय सेवा प्रदान कर रहा है, विशेषकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं अर्थात् राजस्थान प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा, प्री-मेडिकल परीक्षा, प्री-इंजीनियरी परीक्षा आदि के लिए नि:शुल्क कोचिंग कक्षाएं आयोजित करना।

(ङ) मदरसों को उनके सुधार के लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए। मदरसे के छात्रों को मुफ्त पुस्तके तथा बस पास दिए गए।

(च) राज्य सरकार को शिक्षा के नेटवर्क का विकास करने के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपयों की जरूरत है।

(छ) अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी एम पी) के समानुपातिक शेयर के लिए निर्धारित किया जाए।

(ज) प्राथमिक स्कूल आबादी वाले क्षेत्रों के नजदीक होने चाहिए।

(झ) शिक्षा स्नातक (बी एड) कॉलेजों में उर्दू की सीटों को नही भरा जाता।

(ञ) जयपुर में मुस्लिमों के लिए खान-पान का प्रबंध करने वाले 'दरबार स्कूल' को बंद करने के कारणों की जांच की जाए।

(ट) संस्कृत या हिंदी के लिए मुहैया कराई गई सुविधाओं की तुलना में उर्दू, सिंधी या पारसी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को कोई सुविधा या प्रोत्साहन नहीं दिया गया।

(ठ) सिंधी स्कूलों की संख्या 200 से घटकर 45 रह गई।

8. स्वास्थ्य की स्थिति

(1)

जन्म दर (.)	मृत्यु दर (.)	नवजात शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित शिशुओं पर)	राज्य में एलोपैथिक चिकित्सा के अस्पतालों तथा बिस्तरों की संख्या [सामुदायिक स्वास्थ्य बोर्डों (सीएचसी) सहित]		राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या
			अस्पताल	बिस्तर	
30.3	7.6	75	510	32080	1675

स्त्रोत: हैल्थ इंफार्मेशन ऑफ इंडिया 2005

केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, डीजीएचएस द्वारा प्रकाशित

सी एच सी: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

(ii) गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) के परिवारों पर आधारित, स्वास्थ्य देखभाल के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

(iii) राज्य सरकार का विचार है कि स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं के विकास में निजी क्षेत्र को अपना सहयोग तथा भरपूर सहायता करनी चाहिए।

8. आर्थिक स्थिति:

9. (क) कार्य में भागीदारी की दर:*

(प्रतिशत में)

व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
पुरुष	50.0	50.1	46.7	49.7	55.6	51.7	52.0	–	55.4
महिला	33.5	35.1	21.7	36.1	27.3	31.8	7.3	–	36.9

*(2001 की जनगणना के अनुसार)

(ख) व्यवसायिक वर्गीकरण:*

(प्रतिशत में)

नाम	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
खेतिहर	55.3	57.2	37.8	27.1	49.3	42.9	5.2	–	51.0
कृषि मजदूर	10.6	10.7	7.8	4.5	22.5	13.1	0.8	–	9.5
घरेलू उद्योग	2.9	2.6	5.7	1.2	1.7	2.0	4.3	–	3.1
अन्य कामगार	31.2	29.4	48.7	67.3	26.5	42.0	89.7	–	36.4

*(2001 की जनगणना के अनुसार)

(ग) राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 26.10 है जो कि राष्ट्रीय औसत 15.28 प्रतिशत की तुलना में कम है।

(घ) गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों (बी पी एल) का निर्धारण घरेलू सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है जो पांच वर्षों में एक बार किया जाता है। इस समय धर्म के आधार पर कोई आंकड़े सारणीबद्ध नहीं किए गए हैं।

(ङ) योजना आयोग के मानक के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या 70 लाख थी।

(च) ग्रामीण स्तर पर, ग्राम सभा द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का निर्धारण किया जाता है। यदि कोई ग्रामीण संतुष्ट नहीं होता तो वह उप-कलक्टर या जिला कलक्टर को अभ्यावेदन दे सकता है।

(छ) गलत सर्वेक्षण तथा पहचान के कारण केवल 5 से 10 प्रतिशत मुस्लिम ही बी पी एल स्कीम का लाभ उठा पाते हैं।

(ज) अल्पसंख्यकों के लिए व्यय योजनागत बजट से होना चाहिए।

(झ) अल्पसंख्यकों के लिए उघमशीलता विकास कार्यक्रम को नियमित रूप से आयोजित होना चाहिए।

(ञ) बी पी एल कार्डों के लिए आंगल-भारतीयों पर विचार किया जाए।

10. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ बी सी) की पहचान के लिए विद्यमान मानदण्ड:

पिछड़ा वर्ग समुदाय की विद्यमान श्रेणियां निम्न हैं-अनु॰ जाति/अनु॰ज॰जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ बी पी एल। बी पी एल का निर्धारण, पांच वर्षों में एक बार किए जाने वाले घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से होता हैं।

11. राज्य सरकार द्वारा शुरु की गई विकास स्कीमें/कार्यक्रम

(क) मेवात के आर्थिक रुप से पिछड़े वर्गों के लिए अलवर जिले के 8 ब्लॉकों तथा भरतपुर जिले के 3 ब्लाकों में 1987-88 में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था इसके मुख्य उद्देश्यों में बुनियादी सुविधाओं की रूपरेखा तैयार करना तथा इस क्षेत्र में पहले वाले व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न करना था। ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्रालय के अधीन बोर्ड द्वारा प्रगति पर नजर रखी गई तथा मॉनटिर किया गया।

राजस्थान एम एफ डी सी के माध्यम से चार प्रकार की स्कीमें चलाई जा रही हैं अर्थात् मीयादी ऋण, लघु ऋण, एम सी डी स्कीमें तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण

(ख) बैंको से संबंधित सूचना:

राज्य स्तरीय बैंकर समन्वय समिति (एस एल बी सी) के प्रतिनिधियों ने निम्न बातें बताई हैं:

(क) प्राथमिकता क्षेत्र को 42 प्रतिशत लक्ष्य की तुलना में 50 प्रतिशत उधार दिया गया।

(ख) उद्यमियों के विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(ग) मुस्लिमों के कल्याण के लिए, ग्रुप/क्लस्ट अप्रोच को सामाजिक संघटन तथा ऋण उपयोग के लिए स्वीकार किया गया है।

(घ) परियोजना प्रस्ताव को तैयार करने के लिए निरक्षरों को चार्टर्ड अॅकाउन्टेंट की विशेषज्ञता मुहैया कराई गई है।

(ङ) परियोजना की स्वीकृति के लिए, एस एच जी के माध्यम से गैर-सरकारी संगठन (एम जी ओ) सेवाएं मुहैया कराते हैं।

(च) प्रमुख बैंक अर्ध-शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों को सम्मिलित कर अपने सेवा-क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं।

(छ) अल्प-वित्त पोषण की समस्या बहुत कम हैं

(ज) ऋण सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से न्यूनतम ब्याज दर पर दिया जाए।

12. राजनीतिक संस्थाओं में धार्मिक समुदायों का प्रतिनिधित्व:

क्रम संख्या		कुल संख्या	धार्मिक प्रतिनिधियों की संख्या
1.	लोक सभा	25	शून्य
2.	राज्य सभा	10	1
3.	राज्य विधान मंडल	200	8 (मुस्लिम-5) (सिख-3)
4.	जिला परिषद	32	1(मुस्लिम)
5.	पंचायत समितियां	237	प्रधान-3(मुस्लिम) उप प्रधान-9(मुस्लिम)
	सदस्य	5257	187(मुस्लिम)
6.	नगरपालिकाएं		
	(क) अध्यक्ष	126	3(मुस्लिम)
	(ख) उपाध्यक्ष	126	17(मुस्लिम)

13. भाषायी अल्पसंख्यक:

(i) राज्य की राजभाषा : हिंदी

(ii) राज्य में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं : उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती

14. (i) आयोग के साथ हुई बातचीत में राज्यपाल, मुख्य मंत्री/अन्य मंत्रियों की टिप्पणियां:

(क) राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने निम्नलिखित टिप्पणियां की:

(i) शिक्षा-सेवाओं में आरक्षण की समस्या का पता लगाने का एकमात्र माध्यम है।

(ii) जो शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते परंतु प्रतिभाशाली हैं: उनको सभी सुविधाएं, छात्रवृत्तियां आदि दी जाएं।

(iii) अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को सामान्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें सरकारी स्कूलों में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए जिससे कि वे अन्य वर्ग के छात्रों के साथ प्रतियोगिता कर सकें।

(ख) अपर मुख्य सचिव तथा अन्य सचिवों की टिप्पणियां निम्नानुसार थीं:

(i) अनु॰ जाति, अनु॰जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार, पिछड़े समुदायों की विद्यमान श्रेणियां हैं।

(ii) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बी पी एल) के परिवारों के आधार पर संपूर्ण ग्रामीण समृद्धि योजना (एस जी एस वाई), इंदिरा आवास योजना के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

(iii) शहरी क्षेत्रों में 356 रू॰ 72 पैं॰ प्रति व्यक्ति प्रति महीने से कम की आय बेंचमार्क होता है।

15. विचारार्थ विषयों से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणियां:

(i) धार्मिक तथा भाषायी अल्पसंख्यकों के बीच पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने के लिए सुझाए गए मानदंड तथा पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए मानदंड के रूप में गरीबी रेखा की संकल्पना: राज्य में पिछड़े समुदायों की विद्यमान श्रेणियां हैं— अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवार/बी पी एल का निर्धारण, घरेलू सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है।

(ii) सेवाओं तथा शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण के संबंध मे क्रीमी लेयर की संकल्पना: समुदाय के प्रतिनिधियों ने महसूस किया कि इसके लिए आर्थिक मानदंड होना चाहिए कि केवल अल्पसंख्यकों को ही लाभ मिल सके क्योंकि वे ही सबसे गरीब होते हैं।

(iii) ईसाई/इस्लाम में संपरिवर्तित लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देना स्वीकार करना: समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा इस संबंध में भिन्न-भिन्न विचार प्रकट किए गए।

16. विभिन्न मुद्दों पर समुदाय के प्रतिनिधियों, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य भागीदारों की टिप्पणियां:

(i) अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित 32 मुस्लिम समुदायों को नौकरियां नहीं मिली।

(ii) मुस्लिम मोचियों (मोची) तथा नाइयों (नाई) को उनके हिंदू पक्ष की तरह आरक्षण के लाभ नहीं मिले।

(iii) मुस्लिमों में सर्वाधिक पिछड़ों को शिक्षा तथा रोजगार में आरक्षण दिया जाए।

(iv) मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात के अनुसार उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग में से आरक्षण दिया जाए।

(v) अल्पसंख्यकों की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को सरकार तथा समुदाय के बीच दूरी मिटाने के लिए प्रेरित किया जाए।

(vi) सिंधी तथा पारसियों को अल्पसंख्यकों में सम्मिलित किया जाए।

(vii) अल्पसंख्यकों में शिक्षा और विकास की कमी है तथा इस संबंध में राज्य सरकार के पास कोई उपयुक्त सर्वेक्षण आंकड़े/रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

(viii) किसी समुदाय के पिछड़ेपन पर शिक्षा के स्तर, आई एम आर/एम एम आर, अनौपचारिक क्षेत्र में नियोजन तथा सरकारी नौकरियों, गंदी बस्तियों में आबादी और निजी क्षेत्र में समानुपात को ध्यान में रखकर विचार किया जाए।

(ix) दलित ईसाईयों तथा दलित मुस्लिमों को अनुसूचित जाति (एस सी) के बराबर माना जाए।

(x) सभी समुदायों के बीच सर्वाधिक पिछड़ों के विषय में नीति निर्माताओं तथा कार्यान्वयन प्राधिकारियों के बीच पैराडाइम शिफ्ट (Paradigm Shift) की जरूतर है।

(xi) हालांकि निधियां रद्द होती है परंतु एम डी एफ सी द्वारा ऋण नहीं दिए जा रहे हैं।

(xii) सेवाओं में आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए।

(xiii) व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाएं खोली जाएं तथा लघु उद्योग बढ़ाए जाएं।

(xiv) भारतीय बौद्ध समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि हालांकि राजस्थान सरकार हिंदू मंदिरों, शैक्षिक संस्थाओं तथा न्यासों के लिए पर्याप्त राशि खर्च कर रही है अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

अनुलग्नक: 8.20

सिक्किम राज्य के दौरे से संबंधित रिपोर्ट का सार

1. राज्य का नाम: सिक्किम

2. दौरे की तारीख: 29 अप्रैल–1 मई, 2006

3. आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों के ब्योरे जिन्होंने राज्य का दौरा किया।
   (i) प्रोफेसर डा॰ ताहिर महमूद, सदस्य
   (ii) श्रीमती आशा दास, सदस्य सचिव

4. राज्य द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में मान्यता प्राप्त धार्मिक समुदाय: कोई धार्मिक समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्य नहीं है।

5. संक्षेप में राज्य का जनसांख्यिकीय प्रोफाइल**

		सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या	लाखों में	5.4	3.3	7693*	0.4	1176*	1.5	183*	04*	0.1
	प्रतिशतता (%) में	100	60.9	1.4	6.7	0.2	28.1	नगण्य	नगण्य	2.4
लिंग अनुपात	हजार में से	875	852	439	960	108	944	664	–	983

*पूर्ण संख्याओं में

**(2001 की जनगणना के अनुसार)

6. अल्पसंख्यकों के विकास के लिए राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था:

   सिक्किम में निम्नलिखित ढांचा है:

   (i) सामाजिक न्याय, आधिकारिता तथा कल्याण विभाग।

   (ii) धार्मिक कार्यों तथा सभी धार्मिक समूहों के हितों की देखभाल के लिए धार्मिक कार्य विभाग (यह अपने आप में अनोखा संभाग है)।

   अन्य संस्थागत ढांचा

   (iii) जून, 1994 में पिछड़े वर्गों के लिए गठित सिक्किम आयोग।

   (iv) 1966 में अनु. जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्थापित वित्त एवं विकास निगम (एस ए बी सी ओ)।

7. शैक्षिक स्थिति

   (i) साक्षरता दर:*

साक्षरता दर %	व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
	कुल	68.8	69.4	57.8	72.4	97.2	67.3	90.7	—	63.2
	महिला	60.4	60.5	52.0	65.2	87.1	59.8	86.2	—	54.5

* (2001 जनगणना के अनुसार)

(ii) कक्षा I से X तक बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों का 2002–2003 में प्रतिशत 75.12 था जो राष्ट्रीय औसत 62.58 प्रतिशत से काफी अधिक था। हालांकि, छात्रों को मध्याह्न भोजन, मुफ्त बैग तथा पाठ्य पुस्तके, छात्रवृत्ति आदि जैसे दिए गए कई प्रोत्साहनों की वजह से इसमें 2005–2006 में 30 प्रतिशत तक गिरावट आई।

(iii) मदरसा शिक्षा:

सिक्किम में केवल एक मदरसा है जो स्थानीय लोगों द्वारा चलाया जाता है भारत सरकार से एक वर्ष में केवल एक बार सहायता अनुदान प्राप्त हुआ था जो कमजोर प्रबंधन के कारण बंद हो गया।

(iv) कक्षा VIII तक सभी छात्रों के लिए शिक्षा नि:शुल्क है। सिक्किम में एक इंजीनियरी तथा एक मेडिकल कॉलेज है जो इस समय के लिए पर्याप्त है।

(v) 2002 में स्थापित सिक्किम अकादमी राज्य की भाषाओं के संवर्धन कार्यों को देखती है।

(vi) सभी छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकों, अभ्यास पुस्तकों, स्कूल बैगों तथा बरसाती (रेनकोट) देने सहित 12वीं तक नि:शुल्क शिक्षा।

(vii) कक्षा V तक के सभी छात्रों को मुफ्त यूनिफार्म।

(viii) पूरे राज्य में स्कूल के बच्चों को मध्याह्न भोजन।

(ix) बिना किसी भेदभाव के अवसंरचनात्मक सुविधाएं, शिक्षा के अवसर , व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम निष्पादित करना।

(x) राज्य सरकार का भारतीय तकनीकी संस्थानों, व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्डों तथा पॉलिटेकनिक कॉलेजों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(xi) राज्य में शिक्षक का कोई पद 'रिक्त' नहीं है।

8. विद्यमान आरक्षण नीति:

राज्य सरकार निम्नानुसार पदों तथा सेवाओं में आरक्षण देती है: (i) अनु. जाति–33 %, (ii) अनु. जनजाति–06 %, (iii) सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग– 21%, तथा (iv) अन्य पिछड़ा वर्ग–14 % ।

महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत तथा पंचायतों में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा, उच्च शिक्षा में व्यावसायियों तथा सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए 5 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।

9. स्वास्थ्य की स्थिति:

(i)

जन्म दर %	मृत्यु दर %	राज्य में ऐलोपैथिक अस्पतालों (समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों सहित) तथा बिस्तरों की संख्या		राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या संख्या
		अस्पताल	बिस्तर	
21.9	5.0	7	730	24

स्रोत: हेल्थ इंफोमेशन ऑफ इंडिया 2005
केंद्रीय स्वास्थय आसूचना ब्यूरो, डी जी एच एस द्वारा प्रकाशित
सी एच सी: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

10. आर्थिक स्थिति:

(क) कार्य में भागीदारी की दर*:

(प्रतिशत में)

व्यक्तियों	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
पुरूष	57.4	58.5	70.9	55.4	92.8	54.2	54.5		51.9
महिला	38.6	37.8	13.6	39.1	20.9	41.0	13.7		37.1

*(2001 की जनगणना के अनुसार)

(ख) व्यवसायिक वर्गीकरण:*

(प्रतिशत में)

नाम	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदु	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
खेतिहर	49.9	47.8	2.4	50.3	2.0	56.4	12.9	–	74.0
कृषि मजदूर	6.5	7.0	0.9	6.6	0.4	5.8	–	–	6.6
घरेलू उद्योग	1.6	1.7	5.2	1.4	0.1	1.2	–	–	1.1
अन्य कामगार	42.0	43.5	91.4	41.8	97.5	36.6	87.1	–	18.2

*(2001 की जनगणना के अनुसार)

(ग) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की जनसंख्या का प्रतिशत 36.55 है जो राष्ट्रीय औसत 26.10 से अधिक है।

(घ) कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन 80.00 रू॰ प्रतिदिन निर्धारित की गई है जिससे ये अन्य राज्यों में मजदूरी के लिए न जा सकें।

(ङ) धर्म या जाति को ध्यान में रखे बिना गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान की जाती है।

(च) 70 प्रतिशत लोग कृषि तथा बागवानी को मुख्य व्यवसाय के रूप में करने में लगे हैं।

(छ) पौधा-घर (ग्रीन हाऊस) कृषि को लोकप्रिय बनाने तथा किसानों को खाद्य परिरक्षण, खाद्य-संसाधन तथा विपणन को समझाने के उपाय किए गए हैं।

(ज) जमीन की कमी तथा संसाधनों के दबाव के कारण उद्योगों के विकास में अधिक प्रगति नहीं हुई है।

(झ) निजी निवेश तथा संयुक्त उद्यमों से हवाई अड्डे के बनने, अवसंरचनात्मक सुविधाओं के बढ़ने तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के बनने में तेजी आएगी।

II. राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई विकास स्कीमें/कार्यक्रम

(i) सरकार के स्तर पर राज्य द्वारा विभिन्न कल्याण स्कीमें तथा विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एस ए बी सी ओ) इसे 1966 में स्थापित किया गया था तथा यह राज्य की मध्यस्थ एजेंसी (एस सी ए) के रूप में कार्य करता है। इसके कार्य शुरू करने से तथा 31.03.2006 तक एस ए बी सी ओ ने 30.61 करोड़ रुपए की मंजूरी दी तथा 3136 लाभार्थियों में वितरण किया।

(ii) बैंकों से संबंधित सूचना:

(क) एस ए बी सी ओ को लगभग 52 प्रतिशत की वसूली प्रतिशतता के साथ अधिक अच्छी राज्य मध्यस्थ एजेंसी में से एक माना गया है।

(ख) कुछ लाभार्थियों की चुनौती क्षमता संतोषजनक नहीं है।

(ग) उपभोक्ता तथा घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए लाभार्थियों द्वारा लिए गए ऋण का अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग करना।

(घ) प्रशिक्षित लोगों का अभाव, जिससे कार्यान्वयन के मानीटरन पर प्रभाव पड़ता है।

(ङ) एस ए बी सी ओ के महाप्रबंधक ने राज्य सरकार से सहायता अनुदान के लिए अनुरोध किया है।

(च) पर्यटन, फास्ट फूड तथा होटल क्षेत्र की परियोजनाओं को कम ब्याज दरों तथा उदार शर्तों पर ऋण देने को बढ़ावा दिया जाए।

12. भाषायी अल्पसंख्यक:

(i)	राज्य की राजभाषा	:	अंग्रेजी
(ii)	राज्य की प्रमुख भाषाएं	:	नेपाली, भूटिया, लेपचा, सिक्किमी, लिंबू, हिंदी, शेरपा
(iii)	राज्य में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं	:	नेवारी, गुरंग, मुखिया, रेयी तथा तेमांग

13. आयोग के साथ हुई बातचीत में मुख्य सचिव, अन्य विभाग के सचिवों तथा अन्य सरकारी अधिकारियों की टिप्पणियां:

(क) श्री एन.डी. चिंगापा, मुख्य सचिव, सिक्किम की निम्नलिखित टिप्पणियां थी:

(i) इस राज्य के लोग पूर्ण सद्भाव के साथ रहते हैं तथा किसी प्रकार का कोई अलगाव नहीं है।

(ii) सभी सरकारी स्कीमों को सभी धर्मों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लागू की गई हैं।

(ख) श्री जी.के. सुब्बा, अपर सचिव एवं विकास आयुक्त का कहना है:

(i) राज्य के मूलवासियों के बीच कोई भेदभाव नहीं है।

(ii) लोगों में छूआछूत का कोई भाव नहीं है।

(iii) सिखों तथा मुस्लिमों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ बी सी) की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि उनको राज्य के मूल वासी नहीं माना गया है।

(ग) अन्य सरकारी अधिकारियों की टिप्पणियां:

(i) धार्मिक कार्यों विभाग मठों, मंदिरों, गिरिजाघर तथा अन्य धार्मिक स्थलों/विभिन्न धर्मों के पूजा स्थलों को अनुदान देता है। राज्य में लगभग 724 धार्मिक संस्थाएं हैं।

(ii) राज्य में द्विस्तरीय पंचायती राज अर्थात् जिला तथा ग्रामीण स्तर पर, व्यवस्था लागू है।

(iii) आई सी डी एस परियोजनाओं की संख्या पांच से बढ़ाकर सात की जाए।

(iv) राज्य की लगभग समूची जनसंख्या अनु. जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/एम बीसी से संबंधित है।

(v) जाति प्रमाणपत्र जिला प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं।

14. विचारार्थ विषयों (टी ओ आर) से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणियां:

(i) धार्मिक तथा भाषायी अल्पसंख्यकों के बीच पिछडा वर्ग निर्धारित करने तथा पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए मानदंड के रूप में गरीबी रेखा की संकल्पना के लिए सुझाए गए मानदंड:

सिक्किम में कोई भेदभाव नहीं है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान का कार्य जाति या धर्म आदि के भेदभाव के बिना किया जाता है।

(ii) सेवाओं तथा शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण में क्रीमी लेयर की संकल्पना:

अल्पसंख्यकों जैसी कोई संकल्पना नहीं है। प्रत्येक वर्ग निश्चित आरक्षण श्रेणी में आता हैं सामान्य श्रेणी में उनकी प्रतिशतता काफी कम है।

(iii) ईसाई/इस्लाम धर्म संपरिवर्तित लोगों को अनुसूचित जाति की हैसियत का दर्जा दिया जाना:

यह उल्लेख किया गया कि धर्म परिवर्तन करने वालों को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता तब तक दी जाती है जब तक कि वे धर्म परिवर्तन का खुलासा नहीं करते और सामान्य श्रेणी में बने रहने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तथापि, ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों ने अनु. जाति के व्यक्तियों द्वारा ईसाई तथा मुस्लिम धर्म संपरिवर्तन करने वालों को अनुसूचित जाति में मानने का अनुरोध किया क्योंकि धर्म संपरिवर्तन से आर्थिक स्थिति नहीं बदलती।

15. विभिन्न मुद्दों पर समुदाय के प्रतिनिधियों, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य भागीदारों की टिप्पणियां:

(i) राय समुदाय, जिसे सर्वाधिक पिछड़े वर्ग में रखा गया है, के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा अर्थात् राय भाषा में शिक्षा दी जाए।

(ii) गुरंग समुदाय के लिए विकास का विशेष पैकेज दिया जाए क्योंकि उनमें से 50 प्रतिशत से अधिक गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं।

(iii) गुरंग-तमंग भाषा को भी बढ़ाया जाए।

(iv) 40 प्रतिशत ईसाई शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। उनके बीच कोई जाति प्रथा नहीं है।

(v) मदरसों को आधुनिकीकरण के लिए अनुदान दिया जाए।

(vi) मुस्लिमों की समस्याएं अन्य समुदायों के गरीब व्यक्तियों की समस्याओं की तरह ही हैं।

(vii) सरकार द्वारा जैन समुदाय को धर्मशाला बनाने के लिए जमीन दी जाए।

(viii) लेपचाज समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखा जाए जिससे उनका अस्तित्व खतरे में न पड़े।

(ix) एक जनजाति समूह की भूमि के दूसरे जनजाति को हस्तांतरण को पूरी तरह रोका जाए।

16. एन सी आर एल एम की टिप्पणियां:

(i) राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सिखों तथा मुस्लिमों को सम्मिलित न करने के कारणों पर आयोग के प्रश्न के संबंध में यह बताया गया कि ये राज्य के मूलवासी नहीं हैं तथा ये सिक्किम में देश के अन्य भागों से आकर बसे हैं।

(ii) आयोग ने पौधघर खेती के संबंध में राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों पर एक टिप्पणी मांगी है और आधुनिक प्रौद्योगिकी से छोटे तथा सीमांत कृषकों द्वारा उठाए गए लाभों के ब्यौरो की भी मांग की।

(iii) स्कूलों छात्रों के अत्यधिक संख्या में बीच में पढ़ाई छोड़ने से संबंधित आयोग की टिप्पणियों के संबंध में, यह बताया गया कि ऐसा दुर्गम क्षेत्र, तेजी से बढ़ती नदियों आदि के कारण था। इस समस्या को हॉस्टल बनाकर तथा आश्रम स्कूलों की स्थापना करके दूर किया जा सकता है।

(iv) आयोग ने (i) शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों; तथा (ii) स्कूल शिक्षा के विभिन्न चरणों में बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों के संबंध में सूचना देने की इच्छा व्यक्त की है।

(v) सरकार ने ईसाईयों, सिखों तथा मुस्लिमों में से राज्य प्रशासन में अधिकारी स्तर के कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में सूचना देने की इच्छा व्यक्त की है।

अनुलग्नक: 8.21

तमिलनाडु राज्य के दौरे पर रिपोर्ट का सार

1. राज्य का नाम : तमिलनाडु

2. दौरे की तारीखें : 21–22 नवम्बर, 2005

3. आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों के ब्यौरे, जिन्होंने राज्य का दौरा किया :
   (i) डॉ॰ अनिल विल्सन, सदस्य
   (i) श्रीमती आशा दास, सदस्य सचिव

4. राज्य द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यताप्राप्त धार्मिक समुदाय : –

5. संक्षेप में राज्य का जनसांख्यिकीय प्रोफाइल:*

		सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या	लाख में	624.0	549.8	34.7	37.9	0.09	0.05	–	–	–
	प्रतिशतता % में	100	88.1	5.6	6.1	नगण्य	नगण्य	0.1	नगण्य	नगण्य
लिंग अनुपात	हजार में से	987	983	1020	1031	731	868	933	–	882

*(2001 की जनगणना पर आधारित)

6. अल्पसंख्यकों को विकास के लिए राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था:

   पिछड़ा वर्ग समाज कल्याण तथा आदि द्रविदर समुदाय–प्रत्येक का मंत्री होता है।

   अन्य प्रशासनिक ढांचा:

   निम्नलिखित संस्थाओं की राज्य सरकार द्वारा स्थापना की गई है:

   (i) अल्पसंख्यक आयोग
   (ii) पिछड़ा वर्ग आयोग
   (iii) अल्पसंख्यक आर्थिक और विकास निगम
   (iv) पिछड़ा वर्ग आर्थिक विकास निगम
   (v) वक्फ बोर्ड
   (vi) महिला विकास निगम
   (vii) उर्दू अकादमी

7. शैक्षिक स्थिति:

(i) साक्षरता दर*:

साक्षरता दर %	व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
	कुल	73.5	72.0	82.9	85.8	83.7	86.3	92.2	–	87.0
	महिला	64.4	62.4	76.2	81.6	77.2	80.6	88.4	–	81.7

*(2001 की जनगणना के अनुसार)

(ii) कक्षा I—X तक बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर 46.80 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत के 62.58 प्रतिशत से कम है।

(iii) मदरसा शिक्षा:

i. सरकारी अनुदान केवल एक मदरसे को दिया जाता है। 76 मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा दी जाती है। मदरसे में जाने वाले बच्चे नियमित रूप से स्कूल भी जाते हैं।

ii. मुस्लिम शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता दी जाए तथा सहायता अनुदान दिया जाए और मदरसों के छात्रों को स्कूल तथा कॉलेजों के विभिन्न स्तरों पर प्रवेश दिया जाए।

(iv) राज्य में सरकारी अल्पसंख्यक भाषा का एक शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल तथा धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के 135 कॉलेज हैं।

(v) स्लॅम बॅस्तियों में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों के लिए बाल्मिकी अंबेडकर योजना तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध किया गया है।

(vi) पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम।

(vii) पिछडे तथा एमबीसी छात्रों के लिए 761 हॉस्टल का निर्माण और 1000 मुस्लिम युवकों को ईडीपी का प्रशिक्षण।

(viii) अनु॰ जनजाति के छात्रों को स्नातक स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है।

(ix) प्रत्येक राज्य में केवल अल्पसंख्यक छात्रों को लिए गए मेडिकल कालेज खोला जाए।

(x) मुस्लिम लड़कियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने तथा मुस्लिमों में बीच में पढ़ाई छोड़ने की अत्यधिक दर को कम करने के लिए विशेष उपाय किए जाएं।

8. स्वास्थ्य की स्थिति:

(i)

जन्म दर (%)	मृत्यु दर (%)	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित शिशुओं पर)	राज्य में एलोपैथिक अस्पतालों तथा बिस्तरों की संख्या (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित)		राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या
			अस्पताल	बिस्तर	
18.3	7.6	43	424	43567	1380

स्रोत: हेल्थ इनफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, 2005
केंद्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, डी जी एच एस द्वारा प्रकाशित
सी एच सी: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

(ii) बच्चों के लिए 100 प्रतिशत प्रतिरक्षण कार्यक्रम।

(iii) सरकारी अस्पतालों द्वारा सभी को तथा 96 प्रतिशत संस्थागत डिलीवरी के लिए नि:शुल्क सेवा मुहैया कराना।

9. आर्थिक स्थिति:

(क) कार्य में भागीदारी की दर:*

(प्रतिशत में)

व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
पुरुष	57.6	58.3	52.0	53.2	62.0	50.6	55.3	–	54.0
महिला	31.5	33.3	11.9	25.2	18.3	16.0	7.7	–	19.2

*(2001 की जनगणना के अनुसार)

(ख) व्यावसायिक वर्गीकरण:*

(प्रतिशत में)

नाम	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
खेतिहर	18.4	19.4	5.9	10.0	7.5	6.9	8.2	–	9.7
खेतिहर मजदूर	31.0	32.7	7.4	20.6	12.4	11.4	2.9	–	8.6
घरेलू उद्योग	5.4	5.3	9.3	4.4	2.7	3.3	2.1	–	4.6
अन्य कामगार	45.3	42.7	77.4	65.0	77.3	78.3	86.8	–	77.1

*(2001 की जनगणना के अनुसार)

(ग) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वालों की जनसंख्या का प्रतिशत 21.12 है जो राष्ट्रीय औसत के 26.10 प्रतिशत से कम है।

(घ) दुग्ध सहकारी समितियां कल्याण स्कीमों का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।

(ङ) राज्य में 2.85 लाख स्वयं सहायता ग्रुप (6% धार्मिक समुदाय तथा 40% अनु॰ जाति/अनु॰ जनजाति श्रेणियों से संबद्ध) और 40,000 आंगनवाड़ी केंद्र हैं।

10. विद्यमान आरक्षण नीति:

राज्य सरकार द्वारा शिक्षा तथा रोजगार में अनु॰ जाति, अनु॰ जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल आरक्षण 69 प्रतिशत है।

11. अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान के लिए विद्यमान मानदंड: सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक मानदंडों का अनुसरण किया जाता है।

12. राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई विकास स्कीमें/कार्यक्रम

(i) सरकारी स्तर पर:

(क) राज्य सरकार अनु॰ जाति तथा अनु॰ जनजाति के लिए कुछ स्कीमें कार्यान्वित कर रही है जिनका संक्षेप में नीचे उल्लेख किया गया है:

(i) समाज के सभी वर्गों के कृषि श्रमिकों, छोटे तथा सीमांत कृषकों के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीम।

(ii) सभी मछुआरों के लिए कल्याण स्कीमें, जैसे–आवास, नौचालन—एवं–राहत स्कीम और समूह बीमा।

(iii) प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई)

(iv) निर्धन तथा निस्सहाय महिलाओं के लिए स्कीमें।

(ख) बैंकों से संबंधित सूचना:

इंडियन ओवरसीज बैंक (लीड बैंक) के प्रतिनिधियों ने निम्न बातें बताईं:

(i) अल्पसंख्यक समुदाय के 8 लाख से अधिक लाभार्थियों ने ऋण स्कीमों से लाभ उठाया है।

(ii) एसएचजी से वसूली की दर 99 प्रतिशत तक है।

13. भाषायी अल्पसंख्यक:

(i)	राज्य की राजभाषा	:	तमिल
(ii)	राज्य में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं	:	तेलुगु, कन्नड, मलयालम तथा उर्दू

14. आयोग के साथ बातचीत में मंत्री/सचिवों/सरकारी पदाधिकारियों तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों की टिप्पणियां:

(i) श्री से॰मा॰ वेलुसामी, मंत्री, पिछड़ा वर्ग द्वारा की गई टिप्पणी निम्नानुसार है:

(क) राज्य द्वारा समाज के दलित वर्गों के लिए शिक्षा तथा रोजगार में 69 प्रतिशत आरक्षण किया गया है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के बेरोजगार युवकों के लिए रोजगारोन्मुख कार्यक्रम आयोजित करती है।

(ii) सचिवों तथा अन्य सरकारी पदाधिकारियों की टिप्पणियां निम्नानुसार थीं:

(क) अनु॰ जाति/अनु॰ जन जाति के लिए राज्य सरकार की स्कीमें अनु॰ जाति से ईसाई धर्म संपरिवर्तन करने वालों के मामले में भी लागू होती हैं।

(ख) राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह, अनाथ लड़कियों के विवाह तथा बालिकाओं के संरक्षण की स्कीमों को बढ़ावा दिया है।

(iii) अन्य पदाधिकारियों की टिप्पणियां:

(क) अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग:

(i) पिछड़े वर्गों तथा अत्यधिक पिछड़े वर्गों के आरक्षण में क्रीमी लेयर के लिए प्रावधान निहित है।

(ii) एन सी आर एल एम द्वारा धार्मिक तथा भाषायी अल्पसंख्यकों के संबंध में राज्य–वार आंकड़े एकत्र किए जाएं परंतु मानदंड राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित किए जाएं और इस संबंध में शक्तियों को पिछड़ा वर्ग आयोग/राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की जाएं।

(ख)

(i) डॉ॰ एम॰ प्रकाश, अध्यक्ष, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, का कहना था कि दलितों को अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और धर्म संपरिवर्तन से अनु॰ जाति का दर्जा समाप्त नहीं होना चाहिए।

(ii) श्री कमाल शेरिफ, उपाध्यक्ष, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, का कहना था कि उन्हें 'दलित मुस्लिम' जैसे किसी शब्द की जानकारी नहीं है और एन सी आर एल एम को ऐसी किसी मांग पर सहमत नहीं होना चाहिए। पिछड़े वर्गों में अपवर्जन आर्थिक स्थिति पर आधारित नियमित प्रक्रिया होनी चाहिए।

(ग) श्रीमती एस॰ जहांगीर, अध्यक्ष, वक्फ बोर्ड, ने बताया कि केंद्रीय वक्फ परिषद् और एन एम एफ डी सी को वक्फ बोर्ड की विकासात्मक स्कीमों के लिए वित्त मुहैया कराना चाहिए और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं/भारतीय प्रबंध संस्थाओं में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण तथा वक्फ बोर्ड को ब्याज मुक्त ऋण और मदुरै में उसके कॉलेजों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू जी सी) द्वारा अनुदान दिए जाने का प्रावधान हो।

(घ) श्री ए॰ जस्टिन सेल्वाराज, अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम (टी ए एम सी ओ), ने पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए समान मानदंड और ईसाईयों या मुस्लिमों के बीच उप जातियां या समुदाय बनाने को अस्वीकार करने का सुझाव दिया।

(ङ) महिला विकास निगम के प्रबंध निदेशक का सुझाव था कि सभी समुदायों की पिछड़ी महिलाओं को समूह बनाने, प्रशिक्षण, ऋण आदि में प्राथमिकता दी जाए।

(च) प्रोफेसर सादिक, पूर्व उप-कुलपति, मद्रास विश्वविद्यालय की टिप्पणी थी कि निधियों को अलग से चिंहिनत कर अल्पसंख्यकों को जारी किया जाए और मुस्लिमों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण रखा जाए।

(छ) **विधान सभा सदस्यों (एम एल ए) की टिप्पणियां:**

(i) अनु॰ जनजाति के हिंदुओं को दी गई रियायतें ईसाई/इस्लाम धर्म संपरिवर्तित करने वाले अनु॰ जनजाति के व्यक्तियों को भी दी जाएं।

(ii) आंग्ल-भारतीयों को व्यावसायिक कॉलेजों में निर्धारित संख्या में आरक्षण दिया जाए।

(iii) अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण न हो परंतु उनके लिए सांविधिक रक्षोपाय तो होने चाहिएं।

15. **विचारार्थ विषयों से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणियां:**

(i) धार्मिक तथा भाषायी अल्पसंख्यकों के बीच पिछड़े वर्गों के निर्धारण के लिए सुझाए गए मानदंड तथा पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए मानदंड के रूप में गरीबी रेखा की संकल्पना;

राज्य द्वारा तैयार किया गया मानदंड सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक है।

(ii) सेवाओं तथा शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण में क्रीमी लेयर की संकल्पना: लाभ पहली पीढ़ी को मिलने चाहिए किंतु क्रीमी लेयर के मानदण्ड को देखते हुए इसे समाप्त किया जाए।

(iii) ईसाई/इस्लाम में संपरिवर्तित लोगों को अनुसूचित जाति की हैसियत प्रदान करना;

इस संबंध में अलग-अलग विचार प्रकट किए गए। अधिकांश ने ऐसी हैसियत देने का समर्थन किया तो कुछ ने विरोध किया।

16. विभिन्न मुद्दों पर समुदाय के प्रतिनिधियों, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य भागीदारों की टिप्पणियां:

(i) ईसाई संघ के प्रतिनिधियों की टिप्पणी थी कि दलित ईसाईयों तथा मुस्लिमों को संवैधानिक संरक्षण/रक्षोपायों की जरूरत है जैसे अन्य दलितों के लिए किए गए हैं तथा कॉन्स्टिट्यूशन (एस सी) के आर्डर, 1950 के पैराग्राफ-3 के आधार पर भेदभाव करना संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है।

(ii) अनुसूचित जातियों/हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों की टिप्पणी थी कि दलित ईसाईयों/मुस्लिमों को अनुसूचित जाति की हैसियत प्रदान न की जाए। ईसाई मिशनरियां दलित ईसाइयों के लिए अनुसूचित जाति का दर्जा मांग रही हैं क्योंकि विद्यमान आरक्षण नीति उन्हें उनके श्रेष्ठ कार्यकलापों के लिए अड़चन लगती है।

(iii) मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों की टिप्पणियां निम्नानुसार थीं:

(क) गोपाल सिंह पैनल के अनुसार, मुस्लिम समाज के अन्य वर्गों की तुलना में शैक्षिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। एन एस एस ओ सर्वेक्षण (1999-2000) की 55वीं बैठक में भी इसकी पुष्टि की गई है।

(ख) मुस्लिमों को सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों सहित रोजगार तथा शिक्षा में आरक्षण दिया जाए।

(ग) पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों को सम्मिलित करने के लिए अनुच्छेद-15(4), 16(4) तथा राष्ट्रपति के आदेश, 1950 में संशोधन किया जाए।

(घ) बैंकों द्वारा बिना प्रतिभूति के 25,000 रु॰ तक का ऋण दिया जाए।

(ङ) सरकार के प्रमुख गाजी का कहना था कि वक्फ की भूमि से अतिक्रमण को हटाया जाए, पिछड़े मुस्लिमों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण किया जाए तथा प्राथमिकता के आधार पर उर्दू शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाए।

(iv) द्रविदर कषगम के प्रतिनिधि का कहना था कि अनुच्छेद-13(4), 16(4), 38, 46, 335, 338 तथा 340 के उपबंधों में वंचित वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित हो तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को अलग से आरक्षण दिए जाने की जरूरत है।

(v) अन्य संगठनों की टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:

(क) समुदाय-वार जनगणना शुरू की जाए और अनु॰ जाति/अनु॰ जनजाति/पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के आधार पर आनुपातिक आरक्षण हो।

(ख) जैनियों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए।

(ग) ईडीपी प्रशिक्षण या बैंक ऋण के लिए एस एच जी से जाति प्रमाणपत्र लेने की जरूरत पर जोर न दिया जाए।

(घ) सभी सरकारी तथा अन्य रिपोर्टों से 'दलित' शब्द को हटाया जाए।

(ङ) आर्थिक तथा अल्पसंख्यक विकास निगम की वित्तीय स्कीमों को उपयुक्त रूप से बढ़ावा दिया जाए तथा ब्याज मुक्त ऋण दिए जाएं।

(च) अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के 20 प्रतिशत आरक्षण में से मछुआरों, कुम्हारों, नाइयों तथा धोबियों की अलग से 5 प्रतिशत आरक्षण की मांग है।

(छ) आदि द्रविदर रियायत चेरी वन्नन समुदाय को भी दी जाए।

17. एन सी आर एल एम की टिप्पणियां:

आयोग के सदस्य सचिव ने सुझाव दिया कि ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पिछड़े वर्गों को प्रोत्साहित करने के संबंध में बैंकों को कार्यक्रम शुरू करने चाहिएं तथा उनके लिए प्रशिक्षण/कौशल उन्नयन कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिएं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों या सरकारी नियमों में यदि कोई कठिनाई हो तो उसे संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाने के लिए आयोग के ध्यान में लाया जाए।

अनुलग्नक: 8.22

त्रिपुरा राज्य के दौरे पर रिपोर्ट का सार

1. राज्य का नाम : त्रिपुरा

2. दौरे की तारीख : 24-25 जनवरी, 2006

3. आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों के ब्यौरे, जिन्होंने राज्य का दौरा किया :
   (i) डॉ॰ मोहिंदर सिंह, सदस्य
   (ii) श्रीमती आशा दास, सदस्य सचिव

4. राज्य द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में मान्यताप्राप्त धार्मिक समुदाय : मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध तथा सिख

5. संक्षेप में राज्य का जनसांख्यिकीय प्रोफाइल** :

		सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या	लाख में	32.0	27.4	2.5	1.0	1182*	1.0	477*	–	1277*
	प्रतिशतता (%) में	100	85.6	8.0	3.2	नगण्य	3.1	नगण्य	नगण्य	नगण्य
लिंग अनुपात	हजार में से	948	949	945	941	101	956	916	–	759

* पूर्ण संख्याओं में

**(2001 की जनगणना के अनुसार)

6. अल्पसंख्यकों के विकास के लिए राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था:

   (i) सरकारी स्तर पर:

   क. इस राज्य में कोई अल्पसंख्यक आयोग नहीं है किंतु, राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है।

   ख. राज्य में एक धार्मिक अल्पसंख्यक विभाग है जिसकी अध्यक्षता मंत्री जी करते हैं।

   ग. त्रिपुरा की राज्य सरकार द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 1999 में निदेशालय की स्थापना की गई थी।

   अन्य:

   क. राज्य में 1997 में स्थापित अल्पसंख्यक सहकारी विकास निगम लिमिटेड है।

   ख. वक्फ अधिनियम के अनुसार 1979 में त्रिपुरा वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था।

7. शैक्षिक स्थिति:

   (i) साक्षरता दर:*

साक्षरता दर (%)	व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
	कुल	73.2	75.3	60.9	67.9	98.4	49.2	82.9	–	75.4
	महिला	64.9	67.3	51.4	57.3	89.5	37.4	78.4	–	65.3

* (2001 की जनगणना के अनुसार)

(ii) 62.58 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में कक्षा I—X तक बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों का प्रतिशत 74.27 है।

(iii) बौद्धों तथा मुस्लिमों के बीच कम साक्षरता दर चिंता का विषय है।

(iv) **मदरसा शिक्षा:**

(क) राज्य में 130 पंजीकृत मदरसे हैं जिनके माध्यम से धार्मिक तथा औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है।

(ख) त्रिपुरा के वक्फ बोर्ड द्वारा कक्षा V से VIII तक के प्रतिभाशाली मुस्लिम छात्रों को वजीफा दिया जाता है।

(ग) वक्फ बोर्ड द्वारा युवाओं के लिए खाद्य प्रसंस्करण तथा परिरक्षण, कंप्यूटर तथा सिलाई प्रशिक्षण, ए/सी तथा रेफ्रिजरेशन मरम्मत आदि जैसे स्व: रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

(घ) मानव संसाधन विकास (एच आर डी) मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कंप्यूटर संस्थान वक्फ बोर्ड द्वारा 1999 से चलाया जा रहा है।

(ङ) त्रिपुरा आधुनिकीकरण मदरसा शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों की टिप्पणी थी कि मदरसों के अवसंरचनात्मक विकास की जरूरत है। राज्य में त्रिपुरा मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए जिससे कि मदरसों के माध्यम से शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सके।

(च) मध्याह्न भोजन की स्कीम को मदरसों पर भी लागू किया जाए।

(v) अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों (VI से VIII) को नि:शुल्क पुस्तक देना।

(vi) अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों (IX से XII) को पूर्व तथा पश्च मैट्रिक शिक्षा छात्रवृत्ति देना।

(vii) अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग की व्यवस्था।

(viii) अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन स्कीमें शुरू करना।

(ix) अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था।

(x) उच्च अध्ययन के लिए अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को शिक्षा ऋण देना।

(xi) रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम, जैसे जी.एम.एम./डी. फार्मा की सुविधा प्रदान करना।

8. स्वास्थ्य की स्थिति:

(i)

जन्म दर (%)	मृत्यु दर (%)	राज्य में एलोपैथिक अस्पताल तथा बिस्तरों (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित) की संख्या		राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या
		अस्पताल	बिस्तर	
14.5	5.5	26	2231	73

स्रोत: हेल्थ इनफार्मेशन ऑफ इंडिया, 2005
केंद्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, डी जी एच एस द्वारा प्रकाशित
सी एच सी: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

(ii) गरीब अल्पसंख्यकों को चिकित्सा सहायता दी जा रही है।

(iii) सभी को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना राज्य सरकार का स्वप्न है।

संलग्नक

9. आर्थिक स्थिति:

(क) कार्य में भागीदारी की दर:*

(प्रतिशत में)

व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदु	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
पुरूष	50.6	51.3	46.2	43.6	94.1	49.4	64.3	–	58.4
महिला	21.1	21.0	11.2	33.6	12.0	36.3	15.8	–	50.8

* (2001 की जनगणना के अनुसार)

(ख) व्यावसायिक वर्गीकरण:*

(प्रतिशत में)

नाम	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदु	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
खेतिहर	27.0	25.7	30.3	44.0	1.2	37.7	12.2	–	41.2
खेतिहर मजदूर	23.8	22.9	27.7	25.1	0.2	39.3	9.2	–	12.9
घरेलू उद्योग	3.0	3.2	1.6	2.2	नगण्य	2.7	3.1	–	0.6
अन्य कामगार	46.1	48.3	40.4	28.7	98.6	20.3	75.5	–	45.3

*(2001 की जनगणना के अनुसार)

(ग) त्रिपुरा में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या राष्ट्रीय औसत (26.10%) के मुकाबले अधिक (34.44%) है।

(घ) धार्मिक अल्पसंख्यकों के आर्थिक विकास के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष स्कीमें शुरू की जाएं।

(ङ) मुस्लिम विकास निगम के लिए शेयर पूंजी सहायता के रूप में 51:49 शेयर आधार पर केंद्रीय सहायता स्कीम तैयार की जाए।

(च) मछली-पालन, बागवानी, हथकरघा आदि के संबंध में भी विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

(छ) काम की उपलब्धता में वृद्धि तथा लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए लघु उद्योग तथा घरेलू उद्योग क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाए।

(ज) राज्य द्वारा वित्तीय नियंत्रण किया जा रहा है तथा 1998 से कोई ओवरड्राफ्ट नहीं है।

(झ) भौगोलिक अवस्थिति के कारण बाजार तक पहुंच कम है।

(ज) अवसंरचनात्मक सुविधाएं की कमी तथा सीमित संसाधन आधार।

(ट) राज्य सरकार ने स्वावलंबन स्कीम के माध्यम से आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन के लिए विशेष पैकेज देने पर विचार किया है।

10. राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विकास स्कीमें/कार्यक्रम

(क) अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विभिन्न कल्याण स्कीमें चलाई जाती हैं, जैसे-भूमिहीन कृषि/गैर-कृषि अल्पसंख्यक वर्ग के कामगारों के लिए आवास स्कीम तथा रबड़ की खेती में अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों को लगाना, आर्थिक कार्यकलापों तथा स्व-रोजगार आदि के लिए ऋण देना।

(ख) त्रिपुरा अल्पसंख्यक सहकारी विकास निगम लिमि॰ ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने आर्थिक विकास के लिए ऋण सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

(ग) बैंकों से संबंधित सूचना:

राज्य सरकार ने बैंकों से कम ऋण मिलने का उल्लेख किया है।

11. राजनीतिक संस्थाओं में आर्थिक समुदायों का प्रतिनिधित्व:

क्रम सं॰		कुल	धार्मिक प्रतिनिधियों की संख्या
1.	लोक सभा/राज्य सभा	3	शून्य
2.	राज्य विधान मंडल	60	2
3.	जिला परिषद्	82	5
4.	तालुक बोर्ड/खंड विकास समिति	21	299
5.	नगर बोर्ड/नगर निगम	35	–
6.	ग्राम पंचायत	5352	579

12. भाषायी अल्पसंख्यक:

(i) राज्य की राजभाषा : अंग्रेजी

(ii) राज्य में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं : बंगाली तथा कारबोरक

13. (i) आयोग के साथ बातचीत में प्रमुख सचिव तथा अन्य अधिकारियों की टिप्पणियां:

(क) त्रिपुरा सरकार के प्रमुख सचिव का कहना था कि राज्य सरकार का सपना है कि वह गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों पर विशेष ध्यान देने के साथ उनके जीवन स्तर में सुधार करके, आठवीं कक्षा तक सभी के लिए अनु॰ जाति, अनु॰ जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा, प्रदान करके सभी को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए युवाओं के लिए कौशल विकास तथा रोजगार का सृजन करे, महिलाओं को अधिकार देना अवसंरचनात्मक सुविधाओं विकास आदि करे।

14. विभिन्न मुद्दों पर समुदाय के प्रतिनिधियों, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य भागीदारों की टिप्पणियां:

(i) बहुत से गैर-सरकारी संगठनों ने व्यवसायिक प्रशिक्षण, वृद्ध आश्रम, सर्व शिक्षा अभियान, कंप्यूटर सुलेख (न), आवासीय स्कूलों आदि के संबंध में केंद्र/राज्य सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता से राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यकलापों के बारे में स्पष्ट किया।

(ii) त्रिपुरा आधुनिकीकरण मदरसा शिक्षक संघ ने अन्य बातों के साथ-साथ मदरसों के शिक्षकों को नियमित रूप से वेतन दिए जाने पर जोर दिया।

15. आयोग की टिप्पणियां:

एनसीआरएलएम के सदस्य सचिव का सुझाव था कि राज्य में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए सभी विकास विभागों के विंगों की भागीदारी आवश्यक है क्योंकि केवल नोडल विभागों के माध्यम से वांछित परिणाम प्राप्त करना संभव नहीं है। अल्पसंख्यकों के लक्षित समूह पर सभी विभागों द्वारा निगरानी रखी जाए।

अनुलग्नक : 8.23

उत्तर प्रदेश राज्य के दौरे पर रिपोर्ट का सार

1. राज्य का नाम : उत्तर प्रदेश

2. दौरे की तारीख : 15-16 जून, 2006

3. आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों के ब्यौरे, जिन्होंने राज्य का दौरा किया : (i) डा॰ मोहिन्दर सिंह, सदस्य (ii) श्रीमती आशा दास, सदस्य सचिव

4. राज्य द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में मान्यताप्राप्त धार्मिक समुदाय : सिख, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई पारसी तथा जैन

5. संक्षेप में राज्य की जनसांख्यिकीय स्थिति:*

		सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की	लाख में	1662.0	1339.8	307.4	2.10	6.8	3.0	2.1	–	0.1
कुल जनसंख्या	प्रतिशतता (%) में	100	80.6	18.5	0.1	0.4	0.2	0.1	–	–
लिंग अनुपात	हजार में से	898	894	918	961	877	895	911	–	871

*(2001 की जनगणना के अनुसार)

6. अल्पसंख्यकों के विकास के लिए राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था:

(क) सर्वेक्षण आयुक्त, वक्फ का गठन 1976 में किया गया:

(ख) अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय की स्थापना 1995-96 में की गई थी।

(ग) उ॰प्र॰ अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम की स्थापना 1984 में की गई थी।

(घ) उ॰प्र॰ वक्फ विकास निगम की स्थापना अप्रैल, 1987 में की गई थी।

(ङ) उ॰प्र॰ राज्य हज समिति।

(च) उ॰प्र॰ राज्य केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन 1999 में किया गया था।

(छ) उ॰प्र॰ राज्य केंद्रीय शिया वक्फ बोर्ड का गठन 1999 में किया गया था।

(ज) उ॰प्र॰ अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1969 में किया गया था।

(झ) अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग 1995 में बनाया गया था।

(ञ) राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग।

(ट) राज्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास निगम।

7. शैक्षिक स्थिति:

(i) साक्षरता दर:*

साक्षरता दर(%)	व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
	कुल	56.3	58.0	47.8	72.8	71.9	56.2	93.2	–	64.0
	महिला	42.2	43.1	37.4	67.4	63.8	40.3	90.3	–	52.0

*(2001 की जनगणना के अनुसार)

(ii) राष्ट्रीय औसत 62.58 प्रतिशत की तुलना में कक्षा I—X तक बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों का प्रतिशत 46.3 था।

(iii) ईसाई और सिख समुदाय में 64.8 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। राज्य में मुस्लिमों की साक्षरता दर (47.8) देश की उनकी दर (59.1%) से कम है।

(iv) मदरसा शिक्षा: उत्तर प्रदेश में, 1200 मदरसे (अनुमानित) मान्यता प्राप्त हैं जिनमें से 358 को राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। मदरसों के कारगर ढंग से संचालन के लिए राज्य सरकार ने उ०प्र० मदरसों शिक्षा परिषद् अध्यादेश, 2004 प्रख्यापित किया है। सड़सठ (67) अरबी-पारसी मदरसों को राज्य सरकार से सहायता अनुदान दिया जा रहा है।

(v) भाषायी अल्पसंख्यकों के कल्याण और भाषाओं के संवर्धन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न अकादमियां बनाई गई हैं, अर्थात् हिंदी अकादमी, संस्कृत अकादमी, उर्दू अकादमी, हिन्दुस्तानी अकादमी, भाषा अकादमी, सिंधी अकादमी, पंजाबी अकादमी, तथा स्वर्गीय फखरुदीन अली अहमद स्मारक समिति।

(vi) अल्पसंख्यक कालेजों की संख्या – 44

सहायता प्राप्त – 17

गैर-सहायता प्राप्त – 27

(vii) शैक्षिक संस्थाओं की संख्या

	सहायता प्राप्त	गैर-सहायता प्राप्त	सरकारी
मेडिकल	03	02	03
इंजीनियरी	01	02	01
डेण्टल	01	01	01
कुल:	05	05	05

व्यवसायिक प्रशिक्षण

सरकारी	01
सहायता प्राप्त	140
गैर-सरकारी संगठन	01
	142

(viii) इनस्पेक्टर/रजिस्ट्रार, अरबी-फारसी मदरसो, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(ix) अल्पसंख्यक संस्थाओं की संख्या-766

(x) वक्फ द्वारा संचालित संस्थाओं की संख्या-1,20,000

(xi) मौलाना मोहम्मद अली जौहर अनुसंधान संस्थान

(xii) लखनऊ में मुस्लिमों का इनटिग्रल विश्वविद्यालय

(xiii) कन्या विद्यालय स्कीम-इंटरमीडिएट परीक्षा/औलिया पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाली लगभग 3 लाख छात्राओं को वर्ष 2006-07 के दौरान स्कीम से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। उन छात्राओं को प्रोत्साहन के रूप में 20,000 रु० दिए जाने पर विचार किया गया है जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 35,000 रु० से अधिक नहीं है।

(xiv) मदरसों सहित शैक्षिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाए जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक ढांचा पूर्ण विकसित हो।

(xv) मुस्लिमों और विशेषकर लड़कियों के बीच व्यवसायिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाया जाए। इस प्रयोजन से विशेष कैंप लगाए जाए।

(xvi) ग्रामीण क्षेत्रों में उर्दू माध्यम से पढ़ाई वाले इंटरमीडिएट कालेज तथा उर्दू माध्यम वाले आवासीय स्कूल खोले जाएं और शहर में अरबी-फारसी शिक्षण के लिए एक विश्वविद्यालय खोलने पर विचार किया जा सकता है।

(xvii) प्रशिक्षित शिक्षकों तथा पाठ्यपुस्तकों के अभाव में उर्दू माध्यम से शिक्षण का कार्य काफी धीमा है।

(xviii) आलिम पाक मदरसा के छात्रों को बेरोजगार भत्ता दिया जाए।

(xix) रामपुर में एक विश्वविद्यालय खोला जाए जिससे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।

8. स्वास्थ्य की स्थिति:

(i)

जन्म दर (%)	मृत्यु दर (%)	राज्य में एलोपैथिक अस्पतालों (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित) तथा बिस्तरों की संख्या		राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या
		अस्पताल	बिस्तर	
31.3	9.5	294	8820	3640

स्रोत: हेल्थ इनफार्मेशन ऑफ इंडिया, 2005
केंद्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, डीजीएचएस द्वारा प्रकाशित
सीएचसी: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

9. आर्थिक स्थिति:

(क) कार्य में भागीदारी की दर*

(प्रतिशत में)

व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
पुरुष	46.8	47.3	44.6	46.7	53.4	46.7	50.1	-	51.2
महिला	16.5	17.5	12.4	20.6	9.2	18.5	5.5	-	19.4

*(2001 की जनगणना के अनुसार)

(ख) व्यवसायिक वर्गीकरण:*

(प्रतिशत में)

नाम	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
खेतिहर	41.1	44.2	25.7	14.8	51.3	41.0	–	–	–
खेतिहर मजदूर	24.8	25.6	21.6	13.1	9.1	35.4	–	–	–
घरेलू उद्योग	5.6	4.4	11.9	5.0	3.4	3.1	–	–	–
अन्य कामगार	28.5	25.9	40.7	67.1	36.2	20.5	–	–	–

*(2001 की जनगणना के अनुसार)

(ग) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 31.15 था जो 26.10 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

(घ) अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण पर किए गए व्यय का बजट

		लाख रु॰ में
2001-02	–	14325.49
2002-03	–	16488.67
2003-04	–	17351.84
2004-05	–	20444.44
2005-06	–	23101.92
2006-07	–	20908.67

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि श्रमिकों को भूमि देने से गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और राज्य में शहरी क्षेत्रों या अन्यत्र पलायन करने पर रोक लगेगी।

10. विद्यमान आरक्षण नीति:

भारतीय समाज की सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए वर्तमान 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से आगे सेनाओं में आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। यदि धर्म को आधार न माना जाए तो धार्मिक अल्पसंख्यकों के बीच पिछड़ों के लिए आरक्षण पर विचार किया जा सकता है।

11. अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए विद्यमान मानदंड:

यह सुझाव दिया गया कि जाति, समुदाय और धर्म के बजाय आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाए।

12. राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विकास स्कीमें/कार्यक्रम।

राज्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न स्कीमें चलाई जाती हैं। कुछ अन्य स्कीमें और कल्याणकारी उपाय निम्नानुसार हैं:

(क) पूर्व -मैट्रिक शिक्षा छात्रवृत्ति स्कीम

(ख) मैट्रिक शिक्षा छात्रवृत्ति स्कीम

(ग) परंपरागत शिक्षा और सदस्यों को बढ़ावा देना

(घ) क्षेत्रीय गहन विकास स्कीमें

(ङ) मिनी भारतीय तकनीकी संस्थान (आई टी आई)

(च) मौलाना मोहम्मद अली छात्रवृत्ति स्कीम

(छ) मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश हेतु परीक्षा-पूर्व कोचिंग के लिए सहायता अनुमान-

(ज) मीसादी ऋण स्कीम

(झ) मियादी ऋण स्कीम

(ञ) रोजगार स्कीम में प्रवेश के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग

(ट) प्रोफेशनल ट्रेड के लिए प्रशिक्षण

(ठ) स्व-रोजगार के लिए वित्तीय सहायता

(ड) रिक्शा खरीदने के लिए ऋण

(ढ) बैंकों से संबंधित सूचना:

अन्य बातों के साथ-साथ कल्याणकारी स्कीमों का लाभ उठाने में लाभार्थियों के सामने आने वाली कठिनाइयां निम्नानुसार हैं:

(क) बार-बार आवास बदलना

(ख) गारंटी देने वाले का न मिलना

(ग) बाजार के संबंध में विशेषज्ञ का न होना

(घ) उद्यमशीलता की कमी

13. भाषायी अल्पसंख्यक:

(i)	राज्य की राजभाषा	:	हिंदी, उर्दू दूसरी राजभाषा है।
(ii)	राज्य में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं	:	भोजपुरी, बंगाली, पाली, सिंधी, पंजाबी

14. आयोग के साथ होने वाली बातचीत में मुख्यमंत्री की टिप्पणियां:

(क) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव की टिप्पणी निम्नानुसार थी:

(i) क्रीमी लेयर के संबंध में नियमों का पूर्णतया पालन किया जाए और जाली/झूठे प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर धोखे से लाभों का दावा करने वालों को दंडित किया जाए।

(ii) सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्तर पर पिछड़ेपन का सामना करने वाले अल्पसंख्यक और उन अल्पसंख्यकों की तुलना में वास्तव में सहायता के पात्र हैं जो उपर्युक्त एक या दो स्तरों पर उपयुक्त पाए जाते हैं।

(iii) 'गरीब' और 'वंचित' लोगों को मात्र आंशिक सहायता ही नहीं बल्कि बहुविध लाभ और प्रोग्राम का पैकेज मिलना चाहिए।

(iv) उन्होंने बालिकाओं के संपूर्ण विकास का समर्थन किया और सुझाव दिया कि सरकार की प्रत्येक स्कीम 'महिलाओं' पर केंद्रित होनी चाहिए।

(v) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि बालिकाओं को जब तक वे पड़ना चाहें, नि:शुल्क शिक्षा दी जाए।

15. विचारार्थ विषय से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणियों:

(i) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के बीच पिछड़े वर्गों के निर्धारण के लिए सुझाया गया मानदंड और पिछड़ापन निर्धारित करने के लिए मानदंड के रूप में गरीबी रेखा की संकल्पना:

(क) राज्य में निम्नलिखित मानदंड का अनुसरण किया जाता है:

(i) सामाजिक स्थिति

(ii) शैक्षिक स्तर

(iii) आवास की व्यवस्था

(ख) इस बारे में एकमत विचार था कि जाति, समुदाय और धर्म पर की बजाय पिछड़ापन निर्धारित करने में आर्थिक अभाव और गरीबी निर्धारक-कारक होना चाहिए।

(ii) सेवाओं और शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण के संबंध में क्रीमी लेयर की संकल्पना: मुचयमंत्री ने टिप्पणी की कि क्रीमी लेयर संकल्पना का पूर्णतया पालन किया जाए और जाली/झूठे आया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके धोखे से लाभ लेने वालों को दण्डित किया जाए।

(iii) ईसाई धर्म/इस्लाम धर्म में परिवर्तित लोगों को अनुसूचित जाति की हैसियत प्रदान करना: जबकि अधिकांश का विचार था कि अनुसूचित जाति के मूल लोगों, जिन्होंने ईसाई धर्म/इस्लाम धर्म को अपनाया, को अनुसूचित जाति की हैसियत मिलनी चाहिए क्योंकि धर्म परिवर्तन कि बावजूद समाज में उनसे भेदभाव किया गया, कुछ मुस्लिमों ने बताया कि ओ बी सी में उन्हें रखने की मौजूदा व्यवस्था ठीक है। मुस्लिमों को जाति गुट में नहीं लाना चाहिए।

16. विभिन्न मुद्दों पर सामुदायिक प्रतिनिधियों, एन जी ओ और अन्य भागीदारों की टिप्पणियां:

(i) आयोग के ध्यान में यह लाया गया कि राज्य सरकार के अधिकारियों ने अल्पसंख्यक संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने में अनावश्यक लंबा समय लिया।

(ii) चर्च द्वारा अपने स्वामित्व में ली गई सम्पत्ति पर अतिक्रमण का मामला भी उठाया गया और यह सुझाव दिया गया कि ईसाई सम्पत्ति बोर्ड गठित किया जाए।

(iii) बौद्ध प्रतिनिधियों ने अनुरोध किया कि:

(क) राज्य सरकार को पाली भाषा को बढ़ावा देने के प्रयास करने चाहिए और राज्य सिविल सेवा परीक्षा में एक विषय के रूप में इसे शामिल करना चाहिए।

(ख) राज्य में बौद्ध स्मारकों की सुरक्षा और भूटी भाषा के विकास के लिए एक बोर्ड का गठन किया जा सकता है।

(ग) ऐंग्लो-इंडियन के समान बौद्धों को संसद और राज्य विधानसभा में नामज़द किया जाए।

(घ) राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग में भी बौद्ध धर्म का एक सदस्य होना चाहिए।

(iv) सिख प्रतिनिधियों ने बताया कि:

(क) आज तक कोई भी सिख, राज्य में अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नहीं बना है।

(ख) सिख अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की सलाहकार समिति से भी सम्बद्ध नहीं हैं।

(ग) रामगढ़िया सिखों, जो सिखों में अत्यधिक पिछड़े हुए हैं, को शैक्षिक सुविधाएं जैसे छात्रवृत्तियां और यूनीफार्म दी जानी चाहिए।

(घ) राज्य अल्पसंख्यक आयोग में चपरासी के तौर पर एक भी सिख नियुक्त नहीं किया गया है।

(v) (i) वृद्धावस्था पेंशन (ii) विधवा पेंशन (iii) जरूरतमंद को राशनकार्ड देने और वंचित लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(vi) वक्फ बोर्ड को विशेषकर बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कल्याणकारी उपाय करने के लिए तैयार करना चाहिए।

(vii) मदरसों की निर्देशिका और उपयुक्त सरकारी सामग्री को गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से वितरित किया जाए।

(viii) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को नवोदय विद्यालयों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए शिक्षा स्कीमें शुरू करनी चाहिए।

(ix) अल्पसंख्यक बहुल स्थानों में हस्तशिल्प, ग्राम एवं कुटीर उद्योग को बढ़ाना चाहिए।

(x) वस्त्र मंत्रालय को बुनकरों के लिए कल्याण निधि का गठन किया जाना चाहिए।

(xi) निराश्रयों को मकान दिए जाएं।

(xii) जैसे हिंदू 'माली' जाति को ओबीसी की सूची में सम्मिलित किया गया है, उसी प्रकार मुस्लिम 'बागवान' समुदाय को भी उस सूची में सम्मिलित किया जाए क्योंकि दोनों समान हैं।

(xiii) जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सलाहकार समितियां गठित की जाएं।

(xiv) राज्य में और भारत सरकार में विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए एक मंत्री होना चाहिए और प्रत्येक धर्म को अलग से देखने के लिए एक डिवीजन होना चाहिए।

(xv) अल्पसंख्यकों के बीच सुरक्षा और आत्मविश्वास लाने के लिए जिला स्तर पर एक शिकायत निवारण तंत्र बनाया जाना चाहिए।

(xvi) भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के साथ-साथ समुदाय अनुसार दशक की जनगणना, जैसी कि 1931 में की गई, की जानी चाहिए।

(xvii) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की तरह मुस्लिमों के लिए कानून बनाया जा सकता है जिससे कि वे अपमानित महसूस न करें।

संलग्नक 8.24

उत्तराखंड राज्य के दौरे पर रिपोर्ट का सार

1. राज्य का नाम : उत्तराखंड

2. दौरा करने की तारीख : 18 जनवरी, 2006

3 आयोग के अध्यक्ष/ सदस्यों का ब्यौरा, जिन्होंने राज्य का दौरा किया था
(i) न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र, अध्यक्ष
(ii) डा. अनिल विल्सन, सदस्य
(iii) श्रीमती आशा दास, सदस्य सचिव

4. राज्य द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता प्राप्त धार्मिक समुदाय : मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध तथा जैन

5. राज्य का जनसांख्यिकी संबंधी संक्षिप्त विवरण:**

		सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
राज्य/संघ	लाख में	84.9	72.1	10.1	0.3	2.1	0.1	0.1	4*	0.01
राज्य क्षेत्र कुल आबादी	प्रतिशतता %	100.0	85.0	11.9	0.3	2.5	0.1	0.1	–	नगण्य
लिंग अनुपात	एक हजार में से	962	978	875	960	898	778	930	–	762

* सुनिश्चित संख्या
** (जनगणना 2001)

6. अल्पसंख्यकों के विकास के लिए राज्य सरकार का प्रशासनिक ढांचा

(i) सरकारी स्तर पर

(क) अल्पसंख्यकों के कल्याण कार्य मंत्रिमंडल सदस्य मंत्री की अध्यक्षता में समाजकल्याण विभाग द्वारा देखा जा रहा हैं

(ख) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए एक अध्यक्ष हैं जिनका दर्जा राज्य के मंत्री का है। इसके अलावा प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है।

(ii) अन्य संगठन:

(क) एक उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग भी है। इस आयोग की स्थापना मई, 2005 में की गई थी।

(ख) नवंबर, 2005 में वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था।

(ग) उत्तराखंड सरकार ने एक हज समीति का भी गठन किया है।

(घ) राज्य सरकार ने जनवरी, 2005 में अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की भी स्थापना की थी।

(ङ) राज्य सरकार ने उत्तराखंड पिछड़ा वर्ग आयोग की भी स्थापना की है।

7. शैक्षिक स्तर

(i) साक्षरता दर*

साक्षरता दर (%)	व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
	योग	71.6	74.1	51.1	87.9	73.1	76.3	96.3	–	63.2
	महिला	59.6	61.7	40.3	85.3	64.2	68.0	94.4	–	52.3

* (जनगणना 2001)

(ii) मुसलमानों सहित गरीबी रेखा से दो गुना नीचे गुजर बसर करने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्रवृत्ति दी जा रही है।

(iii) मदरसा शिक्षा

(क) राज्य में 378 मदरसें हैं, जहां पर धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ औपचारिक शिक्षा भी दी जाती है।

(ख) इन मदरसों में तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ ब्रिज कोर्स भी कराए जाते हैं।

(ग) मुस्लिम शिक्षा मिशन की शुरूआत राज्य सरकार ने मुस्लिम बच्चों के शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बेहतर बुनियादी शिक्षा प्रदान करने और मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को 12वीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की थी। इस मिशन में मदरसों और मुसलमानों की सामान्य शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है।

(घ) इन मदरसों में कंप्यूटरशिक्षा सहित नए-नए विषयों को शामिल करने की आवश्यकता।

(iv) मध्याह्न भोजन

(v) प्राथमिक स्तर तक सभी विद्यार्थियों को किताबों की निशुल्क आपूर्ति

8. स्वास्थ्य स्थिति

जन्म दर %	मृत्यु दर %	राज्य में एलोपैथिक अस्पतालों और बिस्तरों (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित) की संख्या		राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या
		अस्पताल	बिस्तर	
17.2	6.5	36	1080	229

स्रोत: भारत स्वास्थ्य सूचना 2005
प्रकाशक: केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, डी जी एच एस
सी एच सी - सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

9. आर्थिक स्थिति:

(क) कार्य भागीदारी दर*

(प्रतिशत में)

व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
पुरूष	46.1	46.0	46.0	49.2	52.3	38.4	54.5	–	52.9
महिला	27.3	30.6	6.4	24.2	12.8	25.9	7.4	–	27.6

*(2001 की जनगणना)

(ख) व्यावसायिक वर्गीकरण*:

(प्रतिशत में)

नाम	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
खेतिहर	50.1	54.1	13.7	11.3	47.7	13.2	2.6	–	11.6
खेतीहर मजदूर	8.3	7.1	17.7	6.6	16.1	8.0	0.7	–	31.1
घरेलू उद्योग	2.3	2.1	4.1	1.0	2.2	17.4	2.7	–	1.2
अन्य कामगार	39.3	36.7	64.5	81.1	34.1	61.4	93.9	–	56.1

*(जनगणना 2001)

(ग) भूमि का 93 प्रतिशत भाग पहाड़ी क्षेत्र है और 63 प्रतिशत भूमि बनाच्छादित है।

10. राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाएं तथा कार्यक्रम

(i) सरकारी स्तर पर

निम्नलिखित विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के लिए हैं:

(क) रोजगार का सृजन करने वाली योजनाएं

(ख) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनाएं

(ग) आय बढ़ाने वाली योजनाएं

(घ) छात्रों के लिए छात्रवृत्ति

(ङ) प्रधानमंत्री रोजगार योजना

(च) अल्पसंख्यकों के लाभार्थ 15 सूत्री कार्यक्रम

(छ) कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा

(ii) अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम

(क) यह सावधि या मियादी ऋण, मार्जिन ऋण और लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है।

11. अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मौजूदा मानदंड:

सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का मानदंड अपनाया जाता है

12. राजनैतिक संस्थाओं में धार्मिक समुदायों का प्रतिनिधित्व:

क्रम सं.	संस्था	कुल संख्या	धार्मिक प्रतिनिधियों की संख्या
1.	राज्यसभा/लोकसभा	08	शून्य
2.	राज्य विधानसभा	71	06
3.	जिला परिषद्	373	23
4.	तालुक बोर्ड/खंड विकास समिति	3247	416
5.	पंचायत	53961	5368

*(जनगणना 2001)

13. भाषायी अल्पसंख्यक:

(i) राज्य की राजभाषा: हिंदी

(ii) राज्य में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं: उर्दू, पंजाबी, नेपाली और बंगला

14. (i) राज्यपाल, मुख्यमंत्री/आयोग से जुड़े अन्य कार्यकारी अधिकारियों की टिप्पणियां:

(क) मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि:

(i) मुस्लिम समुदाय के कल्याण और विकास में मदरसों और इमामों की प्रेरणा तथा उनकी भागीदारी उपयोगी हो सकती है।

(ii) मजदूरों, चिनाई मजदूरों और झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले कमजोर वर्ग के लोगों को सरकार की विशेष सहायता की जरूरत है।

(iii) निर्यात के लिए बढ़िया किस्म के उत्पाद का उत्पादन करने के लिए अभिकल्प केंद्रों की स्थापना किए जाने की जरूरत है। बुनकरों तथा हथकरघा क्षेत्र में लगे अन्य लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए अपारेल पार्क स्थापित किया जाना है।

(ख) श्री रईस अहमद, चेयर मैन, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने बताया कि आरक्षण की पहल भारत सरकार द्वारा की जानी चाहिए और पूरे पर्वतीय क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

15. विचारार्थ विषय से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणियां

(i) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के बीच पिछड़े वर्गों के निर्धारण और पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए सुझाए गए मानदंड़;

परंपरागत पेशे, भूमिहीन, कच्ची मकान, जातियां, बाल-विवाह, बाल-श्रम।

पुरुषों-स्त्रियों की साक्षता दूर को मानदंड बनाया गया है।

(ii) नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के संबंध में नवोन्नत वर्ग/स्तर (क्रीमी लेअर) की अवधारणा राज्य सरकार का मत है कि नवोन्नत वर्ग की अवधारणा अनुसूचित जातियों पर भी लागू होनी चाहिए तथा गरीबी रेखा से नीचे के सभी लोगों को शमिल किया जाना चाहिए।

(iii) ईसाई/इस्लाम धर्म में धर्मांतरण करने वालों को अनुसूचित जातियों का दर्जा प्रदान करना:

अल्पसंख्यक कल्याण अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार जिन दलितों ने धर्मांतरण करके इस्लाम और ईसाई धर्म अपना लिया है, उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए। क्योंकि धर्म परिवर्तन करने से उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है और वे उन्हीं कर्मकांडों को करते आ रहे हैं; जिन्हें वे धर्मातरण से पूर्व कर रहे थे।

16. विभिन्न मुद्दों पर सामुदायिक प्रतिनिधियों, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य भागीदारों की टिप्पणियां:

(i) परिवर्तन विकास संस्थान, रूद्रपुर के सचिव ने कहा कि मुसलमान काफी हद तक शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि भारत सरकार को मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यमों अल्पसंख्यकों शिक्षण संस्थाओं को सहायता देनी चाहिए।

(ii) जहां तक नौकरियों में मुसलमानों की भागीदारी का सवाल है, सिविल सेवाओं में उनकी भागीदारी घटी है। मुसलमानों को भी वही सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों को उपलब्ध हैं।

(iii) कमज़ोर वर्गों विशेषकर अल्पसख्यकों में जागरुकता की कमी है और वे नहीं जानते कि उनके कल्याण के लिए कौन से विशेष कार्यक्रम और सुविधाएं उपलब्ध है। इसलिए गैर-सरकारी संगठनों तथा मदरसों सहित शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से समुचित प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।

(iv) गौनसार क्षेत्र के मुसलमानों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए।

(v) गैर–सरकारी संगठनों को कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में शामिल करने से पूर्व उनकी साख की जांच कर लेनी चाहिए। सरकार को कल्याणकारी योजनाएं विभागीय संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित करनी चाहिए।

अनुलग्नक 8.25

पश्चिम बंगाल राज्य के दौरे पर रिपोर्ट का सार

1.	राज्य का नाम	पश्चिम बंगाल
2.	दौरे की तारीख	9—11 नवम्बर, 2005
3.	राज्य का दौरा करने वाले आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों का ब्यौरा	(i) न्यायमूर्ति रंग नाथ मिश्र, अध्यक्ष (ii) श्रीमती आशादास, सदस्य सचिव
4.	मान्यता प्राप्त धार्मिक समुदाय जिन्हें राज्य द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया गया है।	मुसलमान, सिख, ईसाई बौद्ध और पारसी

5. राज्य का संक्षिप्त जनाकिकी विवरण:

		सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या	लाख में	801.7	581.0	202.4	5.1	0.6	2.4	0.6	नगण्य	—
	प्रतिशतता में%	100.0	72.47	25.25	0.6	0.1	0.03	0.1	नगण्य	1.1
लिंग अनुपात	हजार में से	934	932	933	1002	807	981	929		985

* (2001 जनगणना)

6. अल्पसंख्यकों के विकास के लिए राज्य का प्रशासनिक ढांचा

(i) इस संबंध में स्वतंत्र विभाग है, जिसका नाम अल्प संख्यक विकास और कल्याण विभाग है। भाषायी अल्पसंख्यक मुद्दे को भी यही विभाग देख रहा है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले राज्य स्तरीय सलाह कार समिति भी ध्यान रख रही है।

(ii) राज्य अल्पसंख्यक और वित्त निगम की भी स्थापना की गई है;

(iii) पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (डब्ल्यू बी एम डी एफ सी) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम चला रहा है।

(iv) अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ विकास और वित्त निगम, पश्चिम बंगाल अल्प संस्थागत ढांचा:

अन्य संगठन

(i) अल्पसंख्यक आयोग

(क) पश्चिम बंगाल में 1996 के अधिनियम के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया है।

(ii) वक्फ बोर्ड/वक्फ ट्रिब्यूनल/हज कमेटी

(क) ये संस्थान यहां पर हैं।

(ख)राज्य में वक्फ की लगभग 100 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति है। मुख्य समस्या अतिक्रमण की है।

7. शैक्षिक स्थिति:

(i) साक्षरता की दर:*

साक्षरता की दर (प्रतिशत) में	व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
	योग	68.6	72.4	57.5	69.7	87.2	74.7	92.8	–	51.5
	महिला	59.6	63.1	49.8	62.3	82.0	66.2	88.9	–	34.2

* (2001 जनगणना)

(क) सभी धर्मों के पुरुषों की साक्षरता दर 77 प्रतिशत है जबकि अल्पसंख्यकों में यही साक्षरता दर 80 प्रतिशत है। सभी धर्मों की स्त्रियों की साक्षरता दर 59.65 प्रतिशत है जबकि अल्पसंख्यकों में यही दर 65 प्रतिशत है।

(ख) राज्य में पहली से नौवीं कक्षा तक स्कूल छोड़ने वालों की संख्या बहुत ज्यादा (78.74 प्रतिशत) है जबकि राष्ट्रीय औसत 62.58 प्रतिशत है।

(ग) राज्य में स्कूलों की संख्या 801, नेपाली स्कूलों की संख्या 775; उर्दू स्कूलों की संख्या 219, तेलगू स्कूलों की संख्या 18 तथा उड़िया स्कूलों की संख्या 14 है जिनमें लगभग 1.25 लाख छात्रों को प्रवेश दिया गया है तथा 2862 अध्यापकों की भर्ती की गई है।

(घ) जाति वंश और पंथ का भेदभाव किए बिना सभी छात्रों के लिए सर्वशिक्षा अभियान चलाया गया है।

(ङ) पश्चिम बंगाल में उर्दू और हिंदी अकादमियां कार्य कर रही हैं।

(ii) मदरसा शिक्षा

(क) राज्य में एक मदरसा बोर्ड है। 508 मदरसे इस बोर्ड से संबद्ध हैं।

(ख) मदरसों में सामान्य स्कूलों की पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम ही अपनाया जाता है; तथापि, कुछेक मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा ही दी जाती हैं।

(ग) 527 मदरसों को राज्य सरकार ने आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की हैं।

(घ) गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वालों की आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में 31.85 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 14.86 प्रतिशत है।

(ङ) अल्पसंख्यकों को अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण–पत्र बनवाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

(च) मुस्लिम लड़कियों के छात्रावासों का प्रबंधन असंतोषजनक है।

(छ) मदरसा पाठ्य चर्चा में आधुनिक शिक्षा को शामिल किया जा सकता है और छोटे मदरसों को बड़े मदरसों में उन्नत किया जा सकता है।

(ज) उर्दू को दूसरी भाषा घोषित किया जा सकता है।

(झ) राज्य सरकार गरीब और प्रतिभाशाली मुस्लिम छात्रों को उच्च शिक्षा पाने के उद्देश्य से 1200/– से 2400/– रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है।

(ञ) राज्य सरकार ने जिलों में आठ मुस्लिम कन्या छात्रावासों की स्थापना उन छात्राओं के लिए की है जो दूर दराज के इलाकों से आती हैं और उन्हें आवास की समस्या के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई आती है। इस प्रकार और भी छात्रावास स्थापित करने की संभावना है।

8. स्वास्थ्य संबंधी स्थिति:

(i)

जन्म दर (%)	मृत्यु दर (%)	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 शिशु जीवित)	राज्य में एलोपैथिक अस्पतालों और बिस्तरों की संख्या (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित)		राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या
			अस्पताल	बिस्तर	
20.3	6.6	46	642	58516	1173

स्रोत: भारत की स्वास्थ्य सूचना, 2005
प्रकाशन: केंद्रीय स्वास्थ्य आसूचना डी जी एच एस
सीएचसी: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

(ii) राज्य सरकार जलापूर्ति क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

(iii) मां शिशु की भी देखभाल की जा रही है।

(iv) राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग धार्मिक और अल्प संख्यक समुदायों के लिए कोई योजना नहीं चला रहा और न ही इस संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध हैं।

9. आर्थिक स्थिति*

(क) कार्य भागीदारी दर* (प्रतिशत में)

व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
पुरुष	54.0	55.3	50.5	48.6	54.8	45.0	56.5	–	55.7
महिला	18.3	19.2	14.0	29.2	7.6	25.8	7.5	–	50.4

*(2001 की जनगणना)

(ख) व्यावसायिक वर्गीकरण (प्रतिशत):*

नाम	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
किसान	19.2	18.6	20.3	15.3	2.8	21.1	7.8	–	32.0
कृषि मजदूर	25.0	24.0	26.6	19.9	4.4	9.2	5.4	–	52.9
घरेलू उद्योग	7.4	5.9	12.6	2.1	1.6	2.9	1.0	–	4.5
अन्य कामगार	48.4	51.4	40.5	62.7	91.2	66.8	85.8	–	10.6

* (2001 की जनगणना)

(ग) गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वालों की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में 31.85 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 14.86 प्रतिशत हैं।

(घ) मुसलमान कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों की आवश्यकता है।

(ङ) डब्ल्यू बी एम डी एफ सी की योजनाएं और कार्यक्रम, जरूरत मंद अल्पसंख्यकों तक नहीं पहुंच पा रहे है।

(च) जागरूकता की कमी के मद्देनजर सिख समुदाय विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रहा है।

10. मौजूदा आरक्षण नीति:

राज्य द्वारा इस नीति का पालन किया जा रहा है। तथापि पात्र व्यक्तियों की अनुपलब्धता के चलते अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰/अ॰पि॰व॰ के लिए आरक्षित पदों को भरा नहीं जा सकता है।

11. अन्य पिछड़े वर्गों (ओ॰बी॰सी॰) की पहचान के लिए मौजूदा मानदंड:

(क) राज्य सरकार का मत है कि नवोन्नत स्तर 'क्रीमी लेयर' को समाप्त करने के लिए बीपीएल मानदंड नहीं है।

(ख) लाभार्थी का चुनाव करते समय यह देखा जाता है कि वह गरीबों में भी सबसे गरीब हो।

12. राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही विकास योजनाएं/कार्यक्रम।

(i) सरकारी स्तर:

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास और वित्त निगम इन वर्गों के लाभार्थियों के लिए परिवारोन्मुखी विकास कार्यक्रम चला रहा है। अनु॰ जाति के संबंध के विशेष घटक योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता तथा जनजातीय उपयोजना के संबंध में विशेष केंद्रीय सहायता के लिए लाभार्थी का गरीबी रेखा से नीचे होना अनिवार्य है।

(ख) राज्य सरकार ने मुसलमानों और ईसाईयों के कब्रिस्तानों के चारों तरफ चारदीवारी खड़ी करने की योजना चलाई है ताकि ऐसी भूमि पर अतिक्रमण अथवा उसका दुरुपयोग न हो सके

(ग) अनु॰ जाति/अनु॰ जन जाति/अन्य पिछड़े वर्गों के आर्थिक सशक्तीकरण की योजनाएं हैं।

(घ) डब्ल्यू बी एम डी एफ सी (पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम) के मध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(ङ) बच्चों के पोषण की जरूरतों के संबंध में अध्ययन किए जाते हैं। विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि वे बाल विवाह दहेज प्रथा और देह व्यापार के संबंध में अध्ययन करें।

(ii) बैंकों से संबंधित सूचना

(क) पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से अल्पसंख्यकों को भी ऋण देना शुरु कर दिया है।

(i) अक्तूबर 2005 तक राज्य में 30647 लाभार्थियों को 11551.99 लाख रुपए की राशि वितरित की जा चुकी थी।

(ii) अनौपचारिक रूप से सूचना दी गई कि लाभार्थियों से 60.27 प्रतिशत की वसूली कर ली गई है।

(iii) वर्ष 2005-06 के दौरान एन एम डी एफ सी द्वारा डब्ल्यू बी एम डी एफ सी को 480 उम्मीदवारों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए।

13. भाषायी अल्पसंख्यक :

(i) राज्य की राजभाषा	बंगला, अंग्रेजी, नेपाली क्षेत्रीय राजभाषा (केवल दार्जिलिंग जिले में)
(ii) राज्य में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं	हिन्दी, उर्दू, उड़िया और तेलुगु।

14. आयोग के साथ बातचीत के दौरान राज्यपाल/मुख्यमंत्री द्वारा की गई टिप्पणी :

आयोग ने राज्य के राज्यपाल श्री गोपाल कृष्ण गांधी तथा मुख्यमंत्री श्री बुद्ध देव भट्टाचार्य को बुलाया। मुख्यमंत्री द्वारा की गई टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

(i) मुख्य समस्या गरीबी की है।

(ii) अधिकांश मुसलमान बहुत गरीब हैं (50 प्रतिशत)

(iii) शैक्षणिक संस्थाओं में मुसलमानों की संख्या बहुत कम है।

(iv) अनु. जाति/अनु. जनजाति वर्गों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लेकिन मुसलमान लाभ उठाने में असमर्थ है क्योंकि उन्हें ऐसी योजनाओं की जानकारी नहीं होती।

(v) राज्य के 508 मदरसे मदरसा बोर्ड से संबद्ध हैं। वे सामान्य स्कूलों की पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम को अपनाते हैं। कुछ मदरसे ऐसे हैं जहां केवल धार्मिक शिक्षा ही दी जाती है।

(vi) मुस्लिम समुदाय ने मदरसा शिक्षा संबंधी किदवई रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है।

15. विचारार्थ विषयों से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणी :

(i) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के बीच पिछड़े वर्गों के निर्धारण के लिए सुझाए गए मानदंडों तथा पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए गरीबी रेखा की अवधारणा को अपनाया जाता है।

राज्य सरकार का मत है कि एन सी आर एल एम के विचारार्थ विषय जटिल हैं। तथापि कुछ सामुदायिक प्रतिनिधियों का मानना है कि पंथ, जाति अथवा वंश के बजाय आर्थिक स्थिति को मानदंड बनाया जाना चाहिए।

(ii) नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण के लिए नवोन्नत स्तर (क्रीमी लेअर) की संकल्पना:

राज्य सरकार का मत है कि प्रत्येक वर्ग में नवोन्नत स्तर (क्रीमीलेयर) मौजूद है। जहां तक राज्य का संबंध है उन्होंने किसी भी नवोन्नत स्तर (क्रीमी लेयर) का लोप नहीं किया है। ऐसा करने के लिए बी पी एल कोई मानदंड नहीं है।

(iii) ईसाई/इस्लाम धर्म में धर्मांतरण करने वालों को अनुसूचित जातियों का दर्जा प्रदान करना :

ईसाईयों का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर सरकारी संगठन ने दलित ईसाइयों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल करने पर विरोध प्रकट किया है।

16. विभिन्न मुद्दों पर सामुदायिक प्रतिनिधियों, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य भागीदारों की टिप्पणियां :

(i) वक्फ संपत्ति का विकास बहुत जरूरी है परन्तु निधि के अभाव में उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण प्रमुख समस्या है।

(ii) शिक्षा और रोजगार में अल्पसंख्यकों को अनु. जाति/अनु. जनजाति की भांति आरक्षण दिए जाने की जरूरत है।

(iii) भर्ती बोर्डों/चयन समितियों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएं।

(iv) मीडिया को सभी सूचनाएं दी जानी चाहिए ताकि वे अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए अधिकतम प्रचार प्रसार कर सकें।

(v) बेहतर कार्यान्वयन के लिए अल्पसंख्यकों संबंधी सभी योजनाओं की नियामित आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए।

(vi) धार्मिक उत्सवों के दौरान सिखों को ले जाने वाली बसों पर लगने वाली चुंगी माफ होनी चाहिए

(vii) बुद्ध पूर्णिमा को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए और स्कूलों में पाली-भाषा को वैकल्पिक भाषा का दर्जा दिया जाए।

(viii) कोलकाता की एर्जा स्ट्रीट स्थित पारसी अग्नि मंदिर को अतिक्रमणों से बचाया जाए।

(ix) मुसलमानों और ईसाईयों में जो लोग पिछड़े हुए हैं उनका समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष उत्थान किया जाए।

(x) अल्पसंख्यकों को अन्य पिछड़े वर्गों का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता हैं

17. एन सी आर एल एम की टिप्पणिया:

(i) आयोग ने स्पष्ट किया कि अल्प संख्यकों द्वारा कोई संस्था बनाने पर प्रतिबंध नहीं है। समस्या है, तो केवल धन की है। केरल का मॉडल अपनाया जा सकता है, जहां शिक्षार्थी धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ सामान्य शिक्षा भी प्राप्त करने में सक्षम हैं।

(ii) डब्ल्यू बी एम डी एफ सी को राज्य के विभिन्न आंतरिक स्थलों का दौरा करके मौजूदा सीमाओं के भीतर लाभार्थियों की पहचान करने के प्रयास करने चाहिए। यदि इस समूह के व्यक्तियों की पहचान कर ली जाती है, तो वे वास्तविक लाभार्थी होंगे। समाचारों और पुस्तिकाओं के माध्यम से निगम कार्यक्रमों का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए।

(iii) राज्य अल्प संख्यक निगम को बैंकों से आवास ऋण प्राप्त करने में लाभार्थियों की मदद करनी चाहिए।

अनुलग्नक 8.26

संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रिपोर्ट का सार

1. संघ राज्य क्षेत्र का नाम — अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
2. दौरे की तारीख — 12–14 अप्रैल; 2006
3. संघ राज्य क्षेत्र का दौरा करने वाले आयोग के अध्यक्ष/ सदस्यों का ब्यौरा — (i) डा॰ अनिल विल्सन, सदस्य
   (ii) डा॰ मोहिंदर सिंह, सदस्य
   (iii) श्रीमती आशा दास, सदस्य सचिव
4. राज्य द्वारा अल्प संख्यक समुदाय के रूप में मान्य धार्मिक समुदाय — कोई नहीं
5. राज्य के जनसांख्यिकीय स्वरुप का संक्षिप्त विवरण**

		सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या	लाख में	3.5	2.4	0.3	0.8	1587*	421*	23*	1*	238*
	प्रतिशतता में	100.0	69.2	8.2	21.7	0.4	0.1	नगण्य	नगण्य	नगण्य
लिंग अनुपात	1000में से	846	828	860	904	818	358	917	–	859

* (सुनिश्चित संख्या)
**(2001 जनगणना)

6. अल्पसंख्यकों के विकास के लिए राज्य का प्रशासनिक ढांचा:

अन्य संस्थागत संगठन:

(i) अल्पसंख्यक आयोग–कोई अल्पसंख्यक आयोग नहीं

(ii) वक्फ बोर्ड/ वक्फ ट्रिब्यूनल/हज कमेटी

(क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वक्फ बोर्ड तथा हज समिति का गठन किया गया है।

भाषा अकादमी

हिंदी साहित्य कला अकादमी है।

7. शैक्षिक स्थिति*:

(i) साक्षरता दर:

साक्षरता दर प्रतिशत में	व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
	योग	81.3	81.7	89.8	77.0	94.1	91.4	100.0	–	87.1
	महिला	75.2	75.1	86.8	71.6	90.7	83.0	100.0	–	81.1

*(2001 की जनगणना)

(ii) कक्षा 1–X के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्कूल छोड़ने वालों की दर 51.35 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय दर 62.58 प्रतिशत है।

(iii) इस संघ राज्य क्षेत्र में अंग्रेजी, हिंदी बंगला तमिल तथा तेलुगु आदि पांच माध्यमों से शिक्षा दी जाती है क्योंकि जिस स्थान पर बच्चे जिस भाषा को प्राथमिकता देते हैं उसी माध्यम से उन्हें पढ़ाया जाता है। स्कूलों में एक एडवांस रजिस्टर रखा जाता है ताकि उस स्थान विशेष के बच्चों के लिए माध्यम की प्राथमिकता का पता चल जाए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कक्षा 1– XII तक अंग्रेजी अनिवार्य है।

(iv) संघ राज्य क्षेत्र के सभी स्कूल सीबीएसई से संबद्ध हैं।

(v) मुस्लिम बहुल इलाकों में उर्दू के अध्यापकों की और मांग हैं

(vi) मदरसा शिक्षा

(vii) वक्फ संपत्ति की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार अंडमान जिले में 4 मदरसों की पहचान की गई है।

(viii) एक हिंदी साहित्य कला अकादमी हैं

8. स्वास्थ्य स्थिति

(i)

जन्मदर प्रतिशत	मृत्युदर प्रतिशत	राज्य में एलोपैथिक अस्पतालों तथा बिस्तरों (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित) की संख्या		राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या
		अस्पताल	बिस्तर	
17.1	5.6	8	897	20

स्रोत: स्वास्थ्य सूचना, भारत, 2005
प्रकाशक: केंद्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, डी जी एच एस
सी एच सी; सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

(ii) इस संघ राज्य क्षेत्र में द्वीपों के छुटपुट होने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति खराब है तथा मुख्य भूमि और द्वीप समूह के बीच मुश्किल से ही कोई संपर्क हो पाता है। जनजातीय लोग किसी भी प्रकार की चिकित्सा सहायता के प्रति उदासीन रहते हैं। उनका व्यवहार अक्सर निराशाजनक ही रहता है। हालांकि जाखास जैसी कुछेक जन जातियों ने चिकित्सा सहायता लेनी शुरू कर दी है।

(iii) पवनहंस हेलीकोप्टर सेवा में केवल एक हेलीकोप्टर है और जरूरत पड़ने पर मुश्किल से ही चिकित्सा सहायता के समय उपलब्ध हो पाता हैं।

9. आर्थिक स्थिति:*

(क) कार्यभागीदारी दर: (प्रतिशत में)

व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
पुरुष	56.6	57.5	53.8	54.8	51.9	26.1	58.3	–	58.6
महिला	16.6	14.6	12.1	24.3	14.0	15.3	–	–	16.4

*(जनगणना 2001)

(ख) व्यावसायिक वर्गीकरण (प्रतिशत में)*

नाम	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
किसान	15.8	17.9	3.0	13.9	8.1	9.2	–	–	7.5
कृषि मजदूर	3.8	4.5	1.4	2.6	1.3	1.0	–	–	1.1
कुटीर उद्योग	5.2	0.9	3.1	18.8	0.9	4.1	–	–	3.2
अन्य कामगार	75.3	76.7	92.5	64.7	89.7	85.7	100	–	88.2

* (जनगणना 2001)

(ग) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर के 26.10 प्रतिशत की तुलना में 21 प्रतिशत है।

(घ) लोग अब नारियल और काजू जैसी विभिन्न नई नई फसलों को अपना रहे हैं। कुशल जनशक्ति और सामग्री इस संघ राज्य क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है बाहर से आती है।

(ङ) व्यक्ति की आय का मानदंड बीपीएल होना चाहिए।

10. मौजूदा आरक्षण नीति:

(क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अधिसूचित अनुसूचित जाति नहीं है। लेकिन अधिसूचित अनुसूचित जनजाति हैं। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण है।

11. अन्य पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए मौजूदा मानदंड:

(क) इस प्रयोजन के लिए सामाजिक-आर्थिक मानदंडों पर विचार किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र का मत है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मामले में अन्य पिछड़े वर्ग के संबंध मे राष्ट्रीय मानदंडों को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि इस द्वीप की अपनी विशेषताएं हैं।

12. संघ राज्य क्षेत्र द्वारा लागू की जा रही विकास योजनाएं/कार्यक्रम

(i) सरकारी स्तर:

(क) वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई है। वक्फ संपत्ति की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार अंडमान जिले में 4 मदरसों की पहचान की गई है। वक्फ बोर्ड के कार्यकलापों में वक्फ की पहचान करना, सर्वेक्षण आयुक्त से रिपोर्ट प्राप्त होने पर वक्फों की सूची को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के राजपत्र में प्रकाशित करना, किसी भी उस विवाद का निपटारा करना, प्रश्न चिह्न लगाना, जिसका संबंध वक्फ की संपत्ति से है, वक्फों तथा वक्फ की संपत्तियों के सर्वेक्षण में सरकारी अधिकारियों की मदद करना शामिल है। अंडमान निकोबार द्वीपसमूह वक्फ बोर्ड को अनुदान सहायता दी जाती है ताकि वह अपने प्रशासनिक और दैनिक कार्यकलापों पर आने वाले खर्च पूरे कर सकें।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम (आईडीसी) पर्यटन, मत्स्यन, उद्योगों तथा औद्योगिक वित्तपन के क्षेत्र में विभिन्न कार्यकलाप करता है।

(ग) अंडमान और निकोबार बहुविधि पुनर्वास केंद्र शारीरिक तथा मानसिक विकलांग बच्चों के पुनर्वास के लिए विभिन्न गतिविधियां चला रहा है। यह केंद्र एक पोलीटेक्निक चला रहा है जहां छात्रावास की सुविधा के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(घ) प्रणव कन्या संघ अनाथ बच्चों के लिए आश्रम चलाता है, जहां बच्चों को जीवनयापन के हुनर सिखाने के लिए शिक्षा और विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ङ) करियन युवा संगठन पर्यावरण संरक्षण की योजनाओं में भागीदारी करता है। उन्होंने सुनामी के पश्चात् चार स्कूलों की जिम्मेदारी उठाई है तथा 5000 से अधिक सुनामी पीड़ितों की मदद की है।

(च) रामकृष्ण मिशन, रांची सेवा संघ तथा अल-अमीन एजुकेशन सोयायटी भी शिक्षा के कुछेक क्षेत्रों, कंप्यूटर, व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रौढ़ शिक्षा, जागरूकता कार्यक्रमों तथा बेरोजगार युवाओं के लिए परामर्श आदि देने का कार्य कर रही है।

(ii) बैंको से संबंधित सूचना:

(क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अग्रणी बैंक भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक ने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वालों तथा महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए, कई योजनाएं हैं।

(ख) ऋण प्राप्तकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अभिनिर्धारण के लिए एक संचालन समिति है।

13. भाषायी अल्पसंख्यक:

किसी भी समुदाय को धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

(i) राज्य की राजभाषा	:	हिंदी, अंग्रेजी
(ii) राज्य में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं	:	तमिल, तेलुगु, बंगला, निकोबारी, मलयालम, उर्दू।

14. आयोग के समाने मुख्य सचिव और अन्य सरकारी कार्यकारी अधिकारियों की टिप्पणियां:

(क) अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव ने संघ राज्य क्षेत्र के सामने आ रही विभिन्न समस्याओं का उल्लेख किया जैसे कि शिक्षा, संचार के साधनों, परिवहन, स्वास्थ्य सेवाओं, आवास का अभाव, बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता, सरकारी नौकरियों पर पूर्ण निर्भरता, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण वाणिज्यिक व्यापार का लगभग ठप्प हो जाना, जल की समस्या, सुनामी आपदा के बाद पुनर्वास तथा पर्यावरण संबंधी समस्याएं।

(ख) इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया कि संबंधित श्रेणियों को आरक्षण प्रदान करने के संबंध में कोई भी निर्णय लेते समय संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न भागों की विभिन्नता पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।

(ग) आदिवासी जनजातियों का संरक्षण सुनिश्चित होना चाहिए।

(घ) इस बात को जोर देकर बताया गया कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में लड़के-लड़की के बीच किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

15. विचारार्थ विषयों से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणियां:

(i) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के बीच पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने के लिए सुझाए गए मानदंड और पिछड़ेपन का निर्धारण करने लिए गरीबी रेखा की अवधारणा, पंथ आधारित नही होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति को भी एक घटक के रूप में देखा जाना चाहिए।

(ii) नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की संकल्पना

सामाजिक–आर्थिक मानदंडों पर विचार किया जाना चाहिए।

(iii) ईसाई/इस्लाम धर्म में धर्मातरण करने वालों को अनुसूचित जातियों का दर्जा प्रदान करना।

(क) अधिकांश ने पंथ आधारित आरक्षण का विरोध किया है। यह बताया गया कि यह सामाजिक–आर्थिक मानदंडों पर आधारित होना चाहिए। तथापि, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कैथोलिक एसोसिएशन ने ईसाई/इस्लाम में धर्मातंरितों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने का पक्ष लिया।

16. विभिन्न मुद्दों पर सामुदायिक प्रतिनिधियों, गैर–सरकारी संगठनों तथा अन्य भागीदारों की टिप्पणियां:

(क) आरक्षण पंथ आधारित नहीं होना चाहिए।

(ख) विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का लाभ मूल लाभार्थियों तथा समाज के वंचित वर्गों को नहीं मिल पा रहा है।

(ग) अंडमान जिले के लगभग 3300 व्यक्ति कडिपन समुदाय के है, जिन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए।

(घ) बीपीएल संबंधी मानदंड की पुनरीक्षा की जानी चाहिए।

(ङ) बीपीएल का उचित निर्धारण नही किया गया है और इसके मानीटरन के लिए किसी समिति का गठन किया जाना चाहिए।

(च) निर्धनतम लोगों के लिए बनाए गए विभिन्न कल्याणकारी उपायों की निगरानी के लिए चुने गए प्रतिनिधियों और समाज के प्रतिष्ठित लोगों की एक समिति का गठन किया जाना चाहिए।

(छ) वक्फ की संपत्ति पर अतिक्रमण के मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिए और आर्थिक संरक्षण प्रदान करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए।

(ज) प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब ईसाई लाभार्थियों को नहीं मिल पा रहा है।

(झ) स्थानीय स्व वित्त अल्पसंख्यक संस्थाओं में शर्तों में छूट पर विचार किया जाना चाहिए ताकि उन्हें अधिकतम लाभ मिल सके।

(ञ) बंगला समुदाय के प्रतिनिधियों का कहना था कि हालांकि उन्हें अन्य पिछड़े वर्गों का दर्जा प्राप्त है, परंतु उन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि वे निम्न जाति से संबंध रखते हैं।

(ट) रांची जनजातीय एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग की।

(ठ) गुरुद्वारा समिति के प्रतिनिधियों ने सिखों को अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी में शामिल नहीं किए जाने पर खेद व्यक्त किया।

(ड) विधवाओं को मिलने वाली पेंशन समय पर मिलनी चाहिए और पेंशन स्वीकृति के मानदंड को तर्क संगत बनाया जाना चाहिए ताकि गरीब और हकदार विधवाओं को लाभ मिल सके।

17. एनसीआरएलएम की टिप्पणियां:

(i) जनजातियों की पृथक अस्मिता के संरक्षण के लिए आयोग का मत है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों और संवैधानिक प्रावधानों का पूर्ण सम्मान करते हुए ऐसी जनजातियों को सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर के नाम पर ऐसे लाभ और अवसरों से वंचित नहीं रखना चाहिए जो भौतिक रूप से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति और विकास के लिए अन्य नागरिकों को उपलब्ध हैं। विकास प्रक्रिया में समान भागीदारी और मुख्यधारा में शामिल करने के लिए उन्हें सुविधाएं और अवसर भी दिए जाने चाहिए।

अनुलग्नक 8.27

दिल्ली राज्य के दौरे की रिपोर्ट का सार

1. राज्य का नाम : दिल्ली

2. दौरे की तारीख : 5 मई, 2006

3. राज्य का दौरा करने वाले आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों का ब्यौरा
   (i) न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र, अध्यक्ष
   (ii) प्रोफेसर डा॰ ताहिर महमूद सदस्य
   (iii) डा॰ अनिल विल्सन, सदस्य
   (iv) डा॰ मोहिंदर सिंह, सदस्य
   (v) श्रीमती आशा दास, सदस्य सचिव

4. राज्य द्वारा अल्पसंख्यक रूप में मान्यता प्राप्त धार्मिक समुदाय : मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी

5. राज्य के जनसांख्यिकीय स्वरूप का संक्षिप्त विवरण**

		सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
राज्य की कुल जलसंख्या	लाख में	138.5	113.6	16.2	1.3	5.6	0.2	1.6	*202	0-02
	प्रतिशत में (%)	100	82.0	11.7	0.9	4.0	0.2	1.1	नगण्य	नगण्य
लिंग अनुपात	एक हजार में से	821	817	782	1076	925	829	*935	-	871

*(सुनिश्चित संख्या)
**(2001 जनगणना)

6. अल्पसंख्यकों के विकास के लिए राज्य का प्रशासनिक ढांचा:

(i) अनु॰ जाति/अनु॰जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक विभाग हैं।

(ii) 1999 के अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई है।

अन्य संस्थागत संगठन

(i) अनु.जाति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग

(ii) दिल्ली वक्फ बोर्ड

(iii) दिल्ली हज कमेटी

(iv) उर्दू अकादमी

(v) पंजाबी अकादमी

(vi) सिंधी अकादमी

(vii) दिल्ली अनु.जाति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम

7. शैक्षिक स्थिति:

(i) साक्षरता दर*:

साक्षरता दर (प्रतिशत मे)	व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
	योग	81.7	82.8	66.6	94.0	92.1	83.8	96.8	–	88.8
	महिला	74.7	75.4	59.1	91.7	89.1	75.6	95.1	–	86.5

*(जनगणना 2001)

(ii) कक्षा I-X में स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर राष्ट्रीय औसत 62.58 प्रतिशत की तुलना में 47.19 प्रतिशत (लड़के–44.88 प्रतिशत तथा लड़कियां 49.59 प्रतिशत) है।

(iii) मदरसा शिक्षा

(i) कोई मदरसा बोर्ड नहीं है। लगभग 1000 मदरसे हैं और लगभग 150 मदरसों का मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना के अंतर्गत आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

(ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में स्कूल जाने वाले 30 लाख बच्चों में से 20 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते है, जिनमें से अधिकांश निर्धन वर्ग के हैं।

(iii) जिन अल्पसंख्यक परिवारों की आय 48000/– प्रतिवर्ष तक है उनके बच्चे नि:शुल्क शिक्षा, किताबें और वर्दी पाने के पात्र हैं।

(iv) आरंभिक आरक्षण होने के बावजूद, मदरसे आधुनिकीकरण का विकल्प अपना रहे हैं।

(v) शिक्षा विभाग, झुग्गी झोपड़ियों से आने वाले बच्चों, बेसहारा बच्चों और अशक्त बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। एम आई प्रणाली के माध्यम से उत्तम शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है और सभी बच्चों को स्कूल में लाने के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जा रहा है।

8. स्वास्थ्य की स्थिति:

(i)

जन्मदर (प्रतिशत में)	मृत्युदर (प्रतिशत में)	एलोपैथिक अस्पतालों तथा बिस्तरों की संख्या (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित)		राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या
		अस्पताल	बिस्तर	
17.3	5.0	105	20368	8

स्रोत: स्वास्थ्य सूचना भारत 2005

प्रकाशन केंद्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, डीजीएचएस

सीएचसी: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

(ii) नई योजना के अनुसार सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाली लडकियों को 5000/– रुपए दिए जाएंगे जिस पर दसवीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण करने के दौरान ब्याज भी मिलेगा।

(iii) शारीरिक विकलांग और वृद्धों को दी जा रही सहायता राशि को बढ़ाकर क्रमश: 350 रुपए और 400 रूपए प्रतिमाह कर दिया गया है।

9. आर्थिक स्थिति:

(क) कार्य भागीदारी दर:*

(प्रतिशत में)

व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
पुरुष	52.1	52.1	51.3	54.1	52.0	48.6	54.4	–	57.8
महिला	9.4	9.7	4.8	36.3	9.1	12.2	6.3	–	25.5

*(जनगणना 2001)

(ख) व्यावसायिक वर्गीकरण*

(प्रतिशत में)

नाम	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
किसान	0.8	0.9	0.2	0.1	0.4	0.1	0.1	–	0.4
कृषि मजदूर	0.3	0.4	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1	–	1.1
घरेलू उद्योग	3.1	2.7	6.0	0.6	4.0	2.6	4.9	–	3.4
अन्य कामगार	95.7	96.0	93.5	99.1	95.2	97.3	94.9	–	95.1

*(जनगणना 2001)

(ग) बीपीएल जनसंख्या राष्ट्रीय औसत 26.10 प्रतिशत की तुलना में 8.23 प्रतिशत है।

10. मौजूदा आरक्षण प्रणाली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है। जहां तक अनु.जाति/अन्य पिछड़े वर्ग का संबंध है, राज्य सरकार केंद्रीय सरकार की नीतियों और दिशानिर्देशों का पालन कर रही है।

11. अन्य पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए मौजूदा मानदंड:

केंद्रीय सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है राज्य सरकार का मत है कि जाति, पंथ या भाषा का भेदभाव किए बिना सभी के लिए एक समान आर्थिक मानदंड होना चाहिए।

12. राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विकास योजनाएं/कार्यक्रम:

(i) सरकारी स्तर पर:

(क) निर्धनता समाप्त करने संबंधी विकास योजनाए में सभी वर्गों, क्षेत्रों और बस्तियों को शामिल किया गया है।

(ख) समाज कल्याण विभाग, कमजोर वर्गों विशेषकर झुग्गी झोपड़ियों के धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के कमजोर वर्गों के लिए कार्य कर रहा है।

(ii) बैकों से संबंधित सूचना:

भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधियों ने बताया कि जाति अथवा पंथ आधारित कोई योजना नहीं है। तथापि, अल्पसंख्यकों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्राथमिक क्षेत्र ऋण योजना उपलब्ध है। वित्तीय सहायता का मानदंड आर्थिक स्थिति होना चाहिए। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए दिए गए 30,700/– करोड़ रुपए का 26 प्रतिशत धार्मिक अल्पसंख्यको को दिया गया है।

13. भाषायी अल्पसंख्यक

(i) राज्य की राजभाषा	:	हिंदी, अंग्रेजी
	:	उर्दू तथा पंजाबी दूसरी राजभाषाएं है।

14. आयोग से बातचीत करते समय राज्यपाल, मुख्यमंत्री/अन्य मंत्रियों और सरकारी कार्यकारी अधिकारियों की टिप्पणियी:

(क) मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने टिप्पणी करते हुए कहा कि:

(i) विशाल प्रवासी जनसंख्या और महानगरीय स्वरूप के कारण दिल्ली एक विशेष प्रकार का राज्य है।

(ii) सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों सहित समाज के सभी वर्गों को उचित और निष्पक्ष रूप से लाभ मिले।

(iii) विकास की योजनाओं के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों को शामिल किया गया है।

(iv) पिछड़े वर्गों की पहचान का मानदंड आर्थिक होना चाहिए और जाति, पंथ तथा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी पर एक समान लागू होना चाहिए।

(v) जहां तक ईसाई और इस्लाम धर्म में धर्मांतरण करने वालों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की बात है, तो वे पहले ही अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में लाभ उठा रहे हैं।

(ख) वित्त और शहरी विकास मंत्री, श्री ए के वालिया ने बताया कि:

(i) विधवाओं को एकबारगी 20,000/– रुपए तथा उनकी बेटियों की शादी के लिए 10,000/– रुपए नगद दिए जाने की एक योजना विचाराधीन है।

(ग) मुख्य सचिव, अन्य सरकारी कार्यकारी अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की टिप्पणियां:

(i) मुख्य सचिव, श्री एस रघुनाथन तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि:

(क) गरीबों की पहचान करने का आधार जाति अथवा पंथ न हो कर आय होना चाहिए। और उसे चुने गए प्रतिनिधि अथवा सामुदायिक नेता द्वारा–प्रमाणित किया जाना चाहिए।

(ख) गरीबों की पहचान के लिए बीपीएल एक बेहतर विकल्प हो सकता है।

(ग) हमारा संविधान धर्म के आधार पर विशेष विचार करने की अनुमति प्रदान नहीं करता इसलिए लोगों को जाति अथवा पंथ के नाम पर नहीं बांटा जाना चाहिए।

(घ) हमारा ध्यान जाति, वंश और पंथ के बजाए गरीबी को मिटाने और शिक्षा की व्यवस्था करने पर होना चाहिए।

(ङ) समाज के सभी वर्गों को समान सुविधाएं और अवसर मिलने चाहिए।

(च) दक्षता के उन्नयन और प्रौद्योगिकी के विस्तार से पिछड़ेपन को दूर करने में बहुत मदद मिलेगी।

(छ) स्थानीय मूल निवासियों को अनु॰जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। प्रवासी लोगों के मामले में ऐसे प्रमाणपत्र संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से सत्यापन कराने के पश्चात ही जारी किए जाते हैं।

(ज) अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण प्रत्र प्राप्त करने की पहले वाली प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। अब ऐसा प्रमाण पत्र विधान सभा सदस्य अथवा दिल्ली सरकार के राजपत्रित अधिकारी की सिफारिश पर भी दिया जा सकता है।

(झ) विभिन्न समुदायों के लिए अन्य पिछड़े वर्ग व मानदंड तथा अल्पसंख्यक समुदायों की कुछ श्रेणियों की अन्य पिछड़े वर्ग की सूची के लिए किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

(ञ) अनु॰जाति/अनु॰ जनजाति से भिन्न अल्पसंख्यकों के लिए कोई विशेष घटक योजना नहीं है।

(ट) शैक्षिक विकास के लिए योजना जनसंख्या के सभी घटकों के लिए पूर्णरूप से उपयोगी होगी।

(ठ) अनु॰ जाति/अनु॰ जनजाति से भिन्न मामलों में, अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों के लिए आय सीमा हैं।

(ड) बैंक प्रक्रिया और स्थान की उपलब्धता के हिसाब से ऋण का लेनदेन (ऑफ-टेक) संतोषजनक नहीं है।

(ढ़) आरक्षण का आधार सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़ापन होना चाहिए।

(ण) लाभ समुचित पात्र को मिलना चाहिए और आय का प्रमाण पत्र मात्र शपथ पत्र के आधार पर न देकर परिवारिक स्थिति के उचित सत्यापन करने के पश्चात ही जारी करना चाहिए।

(ii) अन्य गणमान्य व्यक्ति:

(क) लेफ्टीनेंट जनरल, ए एम सेठना, पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग तथा अध्यक्ष दिल्ली पारसी अंजुमन ने अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया कि 25 प्रतिशत पारसी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे है इसलिए उन्हें उन सभी कल्याणकारी उपायों का लाभ मिलना चाहिए जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मिल रहे हैं संसद, विधान सभाओं विशेषकर महाराष्ट्र में पारसियों का समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

(ख) श्री पी एस बावा, सदस्य अल्पसंख्यक आयोग दिल्ली ने उर्दू तथा पंजाबी को दूसरी राजभाषा बनाने के लिए वांछित कायदे कानून नहीं बनाने, स्कूलों में उर्दू तथा पंजाबी के अध्यापकों के उपलब्ध नहीं होने तथा मंत्रियों तक को अनुवादक नहीं मिलने का उल्लेख किया। सरकारी नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रमुख विभागों तथा मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ में भाषा अनुवादक होने चाहिए।

15. विचारार्थ विषयों संबंधी मुद्दों पर टिप्पणियां:

(i) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के बीच पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने के लिए और पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए गरीबी रेखा की संकल्पना के लिए सुझाए गए मानदंड:

राज्य सरकार का मत है कि जाति, वंश अथवा भाषा के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए सभी के लिए एक समान आर्थिक मानदंड होना चाहिए।

(ii) ईसाई/इस्लाम धर्म में धर्मांतरण करने वालों को अनु॰जाति का दर्जा देना।

राज्य सरकार ने विचार व्यक्त किया कि ईसाई अथवा इस्लाम धर्म में धर्मान्तरण करने वाले पहले ही अन्य पिछड़े वर्ग का लाभ ले रहे हैं सामुदायिक नेताओं के प्रतिनिधियों ने विरोधी विचार प्रकट किए।

16. सामुदायिक प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य भागीदारों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर की गई टिप्पणियां:

(i) उर्दू की पाठ्यपुस्तकें समय पर नहीं मिल पाती हैं।

(ii) डाइट में उर्दू के लिए 20 सीटें आरक्षित हैं परंतु कोई स्थायी अध्यापक नहीं है।

(iii) उर्दू बोलने वालों की आधी संख्या आबादी यमुना–पार में होने के कारण यमुना पार में डाइट की एक शाखा खोले जाने की जरूरत है।

(iv) उर्दू/पंजाबी के अध्यापकों की रिक्तियों को समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर भरना चाहिए।

(v) दिल्ली में मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए।

(vi) दिल्ली के सभी विश्वविद्यालयों में गुरु गोविन्द सिंह जी के पंथ की चेयर होनी चाहिए।

(vii) पंजाबी अकादमी में पंजाबी के पूर्णकालिक अध्यापक होने चाहिए।

(viii) अल्पसंख्यक संस्थाओं की स्थापना के लिए अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाईयां आती है।

(ix) सिंधी अकादमी में गैर सिंधी को सचिव और सदस्य नियुक्त करना उचित नहीं है।

(x) डी॰एस॰एफ॰डी॰सी॰ निगम द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी का अभाव है।

(xi) राष्ट्रपति (अ॰जा) आदेश 1950 ईसाईयत और इस्लाम के प्रति भेदभावपूर्ण है।

(xii) मुसलमानों को नौकरियों में 13 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाए।

(xiii) शिक्षा निदेशालय को मदरसों का सर्वेक्षण करना चाहिए।

(xiv) जागरूकता की कमी के चलते और प्रक्रिया के जटिल होने के कारण डी एस एफ डी सी से प्राप्त निधियों का सदुपयोग नहीं हो पाता है।

(xv) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद/दिल्ली नगर निगम की विधिक और प्रक्रियात्मक बाधाओं के कारण, दिल्ली वक्फ बोर्ड विकास योजनाओं का उचित कार्यान्वयन नहीं कर पाता है।

(xvi) एक अलग राज्य अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की स्थापना किए जाने की जरूरत है।

अनुलग्नक 8.28

संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी के दौरे की रिपोर्ट का सार

1. संघ राज्य क्षेत्र का नाम : पुडुचेरी

2. दौरे की तारीख : 3-4 फरवरी, 2006

3. राज्य का दौरा करने वाले आयोग के अध्यक्ष/ सदस्यों का ब्यौरा : (i) डा॰ अनिल विल्सन, सदस्य
(ii) श्रीमती आशादास, सदस्य सचिव

4. राज्य द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता प्राप्त धार्मिक समुदाय:

5. राज्य के जनसांख्यिकीय स्वरूप का संक्षिप्त विवरण**:

		सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
राज्य/संघ	लाख में	9.8	8.5	0.6	0.7	108*	73*	952*	11*	158*
राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या	प्रतिशतता में (%)	100	86.8	6.1	6.9	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य
लिंग अनुपात	एक हजार में से	1001	987	1097	1101	543	780	900	-	904

*पूर्ण संख्या
** जनगणना, 2001

6. अल्पसंख्यकों के विकास के लिए राज्य के प्रशासनिक संगठन:

(क) समाज कल्याण विभाग के एक मंत्री हैं

(ख) पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने पिछड़े वर्गों के लिए आयोग का गठन किया है।

(ग) वर्ष 1999 में पुडुचेरी पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी।

(घ) वक्फ अधिनियम, 1955 के अंतर्गत वर्ष 2002 में पुडुचेरी राज्य वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई थी।

7. शैक्षिक स्थिति:

(i) साक्षरता दर:*

साक्षरता की दर प्रतिशत में	व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
	योग	81.2	80.3	87.8	87.3	90.9	92.8	96.3	-	92.8
	महिला	73.9	72.5	82.6	82.9	78.1	93.3	93.6	-	86.4

*(2001 की जनगणना)

(ii) स्कूल छोड़ने वालों की दर 62.58 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में 21.69 प्रतिशत है।

(iii) मदरसा शिक्षा

(क) संघ राज्य क्षेत्र में छह मदरसे हैं। यहां धार्मिक शिक्षा दी जाती हैं। तथापि, तीन मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ औपचारिक शिक्षा भी दी जाती हैं। ये मदरसे राज्य शिक्षा बोर्ड की पाठ्यचर्या अपनाते हैं।

(ख) 84 धार्मिक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है जिनमें से 2 सरकारी, 26 सहायता प्राप्त तथा 56 निजी हैं।

(ग) 5 अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान भी हैं।

(घ) शैक्षिक ऋण स्वर्णिम योजना

(ङ) सिविल सेवाओं आदि के लिए कोचिंग कक्षाएं

8. स्वास्थ्य स्थिति:

(i)

जन्मदर प्रतिशत	मृत्युदर प्रतिशत	एलोपैथिक अस्पतालों तथा बिस्तरों की संख्या (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित)		राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या
		अस्पताल	बिस्तर	
17.5	6.3	15	3173	39

स्त्रोत: स्वास्थ्य सूचना भारत, 2005
प्रकाशक: केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, डी जी एच एस
सी एच सी: सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

9. आर्थिक स्थिति

(क) कार्यभागीदारी की दर*

(प्रतिशत में)

व्यक्ति	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
पुरूष	53.1	53.8	46.5	50.3	58.6	43.9	55.5	–	50.6
महिला	17.2	17.9	4.2	20.9	7.9	21.9	6.0	–	22.7

*(वर्ष 2001 की जनगणना)

(ख) व्यावसायिक वर्गीकरण:*

(प्रतिशत में)

नाम	सभी धार्मिक समुदाय	हिंदू	मुसलमान	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	पारसी	अन्य
किसान	3.2	3.4	2.8	0.7	4.5	शून्य	1.7	–	0.7
कृषि मजदूर	21.1	22.6	2.4	12.7	शून्य	शून्य	–	–	16.9
कुटीर उद्योग	1.8	1.9	1.6	1.2	शून्य	4.0	–	–	1.7
अन्य कामगार	73.9	72.0	93.2	85.4	95.5	96.0	99.3	–	79.7

*(वर्ष 2001 की जनगणना)

(ग) पुडुचेरी में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वालों की जनसंख्या का प्रतिशत 26.10 के राष्ट्रीय स्तर की तुलना में 21.67 प्रतिशत है।

10. मौजूदा आरक्षण नीति:

केन्द्रीय सरकार के आदेशों का पालन किया जाता हैं।

11. अन्य पिछड़े वर्ग ही पहचान के लिए मौजूदा मानदंड:

निम्नलिखित बातों का अनुपालन किया जाता हैं:

(i) एक जाति के कुल घरों से जितने घरों में केवल एक वक्त का खाना बनता है उसका अनुपात।

(ii) एक जाति में दस्तीकार्य में लगे कुल कामगारों की संख्या में महिलाओं का अनुपात

(iii) एक जाति में 30 वर्ष की आयु से कम की विवाहित महिलाओं की विवाह की माध्य आयु।

(iv) किसी जाति में 15 से 25 वर्ष के आयुवर्ग की उन लड़कियों का अनुपात, जिन्होंने उच्च अध्ययन परीक्षा पास की है।

(v) किसी एक जाति में कच्चे घरों में रहने वालों का अनुपात

12. राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विकास योजनाएं/कार्यक्रम:

(i) सरकारी स्तर पर:

(क) अंतर जातीय विवाहों का बढ़ावा

(ख) बाल श्रम का उन्मूलन

(ग) बालको के विरूद्ध अपराधों पर नियंत्रण

(ii) अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम:

(क) आवधिक ऋण योजनाएं

(ख) कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, ए/सी मैकेनिक और मुस्लिम महिलाओं के लिए चटाई बुनने संबंधी योजनाओं में प्रशिक्षण

(ग) नाई और धोबी वर्ग के लोगों को औजारों की नि:शुल्क आपूर्ति

(घ) छात्रों को नि:शुल्क साईकिलें देने की योजना

(iii) बैंकों से संबंधित सूचना

(i) बैंक के डी जी एम ने बताया कि गरीब वर्गों की ऋण लेने वाली प्रथम पीढ़ी को दक्षता विकास और प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

13. राजनैतिक संस्थाओं में धार्मिक समुदायों का प्रतिनिधित्व:

क्रमांक		कुल संख्या	धार्मिक प्रतिनिधियों की संख्या
1	लोक सभा/राज्य सभा	1 (लोक सभा)	–
2	राज्य विधान सभा	30+3*	3+1*

*केंद्र सरकार द्वारा नामित

14. भाषायी अल्पसंख्यक :

(i)	राज्य की राजभाषा	:	पुडुचेरी और कड़ईकाल में तमिल, माहे में मलयालम तथा येनम में तेलुगु
(ii)	राज्य में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं	:	अंग्रेजी और फ्रांसीसी

15. (i) मुख्य सचिव तथा अन्य सरकारी अधिकारियों की टिप्पणियां:

(क) मुख्य सचिव ने कहा कि संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लाभार्थ विभिन्न कल्याणकारी और विकास योजनाएं शुरू की हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान 1400 करोड़ रूपये की राशि आबंटित की गई।

(ख) अल्पसंख्यकों के लिए अलग से आरक्षण की आवश्यकता नही है क्योंकि विकास योजनाओं के लाभ समाज में सभी वर्गों को मिल रहे हैं।

(ग) आदि द्रविदर कल्याण विभाग के निदेशक ने बताया कि निदेशालय अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा दे रहा है और अत्याचारों के शिकार पीड़ितों को मुआवजा दिया जा रहा है।

16. (i) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में पिछड़े तबकों के निर्धारण के लिए सुझाए गए मानदंड और पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए गरीबी रेखा के मानदंड की संकल्पना:

(i) जो मानदंड अन्य पिछड़े वर्गों के लिए लागू होते हैं वही मानदंड भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए भी लागू होते हैं।

(ii) ईसाई/इस्लाम धर्म में धर्मांतरित को अनुसूचित जाति का दर्जा देना।

(ii) कैथोलिक एसोसिएशन ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि आंग्ल भारतीय समुदाय को आरक्षण दिया जाना चाहिए और दलित ईसाईयों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना चाहिए और यदि जरूरत पड़े तो इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए।

(iii) स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयर मैन ने कहा कि धर्मांतरण के पश्चात भी दलित सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए ही है; इसलिए उन्हें वे सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो अनु॰जा॰/अनु॰ज॰ जाति वर्गों को मिलती हैं।

17. सामुदायिक प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य भागीदारों की विभिन्न मुद्दों पर टिप्पणियां:

(क) स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि मुसलमानों को आंध्र प्रदेश की भांति नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया जाना चाहिए।

(ख) वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि ने बताया कि अल्प संख्यक समुदाय के गरीब युवा खाड़ी देशों में दस्ती कार्य करने के लिए जा रहे हैं। बेहतर होगा कि यदि पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास निगम उन्हें देश में ही बेहतर कार्यों के लिए तकनीकी पाठ्यक्रम करने में सहायता प्रदान करें।

(ग) पुडुचेरी तोहीद जमात ने रोजगार, शिक्षा और विधायी निकायों में मुसलमानों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण की मांग की।

18. एन सी आर एल एम की टिप्पणी:

वित्तीय सहायता संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा गारंटी मांगने के बारे में सदस्य सचिव ने बताया कि यह आवश्यक नहीं होना चाहिए क्योंकि यह नियमानुसार वांछित नहीं है और इससे लाभार्थियों तथा सरकारी कर्मचारियों-दोनों के लिए ही समस्याएं खड़ी हो जाएंगी।